BOI

Reach the Star With Us

वार्षिक रिपोर्ट – 2012-13

ANNUAL REPORT – 2012-13

Bank of India

Relationship beyond banking

निदेशकगण
Directors

बाएं से दाएं - श्री हरविंदर सिंह, श्री ए.एम. पेरेरा, श्री उमेश कुमार, श्री एम.एस.राघवन (ईडी), श्री पी.एम.सिराजुददीन, श्रीमती वी.आर.अय्यर (सीएमडी), श्री नीरज भाटिया, श्री बी.पी.शर्मा (ईडी), श्री प्रमोद भसीन, श्री पी.आर.रवि मोहन, श्री उमेश खेतान, श्री के.के. नायर.

From Left to Right, Harvinder Singh, Shri A M Pereira, Shri Umesh Kumar, Shri M S Raghavan (ED), Shri P M Sirajuddin, Smt. V.R. Iyer (CMD),Shri Neeraj Bhatia, Shri B P Sharma (ED), Shri Pramod Bhasin, Shri P R Ravi Mohan, Shri Umesh Kumar Khaitan, Shri K K Nair.

श्रीमती वी.आर. अय्यर
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका,
बैंक ऑफ़ इंडिया,

ईटी दूसरा सबसे विश्वसनीय
बैंक एवार्ड 2012 के साथ

Mrs. V. R. Iyer,
Chairperson & Managing Director,
Bank of India

with ET 2nd Most Trusted
Bank Brand Award 2012

विषय सूची	पृष्ठ संख्या	CONTENTS	PAGE NO.
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका का संदेश	2	Chairperson & Managing Director's Statement	29
निदेशक रिपोर्ट	4	Directors' Report	31
कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	56	Business Reponsibility Report	56
कंपनी अभिशासन रिपोर्ट	63	Corporate Governance Report	63
तुलन-पत्र	80	Balance Sheet	80
लाभ एवं हानि खाता	81	Profit & Loss Account	81
लेखे पर टिप्पणियां	90	Notes on Account	90
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	121	Report of the Independent Auditors	121
बैंक का समेकित वित्तीय विवरणपत्र	123	Consolidated Financial Statement of the Bank	123
बासल II (स्तम्भ 3) प्रकटीकरण (समेकित)	156	Basel II (Pillar 3) Disclosures (Consolidated)	156
वार्षिक आम बैठक की सूचना	185	Notice of the Annual General Meeting	185
परोक्षी फार्म	187	Proxy Form	188
उपस्थिति पत्र	189	Attendance Slip	189
दृष्टिकोण, ध्येय स्टेटमेंट एवं गुणवत्ता संबंधी नीति	190	Vision, Mission Statement and Quality Policy	190

निदेशकगण
Directors

श्रीमती वी.आर. अय्यर
Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
Chairperson and Managing Director

एन. शेषाद्रि
N. Seshadri
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम. एस. राघवन
M. S. Raghavan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बी. पी. शर्मा
B.P. Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

उमेश कुमार
Umesh Kumar

पी. आर. रवि मोहन
P.R. Ravi Mohan

के. के. नायर
K. K. Nair

नीरज भाटिया
Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह
Harvinder Singh

पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

उमेश कुमार खेतान
Umesh Kumar Khaitan

प्रमोद भसीन
Pramod Bhasin

ए. एम. परेरा
A. M. Pereira

सांविधिक लेखा परीक्षक
Statutory Auditors

चतुर्वेदी एवं शाह
Chaturvedi & Shah

कर्णावट एंड कंपनी
Karnavat & Co.

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan

एल. बी. झा एवं कंपनी
L B Jha & Co

एसआरबी एंड एसोशिएट्स
SRB & Associates

ईसाक एंड सुरेश
Isaac & Suresh

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय
स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
फोन नं.: 66684444
वेबसाइटः www.bankofindia.co.in

HEAD OFFICE
Star House, C-5, `G' Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051. Phone: 66684444
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
प्रस्तावित लाभांश	₹ 10/- प्रति शेयर (100%)	Proposed Dividend	₹ 10/- per share (100%)
लेखा बंदी	22.06.2013 से 29.06.2013	Book Closure	22.06.2013 to 29.06.2013
वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं समय	शनिवार 29 जून, 2013 को सुबह 11.00 बजे	Date & Time of AGM	Saturday June 29, 2013 at 11.00 a.m.
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया आडिटोरियम स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	AGM Venue	Bank of India Auditorium Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

This page is intentionally left blank

महाप्रबंधक
GENERAL MANAGERS

1.	श्री विवेकानंद दास (सीवीओ)	Shri Vivekananda Das (CVO)
2.	श्री ए.पी. घुगल	Shri A.P. Ghugal
3.	श्री एन.सी. खुल्बै	Shri N.C. Khulbe
4.	श्री एस.के. दत्ता	Shri S.K. Datta
5.	श्री मुनीर आलम	Shri Munir Alam
6.	श्री आर.एन. तायल	Shri R.N. Tayal
7.	श्री आर. रविचंद्रन	Shri R. Ravichandran
8.	श्री एस.सी. अरोड़ा	Shri S.C. Arora
9.	श्री पी.एस. रावत	Shri P.S. Rawat
10.	श्री राकेश सेठी	Shri Rakesh Sethi
11.	श्री गौरी शंकर	Shri Gauri Shankar
12.	श्री बी.बी. जोशी	Shri B.B. Joshi
13.	श्री प्रेम कुमार	Shri Prem Kumar
14.	श्री पी.के. बजाज	Shri P.K. Bajaj
15.	श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R.A. Sankara Narayanan
16.	श्री आर. के. वर्मा	Shri R.K. Verma
17.	श्री पुष्पिंदर सिंह	Shri Pushpinder Singh
18.	श्री राजीव सक्सेना	Shri Rajiv Saxena
19.	श्री देबाशीष चक्रवर्ती	Shri Debashish Chakraborty
20.	श्री एस नरसिम्हन	Shri S. Narasimhan
21.	श्री चरन सिंह	Shri Charan Singh
22.	श्री पी.के. पटनाईक	Shri P.K. Patnaik
23.	श्री अनिल कुमार वर्मा	Shri Anil Kumar Verma
24.	श्री अनिल राणे	Shri A.B. Rane
25.	श्री बी.एल. सालियन	Shri B.L. Salian
26.	श्री आर.एन. कर	Shri R.N. Kar
27.	श्री अरिहन्त कुमार जैन	Shri Arihant Kumar Jain
28.	श्री रमेश चन्द्र बलिआर सिंह	Shri Ramesh Chandra Baliar Singh
29.	श्री जी.बी. काकड़े	Shri G.B. Kakade
30.	श्री विकास पांडे	Shri Vikas Pande
31.	श्री रबिन्द्र मोहन प्रसाद	Shri Rabindra Mohan Prasad
32.	श्री एम.बी. डोडिया	Shri M.B. Dhodia
33.	श्री अनिल कुमार भल्ला	Shri Anil Kumar Bhalla
34.	श्री एम.डी. वर्नेकर	Shri M.D. Vernekar

चुनौतीपूर्ण दौर में बुलंदियों की ओर अग्रसर

श्रीमती वी.आर. अय्यर
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका

प्रिय शेयरधारको,

बैंकिंग व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है। आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण है और उसके साथ-साथ विनियामक और विवेक सम्मत दायित्वों को भी और अधिक कठोर बनाया जा रहा है जिसकी वज़ह से हमारे समक्ष एक ऐसा चुनौती पूर्ण वातावरण है जिसमें यह अपेक्षा है कि बहुत ही सन्तुलित रुप से कार्रवाई की जाए। वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय परिणामों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है। इन सबके बीच, मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि मुझे आपके इस महान संस्थान की 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और मुझे यह उल्लेख करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपके बैंक ने अनेक प्रकार की चुनौतियों के होते हुए भी बेहतरीन संवृद्धि दर्ज की है।

चालू वित्तीय वर्ष के अधिकांश समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी दृष्टिगोचर हुई, परन्तु हाल ही में बड़े बाजारों में थोड़ा सुधार परिलक्षित हुआ। यू.एस. और जापान की अर्थव्यवस्था में को एक नयी लहर उठी जिसके फलस्वरुप वित्तीय संस्थानों ने नए उभर कर आए बाजारों से निधियां बाहर खींच लीं। जिसके फलस्वरुप बीआरआईसीएस (ब्राजील, रुस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका) के बाज़ारों की चमक कम होती चली गयी और एमआईएसटी (मैक्सिको, इन्डोनेशिया, साउथ कोरिया और टर्की) के बाजारों की रौनक लौट आयी। यू.एस. अर्थव्यवस्था के सकारात्मक विकास में, गैर कृषि पेरोल्स में सुधार हुआ और बेरोजगारी की दर घटकर 7.7% तक आ गयी जिससे यह संकेत मिलने लगे कि यू.एस. की अर्थव्यवस्था फिर से प्रगति के पथ पर लौट रही है। अलबत्ता, $85 बिलियन के व्ययों की कटौती पर चर्चाएं अभी जारी हैं और नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार यू.एस. व्यापार घाटा बढ़कर $444.88 बिलियन तक पहुंच गया है।

अलबत्ता, यूरोपीयन यूनियन से प्रस्तुत किए आँकड़े 46.5 विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के साथ निराशाजनक थे। क्योंकि वे 50 की सीमारेखा स्थिति से काफी नीचे थे। यूरोपियन सेन्ट्रल बेंक ने अपनी 2 मई, 2013 को हुई बैठक में प्रमुख बेंचमार्क दर को 25 बेसिस पॉइंट कम करके 0.75% से 0.50% कर दिया है।

अकस्मात आए संकट में, साइप्रस ने अपने गोल्ड रिज़र्व की बिक्री करना शुरु कर दिया है और यह शंका है कि यू.के. सहित अन्य पीआईआईजीएस राष्ट्र भी ऐसा कर सकते हैं। नतीज़न सोने की कीमतों में काफी गिरावट आ गयी और सोने की कीमत $1350/ ओजेड तक कम हो गयी। यद्यपि बाद में इसकी कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला, किंतु इस बात से यह अवधारणा क्षीण हो गयी है कि सोना निवेश के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। मुद्रास्फीति की स्थिति के विरुद्ध बचाव का साधन है।

चीन ने अपनी इस भविष्य वाणी को कायम रखा कि उसकी अगले वित्तीय वर्ष में 7.6% ग्रोथ रेट रहेगी। सबसे बड़ी व्यवस्था के रुप में द्वितीय स्थान रखने वाले चीन में विनिर्माण संबंधी गतिविधि पिछले 19 महीनों से अधिक अवधि में तेजी से पनपी है जिससे यह प्रत्याशा बलवती होती है कि उसका आगे और भी तेजी से विकास होगा। अलबत्ता यह बात दीगर है कि विकास की यह दर उसके पिछले वर्ष की उस दर से अभी भी कम है जब चीन की अर्थव्यवस्था 8% से अधिक की दर से बढ़ी थी। यह भी अपेक्षा की जा रही है कि चीन की अर्थव्यवसथा को झटका लग सकता है क्योंकि वहां की सरकार ने इन्फ्रास्टैक्चर व्यय में वृद्धि कर दी है और निवेश परियोजना मूल्यांकनों की रफ्तार को तीव्र कर दिया है।

स्वदेश में विकास दर कम ही रही। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने यह प्राक्कलित किया है कि वर्ष 2012-13 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 5% है। अलबत्ता, 2013-14 के ग्रोथ संबंधी इस्टीमेट्स पर विभिन्न विचारको के बीच काफी भिन्नता है। आईएमएफ और प्राइवेट अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि वर्ष 2013-14 में ग्रोथ रेट 5.7-5.8% होगी जबकि पीएमईएसी (प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद) का यह मानना है कि इस वर्ष के दौरान भारत 6.4% की दर से विकास करेगा। उनकी यह अवधारणा कृषि, उद्योग और सेवा खंड़ों में प्राक्कलित की गयी उन्नत विकास की संभावनाओं पर आधारित है।

2008-09 में वैश्विक आर्थिक संकट द्वारा आयी मंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने राजकोषीय और मौद्रिक तरक्की के लिए काफी मजबूती से प्रतिसाद किया और वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 9.3% की ग्रोथ रेट हासिल की। किंतु उसी दौरान मार्च 2010 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना शुरु कर दिया था।

उच्चतर दरों व नीति संबंधी अडचनों ने निवेश पर प्रतिकूल असर डाला और 2011-12 और 2012-13 में ग्रोथ रेट क्रमशः 6.2 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत रही। हाँलाकि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) हेतु कम्पाउन्ड वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) 2012-13 को समाप्त दशक में 7.9 प्रतिशत है।

विकास की यह धीमी गति उद्योग में आयी कमजोरी के कारण है जिसने केवल 3.5 प्रतिशत की ग्रोथ रेट ही दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र भी 1.9 प्रतिशत पर रहा। सामान्य से कम बरसात के कारण वर्ष 2012-13 में कृषि के क्षेत्र की ग्रोथ रेट भी नीचे आयी। वर्ष 2011-12 में वह 8.2% थी जो वर्ष 2012-13 में 6.6 प्रतिशत तक घट गयी।

वैश्विक आर्थिक संकट से अच्छी तरह से उभरने के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था कई तत्वों के कारण ही धीमी ही है। इसका पहला कारण यह है कि आर्थिक संकट के बाद मौद्रिक और राजकोषीय तेज़ी से मांग में और उछाल आया जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी। दूसरा यह है कि 2011-12 की शुरुआत से, नीति संबंधी रुकावटों और कड़ी मौद्रिक नीति के परिणामस्वरुप कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमैन्ट दोनों ही धीमे पड़ गए। तीसरी अहम बात यह रही कि पहले से ही मंदी चल रही घरेलू अर्थव्यवस्था को दो अतिरिक्त झटके : वैश्विक अर्थव्यवस्था में आयी मंदी और घरेलू कमज़ोर मानसून से भी लगे।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए दृष्टिकोण

यह प्रत्याशा है कि वर्ष 2013-14 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था वर्ष थोड़ा बेहतर कार्यनिष्पादन करेगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान घरेलू आर्थिक गतिविधि विगत वर्ष की अपेक्षा केवल साधारण सुधार ही दर्शाने के लिए प्रत्याशित है। वर्ष की दूसरी छमाही में इसके रफ्तार पकड़ने की संभावना है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब मानसून नार्मल रहे और कृषि में वृद्धि वापस अपनी प्रवृत्ति के स्तरों पर रहे। औद्योगिक गतिविधि

के लिए दृष्टिकोण भी थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि नए निवेश बीच में लटके पड़े हैं और मौजूदा परियोजनाएं भी रुकावटों और कार्यान्वयन संबंधी अन्तरालों से रुकी पड़ी है। वैश्विक ग्रोथ में भी 2012 के स्तर से बहुत ज्यादा सुधार होने की सम्भावना नहीं है। सेवा और निर्यात में भी ग्रोथ मंद ही रह सकती है। तद्नुसार 2013-14 के लिए बेस लाइन जीडीपी ग्रोथ 5.7 प्रतिशत पर अनुमानित है।

मार्च, 2013 तक, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत थी, जो रिज़र्व बैंक के 6.8 प्रतिशत के संकेतात्मक प्रक्षेपण से नीचे ही रही। ऐसा वर्ष की द्वितीय छमाही में गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट की वजह से हुआ। कच्चे तेलों और खाद्य सामग्री की कीमतों में आयी कमी के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लिए ग्लोबल मुद्रास्फीति आउटलुक विगत वर्ष की तुलना में अनुकूल प्रतीत होता है। तद्नुसार आयातित मुद्रास्फति न्यूनतर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि विनिमय दर मोटे तौर पर स्थिर रहे। कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन, औद्योगिक परिदृश्य और पीएमआईज् के संकेतक घटती हुई प्राइसिंग पॉवर का संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ, सतत् आपूर्ति असन्तुलनों के कारण खाद्यसामग्री संबंधी मुद्रास्फीति भी दबाव का स्रोत रहने की सम्भावना है। इसके अलावा यह भी कि प्रशासित मूल्य परिशोधनों का समय और परिणाम विशेष रुप से विद्युत और कोयले में की बढ़ी हुई कीमतें 2013-14 में मुद्रास्फीति की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेगी।

घरेलू मांग - आपूर्ति सन्तुलन, वैश्विक पण्य कीमतों के आउटलुक और नॉर्मल मानसून की घोषणा के मे नजर, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति विगत नीति संबंधी कार्रवाइयों के कारण प्रथम छमाही में तीव्र गिरावट आने से वर्ष 2013-14 में लगभग 5.5 के परास में ही प्रत्याशित है, इसमें जो वृद्धि होगी वह वर्ष की द्वितीय, छमाही में ही आधारभूत प्रभावों में परिलक्षित होगी।

बैंक का कार्यनिष्पादन

- आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 6694 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 7458.50 करोड़ हो गया, इस प्रकार इसमें 11.42% की ग्रोथ दर्ज की गई।
- वित्तीय 2012-13 में बैंक का निवल लाभ 2.69% बढ़ा। वर्ष 2011-12 में यह ₹ 2677 करोड़ था जो इस वर्ष में बढ़कर ₹ 2749 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 में गैर-ब्याज आय में 13.39% संवृद्धि दर्ज की गयी, वर्ष 2011-12 में यह ₹ 3321 करोड़ थी जो इस वर्ष ₹ 3766 करोड़ हो गयी।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु बैंक अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 48.98 के निमित्त ₹ 47.79 रहा। प्रति शेयर बुक वैल्यू में सुधार हुआ। यथा 31 मार्च 2012 को यह ₹ 326.52 थी जो यथा 31 मार्च, 2013 को ₹ 362.37 करोड़ हो गयी।
- आय अनुपात में लागत में काफी कमी आयी। वित्तीय वर्ष 2011-12 में यह 42.47% थी जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में घटकर 41.69% रह गयी।
- आपके बैंक की नेट वर्थ में भी इज़ाफा हुआ है। यथा 31 मार्च 2013 को यह बढ़कर ₹ 21621 करोड़ हो गई है जबकि यथा 31 मार्च, 2012 को यह ₹ 18759 करोड़ थी। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बासेल II के अनुसार यथा 31 मार्च, 2013 को 11.02% पर था।
- बैंक का ग्लोबल बिजनेस मिक्स यथा 31 मार्च, 2013 को ₹ 6,74,808 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया जबकि यह यथा 31 मार्च, 2012 को ₹ 5,69,710 करोड़ था, इसमें 18.45% की ग्रोथ दर्ज हुई।
- बैंक की कुल जमाराशियां भी यथा 31 मार्च, 2012 को ₹ 3,18,216 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2013 को ₹ 3,81,840 करोड़ हो गयीं, इनमें 20% की वृद्धि हुई। बैंक के सकल अग्रिमों में 16.49 की बढ़ोतरी हुई है और ये ₹ 251,494 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2013 को ₹ 2,92,968 करोड़ हो गए।
- कासा डिपॉजिट भी बढ़कर यथा 31 मार्च, 2013 को ₹ 93800 करोड़ हो गया और कासा अनुपात 32.79% था।
- बैंक के अन्तरराष्ट्रीय परिचालनों ने भी जमाराशियों में 26% और अग्रिमों में 21% की वर्ष-दर-वर्ष ग्रोथ के साथ बढ़िया कार्यनिष्पादन दर्ज किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने लागत प्रभावशीलता और लाभ प्रदता के अनुरुप करोबार बढ़ाने का अभिन्न निर्णय लिया है।

मैं सहर्ष यह सूचित करती हूँ कि आपके बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस वर्ष के लिए 10/- प्रति शेयर (100%) की दर से लाभांश घोषित किया है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की पहलें

आपके बैंक ने कारोबारी ग्रोथ को तीव्र करने और ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- वर्ष 2012-13 के दौरान 15 मिलियन ग्राहकों को शामिल किया गया, इस प्रकार बैंक का कुल ग्राहक आधार 68 मिलियन हो गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान 292 शाखाएं खोली गयी जिससे स्वदेशी शाखाओं की कुल संख्या 4292 हो गयी। वर्ष 2012-13 के दौरान 453 नए एटीएम लगाए गए जिसके फलस्वरुप एटीएम की कुल संख्या यथा 31 मार्च, 2013 को 2133 हो गयी।
- आपका बैंक वित्तीय समावेशन की पहलों के कार्यान्वयन में आगे रहने वालों में है। वित्तीय समावेशन के लिए पुरज़ोर प्रयास करते हुए बैंक ने 80 लाख नो फ्रिल खाते खोले। बैंक ने 5,000 कारोबारी संपर्कियों को काम पर लगाया गया है। बैंक ने 11,300 गांवों में 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया है और बैंक के पास 150 लाख का यूआईडी नामांकन है।
- बैंक ने 10.09.2012 को तनजांनिया में एक और शाखा खोली है। सितम्बर, 2012 में युगांडा में अनुषंगी खोली गयी और जोहन्सबर्ग में प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा के रुप में उन्नयन किया गया।
- बैंक की यह योजना है कि बोटस्वाना, कनाडा और बाज़ील में अनुषंगियां खोली जाएं और म्यांमार में प्रतिनिधि कार्यालय खोला जाय।
- बैंक ने निधियों के अंतरण के लिए इमर्जिंग अल्टरनेट डिलिवरी चैनल के रुप में मोबाइल के जरिए बैंकिंग (बीटीएम) की शुरुआत की। इस सुविधा के माध्यम में ग्राहक किसी भी समय और कहीं से भी निधियों को अन्तरित कर सकते हैं।
- बेहतर म्यूचुअल फंड्स प्रॉडेक्ट्स के साथ ग्राहकों की सेवा करने के विचार से आपके बैंक की यह योजना है कि आस्ति प्रबंधन कारोबार में पुनः प्रवेश किया जाय। इस दिशा में कदम बढाते हुए बैंक ने आस्ति प्रबंधन कारोबार के मार्केट लीडर अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ संयुक्त उद्यम को अंतिम रुप दिया है।

मै बोर्ड के उन सभी निदेशकों जैसे कि श्री आलोक कुमार मिश्रा, बैंक के एक्स चेयरमेंन और मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा दिए गए मूल्यवान योगदान को भी कलमबंद करना चाहूंगी जो इस वर्ष के दारौन पद से निवृत्त हो गए हैं। बैंक को बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से सहयोग और बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारे ग्राहकों और शेयरधारकों का हम पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के सतत् प्रयासों को भी रिकार्ड में दर्ज करती हूं जिनके अथक प्रयासों के बिना इन उपलब्धियों का हासिल करना मुमकिन नहीं था, मैं बैंक की ओर से और साथ ही अपनी ओर से भी सभी शेयरधारकों को धन्यवाद देती हूं और यह प्रत्याशा रखती हूं कि उनका सतत् संरक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहेगा।

सादर,

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)

दिनांकः 15 मई, 2013

निदेशक रिपोर्ट

कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

वित्तीय मानदण्ड

- परिचालनगत लाभ ₹ 7459 करोड़।
- शुद्ध लाभ ₹ 2749 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में 2.67% की वृद्धि दर्ज हुई।
- 31.03.2013 को एनआईएम 2.46 है।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10% की तुलना में 11.02% रहा।

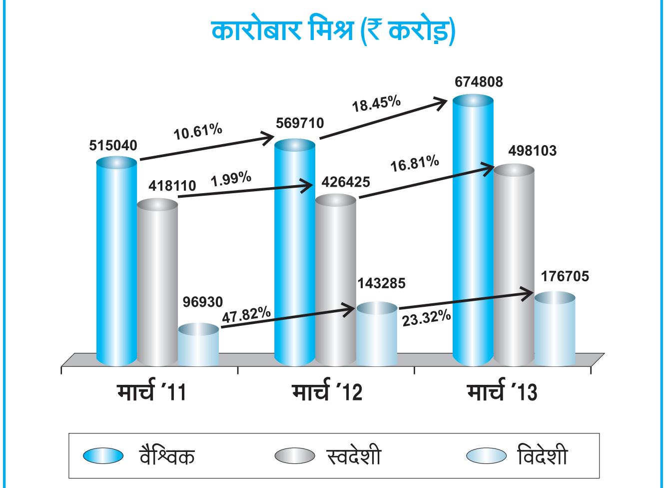

- निवल मालियत ₹ 21621 करोड़। मार्च 2012 की तुलना में 15.26 % की वृद्धि हुई।
- प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 362.37 (पिछले वर्ष ₹ 326.25)
- सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 2.99%
- निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 2.06%
- बैंक का कुल कारोबार (जमा + निवल अग्रिम) ₹ 674808 करोड़ पर जा पहुंचा। इस प्रकार इसमें ₹ 105098 करोड़ (18.45%) की वृद्धि दर्ज हुई। स्वदेशी कारोबार में 16.81% की वृद्धि हुई और यह ₹ 498103 करोड़ के स्तर पर जा पहुंचा।
- बैंक की कुल जमा राशियॉं ₹ 63624 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 381840 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई अर्थात् 19.99% की वृद्धि हुई। स्वदेशी जमाराशियों में 18.35% की वृद्धि हुई और यह ₹ 294067 करोड़ के स्तर पर जा पहुँचा। स्वदेशी जमाओं में कम लागत वाली जमाओं का हिस्सा 32.79% है।
- सकल ऋण में 16.49% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 292968 करोड़ को छूआ और स्वदेशी ऋण 14.66% की वृद्धि दर्ज के साथ ₹ 204036 करोड़ हुआ।
- शुद्ध समायोजित बैंक ऋण का 37.83% भाग प्राथमिकता क्षेत्र के उधार का रहा और शुद्ध समायोजित बैंक ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा 15.47% रहा।
- एमएसएमई क्षेत्र का ऋण ₹ 30232 करोड़ से बढ़कर ₹ 37230 करोड़ हो गया, जिसमें 23.14 % की वृद्धि हुई।
- योजनाबद्ध खुदरा ऋण में 19.25% की वृद्धि हुई, जो ₹ 14677 करोड़ से बढ़कर ₹ 17502 करोड़ हो गया।

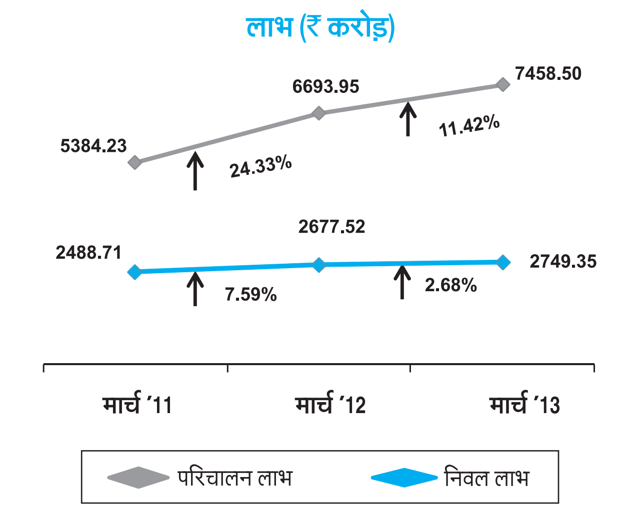

- निर्यात ऋण ₹ 1208 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 9531 पर पहुंची अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 14.51% वृद्धि दर्ज हुई।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.65% है
- इक्विटी पर प्रतिलाभ 13.62% है।

नये उत्पाद एवं सेवाएं

- विदेशी केन्द्रों पर एनआरई/एनआरओ खाते खोलने के लिए एनआरई ग्राहकों के लिए वेलकम किट की शुरूआत।
- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश तथा सिफारिशों के अनुसार बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट (अंग्रेजी) विकलांग व्यक्तियों के योग्य बनाई गई है।
- बैंक ने बचत बैंक पास बुक (होरिजेंटल फार्मेट) का नया फार्मेट प्रारंभ किया है, जो वर्तमान फार्मेट (वर्टिकल फार्मेट) जहाँ दो पृष्ठों पर विवरण मुद्रित होते हैं, उसकी तुलना में उसी पृष्ठ पर लेन-देन के विवरण मुद्रित होंगे।
- बीओआई नेट बैंकिंग यूजर के लिए नई सुविधाओं की शुरूआत की गई है। नामांकन सुविधा के साथ मीयादी जमा - स्टार सुनिधि कर बचत योजना प्रारंभ की गई है। बीओआई पीपीएफ खाता धारक अब ऑन लाइन जमा कर सकते हैं।
- स्वयं परिचालित बचत बैंक पास बुक प्रिंटिंग क्योस्क की शुरूआत की गई है।
- भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पास बुक एवं खातों के विवरण पर हेल्प लाईन नंबर मुद्रित कर रहा है।
- डायमंड ग्राहकों को खाते का तिमाही समेकित विवरण पीडीएफ फार्मेट में ई मेल के माध्यम से भेजा जाता है।
- धोखाधड़ी निवारण के उपाय के रूप में एसएमएस अलर्ट - स्टार संदेश सर्जित किया जाता है और सभी ग्राहकों को जिन्होंने सभी डिलीवरी चैनल से (इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) सभी नामे लेन-देन, ₹ 25,000/- और उससे अधिक के सभी नामे समाशोधन लेन-देन, ग्राहक प्रवृत्त सभी नामे अंतरण एवं ₹ 10,000/- और उससे अधिक के नकद भुगतान, ₹ 10,000/- और उससे अधिक के सभी नामे ईसीएस लेन-देन, सभी नामे आरटीजीएस लेन-देन और चेक बुक जारी करने के निवेदन स्वीकार करने पर पावती के लिए जिन्होंने बैंक के पास मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड कराये हैं।

- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग करने वालों के लिए हॉट लिस्टिंग/रिसेट/अनलॉक/नामे सह एटीएम कार्ड पिन बदलने की सुविधा।
- वार्षिक कर विवरण देखना (फार्म 26 ए एस)
- स्टार ई ट्रेड - ऑन लाईन शेयर ट्रेडिंग - गुप्ता इक्विटी के साथ एकीकरण।
- बैंक का नामे सह-एटीएम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए ऑन लाईन ई-भुगतान की सुविधा का विस्तार किया गया है इससे ग्राहक क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग खातों के अलावा अपने डेबिट कम एटीएम कार्ड का ई भुगतान के लिए उपयोग कर सकेंगे।
- डिलीवरी चैनल के नवीनतम विकल्प के रूप में मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई है जो वस्तुतः ग्राहकों को किसी भी समय कहीं से भी मोबाइल फोन की सुविधा से बैंकिंग गतिविधियों को स्वीकार करती है। यह सुविधा सभी खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को दी गई है और इसमें जमा शेष पूछताछ, अंतिम पॉंच लेन-देन, चेक की स्थिति, निधि अंतरण एवं मोबाइल भुगतान जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- बैंकों के बीच स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी के उपयोग से ऑन-लाईन निधि अंतरण।
- आटो-पे के लिए बीओआई स्टार ई भुगतान या विभिन्न उपयोगी सेवाओं/बिलों का ऑन-लाइन भुगतान।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के लिए ई भुगतान।
- शेयरों में व्यापार के लिए स्टार ई-शेयर व्यापार।
- ई-भाड़ा भुगतान।
- विदेशी व्यापार लाइसेंस फीस महानिदेशक (डीजीएफटी) का ऑन लाइन भुगतान।
- रेल्वे एवं हवाई जहाज की टिकटों की ऑन लाईन बुकिंग।
- शिक्षा ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन।
- किसी भी डीपीओ में खाता रखने वाले खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक द्वारा आईपीओ निर्गमों के लिए अवरूद्ध आवेदन की बोली सह आवेदन पत्र (आसवा) ऑन लाइन करने के लिए प्रावधान।
- बीओआई-बीटीएम (मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग की शुरूआत)
- माइक्रो एटीएम एवं बायोमैट्रिक पिन प्रमाणीकरण के साथ **धन आधार कार्ड** आरंभ।
- सभी नो फ्रिल खाता धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर की शुरूआत।
- बैंक के वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रूप में बीओआई पेंशन आधार कार्ड, बीओआई प्रिविलेज इंटरनेशनल क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड और रुपये कार्ड की शुरूआत की है।
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यूएस मुद्रा में विजा सम्बद्ध बीओआई इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड की शुरूआत की गई है।

कारोबार पहल

- वर्तमान में 33 अंचलों में 52 **ग्रामीण प्रसंस्करण केन्द्र** परिचालन में हैं।
- कृषि कारोबार के नये क्षेत्र में प्रवेश की खोज के लिए उत्पाद नवीनता कक्ष के गठन की योजना है।
- बैंक के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन में परिवर्तित कर दिए गए है और आरटीजीएस / एनईएफटी योग्य है।
- कारोबार संपर्की चैनल के लिए नकदी एवं तदरूपता बीमा की शुरूआत की गई है।
- ऋण की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए 21 खुदरा कारोबार केंद्र परिचालन में हैं।
- बैंक ने स्टार विद्या शिक्षा ऋण, संपत्ति पर बीओआई स्टार ऋण, स्टार डायमंड होम लोन योजनाएं प्रारंभ की है।
- 50 अंचलों में कुल 100 एसएमई सिटी सेंटर कार्यरत है, ये केन्द्र टर्न अराउन्ड टाईम (टीएटी) घटाने में सहायक है।
- 51 अंचलो में सात मंडल प्रबंधकों द्वारा 42 मिड कार्पोरेट शाखाओं की निगरानी की जाती है।
- अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले एसएमई ग्राहकों को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने डायमंड/प्लैटिनियम/ गोल्ड कस्टमर संकल्पना प्रारंभ की है।
- बैंक के मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए संमिश्र ऋण उत्पादन और सावधि ऋण उत्पाद प्रारंभ किए हैं। एसएमई उद्यमियों के लिए स्टार एसएमई कान्ट्रैक्टर क्रेडिट लाईन, स्टार एसएमई लिक्विड प्लस, स्टार एसएमई ऑटो एक्सप्रेस एण्ड एसएमई एज्यूकेशन प्लस ऋण योजनाएं प्रारंभ की है।
- 10 लार्ज कार्पोरेट शाखाओं की प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक द्वारा सीधे निगरानी की जाती है।
- अग्रणी प्रबंधन प्रणाली (सेल्स फोर्स आटोमेशन) पहल करने, ट्रैक रखने और निगरानी के लिए स्थापित की गई है और संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही है।
- बैंक द्वारा विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत उत्पादक प्रयासों के लिए कम आय वाले समूहों के लिए 4% की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान 18806 हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के कार्यान्वयन के लिए बैंक सक्रिय रूप से जुड़ा है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आबंटित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जीजेआरएचएफएस के अंतर्गत बैंक ने वर्ष के दौरान 15302 मामले स्वीकृत किए है।
- बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को, एक अभियान के रूप में बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं उन सभी को प्रदान करने के लिए जो वर्तमान में इनसे वंचित हैं, कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय है। अब तक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए पहले कदम के रूप में नो फ्रिल खाते खोलना था और इस प्रकार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 79.83 लाख नो फ्रिल खाते खोले।
- बैंक हैंड हेल्ड डिवाइसेज और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके शुरू से अंत तक के आधार पर आईटी सोल्यूशन भी कार्यान्वित कर रहा है। बैंक ने 11.87 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए है/के सदस्य बनाये हैं।
- **परियोजना वित्त और सिंडिकेशन ग्रुप :** यह टेकनीकल मूल्यांकन, हामीदारी और ऋणत्व सिंडिकेशन का असाइनमेंट लेता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 की वित्तीय समाप्ति पर परियोजना लागत ₹ 14018 करोड़ और सिंडिकेट ऋण ₹ 6905 करोड़ था।
- नवीनतम वैकल्पिक चैनल के रूप में मोबाइल बैंकिंग सुविधा की शुरूआत की गई है, जो ग्राहकों को वस्तुतः किसी भी समय और कहीं से भी मोबाइल फोन से बैंकिंग कार्य-कलाप कर सकते है। यह सुविधा सभी खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को दी गई है और इसमें जमाशेष की पूछताछ, अंतिम पाँच संव्यवहार, चेक की स्थिति, निधि अंतरण एवं मोबाइल भुगतान की विशेषताएं शामिल है।
- एनाआरआई ग्राहकों से संबंधित कुछ गतिविधियों को केन्द्रीकृत करने के लिए ग्लोबल रेमिटेंस सेंटर स्थापित की गई जिससे टर्न अराउंड टाइम तथा उत्पाद डिलिवरी त्वरित हो सके तथा सक्रिय विपणन रणनीतियां और शिकायत निवारण तंत्र सक्षम हो सके ।

पुरस्कार एवं प्रशंसाएं

- भारत सरकार के यूएआईडी कार्यक्रम के लिए बैंक को राजस्थान के समीप डोडू गांव में प्रधान मंत्री के कर कमलों द्वारा आधार में श्रेष्ठता के लिए सर्वोत्तम बैंक का पुरस्कार दिया गया।
- "श्रेष्ठ शिक्षा ऋण" प्रदाता के लिए बैंक को "आउटलुकमनी अवार्ड 2012" दिया गया।
- बैंक को इकानॉमिक टाइम्स ने सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रान्ड का द्वितीय पुरस्कार दिया।
- पश्चिम अंचल में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक को नेशनल अवार्ड 2011 प्रदान किया गया।
- माइक्रो इंटरप्राइज को उधार देने के कार्य निष्पादन के आधार पर एमएसएमई मिनिस्ट्री दिल्ली ने बैंक को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया।
- बैंक को श्रेष्ठ कारोबार समर्थनीय वर्ग में आईबीए से इंटरनेशनल बैंकिंग टेक्नॉलाजी अवार्ड 2010 में विनर्स अवार्ड प्राप्त हुआ।

वित्तीय समीक्षा

वित्तीय कार्य-निष्पादन

बैंक ने ₹ 7458 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया (पिछले वर्ष ₹ 6694 करोड़).

निवल लाभ ₹ 2749 करोड़ रहा। (पिछले वर्ष ₹ 2678 करोड़)

मिश्र कारोबार में 18.45% (₹ 569710 करोड़ से ₹ 674807 करोड़) के सुदृढ़ कारोबार वृद्धि के कारण निवल ब्याज आय में 8.55% की वृद्धि हुई। गैर-ब्याज आय में 13.37% की वृद्धि हुई और पिछले वर्ष के 67.23% की तुलना में परिचालनगत 70.64% व्यय कवर हुआ।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सारांश निम्नलिखित है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	8,313.43	9024.00	8.55%
गैर ब्याज आय	3,321.77	3766.04	13.37%
परिचालन व्यय	4,940.66	5331.55	7.92%
परिचालन लाभ	6,693.95	7458.50	11.41%
प्रावधान/आकस्मिकताएं	4,016.43	4709.15	17.24%
निवल लाभ	2,677.52	2749.35	2.67%
प्रति शेयर अर्जन (₹)	48.98	47.79	-2.43%
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	326.52	362.37	10.98%
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ (%)	15.63	13.62	
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.72	0.65	

कुछ वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए है : (प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2011-12	2012-13
अग्रिम पर आय	9.38	8.87
निवेश पर आय	7.69	7.81
निधियों पर आय	7.88	7.67
जमा राशियों की लागत	6.01	5.94
निधियों की लागत	5.58	5.50
निवल ब्याज मार्जिन (तिमाही)	2.86	2.46
निवल ब्याज मार्जिन (वार्षिक)	2.52	2.38
परिचालन व्ययों के प्रति गैर ब्याज आय	67.22	70.64
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य आय	0.92	0.90
औसत कार्यशील निधि के प्रति परिचालन व्यय	1.37	1.28
औसत कार्यशील निधि के प्रति स्टाफ व्यय	0.84	0.75
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य परिचालन व्यय	0.52	0.53
आस्ति उपयोग अनुपात	1.85	1.79
कुल आय के प्रति गैर ब्याज आय	10.44	10.56
निवल आय के प्रति गैर ब्याज आय	28.55	29.45
कुल आय के प्रति लागत	42.47	41.69

खण्डवार कार्य-निष्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने ₹ 7458 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया है। इसमें कोषागार का योगदान ₹ 1222 करोड़ का रहा और अन्य बैंकिंग परिचालन से ₹ 6236 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2012-13 में अविनोज्य व्यय, अविनोज्य आय को कम कर ₹ 223 करोड़ रहा।

लाभांश

वर्ष के लिए ₹ 10 प्रति शेयर (100%) की दर से लाभांश घोषित किया गया (विगत वर्ष ₹ 7 प्रति शेयर)। कुल लाभांश भुगतान की राशि ₹ 697.09 करोड़ है (लाभांश वितरण कर सहित)।

पूंजी

2012-13 में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की निवल मालियत ₹ 18759 करोड़ से बढ़कर ₹ 21621 करोड़ हो गई. वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 365.70 मूल्य के प्रत्येक ₹ 10 के कुल ₹ 809 करोड़ के 22121957 इक्विटि शेयर भारत सरकार को जारी किए।

पूंजी पर्याप्तता

बासेल II फ्रेमवर्क के अनुसार वर्ष के दौरान पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.02% रहा जो कि नियामक आवश्यकता 10% से उच्चतर था।

पूंजी पर्याप्तता के विवरण(बासेल II) निम्नानुसार दर्शाए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण (बासल II के अंतर्गत)	31.03.2012		31.03.2013	
	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)
टियर I पूंजी	20,230	8.59	23,019	8.20
टियर II पूंजी	7,916	3.36	7,916	2.82
कुल पूंजी	28,147	11.95	30,935	11.02
जोखिम भारित आस्तियॉं	2,35,466	------	280,637	---------

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य :

मौजूदा परिदृश्य में, उभरते हुए मार्केट और विकासशील देश अर्थव्यवस्थाएं अच्छा कार्यनिष्पादन कर रही हैं किंतु उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरो एरिया में दो फाड़ पनपती दिख रही हैं और वे विभिन्न भविष्य वाणियों में परावर्तित भी रही है। वर्ष 2013 में उभरते बाजारों और विकासशील देशों में ग्रोथ 5.3 प्रतिशत थी और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह वर्ष 2014 में 5.7 प्रतिशत पर पहुँच जाएगी जबकि फाइनल डाटा निकाले जाने पर यूनाइटेड स्टेट में वह 2013 में 1.9 प्रतिशत होनी प्रत्याशित है और यह माना जा रहा है कि 2014 में 3.0 प्रतिशत रहेगी। इसके विपरीत, यूरो एरिया में ग्रोथ में -0.3 प्रतिशत और 2014 में 1.1 प्रतिशत है।

यूरो एरिया में नकारात्मक ग्रोथ की यह भविष्य वाणी न केवल बाहरी सतह की कमजोरी में ही परिलक्षित नहीं हो रही है अपितु अदरुनी भाग (कोर) की कमजोरी में भी देखी जा सकती है। अवमूल्यन की प्रक्रिया चल रही है और इन देशों में से अधिकांश देश और प्रतिस्पर्धात्मक होते जा रहे हैं, एक्सटरनल मांग उतनी ज्यादा नहीं है, वह केवल कमजोर आंतरिक मांग की भरपाई करने के लिए पर्याप्त है। यूरो एरिया में, विगत वर्ष के ऊपर संस्थागत प्रगति, विशेष रुप से बैंकिंग यूनियन हेतु रोड मैप सृजित करने के लिए हुई है। यूरोपीयन सेंट्रल बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए एकमुश्त मौद्रिक संव्यवहार कार्यक्रम ने (आउटरैट मौनेटरी ट्रॉन्जैक्शन प्रोगाम) बचे हुए जोखिमों को कम कर दिया है। परिफरी देशों में उधारकर्ताओं द्वारा दी जा रही ब्याज दरें वसूली को संरक्षित करने के लिए बहुत ही ज्यादा है और बैंकों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

उभरते बाजार की आर्थिक व्यवस्थाएं तरह-तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं और उनमें से एक चुनौती पूंजी प्रवाह को हैंडल करना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम ब्याज दर के साथ, उभरते बाजारों को अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत रुप से आकर्षक संभावनाएं उभरते हुए बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं में निवल पूँजी अन्तर्वाह और विनिमय दर दबावों को जारी रखने का कारण बन सकते हैं। पूँजी प्रवाहों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। समष्टि आर्थिक प्रबंधन और ज्यादा कठिन हो सकता है। प्राप्तकर्ता देशों हेतु यह चुनौती है कि उस स्थिति में पूँजी प्रवाहों के उतार चढ़ाव को कम किया जाय जब वे समष्टि और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हों। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में हालिया अच्छी खबरें, दो के बीच अंत संबंधों को मजबूती देते हुए, यूरो एरिया के बारे में नवीकृत चिंताओं के साथ आई है।

2013-14 के लिए आउटलुक

वैश्विक संभावनाएं फिर से सुधर गई है किंतु अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में वसूली का रास्ता कठिन हो रहेगा। 2013 में, वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ - $3^1/_4$ प्रतिशत थी और यह प्रत्याशित है कि वह 2014 में 4 प्रतिशत पर पहुँच जाएगी। बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, गतिविधि की 2013 तक धीमी गति से चलते हुए धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ेगी। उन्नत अर्थव्यवथा के नीति निर्माताओं ने वैश्विक वसूली के सबसे बड़े दो खतरों, यूरो एरिया का ब्रेकअप और ''फिस्कल क्लिप'' उछाल के कारण यूनाइटेड स्टेट्स में तीव्र राजकोषीय संकुचन, को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है।

अल्पावधि में, जोखिम मुख्य रुप से साइप्रस और इटली की घटनाओं से आयी गिरावट के अनिश्चितता व परीफरी में अति संवेदनशीलताओं सहित यूरो की उद्घटनाओं से सम्बन्धित है। मध्यावधि में, जो प्रमुख जोखिम होंगे वे यूरो एरिया में अपर्याप्त संस्थागत सुधारों और लम्बी स्थिरता व यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में उच्च राजकोषीय घाटों और कर्ज की वजह से होंगे। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, उपयुक्त समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण क्रमिक ही रहेगा किन्तु सतत् राजकोषीय समायोजन और मौद्रिक निभावयुक्त मौद्रिक पॉलिसी आन्तरिक मांग को सपोर्ट करने पर लक्षित रहेगी। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान को अभी भी मजबूत मध्यावधि राजकोषीय समेकन योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उभरते बाजारों में और विकासशील देशों में, नीतियों को थोड़ा कड़ा करना समुचित प्रतीत होता है। यह वठोरता विवेकपूर्ण उपायों से समर्थित मौद्रिक पॉलिसी के साथ शुरु होनी चाहिए।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2012-13 में 5.00 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह ग्रोथ न केवल हालिया विगत समय की तुलना में अपितु 2003-04 में देखे गए ग्रोथ ट्रेन्ड के सन्दर्भ में कम ही है। वर्ष 2012-13 में आर्थिक ग्रोथ में यह स्लोडाउन मुख्य रुप से औद्योगिक सेक्टर, के हो 2011-12 में 3.5 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 3.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी और कृषि सेक्टर में 1.8 प्रतिशत की न्यूनतर दर के कारण है सर्विस सेक्टर भी 2012-13 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा। उसकी यह दर भी वर्ष 2011-12 में हासिल की गई दर से कम है। 2011-12 और 2012-13 की यह स्लोडाउन घरेलू व वैश्विक तत्वों की वजह से आया है। मौद्रिक पॉलिसी की वठोरता सहित घरेलू तत्वों ने विशेष रुप से औद्योगिक क्षेत्र में निदेश और संवृद्धि को धीमा कर दिया है।

घरेलू फ्रंट पर, मुद्रास्फीति 2011-12 में प्रचलित उच्चतर स्तरों के सम्मुख 2012-13 में कम हो गई। अलबत्ता, पॉलिसी रेट्स में पर्याप्त कटौती करने के लिए आरबीआई के अपेक्षित लचीलेपन को नकारते हुए, गिरावट की गति धीमी पड़ गयी है, यह अपेक्षा की जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2012-12 में 5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 5.7 प्रतिशत की दर से ग्रोथ दर्ज करेगी। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार की प्रत्याशाओं के साथ हाल ही में किए गए सुधारात्मक उपायों से 2013-14 में ग्रोथ को फिर से प्राप्ति की संभावना है।

राजकोषीय घाटा फ्रंट पर, सरकार जीडीपी के 5.3% के राजकोषीय समेकन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। अलबत्ता परिशोधित इस्टेमेंट ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय घाटे को 5.2% पर रोक दिया था। ऐसा योजना व्यय में कटौती के द्वारा हो पाया जबकि उधार संबंधी कार्यक्रम भी 5.75 लाख करोड़ के बजटीय घाटे के सम्मुख 2012-13 के लिए 5.59 लाख करोड़ के निम्नतर स्तर पर था। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 4.8% के राजकोषीय घाटे को लक्ष्य रखा है।

अलबत्ता, बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा चिंता का विषय है। वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही के दौरान यह जीडीपी का 6.7% का आयातों की तुलना में निर्यातों में तेजी से आयी गिरावट ने घाटे को और बढ़ाया है। सीएडी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6% को छू सकता है। तेल और अन्य पण्यों की कीमतों में आयी गिरावट आगामी वित्तीय वर्ष के करन्ट अकाउन्ट घाटे को कम कर सकती है। तेल और पण्यों की कीमतों में आयी गिरावट के कारण और भी कमी आने की सम्भावना है।

सरकार द्वारा किए गए हालिया सुधारात्मक उपायों ने विचारों को उलटना शुरु कर दिया है। सरकार ने ईंधन की सब्सिडीज् को कम करके और निरन्तर आधार पर सार्वजनिक उद्यमों में स्टेक की बिक्री करके राजकोषीय समेकन के प्रति लम्बे समय से प्रत्याशित उपाय किए हैं। इसके आगे यह भी कि रिटेल, इंश्योरेंस और पेंशन सेस्टर में एफडीआई में वृद्धि करने के उपायों को बेहत्तर पूँजी प्रवाहों का योगदान देना चाहिए।

मुद्रास्फीति भी गिरती हुए ट्रेंड पर है। अप्रैल, 2013 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 4.9% थी जो आरबीआई के 5% के लक्ष्य से कम है। अप्रैल, 2013 में सीपीआई मुद्रास्फिति भी कम ही थी। यह मार्च के 9.36% से 100 बेसिस पॉइन्ट कम थी। हालांकि र्इंधन की कीमतों में वृद्धि के मध्यम प्रभाव के कारण जनवरी, 2013 के महीने हेतु डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में काफी ऊर्ध्वगामी परिशोधित हुए थे तथापि उत्तरवर्ती महीने के आंकडें खाद्यवस्तुओं को कीमतों में वृद्धि के प्रभाव के कारण केवल साधारण परिशोधन रुप में देखे जा सकते हैं। अलबत्ता, वित्तीय वर्ष 2012-13 में सबसे बड़ी औद्योगिक ग्रोथ है जो एकदम 1% पर आ गयी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु आउटलुक

यह प्रत्याशा की जा रही है कि 2013-14 हेतु ग्रोथ संबंधी सम्भावनाएं 2012-13 की तुलना में बेहतर रहेंगी। अलबत्ता, 2013-14 के ग्रोथ संबंधी इस्टीमेट्स पर विभिन्न विचारकों के बीच काफी भिन्नता है। आईएमएफ और प्राइवेट अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि वर्ष 2013-14 में ग्रोथ रेट 5.7-5.8% होगी जबकि पीएमईएसी (प्रधानमंत्री की

आर्थिक परामर्श परिषद) का यह मानना है कि इस वर्ष के दौरान भारत 6.4% की दर से विकास करेगा। उनकी यह अवधारणा कृषि, उद्योग और सेवा खंड़ों में प्राक्कलित की गयी उन्नत विकास की संभावनाओं पर आधारित है।

एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने यह उल्लेख किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6 प्रतिशत की उन्नत दर पर संवृद्धि कर सकती है बशर्ते कि संरचनात्मक अड़चनों को निराकरण करके, विगत होती हुई निवेश की स्थिति को काबू में करते हुए और बिगड़ने हुए चालू खाता धारा (सीएडी) को रोकते हुए तीव्र गति से सुधारों को लागू किया जाए।

नॉर्मल मानसून 2013-14 में 3.5 प्रतिशत के प्रवृत्ति दर से ऊपर कृषि संबंधी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएगा। मुद्रास्फीति की कमी के साथ आरबीआई वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइन्ट की कमी कर सकता है। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और ग्रामीण विकास पर उच्चतर व्ययों के रुप में सरकारी व्ययों में संभावी वृद्धि आने वाले आम चुनावों द्वारा संचलित होगी। सरकार द्वारा बढ़ाया गया व्यय, न्यूनतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति मॉडरेशन और उच्च कृषि संबंधी आय घरेलू फायदे संबंधी सेक्टरों जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, होटल और रेस्टारोन्टों एवं वित्तीय सेवाओं के व्ययों में इज़ाफा करेंगे। इसके आगे यह भी कि बढी हुई एक्सटरनल डिमांड भारत के निर्यातों, विशेषरुप से आईटी/आईटीज़् सेक्टर को बढ़ाएगी।

नार्मल मानसून की वापसी, रुपये की मजबूती और कच्चे तेल के मूल्यों में कमी के कारण वर्ष 2012-13 के लिए 7 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में उच्च उपभोक्ता ग्रोथ के बावजूद वर्ष 2013-14 में औसत डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फिति 6 प्रतिशत से कम रहने का पूर्वानुमान है। वर्ष 2013-14 के लिए सकल देशी उत्पाद में वृद्धि (जीडीपी) का पूर्वानुमान अधोमुखी जोखिम, 2013 में मानसून की असफलता से प्रभावित होगा और वैश्विक आर्थिक संभावना बिगड़ सकती है।

बैंकिंग उद्योग- विकास दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्य-निष्पादन बैंकिंग उद्योग के विकास के लिए मजबूत चालक है और इसके विपरीत भी है तथा 8.1 प्रतिशत के औसत जीडीपी से 2011-16 के आगे तक बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार को सुविधा मिलेगी। मौद्रिक स्थिरता लाने में सरकारी नीतियां भी लाभ दायक होंगी और आर्थिक वैश्विक या राजनीतिक हलचलों से रक्षा करेंगी। बैंकिंग क्षेत्र ने 2010 से आगे बाजार में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन किया है। भारत में पर कैपिटा आय बढ़ने से बैंकिंग क्षेत्र में तेजी की उम्मीद है। देश के उपार्जन में वृद्धि के साथ बैंकिंग सेवा का उपयोग करने वाली आम जनता की संख्या बढ़ेगी।

वर्ष 2012-13 की प्रथम तिमाही के दौरान मुद्राआपूर्ति (एम3) ग्रोथ लगभग 14.0 था किन्तु उसके बाद सावधि जमा राशियां धीमी हो जाने से दिसंबर के अंत तक 11.2 प्रतिशत नीचे आ गया। चौथी तिमाही में जमा संग्रहण में कुछ उछाल था । मार्च की समाप्ति तक जमा राशि में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फलस्वरुप मार्च 2013 की समाप्ति तक एम3 ग्रोथ 13.3 प्रतिशत पहुंच गया, जो 13.0 प्रतिशत के संशोधित निर्देशात्मक ट्रैजेक्टरी से थोड़ा सा ऊपर है। वर्ष 2013-14 में बैंकिंग उद्योग के लिए गैर-खाद्य ऋण 15% और जमाराशि वृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर 14% पूर्वानुमानित है।

गैर-खाद्यान्न ऋण वर्ष 2012-13 की शुरुआत के 18.2 प्रतिशत से नीचे आ गया और वर्ष दर वर्ष के आधार पर अधिकांश हिस्से में जमा राशि ग्रोथ 16.0% के करीब रहा। मार्च 2013 तक गैर-खाद्यान्न ऋण वृद्धि 14.0 प्रतिशत तक नीचे आ गई जो 16.0 प्रतिशत के निर्देशात्मक पूर्वानुमान से कम है और कुछ जोखिम निवारण तथा मन्द मांग प्रदर्शित करती है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण स्थिति सर्वेक्षण सम्पूर्ण ऋण स्थिति को सहज बताते हैं। 2012-13 की चौथी तिमाही में कुछ क्षेत्रों जैसे कि धातु, निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल रियल इस्टेट, केमिकल्स और वित्त को कड़ा कर दिया गया था।

वर्ष 2012-13 में नीति रेपो रेट और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) घटाने के सामंजस्य से सावधि जमा दर 11 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) और आधार दर 50 बीपीएस घट गई। हालांकि सावधि जमा ब्याज दर में गिरावट अधिकतर पहली छमाही में हुई। आधार दर 50 बीपीएस से 10.25 प्रतिशत तक मुलायम रही। 2012-13 पहली तिमाही और चौथी तिमाही के दौरान प्रत्येक में 25 बीपीएस दो कदम औसत रही। चौथी तिमाही में 39 बैंकों ने अपनी आधार दर को 5-75 बीपीएस की रेंज में घटा दिया। 2012-13 (फरवरी तक) के दौरान बैंकों की भारित औसत उधार दर 36 बीपीएस से 12.17 प्रतिशत तक घट गई।

चलनिधि वर्ष भर दबाव में बनी रही क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास लगातार उच्च सरकारी नकदी शेष रहा और अधिकतर वर्ष जमा अनुपात के लिए वृद्धिशील ऋण को उन्नत किया। वर्ष की प्रथम छमाही में दैनिक समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निवल औसत चल निधि का अन्तःक्षेपण ₹ 730 बिलियन से दूसरी छमाही के दौरान महत्वपूर्ण रुप से ₹ 1,012 बिलियन बढ़ा। चलनिधि दबाव कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान एससीबीज के सीआरआर को संचयी रुप से तीन बार 75 बीपीएस तक और सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) को 100 बीपीएस तक कम किया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओपेन मार्केट आपरेशन (ओएमओ) के माध्यम से बोली खरीदकर ₹ 1,546 बिलियन की चलनिधि अन्तःक्षेपण की। एलएएफ के तहत चलनिधि का निवल अन्तःक्षेपण, जो 28 मार्च 2013 को ₹ 1,808 बिलियन की ऊंचाई तक पहुंच गया था वर्ष के अंत की मांग को दर्शाता है, अप्रैल 2013 के अंत तक तेजी से ₹ 842 बिलियन तक नीचे आ गया।

वित्तीय समावेशन एक अन्य क्षेत्र है जहां बैंक को मुख्य भूमिका अदा करनी होगी। 2011 में विश्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में सभी व्यस्कों में से केवल 35% का विधिवत बैंकिंग संस्थान में बैंक खाता था, जबकि अल्प आय क्वान्टाइल में यह आंकड़ा 21 प्रतिशत रहा है। यह व्यापक संभावना का मार्ग प्रशस्त करता है। देश की वित्तीय संस्थानों को भावी वृद्धि के लिए शक्ति देता हैं। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियां वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देती है। इन खुले अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। भारत सरकार ने बैंकों को सूचित किया है कि 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में कम से कम एक शाखा खोली जाए और परिधीय गाँव भी कवर किए जाएं। बैंकों को चाहिए कि बोर्ड अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान (एफआईपी) बनायें, जिसके कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाएगी।

भारत सरकार का इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के लिए एटीएम स्थापित करना और मोबाइल/ऑन लाइन बेंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा विशेषज्ञों का सुझाव है कि आने वाले दशक में 5 गुना एटीएम बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में 900 मिलियन मोबाइल कनेक्शनों के साथ मोबाइल बैंकिंग भी अप्रयुक्त है और केवल 400 मिलियन बैंक खाते हैं। भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए ये क्षेत्र विविध अवसरों के लिए खुले हैं।

यद्यपि भारत में कुछ चुनौतियों हैं, जिनका बैंक सामना कर रहे हैं। वे बासल - III के अनुपालन के लिए पूंजी बढ़ा रहे हैं, आस्ति गुणवत्ता मामले और बढ़ते पुनर्संरचना मामले, साथ ही साथ मानव संसाधन मामले हैं। एमकिनसे रिपोर्ट का सुझाव है कि भारत के बैंकों को कोर और विशेषज्ञ कौशल दोनों के साथ कर्मचारी भर्ती करने चाहिए और विशेष रुप से जूनियर लेवल पर संनिघर्षण की आवश्यकता है। नॉन प्राइवेट भारतीय बैंक उत्पादकता सुधार से बहुत ही फायदे में रहेंगे, जैसे कि संस्थाओं की इंजिनियरिंग, ज्ञान प्रक्रिया, टेक्नॉलाजी का बेहतर उपयोग और औद्योगिक स्तर की उपयोगिताएं।

कारोबार समीक्षा

जमाराशियां

वर्ष के दौरान 19.99% वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक की जमाराशियों में ₹ 63624 करोड़ से ₹ 381840 करोड़ की वृद्धि हुई। घरेलू जमाराशियों में ₹ 45592 करोड़ की वृद्धि हुई या पिछले वर्ष से 18.35% अधिक।

बैंक की अनिवासी जमाराशियां ₹ 16,688 करोड़ रही जो सकल घरेलू जमाराशियों का 5.67% हिस्सा बनती हैं।

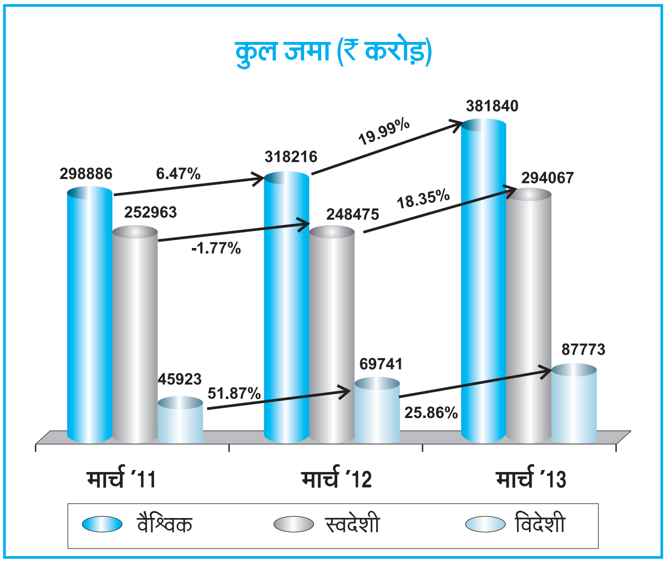

बचत बैंक जमाराशियों में 16.04% वृद्धि हुई तथा चालू जमाराशि में प्रगति 12.01% रही। कुल घरेलू जमाराशियों में एवं चालू जमाराशियों को शामिल करते हुए कम लागत वाली जमाराशियों का शेयर 32.79% है।

घरेलू जमाराशियों का 12% ग्रामीण क्षेत्र से आने से 13% अर्द्धशहरी क्षेत्रों से आने से 19% शहरी क्षेत्रों एवं 56% महानगरीय क्षेत्रों से आने से विविध जमाराशियों का अच्छा आधार है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, बैंक का कुल ग्राहक आधार 65.11 मिलियन है जिसमें 60.38 मिलियन जमाकर्ता तथा 4.73 मिलियन उधारकर्ता हैं।

अग्रिम

बैंक के सकल देशी ऋण ने 31.03.2013 को ₹ 177950 करोड़ से ₹ 204036 करोड़ तक 14.66% की वृद्धि दर्शायी है। पिछले वर्ष वृद्धि दर 7.75% थी। लार्ज कार्पोरेट/मिड कार्पोरेट, एसएमई तथा कृषि द्वारा संतुलित स्वीकृति/संवितरण से यह वृद्धि हुई।

बृहद कार्पोरेट पोर्टफोलियों के अंतर्गत बैंक ने 115 नए ग्राहक एवं खाते जोड़े। 10 बृहद कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं, 42 मिड कार्पोरेट शाखाएं और 4344 स्वदेशी ओवरसीज़ शाखाएं, कार्पोरेट उधारकर्ताओं/ निर्यातकों की विशिष्टिकृत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही।

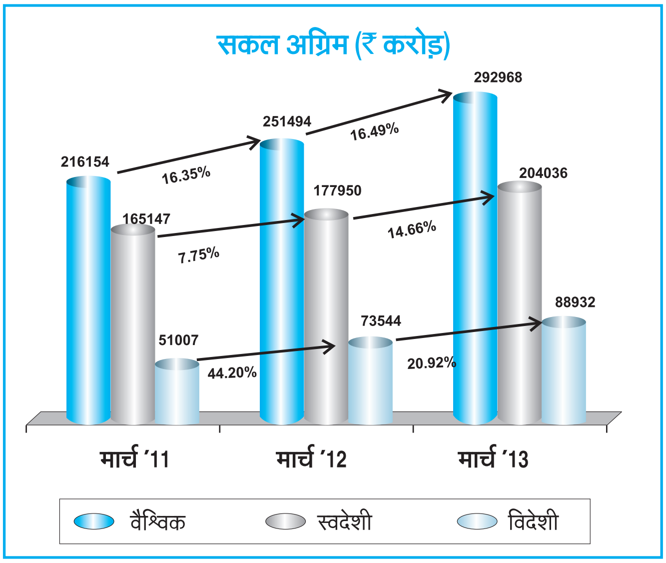

आधारभूत वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने उर्जा निर्माण, दूर संचार, बंदरगाह, सड़के, निर्माण ठेकेदार आदि के अंतर्गत ₹ 11,225 करोड़ की निधि आधारित सीमाएं एवं ₹ 2,466 करोड़ की गैर निधि आधारित सीमाएं मंजूर की।

निर्यात ऋण

देशी मुद्रा तथा साथ ही साथ विदेशी मुद्रा में निर्यातक तथा आयातक ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में बैंक अत्यधिक सक्रिय रहा। देश में बैंक की 215 शाखाएं विदेशी विनिमय कारोबार तथा आयातकों एवं निर्यातकों की ऋण/विदेशी विनियम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अधिकृत हैं। बैंक के निर्यात ऋण में ₹ 1208 करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात मार्च 2012 के ऊपर 14.51% वृद्धि एवं 31 मार्च, 2013 को ₹ 9531 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया। निवल समायोजित बैंक ऋण में 31 मार्च, 2013 को निर्यात ऋण का हिस्सा 5.34% था।

निर्यातक एवं गैर निर्यातकों की वित्तीय आवश्यकताएं बैंक की समुद्रपारीय शाखाओं तथा देशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा ऋण से ईसीबी के द्वारा पूर्ण की गयी। 31.03.2013 तक इस तरह के अग्रिम की कुल राशि यूएसडी 2203 मिलियन, (ईसीबी यूएसडी 1608 मिलियन तथा विदेशी मुद्रा ऋण यूएसडी 595 मिलियन को मिलाकर जो ₹ 11,962 करोड़) के समकक्ष है। बैंक ने पोतलदानपूर्व एवं पोतलदान पश्चात ऋण को विदेशी मुद्रा में प्रदान किया तथा 31.03.2013 तक बकाया राशि यूएसडी 550 मिलियन है (₹ 3014 करोड़ के समकक्ष)

होलसेल एवं इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप

बृहद कार्पोरेट

31.03.2013 को कुल अग्रिमों में बृहद कार्पोरेट संभाग का 48% हिस्सा है। इस महत्वपूर्ण संभाग में ऋण 31.03.2012 के ₹ 89257 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 में ₹ 98801 करोड़ हो गया।

"संकल्प 10,000" के कार्यान्वयन से बृहद कारपोरेट क्रेडिट सेट-अप को निम्नलिखित के लिए पुनः डिज़ाइन किया गया है:

- अलग बृहद कार्पोरेट वर्टिकल का ₹ 500 करोड़ से अधिक की ब्रिकी टर्नओवर वाले और ₹ 100 करोड़ से अधिक परियोजना लागत वाले बृहद कार्पोरेट की आवश्यकताओं के निर्वाह के लिए सृजित किया गया है। अधिक संकेन्द्रित ध्यान देने एवं टर्न अराउंड समय को कम करने के लिए प्रत्येक एलसीबी में ऋण प्रसंस्करण केन्द्र का गठन किया गया है, जो शीघ्र प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते है। 10 लार्ज कार्पोरेट शाखाएं लार्ज कार्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को प्रमुख कारोबार केन्द्रों जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद और पुणे में पूरा करती है।

- बृहद कार्पोरेट शाखाओं में खातों को आरएसएम से मैंप किया गया है, जो नकदी प्रबंधन, फोरेक्स, कोषागार उत्पाद, कारोबार वित्त, जमाराशियों, खुदरा बैंकिंग, अन्य पक्ष के उत्पाद हेतु ग्राहकों की कार्पोरेट आवश्यकताओं को देखेंगे एवं ग्राहकों के लिए उनकी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु संपर्की प्रबंधक के माध्यम से एक संपर्क स्थान होगा।

- बृहद कार्पोरेट शाखाओं में ऋण कारोबार को शाखा प्रमुख को रिपोर्ट करने वाले संपर्की प्रबंधकों एवं ऋण टीम लीडर को रिपोर्ट करने वाले ऋण मूल्यांकन अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन के एक उपाय के रूप में सेग्रिगेट किया गया है। बृहद कार्पोरेट शाखा में प्रसंस्कृत ऋण प्रस्तावों को अब सीधे महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, बृहद कार्पोरेट विभाग को भेजा जाता है। इससे टर्नअराउंड समय में कमी हुई है।

- बैंक ने लॉर्ज कार्पोरेट शाखाओं साथ ही प्रधान कार्यालय स्तर पर लम्बित प्रस्तावों/संदर्भों की निगरानी के लिए एक प्रणाली बनाई है।

रणनीतियां

- बैंक ने टर्नअराउन्ड समय कम करने के लिए ऋण प्रसंस्करण हेतु कैप्स माड्यूल विकसित किया है।
- लार्ज कार्पोरेट शाखाएं उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अब कार्पोरेट ग्राहक की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। लार्ज कार्पोरेट शाखाएं नये कारोबार का प्रचार करती है जो कार्पोरेट ग्राहकों के लिए केन्द्र बिन्दु का कार्य करती हैं।

मिड कार्पोरेट

एक ही छत के नीचे ग्राहक की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के एक मात्र उद्देश्य से अक्टूबर 2010 में मिड कार्पोरेट वार्टिकल की स्थापना की थी अलग से कार्पोरेट वर्टिकल स्थापित करने का उद्देश्य इस खण्ड की संभावना को व्यापक जोखिम के साथ उच्च लाभ के काम में लाना था।

मिड कार्पोरेट ₹ 10 - ₹ 100 करोड़ की परियोजना लागत वाली नई कंपनियों को कवर करता है। विद्यमान इकाइयों हेतु ₹ 100 करोड़ - 500 करोड़ बिक्री टर्नओवर का मानदण्ड लागू है।

मिड अलग पैर कार्पोरेट वर्टिकल 07 (सात) डिविजनल कार्यालयों एवं 42 मिड कार्पोरेट शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। 12 (बारह) क्रेडिट प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) विशेष रूप से प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान मिड कार्पोरेट के अंतर्गत ऋण कारोबार 11.69% वृद्धि के साथ ₹ 20470 करोड़ से ₹ 22,862 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। इसी तरह जमा कारोबार 13.85% की वृद्धि के साथ ₹ 9359 करोड़ से ₹ 10655 करोड़ की वृद्धि हुई। मिड कार्पोरेट वर्टिकल ने कुल घरेलू ऋण में 11.17% एवं बैंक के घरेलू जमा कारोबार में 3.62% का योगदान दिया।

परियोजना वित्त तथा समूहन ग्रुप

बैंक का परियोजना वित्त तथा सिंडिकेशन समूह में बैंक के अत्यधिक अनुभवी तथा योग्यता प्राप्त व्यावसायिकों द्वारा संचालित होता है। यह आधारभूत तथा औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है।

यह तकनीकी मूल्यांकन तथा ऋण के समूहन की जिम्मेदारी लेता है। वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय समापन परियोजना लागत ₹ 14018 करोड़ के साथ किया गया तथा समूहन ऋण ₹ 6905 करोड़ रहा।

वर्टिकल को मजबूत करने के लिए बैंक ने इंडस्ट्री से बहुअनुभवी इंजीनियरों तथा एमबीए योग्यता प्राप्त धारकों को भर्ती किया।

बैंक बहुमुद्रा अंतर्राष्ट्रीय समूहन हेतु मैंडेट लीड अरेंजर (एमएलए) तथा ज्वाइंट बुक रनर (जीबीआर) के रूप में कार्य कर रहा है तथा भारतीय कार्पोरेट के लिए उनके विस्तार/अभिग्रहण तथा बड़ी मात्रा में उद्योगों को कवर करते हुए संयुक्त उद्यमों के लिए ऋण की व्यवस्था की।

तकनीकी मूल्यांकन विभाग जो समूहन टीम की सहायता करता है वर्ष के दौरान समूहन ऋण के अतिरिक्त उद्योग ऋण का मूल्यांकन करते रहा है। टीम में सम्मिलित व्यावसायिक इंजीनियरों ने वर्ष के दौरान तकनीकी विषयक जोखिम का मूल्यांकन किया। इससे बैंक को औद्योगिक आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने का अवसर मिला। विभाग के परिचालन ने वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 16.42 करोड़ रुपये की शुल्क आधारित आय बढ़ाने में मदद की।

संव्यवहार बैंकिंग

संव्यवहार बैंकिंग विभाग 4 कारोबारी लाइनों पर इस आशय से ध्यान केन्द्रित कर रहा है ताकि उन्हें बैंक का मुख्य राजस्व स्त्रोत बनाया जा सके, ये निम्नानुसार हैः

- नकदी प्रबंध सेवाएं
- चैनल वित्त
- व्यापार वित्त और
- सरकारी कारोबार

बैंक के कार्पोरेट एवं एचएनडब्ल्यू ग्राहकों के लिए सभी एनबीजी कार्यालयों में कैश पिक अप सुविधा (डोर स्टैप बैंकिंग) को आरंभ किया गया है। इस पहल से लक्ष्य केन्द्रित ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है जो बैंक में काफी बढ़ी राशि लाने एवं ले जाने के चिंताओं और जोखिम से मुक्त हुए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने विशिष्ट विपणन विषयक प्रयास किए हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य (रायपुर अंचल), झारखंड राज्य (रांची अंचल), उत्तरांचल राज्य (गाजियाबाद अंचल), असम एवं मेघालय राज्य (सिलीगुड़ी अंचल) के राज्य सरकार से संपर्क किया है और इसके अच्छे नतीजे निकले हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक की उपस्थिति 5 महाद्वीपों और 20 देशों में है जिनमें लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, सिंगापुर और हांगकांग जैसे सभी प्रमुख वित्तीय केन्द्र सम्मिलित हैं। यथा 31.03.2013 विदेशों में बैंक के 52 कार्यालयों का नेटवर्क है जिसमें 4 प्रतिनिधि कार्यालय सहित बैंक की 4 अनुषंगियां और 1 संयुक्त उद्यम भी है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सिंगापुर में बैंक का वैश्विक प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) है। बैंक के विदेशी परिचालनों को फिनाकल में स्थानांतरित करके घरेलू परिचालनों से जोड़ा जा रहा है। कुछ केन्द्रों को पहले ही फिनाकल प्लेटफार्म में स्थानांतरित कर दिया गया है और 2013-14 के दौरान शेष केन्द्रों का स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।

बैंक का वैश्विक धन प्रेषण केन्द्र (जीआरसी) मुम्बई में है। जीआरसी में आवक धन प्रेषण, बचत बैंक खाते एनआरआई ग्राहकों के एनआरई/एनआरओ खाते खोलना केन्द्रीयकृत किया गया है। अनिवासी ग्राहकों को जमाराशियों एवं धनप्रेषण के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु खाडी देशों से धनप्रेषण किए जाने पर धनप्रेषित करनेवाले और लाभार्थी, दोनों को एसएमएस एलर्ट शुरु किए गए हैं। त्वरित धनप्रेषण हेतु स्ट्रेट थ्रू प्रॉसेसिंग (एसटीपी) शुरू की गई है और ऑफ़-साइट खातों के ब्यौरों के लिए व्यूइंग सुविधा स्थापित की गई है। यूके आधारित ग्राहकों के लिए बैंक ने बीओआई प्रिमियम अनिवासी जमायोजना, स्टार ई-रेमिट की शुरूआत की है।

31 मार्च, 2013 को विदेशी शाखाओं की कुल जमाराशियां ₹ 87773 करोड़ हैं इनमें विगत वर्ष की जमाराशियों की तुलना में ₹ 18,032 करोड़ (25.85%) की वृद्धि दर्ज की गयी। कुल अग्रिम ₹ 88,932 करोड़ हैं इनमें रू.15388 करोड (20.92%) की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। निवेश ₹ 4,047 करोड़ के थे। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी शाखाओं का परिचालन लाभ ₹ 1,181 करोड़ का रहा इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 93 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, निवल लाभ ₹ 295 करोड़ का रहा जो मार्च 2012 की तुलना में ₹ 332 करोड कम हो गया।वैश्विक कारोबार एवं लाभ में योगदान के रूप में विदेशी शाखाओं ने 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए वैश्विक कारोबार के निमित्त 26.19% का योगदान दिया और परिचालन और निवल लाभ के निमित्त क्रमशः 15.83% और 10.73% का योगदान रहा ।

फोरेक्स कारोबार

बैंक द्वारा सँभाले गए फोरेक्स कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2012-13 के दौरान, मर्चेंट और इंटर बैंक टर्नओवर क्रमशः ₹ 192027 करोड़ और ₹ 608522 करोड़ था बैंक फारेक्स कारोबार में अग्रणी प्लेयर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक की कोषागार शाखा का कुल टर्नओवर ₹ 800549 करोड़ था।

ट्रेजरी निवेश

बेंचमार्क 10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति पर आय जो 31 मार्च, 2012 को 8.63% थी यथा दिनांक 31.03.2013 को 7.95% घट गयी। यद्यपि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आय अत्यधिक अस्थिर रही तथा यह 8.68% से 7.82% की विस्तृत जद में रही। हमारे बैंक ने ब्याज आय तथा बाजार जोखिम के बीच संतुलन कायम रखते हुए निवेश के उच्च स्तर बनाए रखे। हमारे बैंक ने 23% निवल मांग एवं मियादी देयताओं (एनडीटीएल) की एसएलआर निवेश आवश्यकता से बढ़कर उच्च स्तर के एसएलआर निवेश को सिस्टम में अतिरिक्त नकदी तथा आरबीआई की आसान मुद्रा नीति के परिणामस्वरूप जमा वृद्धि के कारण बनाए रखा। हमारे कुल आधार पर एसएलआर निवेश ₹ 79653 करोड़ (कुल निवेश का ₹ 87.01%) तथा गैर एसएलआर निवेश

₹ 11,895 करोड़ (कुल निवेश का 12.99%) रहा। इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुरूप निवेश किए गए है. बाजार की गतिविधियों / विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ट्रेजरी परिचालन

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने बाजार के सभी क्षेत्रों अर्थात निधियों, फॉरेक्स तथा बांड में सक्रिय भूमिका निभाई है। सरकारी प्रतिभूतियों की दर गतिविधि से लाभ लेते हुए बैंक ने अपने निवेश संविभाग को सुधारा तथा प्रतिभूतियों की बिक्री एवं व्यवसाय से लाभ अर्जित किए। बैंक ने वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रतिभूतियों की बिक्रीसेलाभ में 193% वृद्धि दर्ज की गई. बैंक ने विविध बाजार क्षेत्रों के मध्य अंतरपणन अवसर का लाभ उठाया है जिससे जमा प्रमाण-पत्र (सीडी), विदेशी विनिमय स्वैप की खरीद/बिक्री, मियादी मुद्रा बाजार में अधिक रुपया निधि रख पाया जिससे 0.50% से 1.00% का विस्तार हुआ। बैंक ने ''टी'' बिलों तथा अतिरिक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध सीबीएलओ/रेपो में उधार लेकर सीडी में ₹ 3446 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार किया है तथा मियादी जमा में ₹ 2471 करोड़ का ऋण दिया है जिससे अनुमानतः 0.50% से 1.00% का विस्तार प्राप्त हुआ है।

नैशनल बैंकिंग ग्रूप (प्रधान कार्यालय) :

ग्रामीण बैंकिंग

1. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमः

बैंक ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के अपने व्यापक नेटवर्क एवं समर्पित कार्मिकों के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम बड़ा कारोबारी मौका प्रदान करने के अलावा, व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियां भी प्रदान करते हैं। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 65518 करोड़ का उत्कृष्ट स्तर दर्ज किया है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 36.71% है।

विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत बैंक मार्च, 2013 तक ₹ 17729 करोड़ का संवितरण कर सका। विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की स्थिति निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

	यथा 31.03.2013		वृद्धि	
	2012	2013	राशि	प्रतिशत
1. कृषि	21178	27041	5863	27.68
2. लघु उद्यम	25090	28912	3822	15.23
3. शिक्षा	2193	2329	136	6.20
4. आवास	5596	6790	1194	21.34
5. अन्य	---	446	446	---
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	54057	65518	11461	21.20

2. केंद्रित जिलों में केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र

कृषि ऋण में वृद्धि के उद्देश्य से चयनित अंचलों में केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 52 सीपीसी कार्यरत हैं।

3. किसान क्रेडिट कार्डः

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य कृषकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के साथ-साथ गैर-कृषि गतिविधियों सहित इस उद्देश्य के साथ है कि ऋण उपयोग के बारे में लचीला तथा परिचालनात्मक स्वतंत्रता मिल सके। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ₹ 4924 करोड़ की कुल सीमा वाले 474669 नए किसान कार्ड जारी किए। बैंक द्वारा अब तक 1453132 किसान कार्ड (संचयी) जारी किए जिसमें ₹ 12111 करोड का वित्तीय परिव्यय शामिल है।

4. ऋण अदला-बदली (स्वैप) :

बैंक ने नई योजना यथा 'ऋण अदला-बदली' डिज़ाइन की है जिसका उद्देश्य ऋणग्रस्त कृषकों को साहूकारों के बकाया देय से मुक्ति दिलाना है तथा अस्वाभाविक दरों पर गैर-संस्थागत देनदारों से ऋण भार से कृषकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करना है। बैंक ने 91 गांवों को साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलाई है तथा 238 से अधिक लाभार्थियों को वित्तपोषित किया है।

5. विभेदक ब्याज दरः

बैंक द्वारा कार्यान्वित विभेदक ब्याजदर (डीआरआई) योजना नाम के अंतर्गत उत्पादक उद्यमों हेतु चयनित कम य समूहों को 4% की छूट दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। बैंक ने इस वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत 18806 मामले स्वीकृत किए गए हैं।

6. अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रमः

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु केन्द्रित ध्यान सहित, बैंक विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन तथा बौद्ध को वित्त प्रदान कर रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने विभिन्न समुदायों ₹ 649 करोड़ और मार्च, 2013 तक ₹ 9847 करोड़ का आउटस्टेडिंग लेवल दर्ज किया गया।

7. स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजनाः

बैंक सक्रिय रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के कार्यान्वयन में शामिल है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वार आबंटित लक्ष्य ₹ 180.53 को प्राप्त कर लिया है। वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत बैंक ने 15502 मामलों को स्वीकृत किया।

कुल प्राथमिकता (₹ करोड़)

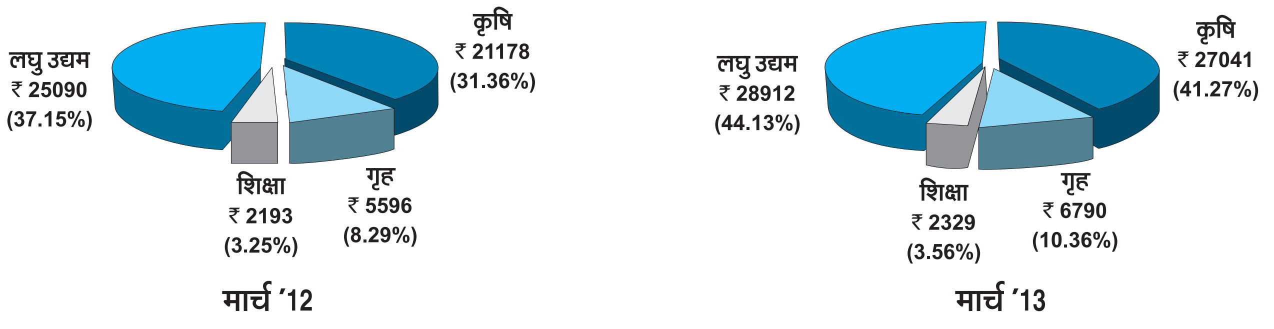

8. व्यष्टि वित्त/व्यष्टि ऋण

व्यष्टि ऋण की योजना गरीबों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए उन्हें बढ़े हुए स्व-नियोजन अवसर प्रदान कर उन्हें ऋण लेने योग्य बनाने के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में पाई गई है। ₹ 579 करोड़ के वित्तीय व्यय सहित 91844 से अधिक एसएचजी ऋण संबद्ध बैंक के पास हैं। इनमें से 79912 से अधिक महिला स्वंय सहायता समूह से संबद्ध हैं जिसमें बैंक को ₹ 431 करोड़ वित्तीय व्यय है।

9. सौर उर्जा आवास प्रकाश प्रणाली

बिजली की समस्या से निपटने के लिए बैंक ने सौर उर्जा आवास बिजली प्रणाली की योजना का आरम्भ किया है। सौर उर्जा आवास प्रकाश प्रणाली की खरीद तथा संस्थापन के लिए भावी उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। ₹ 4 करोड़ के वित्तीय परिव्यय सहित बैंक ने अब तक 1565 इकाई स्वीकृत की है।

10. मेगा परियोजना - 140 गांव :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता निर्माण तथा शहरी सुविधाएं निर्मित करना है जिसमें शहरी ग्राहकों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी ग्रामीण घरों में भी पहुंचाना है। अब तक, 15 राज्यों तथा 85 जिलों में फैले 147 गावों को इस योजना ने कवर किया है। बैंक ने 1824 लाभार्थियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत ₹ 19.88 करोड़ वित्तपोषित किया है।

11. अग्रणी बैंक दायित्व :

पांच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (12), मध्य प्रदेश (12), उत्तर प्रदेश (7) तथा उड़ीसा (2) में फैले 48 जिलों की अग्रणी बैंक दायित्व की जिम्मेदारी बैंक के पास है। इन सभी अग्रणी जिलों में बैंक सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक के लिए ₹ 8809 करोड़ का ऋण व्यय शामिल करते हुए सभी अग्रणी जिला में वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) लागू की गई। बैंक की उपलब्धि ₹ 8471 करोड़ रही जो वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि का 96.16% है। झारखंड राजय में बैंक को अब एलबीसी द्वारा अग्रणी बैंक संयोजक नामित किया गया।

वित्तीय समावेशन

देश के दीर्घकालिक विकास तथा विस्तृत विकास प्रक्रिया का वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य पक्ष है। वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य कारोबारी प्रस्ताव समझते हुए विपणन अभिमुख पहल को अपनाते हुए वित्तीय समावेशन में कूटनीति के परिवर्तन हैं। प्रतिमान निःसंदेह ''सीएसआर''से ''आर्थिक व्यवहार्यता'' में परिवर्तित हुआ। वित्तीय क्षेत्र द्वारा आवश्यक सुरक्षित और प्रभावशाली ढंग से कम लागत लेनदेन आईसीटी आधारित सॉल्यूशन की उपलब्धता से संभव हो सका है। दायित्व के बजाए समपार्श्व अवसर के द्वारा बैंक प्रत्याशित बैंकिंग सेवाएं को देख रहा है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन को महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक नए कारोबारी इकाई के रुप में तैयार किया है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना है। बैंक ने कारोबारी संपर्कियों एवं आईसीटी आधारित हैंड धारित डिवाइसों (माइक्रो एटीएमों) के माध्यम से 40160 गाँवों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अन्तर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं वाले नो फ्रिल अकाउन्ट्स के माध्यम से 125 लाख लोगों को जोड़ा है। ऐसा उनको तुरंत उपयोग संबंधी जरूरतों और पात्र लोगों को उद्यम क्रेडिट प्रदान करने के लिए किया गया है ताकि वे पर्याप्त जीविका अर्जित कर सकें। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों/स्वयं नियोजितों को मोबाइल आधारित धनप्रेषण सुविधा भी मुहैया करायी गयी है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों को धनराशि भेज सके और अन्य सेवाओं के साथ-साथ माइक्रो इंश्योरेंस सहित बैंक के थर्ड पार्टी उत्पादों तक अपनी पहुँच रख सकें।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) 2012-13 के अंतर्गत प्रगति का सार निम्नानुसार हैं :

- खोले गए नो-फ्रिल खातों की संख्या : ₹ 79.83 लाख
- जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या : ₹ 11.87 लाख
- जारी जीसीसी / केसीसी : ₹ 17.03 करोड़
- लगाए गए कारोबारी संपर्की : 4889
- लगाए गए चैनल प्रबंधन भागीदार : 93
- गांवों की संख्या जहां 100% वित्तीय : 11239

बैंक ने 31.03.2013 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त 2992 आबंटित गांवों में 100% वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया। पर्याप्त जोखिम प्रशामकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं वाली बेहतरीन परिचालन प्रणालियॉं बनायी गई हैं और अमल में लायी जा रहीं हैं।

स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी)

ग्रामीण युवाओं के मध्य बेरोजगारी की समस्या से निपटने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2005 में **''स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस)''** नामक समर्पित ट्रस्ट की स्थापना की पहल की। ट्रस्ट की स्थापना के तत्काल बाद दो एसएसपीएस (रुडसेटी) की स्थापना भोपाल एवं कोल्हापुर में की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस पहल को मूल्यवान माना तथा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना वासी देश के प्रत्येक जिला में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण बीपीएल युवाओं को तलाशने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया। स्थापना, शब्दावली, प्रायोजन, प्रबंधन कार्यक्रम संरचना, स्टाफ एवं प्रशासन, एमआईएस परिभाषित किए गए। बैंक को संस्थाओं की स्थापना हेतु 42 केंद्र आबंटित किए गए। बैंक ने ऐसी 42 संस्थाएं झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की है। इन केंद्रों में 14534 क्रेडिट इंपुट के साथ इस तारीख तक 39169 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बैंक ने रांची (झारखंड), बाराबांकी (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), पेन (महाराष्ट्र) तथा बेलगांव (कर्नाटका) में प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान, वयस्क साक्षरता, विस्तृत वित्तीय पहुंच तथा वृद्धि की योजना, सिविल सोयायटी संस्थाओं को सुदृढ़ करना, पर्यावरणीय स्थिरता इत्यादि में एसएसपीएस (रुडसेटी) के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु पांच एकीकृत एसएसपीएस (रुडसेटी) का विस्तार/स्थापित करने की योजना बनाई है। बैंक इन क्षेत्रों में व्यापक चुनौतियों का सामना करने हेतु जनसामान्य, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र के विविध स्रोतों को साथ लाने के लक्ष्य हेतु तालमेल एवं फोस्टर रणनीतिक साझीदारी करना चाहता है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शी केंद्र (अभय / ABHAY)

बैंक ने दैनिक आधार पर वैयक्तिक वित्त से संबंधित मामलों पर वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ वित्तीय व्यवहार की जटिलताओं के मूल्यांकन हेतु आम आदमी को वित्तीय साक्षरता देने की आवश्यकता को समझा है। आगे, जो ऋण के अप्रबंधन के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें भी दिवालियापन एवं चुकौती दायित्व से बाहर निकलने हेतु ऋण परामर्श की आवश्यकता है ताकि उनकी वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो सके। इस परीप्रेक्ष्य ने बैंक ने 5 (पांच) ऋण परामर्शी केंद्र **''अभय''** नाम से मुंबई, वर्धा, गुमला, कोलकाता और चैन्नई में खोले हैं जो जिनका कार्य वरिष्ठ एवं अनुभव बैकरों द्वारा देखा जा रहा है।

अभय की संकल्पना को विस्तार देते हुए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के मार्गदर्शन के अनुसार 51 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले हैं।

व्यथित उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग मामलों हेतु उपचारात्मक परामर्श के अलावा, मिडिया, कार्यशाला एवं सेमिनार के माध्यम से निवारण परामर्श भी दिया जा रहा है। अब तक परामर्श के 68490 मामले लिए गए जिनका निवारण तत्काल करके व्यथित उधारकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान लाई गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक ने 4 (चार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखंड राज्य), आर्यवृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश राज्य), नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) तथा वर्धा कोंकण ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र राज्य) में प्रायोजित किए हैं। समस्त शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय कारोबार के साथ सीबीएस के अधीन लाई गई हैं। ये बैंक आरटीजीएस एनईएफटी और एटीएम सेवाएं देने में समर्थ हैं। समस्त आरआरबी का शाखा विस्तार 1252 है जिन्होंने ₹ 21398.93 करोड़ का मिश्रित कारोबार किया है।

खुदरा ऋण

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने अच्छा खासा रिटेल ऋण संविभाग बनाने की नीति का अनुशीलन किया। बैंक का रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2013 को ₹ 19116 करोड़ से बढ़कर ₹ 22350 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान रिटेल क्रेडिट की रुपरेखा का फिर से परिनिश्चय किया गया। बैंक ने रिटेल होम लोन/सम्पत्ति के निमित्त ऋण की प्रोसेसिंग और गठबंध व्यवस्था के मामले में वाहन ऋणों एवं शैक्षणिक ऋण प्रस्तावों की प्रोसेसिंग को भी तीव्र करने के लिए देश के बड़े शहरों में 21 आरबीसी स्थापित किए हैं। होम लोन खंड में (23.03%) की वृद्धि दर्ज की गयी जिसके फलस्वरूप ये ऋण (मार्च 2012) के ₹ 8345 करोड़ से बढ़कर (मार्च 2013) में ₹ 10267 करोड़ हो गए। बैंक ने बिल्डरों के साथ गठबंध करने के लिए मूलभूत दिशानिर्देश तैयार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि गठबंध व्यवस्थाएं केवल अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले बिल्डरों के साथ ही हो। आंचलिक प्रबंधकों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित बिल्डरों की तलाश करके उनके साथ गठबंध करें। यूनियन बजट में की गयी घोषणा के अनुसार मध्यम और कम आय वाले खंड को आवास के लिए ऋण देने की माँग को बढ़ावा देने के लिए बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष ब्याज इमदाद योजना में शिरकत कर रहा है। शैक्षणिक ऋणों में भी 9.99% की वृद्धि दर्ज की गयी और वे इस वर्ष के दौरान ₹ 2193 करोड़ से बढ़कर ₹ 2412 करोड़ हो गए। बैंक ने ब्याज सब्सीडी स्कीम को भी अंगीकार किया है जिसमें वे उधारकर्ता जिन्होंने वर्ष 2012-13 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान शैक्षणिक ऋण लिया है और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से है, नोडल बैंक के जरिए भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय से शिक्षा ऋण ब्याज सब्सीडी के लिए पात्र हैं। बैंक स्टार शिक्षा ऋण योजना के तहत उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देता रहा है। इस प्रयोजन के लिए आंचलिक कार्यालय की मार्केटिंग टीमें स्थानीय संस्थानों के साथ लगातार गठबंध व्यवस्था कर रही हैं ताकि विद्यार्थियों की जरूरतों को शाखाओं द्वारा त्वरित रूप से पूरा किया जा सके। बैंक ने शिक्षा ऋण के तहत एक नया उत्पाद यानी बीओआई स्टार विद्या ऋण की भी शुरूआत की है ताकि आईआईटी / आईआईएम / एनआईडी इत्यादि जैसे देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थिओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वाहन ऋण में भी 12.23% की वृद्धि दर्ज की गयी जिससे वे इस वर्ष के दौरान ₹ 1815 करोड़ से बढ़कर ₹ 2037 करोड़ हो गए। विभिन्न प्रतिष्ठित ऑटो विनिर्माताओं जैसे मारूति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुण्डई मोटर्स, हीरो होंडा इत्यादि के साथ गठबंध व्यवस्था की कार्यनीति ऑटोफिन पोर्टफोलियों को बढ़ाने के लिए अच्छी खासी लीड्स मुहैया करा रही हैं। प्रमुख रिटेल ऋणों में वृद्धि निम्नानुसार रही :-

(₹ करोड़ में)

योजना	31.03.2012	31.03.2013	वृद्धि	% वृद्धि
स्टार गृह ऋण योजना	8,345	10267	1922	23.03%
स्टार शिक्षा ऋण योजना	2,193	2412	219	9.99%
स्टार वाहन ऋण योजना	1,815	2037	222	12.23%
स्टार पर्सनल ऋण योजना	692	779	87	12.57%
स्टार बंधक ऋण योजना	1,632	2007	375	22.97%

एसएमई

बैंक ने एसएमई कारोबार के लिए एक नया वर्टिकल बनाया है। इसके हैड महाप्रबंधक हैं। यह इस खंड की विशिष्ट कारोबारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। ₹ 100 करोड़ के टर्नओवर वाली सभी कारोबारी गतिविधियों को शामिल करने के लिए एसएमई कारोबार की परिभाषा व्यापाक है। यह वर्टिकल न केवल क्रेडिट अपितु कासा और रिटेल कारोबार, शुल्क आधारित आय और एसएमई खंड में थर्ड पार्टी उत्पादों पर भी फोकस करेगा।

एसएमई कारोबार ग्रोथ के लिए बैंक द्वारा प्रतिपादित कार्यनीतियां निम्नानुसार है।

- 20 अंचलों में 21 एसएमई सिटी सन्टर्स बनाए गए हैं जो ₹ 1 करोड़ और अधिक की सीमाओं वाले सभी एसएमई क्रेडिट बिजनेस हेतु प्रोसेसिंग हब के रूप में कार्य करते हैं।
- जोखिम उपायों के रूप में सिटी सेन्टर्स में क्रेडिट संगठन और प्रोसेसिंग अलग-अलग है।
- क्रेडिट प्रोसेसिंग हेतु समर्पित टीम और कारोबार अधिग्रहण के लिए लीड सृजित करने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बाहर जाने वाली सेल्स टीम मौजूद है।
- प्रतिक्रिया समय (टर्न अराउन्ड टाइम) कम लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट प्रक्रिया और को डी-लेयर किया गया है। और इससे सम्बन्धित प्रत्यायोजन में भी उर्ध्वगामी परिशोधन किए गए हैं।
- एसएमई सेगमेंट में ग्राहकों की जरूरतों की अनुकूलता वाले नए उत्पाद लॉन्च किए गए
- सीमा के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी एसएमई ग्राहकों के लिए सरलीकृत आवेदन फॉर्म शुरू किया गया (एमएसई - 1)
- एक बार में ग्राहकों के अनुरोधों की प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए बनायी गयी मास्टर जाँच सूची ।
- सिस्टम से निकाला केन्द्रीयकृत आवेदन रजिस्टर मौजूद है।

एमएसएमई के तहत बैंक का कार्य निष्पादन

- **बिजनेस ग्रोथः-** एमएसएमई आउटस्टैन्डिंग - ₹ 37246 करोड़. वर्ष - दर - वर्ष 24.23%. की ग्रोथ दर्ज की।
- **एमएसई के तहत कार्य निष्पादनः** एमएसएमई आउटस्टैन्डिंग - ₹ 31932 करोड़. वर्ष -दर- वर्ष 28.55%. की ग्रोथ दर्ज की।
- **एमएसई में माइक्रो सेक्टर का शेयर मार्च 2012 की यथा स्थिति** 37.37% से बढ़कर यथा मार्च, 2013 को 49.54% हो गया.
- **माइक्रो खातों की संख्या में ग्रोथ 10% के विहित लक्ष्य की तुलना में 11.45% हुई।**
- **एमएसएमई के तहत कुल एनपीए सीमान्त रुप से** ₹ 2682 करोड़ से घटकर ₹ 2576 करोड़ हो गया। प्रतिशत के रूप में एनपीए 8.23 % से घटकर 6.92 % पर आ गया।
- **सीजीटीएमएसई के तहत बैंक का कार्य निष्पादन** - वर्ष के दौरान ₹ 1723.57 करोड़ के 27435 अतिरिक्त खाते कवर किए गए और पीएसयू बैंकों में हमारी प्रथम पोजिशन बरकरार रखी।
- **पीएमईजीपी के तहत बैंक का कार्य निष्पादन** - ₹ 389.68 करोड़ की राशि के 8528 प्रकरण स्वीकृत किए गए।

एमएसएमई के तहत ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां

- हमारे बैंक ने टॉप 100 एसएमई उधारकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने अवार्डस् पार्टनर के रूप में मुंबई में हुए इंडिया एसएमई 100 अवार्डस् की इवेन्ट में अपने विजन और कार्यनिष्पादन से एसएमई में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। हमने उदीयमान एनजीओ "इंडिया एसएमई फोरम" के साथ, समूचे वर्ष शहरों में उनके सभी ग्राउन्ड इवेन्ट्स के लिए अनन्य प्रेजेन्टिंग पार्टनर के रूप में, करार पर हस्ताक्षर किए हैं। हम यह प्रत्याशा करते हैं कि इसके माध्यम से हमारे उत्पादों विशेष रूप से हमारे एसएमई उत्पादों का अच्छा खासा प्रचार होगा।
- भारत सरकार और आरबीआई की इस अपेक्षा को सपोर्ट करने के लिए कि उधारकर्ता के विशेष प्रवर्ग यानी एससी/एसटी, महिला लाभार्थियों, अल्प संख्यक समुदायों और सिक्किम एवं जम्मू और कश्मीर सहित नार्थ ईस्ट रीजन के बाशिन्दों को और अधिक ऋण सुविधाएं मुहैया करायी जाएं, हमने सीजीटीएमएसई कवर वाले खातों के लिए फी शेयरिंग पैटर्न को परिशोधित कर दिया है।

- शेयरिंग पैटर्न के इस विस्तार से न केवल एमएसई अग्रिमों में इन प्रवर्गों के शेयर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी अपितु बैंक सामाजिक बैंकिंग के तहत दिए गए लक्ष्यों को भी हासिल कर सकेगा।
- हमने सभी अग्रणी जिलों में इन जिलों के क्लस्टर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषीकृत एमएसई सर्विस कक्षों के परिचालनों की शुरूआत की है। समग्र रूप में, 4 राज्यों और 135 क्लस्टर्स को कवर करने के लिए 45 विशेषीकृत एमएसई सर्विस सेल कार्यशील हैं।
- माइक्रो सेक्टर लेंडिंग के तहत क्रेडिट ग्रोथ में इज़ाफा करने के लिए और इस खंड को लक्ष्य बनाने के मद्देनज़र ट्रेडर्स की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके वित्तपोषण हेतु एक नई योजना बनायी गयी है। इस योजना का नाम "बीओआईस्टार व्यापार" है। इस योजना के तहत वित्तपोषण की सीमा ₹ 200 लाख तक की है।
- सीजीटीएमएसई के तहत कवरेज़ को ₹ 1 करोड़ की सीमा तक की सभी स्वीकृतियों के मामले में अनिवार्य बनाया गया है। ऐसा कवरेज़ संपार्श्विक प्रतिभूति और गारंटी के बदले में है।
- एसएमई हेतु क्रेडिट उत्पादों का विशेष रूप से निर्माण करना। विभिन्न नए उत्पाद जैसे स्टार एसएमई, लिक्विड प्लस, स्टार एसएमई, ऑटो एक्सप्रेस, स्टार एसएमई कान्ट्रेक्टर लाइन ऑफ क्रेडिट एवं स्टार एसएमई एज्यूकेशन प्लस उतारे गए हैं।
- एसआरटीओ वित्त को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने टाई-अप बंदोबस्त के तहत वित्त पोषण के लिए 9 ओईएम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- बैंक ने टाटा मोटर्स लि. और अशोक लेलैंड लि. के डीलरों के वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए ऋण आवेदनपत्रों के जनरेशन के लिए अनुपम वैब आधारित मॉड्यूल की शुरूआत की है।
- फिलहाल 21 एसएमई सिटी सेंटर्स ₹ 1.00 करोड़ और अधिक के क्रेडिट प्रस्तावों के साथ अनन्य रूप से डीलिंग के लिए कार्यशील हैं। बाजार से अधिकतम कारोबार प्राप्त करने के लिए इन एसएमई सिटी सेन्टर्स पर समर्पित बाहर जाने वाले सेल्स दल तैनात हैं। मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल 2046 आवेदन पत्रों प्रोसेस किया जिनमें ₹ 6518.82 करोड़ की सीमाएं स्वीकृत की गयी है। जिनमें ₹ 4784.97 करोड़ का वितरण भी कर दिया गया है।
- क्रेडिट रेटिंग संचलित करने और प्रथम और द्वितीय रेटेड खातों के लिए ब्याज-दर में रियायतें देने के लिए 5 एक्सटरनल क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों के साथ एमओयूज़्
- एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं ट्रेकिंग सिस्टम लागू है।
- इस वर्ष से केन्द्रीयकृत एमएसएमई आवेदन पंजीकरण क्रियान्वित किया गया है।
- पूर्वी ज़ोन में पीएमईपीपी के कार्यान्वयन में उत्तम कार्य निष्पादन हेतु हमें राष्ट्रीय अवार्ड से नवाज़ा गया है।

बैंक का पुनर्गठन

बैंक का पुनर्गठन विगत वर्ष पूर्ण हो गया। पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, दो पृथक बिजनेस ग्रुप यानी नेशनल बैंकिंग ग्रुप और होलसेल एंड इन्टरनेशनल बैंकिंग ग्रुप सम्बन्धित कारोबारों पर संकेन्द्रिकृत ध्यान देने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह अपने दायरे में आने वाली विभिन्न कारोबारी इकाइयों के कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। संरचनाओं की कार्यशैली, प्रक्रियाओं और बिजनेस फोकस से हुए अनुभव के आधार पर इसे वित्तीय वर्ष 2013 में और परिष्कृत किया गया है। इस बारे में किए गए कुछ बदलाव निम्नानुसार हैं:

- विशेषीकृत प्रोसेसिंग सेन्टर्स यानी एसएमईसीसीज़् और आरबीसीज़् से सहायक महाप्रबंधक द्वारा हैडेड एनबीजी शाखाओं को अलग करके प्रतिक्रिया समय को और कम करने की कोशिश की गयी है।
- बैंक ने मिड कॉर्पोरेट बिजनेस पर फोकस को बढ़ाने का निर्णय लिया है इसके लिए सहायक महाप्रबंधक द्वारा हेडेड एनबीजी शाखाओं को मिड कॉर्पोरेट बिजनेस करने की अनुमति दी गयी है। इस अभियान के पीछे हमारा मकसद यह है कि ऐसी बहुत सारी शाखाएं भी ऐसा कारोबार कर सकें जो अबतक मिड कॉर्पोरेट शाखाओं के लिए ही सीमित था।

'भावी समय की शाखा' परियोजना

विगत वर्ष में 'भावी समय की शाखा' परियोजना के तहत बेहतर ग्राहक अनुभव हेतु योजनाबद्ध लेआउट और ग्राहक मनभावन उपस्कर के जरिए 5 शाखाओं को भावी समय की शाखाओं में तब्दील किया गया। इन पायलट शाखाओं ने अच्छी सफलता दर्ज की जिससे बैंक भावी समय की शाखा के रूप में कनर्वसन के लिए अन्य दूसरी 101 मौजूदा शाखाओं को लिया गया। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान सभी शाखा सफलतापूर्वक काम कर रही है। भावी समय की शाखा के कुछ प्रमुख विशेष तत्व निम्नानुसार हैं :

- इन शाखाओं की आंतरिक साजसज्जा को इस प्रकार सौंदर्यपूर्ण बनाया गया है जिससे कि ग्राहकों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाय और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो जाए।
- डिस्टिंक्ट फ्रंट ऑफिस और इन ब्रांच बैंक ऑफिस संव्यवहारों के प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए सृजित किए गए हैं।
- स्वयं परिचालित पासबुक प्रिंटिंग क्योस्क के जरिए ग्राहकों को यह कार्य करने के लिए समर्थ बनाया गया है।
- क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और अधिक व्यवस्थित ढंग में गतिविधियां करने वाले फ्रंट लाइन ग्राहकों को मैनेज़ करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
- ग्रेटर सेल्स पुश और ग्राहक संतुष्टि हासिल करने के लिए शाखा की टीम के सदस्यों हेतु नई भूमिकाएं और उत्तरदायित्व परिनिश्चित किए गए हैं।
- इन शाखाओं में कार्य कर रहे स्टाफ को बेहतर ग्राहक प्रबंधन और क्रॉस सेलिंग हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।

इस शाखाओं के ग्राहक इस बदलाव और नई व्यवस्थाओं से बेहद प्रसन्न हैं। शाखा परिचालनों की समग्र दक्षता इस पहल के फलस्वरूप उन्नत हुई है और इन शाखाओं में ग्राहक अर्जन और कारोबारी लीड में काफी बढ़ोतरी हो रही है।

अन्य उत्पादों एवं सेवाओं की समीक्षा

आईटी समर्थित सेवाएं

बैंक ग्राहकों की पसंद के लिए पाँच प्रकार के क्रेडिट कार्डों की पेशकश कर रहा है। बैंक से संबद्ध दो बैंक यथा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि. भी है जो ब्रांडनाम "इंडिया कार्ड" के अधीन क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान कार्ड जारी करने के कुल कारोबार में 11.34% वृद्धि दर्ज की गई जो ₹ 391.44 करोड़ रही एवं टर्नओवर अधिग्रहण में 1.57% की वृद्धि हुई जो 314.13 करोड़ रही।

डेबिट कार्ड पर टर्नओवर अर्जित करते हुए 50.06% की वृद्धि दर्ज की गई और वह ₹ 1147.05 करोड़ हो गयी।

बैंक के पास पाँच प्रकार के डेबिट-सह-एटीएम कार्ड हैं। 31.03.2013 तक कुल जारी डेबिट कार्ड 136.03 लाख रहे जिसमें 39.49 लाख स्टारलिंक इंटरनेशनल एटीएम-सह-डेबिट कार्ड (वीज़ा इलैक्ट्रान) 90.61 लाख बीओआई ग्लोबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड (मास्टर कार्ड) 0.03 लाख प्लेटियम डेबिट कार्ड (मास्टर) 0.12 लाख गिफ्ट कार्ड (वीज़ा इलैक्ट्रॉन) तथा 1.80 लाख बिंगो कार्ड सम्मिलित हैं।

एसएमएस अर्ल्टस - स्टार संदेश

धोखाधड़ी के रोकथाम के रूप में, एसएमएस अर्ल्टस् जनरेट किए जाते हैं और उन सभी ग्राहकों को मुहैया कराए जाते हैं जिन्होंने निम्न के लिए बैंक के पास अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाए हैं।

- डिलिवरी चैनलों (इंटरनैट बैंकिंग / एटीएम / पीओएस) से सभी नामे संव्यवहार
- ₹ 10,000/- और अधिक के नामे और जमा संव्यवहार करने वाले सभी ग्राहक
- ₹ 10,000/- और अधिक के सभी नामे ईसीएस संव्यवहार
- सभी नामे आरटीजीएस संव्यवहार
- चेक बुक जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने पर अभिस्वीकृति
- स्टार ऑटोफिन और हाउसिंग खातों में देय किस्त के लिए अर्ल्ट

इंटरनेट बैंकिंगः

युटिलिटी बिल के भुगतानों, एयर एवं रेल टिकट बुकिंग, ऑन लाइन शॉपिंग, इंटर बैंक और इन्ट्रा बैंक फंड ट्रासफर इत्यादि के लिए ग्राहकों को एक तीव्र और सुरक्षित इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है।

भारत में पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ़ इंडिया पहला ऐसा बैंक है जिसने अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी उपाय के रूप में रिटेल और कार्पोरेट इन्टरनेट बैंकिंग दोनों के लिए ही टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन (2एफए) स्टार टोकन क्रियान्वित किया। बैंक के ग्राहक ''सुरक्षित'' किसी समय, कहीं से भी और हर प्रकार से झंझट मुक्त बैंकिंग का अपने घर और कार्यालय से अपनी सुविधानुसार माउस पर क्लिक करके लाभ उठा रहे हैं।

उपलब्ध कुछ फीचर्स इस प्रकार हैंः

- आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा का इस्तेमाल करके, हमारी स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के जरिए बैंकों में ऑन लाइन इंटर बैंक फंड ट्रान्सफर
- ऑटो पे हेतु बीओआई स्टार ई-पे अथवा विभिन्न युटिलिटी सर्विसेज / बिलों का ऑनलाइन भुगतान
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद और सेवा करों का ई-पेमेंट
- शेयर में ट्रेड करने के लिए स्टार ई-शेयर ट्रेड
- ई-फ्रेट पेमेंट
- विदेशी व्यापार का महा निदेशालय लाइसेंस फीस ऑन लाइन ई पेमेंट
- रेलवे और एयरलाइन्स टिकट की ऑनलाइन बुकिंग
- शिक्षा ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदनपत्र
- इंटरनेट बैंकिंग से आईपीओज् के लिए एप्लीकेशन सर्पोटेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) को देखने और आवेदन करने के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा
- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट करने में समर्थ बनाना
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड इस्तेमाल करके डेबिट-सह-एटीएम कार्ड पिन की हॉट लिस्टिंग/रिसेट/अनब्लॉक/चेंज
- वार्षिक टैक्स विवरण पत्र (फॉर्म 26 एएस) देखना
- हमारा डेबिट-सह-एटीएम कार्ड रखने वाले ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान की गयी। इससे ग्राहक क्रेडिट कार्ड और इन्टरनेट बैंकिंग खाते के अलावा अपने डेबिट-सह-एटीएम कार्डों ई-पेमेंट के लिए का इस्तेमाल कर सकेंगे।
- ऑन लाइन टर्म डिपॉजिट रसीद निकालते समय व मौजूदा टर्म डिपॉजिट रसीदों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा

स्वचलित टेलर मशीन (एटीएमस)

बैंक ने नेशनल फाइनेन्शियल स्विच (एनएफएस) ज्वॉइन किया है जिससे ग्राहक देश भर में 85,000+ से भी अधिक एटीएम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक कैश ट्री, बीएएनसीएस एवं एसबीआई ग्रुप नेटवर्क का भी हिस्सा है। 30 अप्रैल, 2013 तक की स्थिति के अनुसार हमारे 2,226 एटीएम थे जिसमें से 439 एमओएफ के तहत थे और शेष 1787 फेज VI के अधीन थे।

आईटी समर्थित सेवाएंः

संकल्प 10,000 के तहत बैंक की महत्वाकांक्षी ग्रोथ प्लान की प्रक्रिया में बैंक ने आईटी समर्थित गहन संभाव्यता वाले उत्पादों को तैयार किए हैं। :

- इंटरनेट बैंकिंग : रिटेल बैंकिंग ग्राहक एवं कार्पोरेट ग्राहक
- मोबाइल बैंकिंगः
- एटीएम
- कार्ड उत्पादः डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिंगो कार्ड, गिफ्ट कार्ड
- बीओआई स्टार रिवार्ड प्रोग्राम
- ई-कॉमर्स सुविधा
- ई-पे सुविधा
- डीमैट

बुलियन बैंकिंग

बैंक ने बुलियन बैंकिंग नवम्बर, 1997 में शुरू की थी। आदितः यह योजना सीप्ज और अहमदाबाद की शाखाओं में शुरू की गई थी बाद में इसे अन्य शाखाओं में भी शुरू की गई। इस तारीख तक यद्यपि 9 शाखाओं को बुलियन कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया तथापि 3 शाखाएं ही बुलियन कारोबार कर रही हैं। आभूषण निर्यातकों और घरेलू ज्वेलरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कन्साइन्मेन्ट बेसिस पर सोने का प्रापण किया जाता है। बैंक ने वर्ष 2012-13 में ₹ 3485 करोड़ के टर्न ओवर के साथ 11,668 किलोग्राम सोने की बिक्री की जिससे ₹ 20.34 करोड़ की आय हुई। वर्ष के दौरान अर्जन में बढ़ोतरी 21.51% थी।

स्टार नकदी प्रबंधन सेवाएं (स्टार सीएमएस)

बैंक की सीएमएस स्पेस में सक्रिय उपस्थिति है। परंतु संपूर्ण सीएमएस में अत्याधुनिक वेब आधारित तकनीक को अपनाकर इसका कायापलट की है । बैंक अन्य बैंकों के साथ संपर्ककर्ता बैंक के रुप में भी कार्य कर रहा है। ओआरएसीएलई पर वेब आधरित सॉफटवेयर में काम करने के कारण बैंक कितने भी संव्यवहारों को सँभालने की स्थिति में है।

बैंक का प्रधान कार्यालय में सीएमएस के लिए अलग विभाग है जो सीएमएस की समग्र कार्यप्रणाली को नियंत्रित एवं निगरानी करता है। यह महाप्रबंधक (संव्यवहार बैंकिंग) के सीधे नियंत्रणाधीन है। एम.जी.रोड, मुंबई में स्थित सीएमएस हब इस पहल की परिचालनात्मक पक्ष का ध्यान रखता है। बैंक की 4000 से भी अधिक शाखाएं हैं जो 1000 के अधिक शहरों और नगरों में सीबीएस प्लेटफॉर्म पर परिचालनगत हैं। विविध सीएमएस सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सीएमएस ग्राहकों के लिए यह समस्त शाखाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है।

उत्पाद वार क्षमताएं

क. स्थानीय वसूलियां

स्टार सीएमएस की वसूली एवं रिटर्न हेतु अब स्थिति वार प्रतिदिन एमआईएस उपलब्ध कराने की क्षमता है। बैंक, रिटर्न की विवरणात्मक सूची इन्क्रिप्ट ई-मेल द्वारा भी उपलब्ध करवा सकता है तथा यदि आवश्यकता हुई तो हार्ड कॉपी भी प्रेषित की जा सकती है।

ख. थोक वसूलियां

स्थानीय वसूलियों के अधीन कवर समस्त अवस्थितियों पर थोक वसूलियां दी जा सकती हैं परंतु पूर्व अनुमति से चूंकि रुपरेखा प्रणाली को शुरु करना होगा। सीधे डाटा अपलोड करने के लिए विवरण की सॉफ्टकॉपी की आवश्यकता है।

ग. दूरस्थ वसूलियां

दिन 0 - दिन 21 तक दिन व्यवस्था ; जो हमेशा केंद्र विशिष्ट है। ये स्थानीय एवं दूरस्थ् चेक वसूली केन्द्रों के लिए भिन्न हैं।

घ. भौतिक नकदी

नकदी प्रबंधन के लिए समस्त अवस्थितियों में भौतिक नकदी अवशोषित किए जा सकते है। यह सुविधा डोर स्टैप बैंकिंग पहल के अधीन दी जा रही है। दिन व्यवस्था टी+1 होगी।

ड. भुगतान :

बैंक पर आहरित ड्राफ्ट हेतु समस्त अवस्थितियों में पोजिटिव भुगतान सुविधा उपलब्ध है। बैंक के पास ड्राफ्ट/चेकों की थोक मुद्रण की सुविधा है तथा अवस्थितियां आवश्यकतानुरुप नियत की जा सकती हैं।

च. इलैक्ट्रॉनिक निपटान

बैंक के पास सीधे क्रेडिट और सीधे डेबिट सुविधा देने की प्रणाली क्षमताएं हैं। सीधे डेबिट के मामलों में आदेश सत्यापन आवश्यक है। टीएटी (टर्न एराउंड समय) अवस्थिति पर निर्भर करता है।

छ. अन्य अतिरिक्त सेवाएं

अपनी शाखाओं में बैंक एनएफओ एवं राइट इश्यु के लिए आवेदन फार्मो के एकत्रीकरण हेतु सेवाएं देने के लिए तत्पर है।

थर्ड पार्टी उत्पाद

जीवन बीमा हेतु टाई-अपः

बैंक ने अपने जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री हेतु बैंक के संयुक्त उद्यमी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ अपनी कॉर्पोरेट एजेन्सी व्यवस्था को जारी रखा। बैंक के लगभग 1600 कर्मचारी ऐसे है जो विभिन्न केन्द्रों पर बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए ''स्पेसिफाइड पर्सन'' के रूप में कार्य करते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 465 करोड़ (पॉलिसियों की संख्या 96,000 से अधिक) की प्रीमियम कलेक्ट की और संयुक्त उद्यम कंपनी के कुल नए कारोबार में 55% से अधिक का योगदान दिया।

बैंक ग्रुप पॉलिसी के तहत अपने स्टार होम लोन और स्टार एज्यूकेशन लोन के उधारकर्ताओं को ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवर की पेशकश कर रहा है जहां जीवन बीमा के लिए उधारकर्ता को कम प्रीमियम देना होगा।

नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. (एनआईसीएल) के साथ जनरल इंश्योरेंस (नॉन लाइफ) हेतु टाई-अपः

आईआरडीए द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में एनआईसीएल के साथ वर्तमान तालमेल व्यवस्था को कारपोरेट एजेंसी वितरण में परिवर्तित किया गया जिसमें बैंक जैसे वितरकों के साथ बैंकएश्योरेंस कारोबार कवर किया गया। बैंक ने ''बीओआई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी'' स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को सह-ब्रांड किया है जोकि एक फैमिली फ्लोटर मेडीक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे बहुत ही कम प्रीमियम पर बैंक ऑफ़ इंडिया के खाताधारकों को उपलब्ध करवाया गया है। इससे खाता धारक, पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कवरेज दी गई है। संपूर्ण परिवार (खाताधारक, उसकी पत्नी तथा दो आश्रित बच्चे) को बीमाकृत राशि की सीमा तक कवर किया गया है जिसमें बीमाकृत राशि पर परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-अलग समय में लाभ लिया जा सकता है। यह एक प्रसिद्ध उत्पाद है और 31.03.2013 तक 1.42 लाख बैंक ऑफ़ इंडिया खाताधारकों ने यह पॉलिसी ली है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एनआईसीएल हेतु बैंक द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम 155 करोड़ रहा जिससे ₹ 15.07 करोड़ की कमीशन अर्जित की गई।

म्युचुअल फंड उत्पादः

बैंक ग्राहकों की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बैंक ने 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों यानी के बीओआई-एक्सा म्युचुअल फंड बिडला एवं लाइफ म्युचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक म्युचुअल फंड, फ्रैंकलिंग टेंप्लटन निवेश, एचडीएफसी म्युचुअल फंड, आईडीएफसी म्युचुअल फंड, आईएनजी म्युचुअल फंड, कोटक म्युचुअल फंड, रिलायंस म्युचुअल फंड तथ यूटीआई म्युचुअल फंड के अधिकाधिक विविध म्युचुअल फंड उत्पादों की बिक्री कर रहा है।

आस्ति वसूली एवं एनपीए प्रबंधन

वर्ष 2012-13 में भी एनपीए प्रबंधन के क्षेत्र के निष्पादन के सुधार की यात्रा जारी रही। एनपीए में कमी करना बैंक की सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता है तथा इस कार्य में धीरे-धीरे महत्ता बढ़ रही है। एनपीए की प्राप्ति और वसूली करने के लिए आवश्यक उपाय प्रारंभ किए गए। बट्टेखातों की वसूली तथा एनपीए खातों में अप्रभारित/वसूल न किए गए ब्याज में वसूली को अधिक करने हेतु प्रयास किए गए जिसने बैंक के लाभ में काफी बढ़ोतरी हुई।

निम्न तालिका पिछले 3 वर्षों में एनपीए वसूली प्रबंधन को दर्शाती हैः

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.11 (वास्तविक)	31.03.12 (वास्तविक)	31.03.13 (वास्तविक)
कुल एनपीए (ओपनिंग)	**4,883**	**4,812**	5894
घटाएंः			
नकदी-वसूली	895	1,205	1245
उन्नयन	1,038	487	759
बट्टे खाते में डालना	881	2,415	2415
कृषि ऋण छूट/ऋण राहत योजना 2008	0	0	0
कुल कमी	**2,814**	**4,107**	**4419**
जोड़ेंः			
स्लिपपेज	2,908	5,401	7379
वसूल न किया ब्याज (यूआरआई)			
(वित्त वर्ष 2009-10 से प्रारंभ)	166	212	89
कुल एनपीए (क्लोजिंग)	**4,811**	**5,894**	8765
बट्टे खाते/यूसीआई/यूआरआई की वसूली	383	672	1051
निवल एनपीए	**1,945**	**3,656**	5947
कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का %	**2.23**	**2.34**	2.99
निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए का %	**0.91**	**1.47**	2.06

वर्ष के दौरान, बोली एवं संविभाग आधार पर बैंक ने आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों को नकदी आधार पर इम्पायरड एसेट्स वर्थ ₹ 8.25 करोड़ की बिक्री की।

स्मॉल और सॉफ्ट इम्पायर्ड (एनपीए) खातों में वसूली को तीव्र करने के लिए, बैंक ने ₹ 10 लाख तक के छोटे ऋणों में वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया है।

बैंक ने इस वर्ष के दौरान स्पेशल ड्राइव के तहत ₹ 667.18 करोड़ की वसूली की है।

स्मॉल एनपीए के त्वरित निराकरण के लिए अंचलों में काफी सारे वसूली कैम्प और लोक अदालत में सहभागिता की गयी है। बैंक ने लोक अदालत और वसूली कैम्पों के जरिए ₹ 581.56 करोड़ की वसूली की है।

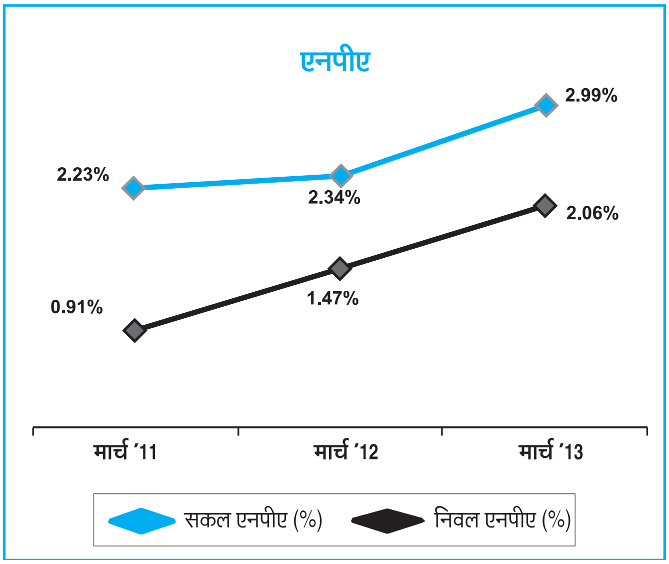

ऋण निगरानीः

मजबूत और अच्छा क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए ऋण निगरानी पर अच्छी तरह से फोकस करने की आवश्यकता को मौजूदा आर्थिक परिदृष्य में नकारा नहीं की जा सकता है। बैंक के ऋण निगरानी विभाग द्वारा किए गए कार्यों का दायर विभाग द्वारा किए गए कार्यों में काफी विस्तृत हो गया है और मजबूत आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बैंक के प्रयासों में इसका विशेष महत्व है।

- साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर विभिन्न प्रणालियों से निकाली गयी रिपोर्टों के जरिए निगरानी की जा रही है। विभिन्न टाइम बैंकेट्स में खातों की ओवरड्यू/अनियमितता की स्थिति को ब्रेक-अप ऋण आस्तियों के नियंत्रण और निगरानी में मदद करता है। ट्रैक रखने और चूक से बचने के लिए इन रिपोर्टों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है।
- स्मॉल टिकट के एडवांसों में स्लिपेज की निगरानी उनकी संख्याओं की अत्यधिकता के कारण एक चुनौती पूर्ण कार्य होता है। इस मसले को साधने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने आंचलिक कार्यालयों में "कलेक्शन सेल" की शुरूआत की पहल की। केसीसी खातों सहित सभी ऋण खातों में देय तारीख से 10 दिन पहले आंचलिक कार्यालय से सिस्टम से निकली अग्रिम इत्तला उधारकर्ता को भेजी जाती हैं जिसमें उसे देय तारीख और किस्त की राशि सूचित की जाती है। अगर देय तारीख से 15 दिनों के भीतर किस्त अदा नहीं की जाती है तो उस समय तक अतिदेय राशि चुकता नहीं कर दी जाती तब तक शाखा के पदाधिकारी नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करते रहते हैं। ₹ 10 लाख से अधिक के खातों के मामले में, टास्क फोर्स मीटिंग (टीएफएम) आंचलिक हैड के साथ आयोजित की जाती है। रूरल और सेमी अर्बन शाखाओं से संबंधित अग्रिम इत्तलाएं स्थानीय भाषा में लिखी जाती हैं।

प्रभावशाली निगरानी और नियंत्रण प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किए गए उपायः

- निधियों का अंतिम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंक को प्रभारित की गयी आस्तियों का निरीक्षण नियमित अंतरालों में किया जाता है। प्रवृत्त रखी प्रभारित आस्तियों के पर्याप्त इंश्योरेंस को बैंक एक्सपोजर की अभिरक्षा के लिए काफी महत्व दिया जाता है।
- बैंक को प्रभारित आस्तियों की गुणवत्ता की अभिरक्षा के लिए आवधिक स्टॉक एवं रिसीवेबल ऑडिट इस्तेमाल किया गया एक दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है। यह ऑडिट बैंक के पैनल पर चढ़े चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस द्वारा किया जाता है।
- क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट (सीपीए), बैंक द्वारा निधियों को रिलीज करने से पहले, स्वीकृति की सभी शर्तो एवं अन्य प्रसंविदाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- आंचलिक क्रेडिट निगरानी समिति की बैठकें सभी अंचलों पर किए जाते हैं जिनमें बड़े टिकट अग्रिमों से संबंधित मसले डील किए जाते हैं।
- कमजोरी के आन्तरिक लक्षण जैसे अनियमितता की स्थिति, साखपत्र/बैंक गारंटी के तहत वचनबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थता, समय पर समीक्षा इत्यादि दर्शाने वाले ऐसे अग्रिमों जो बैंक की आस्तियों की क्वालिटि के लिए खतरा है के बारे में विभिन्न प्लेटफॉर्मों विडियो कोन्फ्रेसिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करके/चर्चा करके अनुवर्ती कारवाई की जाती है और इससे सभी संबंधितों को सज़ग किया जाता है।
- अग्रिमों में चूकों को गहन विश्लेषण, उनके संबंधित स्वीकृतियों (क्विक मार्केलिटी केस) का अल्पावधि में किया जाता है और जहाँ कहीं जरूरी होता है वहां निवारक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, सभी चूक वाले आस्तियों विशेष रूप से क्विक मॉर्टेलिटी के तहत जवाबदेही की भी जांच की जाती है।
- अग्रिमों का वर्गीकरण प्रचलित आईआरएसी मानकों के अनुसार किया जाता है। ऐसे आस्तियों को, जो तनाव/अस्थायी असामान्यताएं दर्शाते हैं अगर वे वित्तीय/आर्थिक व्यवहार्य वाले हों, विनियामक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रचलित दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार पुनर्गठित किया जाते हैं। ₹ 100 लाख और अधिक के सभी पुनर्गठित खातों के बारे में वैल्यू में कमी का परिकलन और उस पर प्रावधान प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

भौगोलिक तौर पर भारत तथा विदेशों में बैंक का काफी विस्तृत शाखा नेटवर्क है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार भारत में बैंक की कुल 4000 शाखाएं थी। विश्व के सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों तथा सभी टाइम ज़ोनों में 48 शाखाओं तथा 4 प्रतिनिधि कार्यालयों द्वारा हमारी उपस्थिति का अनुभव होता रहता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 292 नई शाखाओं के सहित 02 विस्तार काउन्टरों को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित किया गया।

बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्नानुसार हैः

प्रवर्ग	31.03.2012		31.03.2013	
	शाखाओं की सं	कुल का %	शाखाओं की सं	कुल का %
महानगरीय	722	18.05	787	18.34
शहरी	709	17.72	742	17.29
अर्ध शहरी	1078	26.95	1165	27.14
ग्रामीण	1491	37.28	1598	37.23
कुल शाखाएं	4000	100	4292	100

भारतीय रिज़र्व बैंक की शाखा प्राधिकरण की उदारवादी नीति के अनुसरण में कुछ शाखाओं का स्तानांतरण वैकल्पिक स्थानों पर किया गया तथा कुछ विस्तार काउन्टर जो अच्छी जगह पर स्थित थे उन्हें पूर्ण शाखा में परिवर्तित किया गया। इस नीति को आगामी वर्ष में भी जारी रखने का इरादा है। 29.11.2011 से प्रभावी होते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी शाखा प्राधिकरण नीति को और उदारवादी कर दिया है जिसके अन्तर्गत 100000 से कम जनसंख्या ("50,000 से 1,00,000 से कम" में इज़ाफा किया गया) के केन्द्रों पर बिना उनसे पूर्वानुमति लिए बैंक शाखाएँ खोल सकती हैं। बैंक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस प्रवर्ग में 322 केन्द्रों पर शाखाएं खोलने का प्राधिकार अंचलों को दिया।

एक नज़र में स्थिति

वर्षान्त तक	31.03.2012	31.03.2013
कुल शाखाओं की संख्या	4049	4341
विदेशी	49	49
भारतीय	4000	4292
जिसमें से :		
महानगरीय	722	787
शहरी	709	742
अर्द्ध शहरी	1078	1165
ग्रामीण	1491	1598
कम्प्यूटरीकृत शाखाएं		
पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत	4000	4292
आंशिक कम्प्यूटरीकृत	-	-
विशेषीकृत शाखाएं	271	271
विस्तार पटल	43	42

घरेलू बाजार में कुछ प्रवर्गों की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए - बैंक की 271 विशेषीकृत शाखाएं हैं। इन शाखाओं का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	विशेषीकृत शाखाओं का प्रवर्ग	31.03.2012	31.03.2013
1.	एसएमई शाखाएं	100	100
2.	ओवरसीज़ शाखाएं	03	03
3.	कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं	--	--
4.	बृहत कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं	13	10
5.	मिड कॉर्पोरेट शाखाएं	41	42
6.	एन.आर.आई. शाखाएं	06	06
7.	वसूली शाखाएं	13	15
8.	वाणिज्यिक तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं	26	26
9.	कोषागार शाखा	01	01
10	आवास तथा व्यक्तिगत वित्त शाखाएं @	25	24
11.	सरकारी कारोबार शाखा	01	01
12.	बुलियन बैंकिंग शाखा	--	01
13.	सेवा शाखाएं	41	41
14.	केन्द्रीयकृत पेन्शन प्रॉसेसिंग शाखा	01	01
	कुल	271	271

@ - रिटेल बिज़नस सेन्टरों (आरबीसीज़) को मिला कर

विपणन

प्रमुख पहलें :

नए ग्राहक बनाने और ग्राहकों को मूल्यवर्द्धित सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक-केन्द्रित प्रक्रियाओं का सृजन करने हेतु बैंक में विपणन विशेष ध्यान का केन्द्र रहा है।

बैंक ने सभी अंचलों में, जमाराशि संग्रहण करने और रिटेल एवं एसएमई अग्रिम, डीमैट, कार्ड उत्पाद, आई.टी. समर्थित उत्पाद एवं सेवाओं से संबंधित कारोबार अर्जित करने तथा टीपीपी एवं सोने के सिक्कों की बिक्री इत्यादि हेतु विपणन टीम तैनात की है। विपणन स्टाफ शाखाओं में तैनात किए गए हैं। शाखाओं / आंचलिक कार्यालय से एटैच्ड हैं और आंचलिक कार्यालय में तैनात विपणन प्रमुख के अधीन कार्यरत हैं।

बैंक ने रिटेल बिज़नेस सेन्टरों (आरबीसीज़) में रिटेल ऋणों के संग्रहण हेतु, एसएमई सिटी सेन्टरों में एसएमई ऋण-संग्रहण हेतु विपणन टीम तैनात की हैं और टीएसीएस (ट्रस्ट, एसोसिएशन्स, सोसाइटीज़ एण्ड क्लब्स) कारोबार संग्रहण हेतु टीएसीएस टीम भी तैनात की हैं।

विपणन टीम को और सशक्त बनाने के लिए, बैंक ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 430 विशेष मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव भर्ती किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 234 मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव भर्ती किए हैं यथा 31 मार्च 2013 को बैंक में 500 सक्रिय विपणन कार्मिक हैं जो विपणन का प्रयास कर रहे हैं।

विपणन प्रमुख, विपणन स्टाफ (आंका/शाखाएं) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश, उनके वार्षिक लक्ष्य, विपणन स्टाफ की कार्यनिष्पादन की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए उपाय तैयार किए गए एवं वर्ष के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रमुख पहलें :

- प्रशिक्षण : सभी अंचलों से विपणन प्रमुखों के लिए एमडीआई (प्रबंधन विकास संस्थान), बेलापुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। नए भर्ती किए गए मार्केटिंग एग्ज़ेक्यूटिव्स के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं ताकि उन्हें उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में सुग्राही बनाया जा सके और उन्हें विपणन विषय पर इनपुट दिए जा सकें। एसटीसी नोएडा, एमडीआई बेलापुर, एसटीसी चेन्नई और एसटीसी कोलकाता में पाँच एनबीजी (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) से सभी विपणन एग्ज़ेक्यूटिव्स को कवर करते हुए चार कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें उच्च कार्यपालकों ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

- **ऑन द जॉब ट्रेनिंग :** शाखा के कामकाज, फिनेकल सिस्टम और परिचालन संबंधी शाखा के एक्सपोजर की जानकारी हासिल करने के लिए नए भर्ती किए गए मार्केटिंग एक्जिक्यूटिवज को 6 महीनों की अवधि के लिए शाखा में तैनात किया गया।

- **लीड मैनेजमेंट सिस्टम :** एलएमएस सॉफ्टवेयर बैंक में सभी विपणन स्टाफ के लिए अनिवार्य बनाया गया है। यह प्रणाली विभिन्न स्तरों पर सृजित लीड्स को प्रभावी रूप से कैपचर, मॉनीटर, ट्रैक करता है, उन्हें बंद करता और उनका विश्लेषण करता है। चयनित अंचलों से प्रमुख व्यक्तियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- **अभियान / पहल :** बैंक के लिए कारोबार अर्जित करने हेतु कासा, रिटेल सावधि जमाराशियों, स्वर्ण मुद्राओं और रिटेल ऋणों के लिए विभिन्न अभियान / पहल किए गए। वर्ष के दौरान विभिन्न थर्ड पार्टी उत्पादों के लिए रिवार्ड एण्ड रेकग्निशन कार्यक्रम शुरू किए गए।

प्रचार एवं जनसंपर्क

इस वर्ष प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग ने उच्च प्रबंधन के सफल मार्गदर्शन में बैंक के ब्रांड इमेज की दृश्यता को बढ़ाने और बैंक के खुदरा उत्पादों को पूरे भारत में बढ़ावा देने के लिए विशेष रुप से डिजाइन किए गए मल्टी मीडिया कार्पोरेट अभियान शुरु किया। मीडिया योजना के लिए हमारे अनुमोदित थीम 'रिश्तों की जमापूजी' को ही आधार बनाया गया और उसे जारी रखा गया। हमारे सराहे गए टीवीसी (पिगी बैंक, कपल, दोस्ती, क्लोजिंग टाइम, बस आदि) को विभिन्न रेडियो और टीवी चैनलों से प्रसारित किए गए। इस योजना के जरिए हमारे बैंक के उत्पाद आवास ऋण, ऑटो ऋण, एसएमई ऋण, शिक्षा ऋण, व्यापार ऋण तथा आईटीईएस को प्रिंट मीडिया अर्थात् प्रमुख राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए बढ़ावा दिया गया। महानगरीय तथा अन्य केन्द्रों के प्रमुख स्थानों, रेल्वे तथा एयरपोर्ट में होर्डिंग द्वारा ओओएच गतिविधियों को आगे बढाने के लिए उसी थीम का प्रयोग किया गया। इस अभियान पहल के कारण अच्छा लाभ मिला और बैंक के उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थापित करने के अतिरिक्त कार्पोरेट इमेज में भी वृद्धि हुई। अभियान के अलावा विभाग ने हमारे खुदरा उत्पाद गतिविधियों जैसे अचल संपत्ति में निवेश, कार, उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने, अक्षय तृतीया और त्योहारों/शुभ अवसरों पर सोना अथवा गहनें खरीदने के प्रचार प्रसार का कार्य भी किया गया।

ब्रांड प्रायोजकता में दृश्यता को बढ़ाने के लिए विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों को प्रायोजित किया। कुछ मुख्य कार्यक्रम जैसे कोलकाता में ग्रेट सरोवर रन - 2013, 4 से 6 सितम्बर 2012 में एफआईसीसीआई-आईबीए सम्मेलन 'सस्टनैबल एक्सलन्स थ्रू एन्गैज्ड कस्टमर्स, एम्प्लायीज एण्ड राइट यूस ऑफ टेकनॉलजी' में गोल्ड पार्टनर स्पॉनसरशिप, 29 अक्टूबर - 1 नवम्बर 2012 में ओसाका, जापान में स्वीफ्ट इन्टरनैशनल बैंकिंग ऑपरेशन सेमिनार (एसआईबीओएस) - 2012 में सहभागिता के लिए प्रायोजकता, मुंबई में 35वें वर्ल्ड डायमन्ड कान्फ्रेन्स (डब्लूडीसी) के लिए प्रायोजकता हैदराबाद में सोसाइटी फॉर केन्सर इन ओरल-कैविटि प्रीवेन्शन थ्रू एडूकेशन (एससीओपीई) को पूरी तरह से सुसज्जित वैन (मोबाइल डेन्टल क्लीनिक) के लिए प्रायोजकता, देव महोत्सव (जनपद बाराबंकी) में सांस्कृति कार्यक्रम का लखनऊ अंचल द्वारा प्रायोजकता, आईआईटी जोधपुर के प्रमुख संस्थान के मेगा इवेन्ट-आईजीएनयूएस-13 का टाइटल स्पान्सरशिप, 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2012 तक क्षेत्रीय पार्क, सेक्टर-एल, आशियाना लखनऊ में लखनऊ महोत्सव के मेगा सांस्कृतिक संध्या का प्रायोजकता, रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, 'इंडिया एसएमई फोरम' में अनन्य प्रेसेन्टिंग पार्टनर के रुप में एसएमई एचीवर्स 2012 मनाया जाना तथा कई अन्य गतिविधियां हमारे द्वारा की गई जिससे बैंक की दृश्यता बढ़े।

होर्डिंग की गतिविधियों में हमारे ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए महानगरीय तथा पूरे भारत के प्रमुख स्थानों में हार्डिंग प्रदर्शित किए गए और विभिन्न स्थानों में अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए जैसे हाजी अली में हार्डिंग प्रदर्शन (नियन साइन) (40 X 20) जो मुंबई के समुद्र के बीच है, नई दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर के एयरपोर्ट तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों में होर्डिंग प्रदर्शित करने का कार्य किया गया।

परिचालनिक उत्कृष्टता

ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता

बैंक संकल्प 10,000 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल के लिए ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता है।

प्रमुख पहलें

- **प्रशिक्षण :**

  प्रशिक्षण केन्द्रों तथा आंचलिक कार्यालयों में समय समय पर सेल्स फोर्स तथा संपर्की प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जाता है. चालू वर्ष के दौरान, सभी अंचलों से विपणन प्रमुखों, सेल्स फोर्स तथा आरएसएमों के लिए एमडीआई, बेलापूर में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

- **सेल्स फोर्स ऑटोमेशन (एसएफए) पैकेज :**

  बैंक ने सेल्स फोर्स ऑटोमेशन (एसएफए) अर्थात लीड मेनेजमेंट सिस्टम के नाम से आईटी समर्थित सॉफ्टवेयर पैकेज लांच की। यह प्रणाली हर स्तर पर सृजित

लीड को प्रभावीरुप से कैपचर, मॉनीटर, ट्रैक परिवर्तित करती है और उसका विश्लेषण करती है। प्रोत्साहन योजना लागू के लिए भी इस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।

- **क्विक विन्स कैम्पेन :**

  डायमंड ग्राहकों से व्यापक संपर्क कार्यक्रम . डायमंड ग्राहकों से मिलकर, उनका डेटा अपडेट करने, केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने, नए वैल्यू खाते खोलने, बैंक के विभिन्न उत्पादों और थर्ड पार्टी उत्पादों की क्रॉस सेलिंग करने हेतु अंचलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक लाख से अधिक डायमंड ग्राहकों से संपर्क किया गया।

  जीवन बीमा उत्पादों के विपणन के लिए 50 अंचलों में सुड लाइफ अभियान आरंभ किया गया।

परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय

परिचालनिक उत्कृष्टता

ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता

बैंक संकल्प 10,000 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल के लिए ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता है।

बैंक की कॉर्पोरेट छवि और पहचान निखारने हेतु बैंक ने वर्तमान थीम ''रिश्तों की जमापूंजी'' के आधार पर मीडिया अभियान शुरू किए हैं। इस अभियान के अंतर्गत रिश्तों के थीम के आधार पर तीन टीवीसी तैयार किए गए जैसे पौढ़ जोड़ी, दोस्त तथा बस जो राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनलों में दिखाए गए।

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड को 2006 में उसकी शुरूआत से ही, स्वैच्छिक सदस्य रहा है। इसके पीछे बैंक का यह मकसद रहा है कि वह एक पारदर्शी तरीके में उच्च स्तर की सेवा मुहैया कराने की अपनी ग्राहक उन्मुखता और वचनबद्धता पर बल दे और ग्राहकों को सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी मुहैया कराए। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का परिशोधित कोड 2009 बैंक द्वारा त्वरित रूप से अंगीकार किया गया है और वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। परिशोधित कोड की प्रतियॉं ग्राहकों की सूचना के लिए ग्राहकों में संवितरित की गयी है।

बैंक ने आईबीए द्वारा बनायी गयी विभिन्न ग्राहक केन्द्रित नीतियों जैसे - जमाराशि नीति, चेक वसूली नीति, शिकायत निवारण नीति, प्रतिकर नीति देयों की वसूली एवं प्रतिभूति पुनः अधिग्रहण नीति को अंगीकर किया है और मृतक घटकों के मामले में सेफ कस्टडी और एसडीवी लॉकर्स से वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए मृतक के दावों की प्रोसेसिंग के लिए दावेदारों से अपेक्षित दस्तावेजों के लिए एकल पेज का दस्तावेज तैयार किया गया है ऐसे दावों के निपटान के लिए दावेदारों को सुपुर्दगी के लिए शाखाओं अपेक्षित कदम उठाए गए है।

- समग्र भारतवर्ष में स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सभी सहभागियों को एक लघु फिल्म दिखाई जा रही है यह फिल्म वांछित स्टाफ व्यवहार पर है और पूरी फिल्म बैंक परिसर में ही बनाई गयी है।
- शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण अर्ध वार्षिक अन्तरालों में किया जा रहा है ताकि समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके और त्वरित रूप से प्रधान कार्यालय स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- आंचलिक कार्यालयों को अपने स्तर पर ही शिकायतों को बंद करने और मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस अभियान से ये प्रत्याशाएं हैं कि इससे शिकायत निवारण का समय घटेगा, नाजुक क्षेत्रों की पहचान होगी और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे और इस प्रकार समग्र रूप से ग्राहक की सन्तुष्टि में इज़ाफा करने में सहायता मिलेगी।
- शिकायतों के त्वरित निवारण् के लिए आंचलिक प्रबंधक से सीधे संपर्क के लिए एसएमएस शिकायत व्यवस्था शुरू की गई है।
- संसूचना के इलेक्ट्रानिक रूप के प्रयोग पर संवर्द्धित बल देने से शिकायतों के लिए प्रतिक्रिया समय अधिकांश मामलों में 10 दिनों तक का हो गया है।
- वेब आधारित ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) शिकायत निवारण में प्रतिक्रिया समय को कम करने और समय पर निवारक उपाय उठाने में सहायता के लिए विश्लेषणक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लागू की गई है।
- वर्ष में दो बार ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण सप्ताह मनाए गए हैं। इनका प्रयोजन उन्नत ग्राहक सेवा के लिए ग्राहकों और स्टाफ के बीच नज़दीकियां बढ़ाना और तदनुसार तबदीलियां यदि कोई हो, लाना था।
- शाखाओं द्वारा विभिन्न ग्राहक भावन उपायों के अनुपालन का आकलन आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है और तत्पश्चात त्वरित रूप से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।
- अनुपालन के स्तर की निगरानी करने के लिए समीप के अंचलों की एक और दो शाखाओं में उप आंचलिक प्रबंधकों द्वारा आंचल दौरा।
- आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी नूतन नोट छंटाई मशीन/नोट अधिप्रमाणन मशीन के जरिए क्रियान्वित की जा रही है।
- अनिवार्य रूप से अपेक्षित सभी ग्राहक केन्द्रित सूचना ग्राहकों के फायदे के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है और शाखाओं में भी उपलब्ध करायी जाती है।
- आरबीआई द्वारा आदेशित जानकारी वाला अंग्रेजी/हिंदी में व्यापक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है और बड़ी जानकारियां ग्राहक के फायदे के लिए हमारी शाखाओं में इसे प्रदर्शित करने के लिए प्रधान कार्यालय से मुद्रित करवायी गयी है और संवितरित की गई है।
- ई-मेल, फोन सहित, विभिन्न चैनल, ग्राहकों को उनकी शिकायतें भेजने के लिए उपलब्ध हैं।
- बैंक सभी शाखाओं में पर्सनलाइज्ड चेक बुकें जारी कर रहा है।

जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण

जोखिम किसी भी बैंक की गतिविधि का अभिन्न तत्व है। तदनुसार, जोखिम नियंत्रण कार्य का प्रयोजन न सिर्फ जोखिम को कम करना है अपितु संस्था द्वारा भलीभांति पूर्वोपाय की पहचान तथा जोखिम प्रबंधन और इन प्रयासों पर उचित रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित करना है ताकि उपस्थित जोखिम, परिचालन की निरंतरता हेतु खतरा न बन जाए। इसे ध्यान में रखकर बैंक ने व्यवस्था स्थापित की है एवं बैंक व्यवस्था संचालित करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एकल आधार पर तथा बैंक की समग्र जोखिम स्थिति के संबंध में संगत जोखिम प्रकार का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है।

बैंक में जोखिम प्रबंधन विभिन्न जोखिम के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर समिति द्वारा सहायता प्राप्त शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति सहित बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है। विभिन्न अवस्था अर्थात पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण सम्मिलित जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया उद्यम बृहत जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, डेरिवेटिव, एएलएम, विदेशी मुद्रा एवं डीलिंग रूम परिचालन हेतु नीतियों में समाविष्ट है। इन अवस्थाओं से एक नियंत्रण चक्र स्थापित होता है, जिसमें प्रतिपुष्टि एवं फीड फॉरवर्ड लूप भी शामिल होते हैं।

समस्त गतिविधियों एवं उत्पाद में सभी संभावित जोखिम की पहचान, परिभाषा बृहत विश्लेषण के माध्यम से तथा उनकी जांच परिचालनात्मक स्तर पर जोखिम समिति तथा टॉस्क फोर्स द्वारा की जाती है। बैंक की जोखिम रूपरेखा भी तिमाही आधार पर तैयार की जाती है। विभिन्न साधन एवं प्रणाली जैसे विवेक सम्मत सीमा, नया बासेल अनुवर्ती ऋण श्रेणी निर्धारण मॉडल, ऋण लेखा परीक्षा, बाजार जोखिम हेतु वीएआर मॉडल, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मुख्य जोखिम संकेतक की ट्रेकिंग के साथ संयोजित स्व निर्धारण कार्य द्वारा पहचान किए गए जोखिम के निर्धारण/मापन हेतु

प्रारंभ किए गए हैं। विश्लेषण के लिए व्यापक आंक़ड़े उपलब्ध कराने हेतु डाटा भंडारण परियोजना कार्यान्वित की गई है। बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित कर रही है जो आंक़ड़ों की गुणवत्ता एवं पूर्णता तथा इसके जोखिम प्रबंधन कार्य को अद्यतन करने में बैंक की सहायता करेगा।

31.03.2008 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण एवं बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित नयी पूंजी पर्याप्तता संरचना (बासेल II) के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के परिकलन की दिशा में बैंक स्थानांतरित हुआ है।

विभिन्न जोखिम के निर्धारण/मापन, इसकी जोखिम वहन क्षमता की सीमा एवं जोखिम व जोखिम प्रकृति के संबंध में आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के लिए वार्षिक आधार पर बैंक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) कार्य करता है। चरम स्थिति में भी संभावित प्रभाव की बेहतर समझ से बैंक को अवगत कर जोखिम निर्धारण की वृद्धि के लिए दबाव जांच प्रक्रिया क्रियाशील है। भविष्य में जोखिम नियंत्रक कार्य एवं संपूर्ण संस्था दोनों के लिए निर्णय लेने और स्वतंत्र नियंत्रक कार्य के निष्पादन के निर्धारण हेतु भी उपर्युक्त से एक उद्देश्य आधारित कार्य अपेक्षित है।

तैयार रोडमैप के अनुसार बैंक जोखिम प्रबंधक प्रणाली की प्रभावशीलता और कड़ाई में वृद्धि करने के लिए अधिक परिष्कृत ॲप्रोच की ओर जाने की तैयारी कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

शाखा स्वचालन

बैंक की सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पर है और नयी शाखाएं भी सीधे सीबीएस प्लाटफार्म के तहत खोली जा रही हैं। ये सभी शाखाएं आरटीजीएस / एनईएफटी समर्थित हैं।

बैंक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीज्) में सीबीएस का कार्यान्वयन

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को किसी भी समय कहीं भी और किसी भी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस के क्रियान्वयन को संपूर्ण कर दिया है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीज्) की सभी शाखाओं में 100% सीबीएस को हासिल कर लिया गया है। आरआरबीज् को सभी शाखाएं हमारे इन्फ्रास्टैक्चर का इस्तेमाल करते हुए आरटीजीएस/एनईएफटी करने में समर्थ है। सीबीएस माइग्रेशन और तत्कालिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और आर्यवृत्त ग्रामीण को आर्यवृत्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन का एकीकरण पूर्ण कर लिया गया है।

वर्ष के दौरान संवर्धन/क्रियान्वित नई पहलें

नियमित बैंकिंग माड्यूल के अलावा बैंक ने यह सुनिश्चत किया है कि सहायक पोर्टफोलियो को अर्थात सरकारी कारोबार, सेफ डिपॉजिट वाल्ट, लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सरकारी बांड, सीबीएस प्लैटफॉर्म के अंतर्गत निर्बाध रूप से एकीकृत किए गए हैं जिससे प्रत्येक के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और विभिन्न प्रणालियों के मध्य भागदौड़ को टाला जाए। बैंक ने, सीबीएस और विभिन्न भुगतान प्रणाली/अन्य एप्लीकेशन के बीच स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) कार्यान्वित की है ताकि बहुविध प्रणालियों में डाटा प्रविष्टि की आवश्यकता को मिटाया जा सके एवं इससे डाटा की प्रामाणिकता व विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। इससे सिस्टम में ही प्रविष्टियों का स्वतः समाधान सुनिश्चित हो जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित ग्राहक केंद्रीत अभिवृद्धियाँ कार्यान्वित की गई हैं :

- ''एसएमएस आधारित ग्रीवन्स रिड्रेसल सिस्टम'' आरंभ की गई है जो ग्राहकों पर उचित ध्यान देने और कारोबार-टीम से त्वरित समाधान के लिए रियल-टाइम आधार पर आंचलिक प्रमुख के ध्यान में लाई जा रही है।
- ''मिस्ड कॉल'' की सुविधा का उपयोग करते हुए बचत तथा ओवरड्राफ्ट खाते में एसएमएस के जरिए शेष राशि की पूछताछ आरंभ की गई है जो ग्राहकों के लिए ''निःशुल्क'' है।
- बैंक ऑफ इंडिया में खोले गए पीपीएफ खाते में पीपीएफ का अंशदान ऑनलाइन स्वीकार किया जाना।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि (पीएमएनआरएफ) में दान को ऑनलाइन स्वीकार किया जाना।
- स्टार सुनिधि योजना (कर राहत जमाराशि) को ऑनलाइन टीडीआर मोड्यूल में शामिल किया जाना।
- अतिरिक्त सात राज्य सरकारों के लिए वाणिज्यिक कर का ई-पेमेन्ट
- इंटरनेट बैंकिंग यूजर के लिए और एटीएम कार्डधारकों के लिए बीओआई एटीएम के जरिए ऑनलाइन चेक बुक अनुरोध की सुविधा
- ऑनलाइन सीमा शुल्क भुगतान के मोड्यूल को बढाया गया है जिससे ग्राहक एक ही समय पर बहु चालान का भुगतान करने में सक्षम हो सके।
- खाते के विवरण के विकल्प को अब बढ़ाया गया है जिससे ग्राहक एक बार में एक वर्ष की अवधि का विवरण व्यू/प्रिंट करने में सक्षम हो सके।
- निधि अंतरण सुविधा वाले हमारे रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ऑनलाइन स्थायी अनुदेश का मोड्यूल।
- आरटीजीएस / एनईएफटी के लिए नए हिताधिकारी के पंजीकरण हेतु वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का आरंभ, जो इलेक्ट्रानिक भुगतान संव्यवहार के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपाय के रुप में सेकन्ड ऑथेन्टकैशन फैक्टर है।
- इनवर्ड/आउटवर्ड आरटीजीएस/एनईएफटी संदेशों के लिए एसएमएस अलर्ट
- वाक-इन ग्राहकों के लिए कैश एनईएफटी का आरंभ
- बैंक ऑफ़ इंडिया में खोले गए पीपीएफ खाते के लिए बैंक के किसी भी शाखा में पीपीएफ का अंशदान स्वीकार किया जाएगा।
- ग्राहक आईडी के आधार पर आधार संख्या तथा खाता संख्या को लिंक किया जाना जिससे कार्यान्वित किए जा रहे सरकार के विभिन्न कल्याण योजनाओं जैसे एमजीएनआरईजीए, उर्वरक अनुदान, छात्रवृत्ति, एलपीजी अनुदान आदि के अंतर्गत हिताधिकारियों के बैंक खाते में यह अनुदान डायरेक्ट कैश ट्रान्सफर द्वारा दिया जा सके।
- सेल्फ सर्विस पासबुक ऑपडेशन किऑस्क लगाया जाना।
- बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए क्यू मैनजमेंण्ट सिस्टम लागू करना
- डिजिटल साइनिज लगाया जाना-बैंक के फोटो तथा विडियों विज्ञापनों में सुधार
- बैंक के 107वें स्थापना दिवस में 7 सितम्बर 2012 को आधुनिकतम वेब प्लैटफार्म पर पुनर्निमित नेक्स्ट जेनरेशन ग्राहक-केन्द्रित वेबसाइट का शुभारंभ किया गया।

डाटा सेन्टर

मूल साईट से गौण साईट के बीच भौतिक हार्डवेयर बुनियादी सुविधा की 1:1 अनुपात में बाहुल्यता के साथ 15 मिनट के रिकवरी टाइम ओबजेक्टीव (आरटीओ) सहित आईएसओ 27001:2005 मानक सहित प्रमाणित डाटा सेन्टर को बैंक ने सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मूल साईट मुंबई में स्थित है तथा आपदा रिकवर साईट (डीआर) बंगलूरु में स्थित है। शून्य आंकड़ा हानि हेतु मूल साईट भंडारण प्रतिकृति सहित नियर साईट (एनआर) स्थापित की गई है। यूपीएस के जरिए दो जेनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे दोहरी पावर आपूर्ति सहित सभी कार्यलय, शाखाएं तथा डाटा केन्द्र वेन नेटवर्क से जुड़े हैं।

डाटा केन्द्र ने तीन चरणीय संरचना बनायी है अर्थात डेटाबेस, एप्लीकेशन तथा वेब जो आधुनिकतम परिचालन प्रणाली, आरडीबीएमएस सहित विभिन्न हाई-एण्ड सर्वर में विस्तृत है जिसके एप्लीकेशन बेहतर प्रबंधन तथा कार्यनिष्पादन हेतु है।

उपलब्धता/क्षमता आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बैंक सुरक्षा तथा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर की डिजाईन की गई है। डाटा सेन्टर में सर्वर तथा नेटवर्क फार्म्स के संवेदनशील क्षेत्रों हेतु बायोमेट्रिक पहचान सहित सशक्त भौतिक सुरक्षा नियंत्रण है।

पॉवर कुलिंग, अग्निरोधक तथा डाटा केन्द्र बुनियादी सुविधा के अधिकतम प्रबंधन तथा अधिकतम बिल्डिंग प्रबंधन प्रणाली सहित 24 X 7 X 365 दिनों का समर्पित स्रोत है। 24X7X365 निगरानी हेतु संपूर्ण परिसर सर्वेलेन्स कैमरा द्वारा कवर किया गया है।

बैंक की पूर्णतः कार्यरत आपदा रिकवरी साइट है और तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित और निष्पादित किया जाता है। मूल से डीआर साईट परिचालन पर जाने के लिए बैंक के पास 15 मिनट का आर टी ओ है। आपदा रिकवरी सेट-अप का उपयोग एमआईएस और रिपोर्ट जेनरेशन हेतु करने का विचार बैंक ऑफ़ इंडिया का एक अभिनव उपाय था। इसके फलस्वरूप डीसी एवं डीआर संसाधनों का इष्टतम सदुपयोग तो हुआ ही है, साथ में यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रक्रिया में इन सभी संसाधनों का निरंतर परीक्षण हो जाता है।

बैंक का वैश्विक प्रसंस्करण केंद्र (जीपीसी) सिंगापुर में है जो उसकी विदेशी शाखाओं को केंद्रीय हब से जोड़ता है और उसकी सभी विदेशी शाखाओं के लिए प्रसंस्करण को समर्थ बनाता है। यह 24/7 केंद्रीय हब है जो पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में यूएसए तक की 24 विदेशी शाखाओं के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समान हार्डवेयर तथा उचित सॉफ्टवेयर सहित आपदा प्रबंधन हॉट साइट स्थापित किया गया है जो डाटा केंद्र से डी आर साइट तक डाटा का ऑनलाइन रेप्लिकेशन करता है। एक आपदा प्रबंधन सेटअप सिंगापुर में है तथा दूसरा मुंबई में है। दोनों डीआर साइट में, रियल टाइम आधार पर संव्यवहारों का रेप्लिकेशन किया जाता है। उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर डीआर ड्रिल्स कराए जाते हैं।

एसएमएस- एलर्ट - स्टार संदेश

धोखाधड़ी निरोधक उपाय के रूप में, एसएमएस अलर्ट जनित किए जाते हैं तथा जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं :

- इंटरनेट बैंकिंग यूजर के लॉगइन/संव्यवहार पासवर्ड को एक्टीवेट करना
- स्टार अटोफिन और आवास ऋण खाता में देय किस्त हेतु अलर्ट
- डिलिवरी चैनलों (इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) से समस्त नामे संव्यवहार हेतु अलर्ट।
- सभी ग्राहक द्वारा किए गए ₹ 10,000/- तथा अधिक के नामे एवं जमा संव्यवहार
- सभी नामे आरटीजीएस संव्यवहार
- सभी आरटीजीएस नामे संव्यवहार
- ₹ 10,000/- तथा अधिक के सभी नामे एनईएफटी संव्यवहार
- ₹ 10,000/- तथा अधिक के सभी ईसीएस जमा/नामे संव्यवहार
- एनईएफटी आउटवर्ड मेसेज के लिए जमा पुष्टिकरण (अर्थात हिताधिकारी के खाते में जमा)
- विफल एटीएम संव्यवहारों के लिए संव्यवहार का अटो रिवर्सल
- चेक बुक जारी करने के अनुरोध के स्वीकार करने की पावती
- जिन ग्राहकों ने स्टार टोकन का विकल्प नहीं लिया है उनके संव्यवहार के लिए वन टाइम पासवर्ड (इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में)
- स्टार टोकेन का वन टाइम पासवर्ड जब ग्राहक अपने पंजीकृत पीसी के अलावा अन्य पीसी से इंटरनेट बैंकिंग करना चाहता है।

इंटरनेट बैंकिंग

हमारे सभी ग्राहकों के लिए जनोपयोगी सेवा बिलों के भुगतान, हवाई जहाज एवं रेल टिकट बुकिंग, ऑन लाइन शॉपिंग, इंटर बैंक एवं इंट्राबैंक फंड अंतरण आदि हेतु शीघ्रतम सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है।

बैंक ऑफ इंडिया भारत में प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में दोनों खुदरा एवं कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को **टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन (2 एफए) - स्टार टोकन** क्रियान्वित किया है। बैंक के ग्राहक माऊस के क्लिक से घर एवं कार्यालय से ही किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी, झंझट रहित सुरक्षित बैंकिंग की सुविधा का लाभ लेते हैं।

निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं :

- ऑनलाइन जमा रसीद के सृजन के दौरान और वर्तमान मीयादी जमा रसीदों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा।
- ऑटो-पे हेतु बीओआई स्टार ई-भुगतान या विविध जनोपयोगी सेवाओं/बिलों के ऑन-लाइन भुगतान
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ई-भुगतान
- शेयरों में ट्रेड करने हेतु स्टार ई-शेयर ट्रेड
- ई-फ्रेट भुगतान
- डीजीएफटी लाइसेंस शुल्क का ऑन- लाइन भुगतान
- रेल्वे एवं हवाई यात्रा टिकट की ऑन-लाइन बुकिंग
- शिक्षा ऋण हेतु ऑन लाइन आवेदन
- इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ब्लॉक की गई राशि से समर्थित (एएसबीए) आईपीओ निर्गम आवेदन करने के लिए ऑनलाइन व्यू करने एवं आवेदन करने की सुविधा।
- ग्राहकों ऑनलाइन मीयादी जमाराशि बनाने हेतु इंटरनेट बैंकिंग द्वारा सुविधा प्रदान करना
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग करके एटीएम कार्ड की हॉटलिस्टिंग,पिन रिसेट/अनब्लॉक/परिवर्तन करना।
- वार्षिक कर विवरण देखना (फार्म 26 एएस)
- बैंक के डेबिट सह एटीएम कार्ड धारक ग्राहकों को ऑन लाइन ई पेमेंट सुविधा का विस्तार। इससे ग्राहक ई भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग खाते के अतिरिक्त डेबिट सह एटीएम कार्ड का उपयोग भी कर सकेगें।
- ऑनलाइन जमा रसीद के सृजन के दौरान और वर्तमान मीयादी जमा रसीदों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा।

पुरस्कार :

- वर्ष 2010-11 के दौरान बड़े बैंकों में वित्तीय समावेशन हेतु प्रौद्योगिकी के लिए आईडीआरबीटी से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार
- सीआईओज़् में उत्कृष्टता की मान्यता स्वरूप - सी-चेन्ज एन्टरप्राइज़ अवार्ड 2011- सीआईओज़् एवं डाटाक्वेस्ट से बेस्ट सेक्यूरिटि इम्प्लिमेंटेशन अवार्ड
- नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर - ह्यूज्स द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को आउटस्टैंडिंग इन्नोवेशन पुरस्कार
- परियोजना-आईसीटी एनेबल्ड सोल्यूशन के जरिए वित्तीय समावेशन के लिए बैंक को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ़ इंडिया से सराहना प्रमाणपत्र।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

सीबीएस का अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक ने डेटा मायनिंग सॉल्यूशन सहित डेटा वेयरहाउस (डीडब्ल्यूएच) भी स्थापित किया है जिससे बैंक, निर्णय में समर्थन हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली समर्थ हो और वह अपने कारोबारी आसूचना लक्ष्य शीघ्रता से व प्रभावी रूप से प्राप्त कर सके। इस सॉल्यूशन के कार्यन्वयन से बैंक का डेटा वेयरहाउस कोर बैंकिंग प्रणाली से दैनिक संव्यवहार डेटा संग्रहित करता है। साथ-साथ ही बैंक

ने डेटा के गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल किया है तथा इससे बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली अत्यधिक परिष्कृत एवं परिशुद्ध बन गई है। बैंक अधिकांश भारतीय रिज़र्व बैंक रिपोर्ट, भारत सरकार के रिपोर्ट, आंतरिक उेश्य से रिपोर्टों का सृजन डीडब्ल्यूएच डेटाबेस के आधार पर करता है। शीर्ष प्रबंधन को प्रदान किए गए डैशबोर्ड का उपयोग प्रभावी रूप से कारोबर वृद्धि तथा जहाँ कहीं पर आवश्यकता है वहाँ समय पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कारोबारी आसूचना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक ने कारोबार विश्लेषणात्मक उपकरण भी अपनाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार हमारी सभी विनियामक विवरणों को अटोमेटेड डेटा फ्लों (एडीएफ) कम्प्लायन्ट बनाया गया है।

मानव संसाधन विकास

किसी भी संस्था के विकास में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव प्रबंधन का सिलसिला नियुक्ति प्रक्रिया से शुरू होता है तथा विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, स्थापन, कार्यनिष्पादन समीक्षा, पदोन्नति आदि से होकर गुजरती है। स्पंदनशील संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में मानव संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके जरिए कर्मचारियों को अपने सर्वोत्कृष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है।

नीतियां, भर्ती और पदोन्नति

कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव संसाधन प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकिंग जैसे सेवा आधारित उद्योग में, त्वरित एवं दक्षतापूर्ण सेवा पर ही सफलता निर्भर होती है जिसे सही प्रतिभावान व्यक्तियों की भर्ती, ग्रूमिंग और सही प्लेसमेंट से हासिल किया जा सकता है। पूरे बैंकिंग उद्योग में स्टाफ की कमी की समस्या है और बैंक लिपिकीय एवं अधिकारी वर्ग में कर्मचारियों की भर्ती हेतु भर्सक प्रयत्न कर रहे हैं। सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों के बदले युवा कर्मचारियों की भर्ती हेतु सक्रिया प्रयास किए जा रहे हैं। युवा अभ्यर्थियों द्वारा ग्रामीण तैनाती स्वीकार न करने, मौद्रिक क्षतिपूर्ति, संबंधित बैंकों में अत्यधिक स्टाफ की कमी के कारण सभी पीएसबी द्वारा एकसाथ भर्ती प्रक्रिया शुरु करने, आदि निहित अवरोधों के बावजूद बैंक इसमें सफल हो सकता है। आने वाले वर्षों में अधिकांश पीएसबी, आईबीपीएस द्वारा आयोजित आम भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करेंगे जिससे बैंकों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों द्वारा बैंक छोड़ने की घटनाओं में गिरावट आएगी।

बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न वेतनमानों में सामान्य बैंकिंग एवं विशेषज्ञ प्रवर्ग में 1492 अधिकारियों तथा लिपिकीय संवर्ग में 2378 कर्मचारियों की भर्ती की है।

शाखा विस्तार/कारोबार विस्तार और सेवा निवृत्तियों/वीआरएस का ध्यान रखते हुए बैंक ने जेएमजीएस-I वेतनमान में 1613 सामान्य बैंकिंग अधिकारियों और 2500 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती हेतु, कदम उठाए हैं। यह आशा की जाती है कि नए भर्ती हुए लिपिक और अधिकारी वित्तीय वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में रिपोर्ट करेंगे।

एचआर के क्षेत्र में किए जाने वाले अन्य पहल निम्नानुसार हैं :-

- बैंक की मैनपॉवर अपेक्षाओं का वैज्ञानिक आकलन;
- वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का सरलीकरण;
- पदोन्नति नीति को और वस्तुनिष्ठ बनाने और वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरुप उसे सुयोग्य बनाने हेतु उसकी समीक्षा;
- सभी एचआर मुद्दों के लिए पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने हेतु और अधिक एचआरएमएस मॉड्यूल्स (गतिविधियां) शामिल करना एवं उनका समाकलन करना;
- एच आर पहल से सम्बद्ध सुझावों के आदान-प्रदान, एचआर नीतियों में सुधार हेतु महाप्रबंधक (एचआर) नियमित रूप से स्टार डेस्क देखते हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र से लिपिकों की भर्ती हेतु विशेष अभियान;
- ऋण, फॉरेक्स, विपणन, वसूली जैसे क्षेत्रों में विशेष कुशलता हासिल अधिकारियों की पहचान द्वारा 'टैलेन्ट बैंक' की शुरुआत।
- अधिकारियों के लिए पात्रता शर्तों में ढील देते हुए त्वरित पदोन्नति प्रक्रिया की शुरुआत ;
- कर्मचारियों के लिए, ग्रूप सेविंग्स लिंक्ड इन्श्योरेन्स, डे रिलीफ स्कीम, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यय प्रतिपूर्ति योजना, नकदरहित उपचार हेतु विभिन्न अस्पतालों के साथ गठबंधन व्यवस्था, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता, जैसे विभिन्न कल्याण उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

अध्ययन एवं विकास

कर्मचारियों के कौशल विकास द्वारा विजेता टीम तैयार करना मानव संसाधन विभाग के कार्य का महत्वपूर्ण अंग है। उपरोक्त के अनुरुप और हमारे बड़े मानव संसाधन पूल के सही सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, मानव संसाधन विभाग से एक अलग विभाग - अध्ययन एवं विकास का गठन किया गया है।

अध्ययन एवं विकास विभाग अपने लगातार प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों तथा मौड्यूल्स के जरिये कर्मचारियों को अपने सर्वोष्कृष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है और प्रेरित करता है, कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि और विभिन्न खण्डों में ग्राहकों नित बदलने वाली कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सही कौशल और ज्ञान से सज्जित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। नई पदोन्नति नीति को बोर्ड द्वारा 08.12.2012 अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूरे देश में बैंक के छः प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई शीर्ष स्तर के प्रशिक्षण स्थापनाएं हैं, चार प्रशिक्षण महाविद्यालय (एसटीसी) सामरिक महत्व के स्थान भोपाल, चेन्नई, नोएडा और कोलकाता में हैं और एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीटीसी) पुणे में है। वर्ष 2012-13 के दौरान इन सभी महाविद्यालयों में आयोजित 1025 कार्यक्रमों में बैंक के 23468 कर्मचारियों, आरआरबी और अन्य संगठनों के 1306 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

पिछले वर्ष के दौरान बैंक में भर्ती हुए 1492 नए सीधे भर्ती अधिकारियों तथा 2378 लिपिकों के लिए पृथक इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये। इनमें कैम्पस से भर्ती किए गए सनदी लेखाकारों, मार्केटिंग एग्ज़ेक्यूटिव्स, विशेषज्ञों और फैनान्स एग्ज़ेक्यूटिव्स के लिए कार्यक्रम शामिल थे। ऐसी प्रत्येक बैच को महाप्रबंधक (एचआर) और/या महाप्रबंधक (एल एण्ड डीडी) द्वारा बैंक के बीकेसी ऑडिटोरियम या अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संबोधित किया गया था। कुछ अवसरों पर हमारी अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका श्रीमती वी.आर.अय्यर, कार्यपालक निदेशकगण श्री एन. शेषाद्रि और श्री बी.पी. शर्मा एवं अनेक महाप्रबंधकों द्वारा डीआरओज़् को संबोधित किया गया। पात्र व्यक्तियों के लिए भर्ती-पूर्व एवं पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एमडीआई में महिला अधिकारियों और सेवा निवृत्त होने वाले लिपिकों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को हमारी अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका श्रीमती वी.आर.अय्यर ने संबोधित किया। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एमडीआई-बेलापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

836 अधिकारियों को भारत में बाहरी संस्थाओं में नामित किया गया और 13 अधिकारियों को प्रशिक्षणों, सम्मेलनों एवं सेमिनारों में भाग लेने के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया।

बैंक ने विदेशी शाखाओं में तैनात स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।

सभी नए पदोन्नत महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों एवं सहायक महाप्रबंधकों के लिए आईआईएम-बेंगलूर, एनआईबीएम-पुणे, एएससीआई-हैदराबाद और एक्सएलआरआई-जमशेदपुर में 5-दिवसीय नेतृत्व एवं परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवलप्मेंट- नई दिल्ली के सहयोग से एसटीसी-नोएडा नए चयनित संकाय सदस्यों के लिए 'ट्रेन दि ट्रेनर्स' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सभी आंचलिक कार्यालयों में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए 1-दिवसीय और लिपिकीय स्टाफ के लिए 2-दिवसीय लोकेशनल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

बैंक ने 53 अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग अनुभव हेतु विदेशी शाखाओं में प्रतिनियुक्त किया। इन सभी अधिकारियों को ट्रेज़री शाखा अंतर्राष्ट्रीय विभाग, प्रधान कार्यालय, मुंबई ओवरसीज़ शाखा में "ऑन दि जॉब ट्रेनिंग" दी गई ।

बाहरी संस्थाओं के लिए बैंक के प्रिशिक्षण केन्द्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया - जैसे फेडाई की ओर से एमडीआई-बेलापुर, एसटीसी, भोपाल और एसटीसी नोएडा में "विदेशी विनिमय पर एक सप्ताह का अभिमुखीकरण कार्यक्रम" एमडीआई-बेलापुर में आंध्र बैंक के अधिकारियों के लिए 'कस्टमाइज़ड बोर्स प्रोग्राम,' एसटीसी-नोएडा में "सेन्ट्रल बैंक के डीआरओज़ के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण", एसटीसी-नोएडा में बीआईआरडी-लखनऊ की ओर से "ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फैनान्शियल इन्क्लूशन"। बैंक के डीलरों के लिए एमडीआई ने "बोर्स प्रोग्राम" का भी आयोजन किया जिसमें अन्य बैंक के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

समाज के प्रति हमारे कर्तव्य का निर्वाह करते हुए विभिन्न प्रबंधन संस्थाओं से 690 छात्रों ने बैंक में सम्मर इन्टर्नशिप का लाभ उठाया।

बैंक का ई-लर्निंग कार्यक्रम सफल रहा है। गोल्ड स्तर पर 12 मॉड्यूल, बीटा स्तर पर 12 मॉड्यूल और अल्फा स्तर पर 6 मॉड्यूल अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा गोल्ड स्तर पर 23 मॉड्यूल अपलोड हेतु तैयार हैं।

स्टारडेस्क के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध स्टारडेस्क साइट को अपडेट करने में स्टाफ का फीडबैंक बहुत सहायक रहा है।

एचआरएमएस के अंतर्गत ट्रेनिंग मॉड्यूल को लाइव बनाकर बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे आंचलिक स्तर पर बैंक में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन नामांकन करने में सुविधा हुई है और नामांकनों की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर रिपोर्ट का सृजन होता है।

भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित की जा रही है। विभिन्न परीक्षाएं पास करके स्टाफ को अपना ज्ञान उन्नत करने और कौशल को तीक्ष्ण करने हेतु बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं।

यथा 31.03.2013 बैंक में 17061 अधिकारियों, 17220 लिपिकों और 7865 सहायक स्टाफ, कुल 42146 का वैश्विक मानव संसाधन प्रतिभा उपलब्ध है।

आरक्षण नीति का अनुपालन

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में विशेष भर्ती एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए कार्यशील हैं.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों/स्टाफ को लिपिकीय संवर्ग से सामान्य बैंकिंग अधिकारी संवर्ग में और अधिकारी सवंर्ग के भीतर वेतनमान I से वेतनमान II, वेतनमान II से वेतनमान III में पदोन्नतियों के लिए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रदान किए गए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संवर्ग	भर्ती पूर्व				पदोन्नति पूर्व			
		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों की अवधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों की अवधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	
				एससी	एसटी			एससी	एसटी
क)	अधिकारी	1	6 दिन	2	1	21	6 दिन	492	229
ख)	लिपिक	0	0	0	0	0	0	0	0
ग)	अधीनस्थ कर्मचारी	0	0	0	0	0	0	0	0

बैंक ने प्रधान कार्यालय में क्रमशः ओबीसी तथा एससी/एसटी के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारियों के रुप में महाप्रबंधक को नियुक्त किया है। एससी/एसटी/ओबीसी प्रवर्गो से संबंधित अधिकारी सम्पर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी के रुप में आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किए हैं। सरकारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालय में पद आधारित आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जाता हैं जिसका निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है। प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में स्थापित एससी/एसटी कक्ष भूतपूर्व सैनिकों/अशक्त व्यक्तियों जैसे प्रवर्गों के संबंध में आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ भी सम्बद्ध है।

कुल स्टाफ संख्या (भारतीय) में एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व

मार्च 2013	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
अनुसूचित जाति	2888	2743	2858	8489
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	16.86	15.83	36.23	20.05
अनुसूचित जनजाति	1266	1725	810	3801
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	7.39	9.95	10.27	8.98
अन्य पिछड़ी जातियां	1901	1579	1215	4695
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	11.10	9.11	15.40	11.08

विधि

विधि विभाग आंतरिक सुविधादाता के रुप में कार्य करता है और प्रधान कार्यालय में कार्यरत विभागों में उत्पन्न विभिन्न मामलों में राय देने, दस्तावेजीकरण, वाद-विवादों आदि की देखभाल करता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न एनबीजी/अंचलों, भारतीय शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों से राय, वाद-विवाद तथा वित्त दस्तावेजों के मसौदे/वेटिंग का कार्य करता है जो किसी विशेष मंजूरी/आवश्यकताओं/अद्यतनों/दस्तावेजों के परिशोधन हेतु उचित है।

विधि विभाग विशेषज्ञ विभाग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/अंतर्राष्ट्रीय/कोषागार/कार्ड उत्पाद आदि की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है जैसे विभिन्न करार/एसएलए (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीदना, सेवा स्तर के करार, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्थाएं/नए उत्पाद आदि) के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना/वेटिंग करना।

हमारे समाज में सूचना का अधिकार अधिनियम ने मुख्य भूमिका ले ली है और बैंक में विभिन्न स्तरों पर बहुत अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी अभिनिर्धारित किया है। विधि विभाग के उपमहाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विधि) भी बैंक, प्रधान कार्यालय के पदनामित सीपीआईओ हैं और विधि विभाग के महाप्रबंधक अपील प्राधिकारी है। जिसमें प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करके नियत

30 दिनों की समय सीमा के अंदर आवेदक को भेजना और अन्य अंचलों/एनबीजी को विशिष्ट बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देना शामिल है।

स्टाफ सदस्यों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए विधि विभाग द्वारा 'लिगलन्यूसलेटर' नियमित रुप से जारी किया जाता है और परिचालित किया जाता है। इसके अलावा नवीनतम विधि मामलों में समय-समय पर परिपत्र जारी किया जाता है।

- बैंक द्वारा दायर वाद के संबंध में वाद पत्र अनुमोदन करना
- परिसर से संबंधित विधि मामले जिसमें बिक्री/पट्टा विलेख का वेटिंग, राय मुहैया करवाना आदि शामिल है।
- शेयर ट्रैन्स्मिशन के मामले
- भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न नियामक प्राधिकारियों के लिए दायर वाद/डिक्री मामलों से संबंधित डेटा/आंकड़ो को संग्रह करना और प्रस्तुत करना। 1 करोड़ और अधिक के मामलों की निगरानी करना।
- बैंक के विरुद्ध दायर याचिकाओ, मामलों, अपीलों, दावों आदि पर सलाह देना और जहॉं भी जरुरत हो आवेदनों/शपथ पत्रों की वेटिंग करना।
- बैंक के विरुद्ध मामलों/आकस्मिक देयता के मामलों का विवरण तैयार करना, अंचलों से अनुवर्ती कार्रवाई आदि
- मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए के विभिन्न मामलों पर विभिन्न प्रश्नों का जवाब देना जिसमें विभिन्न अधिनियम के संदर्भ के अंतर्गत नए विधि/संशोधन शामिल है।
- लिगल न्यूसलेटर
- नागरिक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किए गए अनुरोध का उत्तर देना इसमें अनुरोध का प्रसंस्करण करना, संबंधित विभाग को उसे अग्रेषित करना, अनुवर्ती कार्रवाई करना, संबंधित विभाग से जानकारी संग्रह करना और समयानुसार उत्तर (30 दिनों के अंदर) देना शामिल है। यदि ऐसे आदेशों पर अपील की जाती है तो उस अपील का प्रसंस्करण करना और समयानुसार उसका निपटान करना। इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अंचलों और शाखाओं का मार्गदर्शन करना। जब भी आवश्यकता हो विधि विभाग सीआईसी के समक्ष पार्टियों द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई के लिए सीआईसी के सामने प्रस्तुत होते हैं।

अनुपालन

विनियामक के संदर्भ में अनुपालन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विनियमों की संख्या बढ़ रही है और एक संस्था में अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में बड़े पैमाने पर समझ की कमी है। इस प्रकार अनुपालन, तेजी से कार्पोरेट प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक की अनुपालन कार्यनीति बैंक के बोर्ड द्वारा अपनाई गई है। बैंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी (महाप्रबंधक की श्रेणी में) के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, बैंक के अनुपालन कार्य का परिचालन कार्य क्षेत्र है।

विभाग ने शाखा बैंकिंग के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुपालन नियम तैयार किया है :

विवरणी	आवृत्ति	नियमों की सं.
अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आंतकवाद वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)	मासिक	51
जमाराशियां व सेवाएं	तिमाही	62
अग्रिम	तिमाही	63
एफईएमए	तिमाही	119

उपर्युक्त नियमों का प्रमाणीकरण निर्धारित अंतराल में प्रत्येक अंचल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पूरे भारत वर्ष में विभाग द्वारा कुछ चुनी हुई शाखाओं में नियमों पर आधारित अर्ध वार्षिक अनुपालन परीक्षण किया जाता है। इस अनुपालन परीक्षण में पाएं गए परिणामों की रिपोर्ट उच्च प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

प्रत्येक अंचल के अनुपालन कार्य की निगरानी के लिए संबंधित आंचलिक कार्यालय में अनुपालन अधिकारी अभिनिर्धारित किए गए हैं। विदेशी शाखाओं में कलस्टर स्तर पर निगरानी की जाती है।

अनुपालन विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड/सर्वोच्च प्रबंधन/प्रधान कार्यालय के विभागों को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता है :

- बोर्ड को बैंक के अनुपालन कार्य पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- संबंधित अंचलों से अनुवर्ती कार्रवाई/सुधार के लिए अनुपालन चूक के उदाहरण प्रधान कार्यालय के विभागों को देना;
- बैंक के समक्ष अनुपालन जोखिम पर मासिक नोट सर्वोच्च प्रबंधन को प्रस्तुत करना;
- केवाईसी/एएमएल/सीएफटी में लिए गए प्रमुख पहलों पर मासिक नोट बोर्ड को प्रस्तुत करना।
- मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों का सारांश बोर्ड को प्रस्तुत करना;
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/अनुदेशों पर बैंक का अनुपालन प्रस्तुत करना;
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को केवाईसी के कार्यान्वयन की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की जाती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियम समीक्षा कैलेण्डर की निगरानी और इस पर तिमाही के आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

विभाग को बैंक में अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण उपाय/सीएफटी दिशानिर्देशों को लागू करने/निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विभाग ने सभी वर्तमान खातों में केवायसी मानदण्ड के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम गंभीरता से लिया है।फिनेकल सिस्टम में प्रत्येक खाते में केवाईसी स्थिति को नोट करने के लिए अलग अनिवार्य फिल्ड डाला गया है। सभी शाखाओं में केवाईसी अनुपालन न किए गए खातों को पहचानने, केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने तथा फिनेकल सिस्टम को उचित रुप से अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और केवाईसी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाएं, ग्राहकों के सही पहचान के लिए नवीनतम फोटोग्राफ, पहचान का प्रमाण तथा वर्तमान पते का प्रमाण प्राप्त कर रही है। कम आय समूह के व्यक्तियों के खाते खोलते समय सरलीकृत केवाईसी मानदंड शुरु किए गए हैं। सभी ग्राहकों को जोखिम धारणा के आधार पर उच्च, मध्यम व न्यून जोखिम प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। 30.09.2012 से अर्ध वर्ष की समाप्ती से खातों की जोखिम प्रवर्गीकरण की समीक्षा को प्रधान कार्यालय में केन्द्रीयकृत कर लिया गया है।

बैंक ने **धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002** के प्रावधानों को निम्नानुसार कार्यान्वित किया है

- प्रिंसिपल अधिकारी की नियुक्ति की गई है (मुख्य अनुपालन अधिकारी ही धनशोधन रिपोर्टिंग अधिकारी [एमएलआरओ] है)
- वित्तीय आसूचना ईकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी), नई दिल्ली को रु 10 लाख से अधिक के संव्यवहार रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत कर रहा है।
- एफईयू-आईएनडी को बैंक, पहचान होने पर, संदिगध संव्यवहार रिपोर्ट (एसटीआर) तथा जाली करेंसी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डों का परिरक्षण तथा रखरखाव।

धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत संदिग्ध संव्यवहारों को अभिनिर्धारित करने के लिए बैंक ने एन्टी **मनी लॉन्डरिंग सॉफ्टवेयर (एएमएलओसीके)** प्राप्त किया है।

औसतन यह सॉफ्टवेयर प्रतिदिन करीब 4000 अलर्टस् जेनरेट करती है। विभाग द्वारा इन अलर्टों की जांच की जाती है। जहाँ भी आवश्यकता हो अंचलों/शाखाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और यदि अंचल/शाखा के स्पष्टीकरण से बैंक संतुष्ट नहीं है तो एफआईयू आईएनडी को संदीग्ध संव्यवहार रिपोर्ट दर्ज करती है।

विभाग प्रधान कार्यालय के सभी विभागों के बीच समन्वय करके भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के कार्य की देखभाल करती है। एएफआई रिपोर्टो की जांच की जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वर्ष 2011-12 के लिए एएफआई 28.08.2012 को समाप्त की गई तथा 10.09.2012 को यह रिपोर्ट प्राप्त की गई। सभी विभागों से कार्य बिन्दुओं पर उत्तर/अनुपालन प्राप्त किये गये तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को 09.11.2012 को प्रस्तुत की गई। कार्य बिन्दुओ पर उत्तर/अनुपालन भारतीय रिज़र्व बैंक को 15.11.2012 को प्रस्तुत की गई।

सभी नियन्त्रक एजेन्सियों का बैंक से संपर्क के लिए यह विभाग एकल संपर्क बिन्दु है।

सतर्कता

वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक की सर्तकता व्यवस्था के प्रमुख है। सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारियों/नियंत्रक प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए सीवीओ को ऐसे अधिकारियों की सहायता प्राप्त है जिन्हें अन्वेषण और अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों के साथ-साथ बैंकिंग का ज्ञान/ इन क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है। सतर्कता विभाग, निवारक सतर्कता उपायों के प्रचार-प्रसार का भी ध्यान रखता है। इस संबंध में बैंक द्वारा पॉच स्वतंत्र ''सतर्कता युनिटस'' बनाए गए हैं तथा परिचालनगत जोखिमों का प्रभावी रूप से निपटान हेतु जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक अलग धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग का भी सृजन किया गया है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

धोखाधडी जोखिम प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्य है:

- धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और निगरानी
- धोखाधड़ी पर केन्द्रीयकृत डेटा का रख रखाव
- किए गए तथा प्रयास किए गए धोखाधड़ी का विश्लेषण
- अग्रिम से संबंधित को छोड़कर धोखाधड़ी में निहित रकम का प्रावधानीकरण
- धोखाधडी निवारक पर प्रशिक्षण के जरिए स्टाफ को सुग्राही बनाना।
- बैंक के लिए एफआरएम नीति तैयार करना और क्रियान्वयन करना।
- प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी के टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करना।
- धोखाधड़ी खातों में वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना।

निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा शाखाओं, करेंसी चेस्ट, डिपॉजिटरी सहभागिता कार्यालय में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा तथा राजस्व लेखा परीक्षा की गई और प्रधान कार्यालय विभागों, आंचलिक कार्यालयों, आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई, एलडीएम कार्यालय, आरआरबी में जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई। एफसीए द्वारा 720 स्वदेशी शाखाओं (कोषागार शाखा सहित) तथा संपदा विभाग, प्रधान कार्यालय (केन्द्रीयकृत भुगतान के लिए) तथा आंतरिक अधिकारियों द्वारा 24 विदेशी शाखाओं, कार्ड उत्पाद विभाग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा डाटा सेन्टर की समवर्ती लेखा परीक्षा की गई। बैंक के कुल ग्लोबल अग्रिम का 87.67% तथा कुल ग्लोबल जमा का 69.14% समवर्ती लेक्षा परीक्षा द्वारा पूरा किया गया जबकि नियत स्तर प्रत्येक का 50% है। विभाग ने शाखाओं में लेखा परीक्षा के दौरान ₹ 70.16 करोड़ तक के राजस्व की हानि का पता लगाया जिसमें से ₹ 66.07 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

स्टारबूस्ट योजना के अंतर्गत 3043 शाखाओं के लेखा परीक्षा अपवाद रिपोर्ट (एईआर) निकाले गए और आरबीआईए के अंतर्गत शाखाओं को भेजे गए। यह रिपोर्ट संबंधित शाखाओं को दो महीने पहले भेजी जाती है जिससे लेखा परीक्षा आरंभ होने के पहले शाखाएं आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरु कर सकें, इससे उन्हें अच्छी लेखा परीक्षा श्रेणी प्राप्त करने में सुविधा होती है।

आंतरिक शाखाओं के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा (आंतरिक) और समवर्ती लेखा परीक्षा की नीतियों का उपयुक्त समीक्षा/संशोधन किया गया जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ववर्ती एएफआई द्वारा चिह्नित क्षेत्रों को सुपरिष्कृत कवर किया जाए । वर्ष 2011-12 के लिए बैंक के लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट पर समयानुसार कार्रवाई की गई तथा बोर्ड और एसीबी को अनुपालन समय से प्रस्तुत किया गया। बोर्ड/एसीबी की बैठकों से निकले कार्रवाई मदों के अनुपालन को समय से एसीबी/बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

विभाग द्वारा किए सामान्य लेखा परीक्षा कार्यों के अलावा उच्च प्रबंधन के अनुदेशों/मार्गदर्शन के अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित विशेष कार्य किए गए :

- 'उच्च जोखिम एवं अधिक' रेट की गई शाखाओं में टिप्पणियों/अपवादों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वहाँ विवेकपूर्ण लेखा परीक्षा की गई।
- गैर सम्वर्ती लेखा परीक्षा शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा की गई (लघु एवं मध्यम शाखाओं में वार्षिक तथा बड़ी एवं अधिक शाखाओं में अर्धवार्षिक) और ₹ 6.27 करोड़ के राजस्व लीकेज का पता लगा।
- लेखा परीक्षित शाखाओं में निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का आकलन किया गया (यह कार्य निरंतर आधार पर किया जा रहा है।)
- 839 शाखाओं में 5133 खातों में क्रेडिट ऑडिट एण्ड लोन रिव्यू मेकैनिज़्म किया गया।
- वर्ष 2011-12 हेतु बैंक का लॉंग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट 28.06.2012 को प्राप्त हुआ और उसका अनुपालन रिपोर्ट 27.08.2012 को आरबीआई को प्रस्तुत किया गया।
- विदेशी केन्द्रों के माइग्रेशन ऑडिट का कार्य मेसर्स अर्न्स्ट एण्ड यंग को सौंपा गया है। उन्होंने कीन्या केन्द्र का माइग्रेशन ऑडिट शुरू किया है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उन्होंने जर्सी, एन्टवर्प और पैरिस केन्द्रों में माइग्रेशन ऑडिट शुरू कर दिया है और जर्सी एवं एन्टवर्य की ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वर्तमान में यू.के. केन्द्र का माइग्रेशन ऑडिट कार्य शुरू किया जा चुका है।
- लेखा परीक्षित शाखाओं में निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का आकलन किया गया (यह कार्य निरंतर आधार पर किया जा रहा है)।
- फील्ड स्तर के लेखा परीक्षकों में कौशल अभिवृद्धि हेतु आरबीआईए, फॉरेक्स परिचालन एवं आईटी संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। इनका उद्घाटन आरडी, आरबीआई, भोपाल एवं हमारे बोर्ड के निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं महाप्रबंधक द्वारा किया गया।
- मेसर्स अर्न्स्ट एण्ड यंग को हमारे डाटा सेन्टर के सम्वर्ती लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है और उन्होंने अपनी संस्तुतियों के साथ पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- दिसम्बर, 2012 माह के दौरान मेसर्स केपीएमजी ने बैंक की महत्वपूर्ण आईटी आस्तियों के लिए वीएएण्डपीटी कार्य किया है और मार्च, 2013 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- मेसर्स पैलेडियन नेटवर्क्स प्रा.लि. ने डीसी, डीआर और कोषागार की तिमाही सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट की है और पिछली आईएस ऑडिट के अनुपालन रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- हमारे कार्यालय में राजस्व लीकेज का विश्लेषण/ट्रेन्ड एनैलिसिस करने के पश्चात, एक अग्रसक्रिय उपाय के रूप में हम जेनरिक विषयों पर ध्यान देने हेतु इन्ट्रेस्ट फील्ड की भी जांच कर रहे हैं।
- बेहतर सम्प्रेषण हेतु विदेशी केन्द्रों पर सम्वर्ती लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, वी/सी/टेलि कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाती है।
- आरबीआई निदेशों के अनुसार, कृषि ऋण अधित्याग एवं ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत खातों की विशेष लेखा परीक्षा पूरी की जा चुकी है और उचित स्तर पर रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जा रही है।

महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक ने कार्यपालकों की 36 आंचलिक लेखा परीक्षा समिति बैठकों और उच्च जोखिम रेटिड शाखाओं के प्रमुखों के साथ बैठकों में भाग लिया और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समय पर अनुपालन/बंद किया जाना सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट रेटिंग सुधारने हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान किया।

16 अंचलों में सम्वर्ती लेखा परीक्षकों/आंतरकि लेखा परीक्षकों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक ने लेखा परीक्षा विष्कर्ष परिणामों की समय पर रिपोर्टिंग और रिपोर्टों की समय पर प्रस्तुति पर ज़ोर दिया।

डाटा सेन्टर के लिए पूर्णकालिक इन-हाउस सम्वर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए और उन्हें, अन्य कार्यों के साथ-साथ, इन्ट्रस्ट पैरामीटर्स के सत्यापन, इन्ट्रस्ट ऐप्लिकेशन प्रक्रिया और सैम्पल खातों में ब्याज की जांच करने का कार्य भी सौंपा गया है। सम्वर्ती लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां, अनुपालन हेतु, आईटी विभाग को अग्रेषित की जाती हैं। उनसे प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट, कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति को उनकी नोटिंग एवं आगे निदेश, अगर कोई, हेतु प्रस्तुत की जाती है।

सभी लेखा परीक्षा विष्कर्ष परिणामों पर रिपोर्ट, उच्च प्रबंधन, कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति और एसीबी को प्रस्तुत की जाती है और तत्संबंधी निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

सभी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा खोज पर नियमित रिपोर्टिंग निर्धारित उच्च प्रबंधन, प्रधान कार्यालय (लेखा परीक्षा) उप-समिति तथा एसीबी को प्रस्तुत की जाती है और निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

राजभाषा

बैंक में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने वर्ष के दौरान भारत सरकार, द्वारा जारी वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2012-13 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपने प्रयास जारी रखें। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक द्वारा इस वर्ष के दौरान 12 राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार बैंक ने सफलतापूर्वक विभिन्न ग्राहक संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए। दैनंदिन कार्य हिन्दी में करने की आदत डालने तथा स्टाफ सदस्यों को भारत सरकार की अपेक्षाओं की जानकारी देने के लिए प्रधान कार्यालय में ''राजभाषा जागरुकता कार्यक्रम'' आयोजित किया गया।

दैनंदिन बैंकिंग कार्यों में हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष के दौरान कुल 155 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 3073 अधिकारियों/लिपिकों को प्रशिक्षित किया गया। राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के परिणामस्वरुप बैंक ने विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। बैंक ऑफ इंडिया को रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता - 2011-12 के अंतर्गत 'ख' क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टॉलिक) द्वारा आगरा, पटना, भोपाल, बोकारो, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, सिलिगुडि, कोलकाता, अहमदाबाद, वडोदरा अंचलों और गंगटोक (शाखा) को पुरस्कार प्रदान किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता में हमारे बैंक के दो स्टाफ सदस्यों को पुरस्कार प्राप्त हुए। पंजाब नैशनल बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में हमारे एक स्टाफ सदस्य ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

हमारा बैंक चार शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है और सफलता पूर्वक उन्हें चला रहा हैं तथा पत्रिका प्रकाशित कर रहा हैं। महिला दिवस, हिन्दी दिवस, ई-कामर्स सोल्यूशन जैसे विशेषांकों के साथ प्रत्येक तिमाही में विभाग द्वारा 'संकल्पना' पत्रिकाप्रकाशित की गई।

बैंक की वेबसाइट पर सभी जानकारियां हिन्दी मे भी प्रदर्शित की जाती हैं। एटीएम यूज़र के लिए एटीएम में भी हिन्दी सुविधा उपलब्ध कर्वाई गई हैं।

बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां

इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)

आईजेडबी तीन भारतीय बैंकों, यथा बैंक आफ़ इंडिया ऑफ़ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और जाम्बिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% शेयर पूंजी धारिता है, जबकि जाम्बिया सरकार की शेयर पूंजी धारिता 40% है। इंडो-जाम्बिया बैंक लि. सफल संयुक्त उद्यम का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे दो भिन्न मित्रवत गणराज्यों जाम्बिया गणराज्य सरकार और भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके, इंडोनेशिया

बैंक ने वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय ₹ 3.77 करोड़ का पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके में 76% हिस्सा अर्जित किया। पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके के निदेशक मंडल में बैंक के तीन निदेशक हैं।

बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड

बैंक ऑफ़ इंडिया तंजानिया लिमिटेड पूर्ण रूप से बैंक की अपनी अनुषंगी है जिसने दिनांक 16 जून, 2008 से दार-ए-सलाम में पहली शाखा के साथ परिचालन आरंभ किया है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि.

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. पूर्ण रुप से बैंक की अपनी अनुषंगी है। यथा 31.03.2013 में बैंक का नेट वर्थ ₹ 277.46 करोड़ है। 31.03.2013 को समाप्त वर्ष में बैंक का पीएटी ₹ 1.23 करोड़ है।

बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)

बैंक का केपिटल मार्केट के साथ नौ दशकों से अधिक पुराना संबंध है। 1921 से बैंक द्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का समाशोधन एवं निपटान कार्य किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए बैंक ने 1989 में बीएसई के साथ 'बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)' नामक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। बैंक के पास ₹ 2 करोड़ की अपनी प्रदत्त पूंजी का 51% हिस्सा है।

यह कंपनी एक्स्चेंज में परिचालन करने वाले सदस्य ब्रोकरों द्वारा किए गए सौदों की रोलिंग एवं साप्ताहिक निपटान कर रही है। बीओआईएसएल नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि., (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि., (सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरियों का डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) भी है और यह समाशोधन सदस्यों एवं निवेशकों को डिपॉजिटरी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। बीओआईएसएल देश का ऐसा पहला प्रतिभूति समाशोधन गृह है, जिसे आईएसओ 9001-2000 आईएसओ प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया है।

बीओआईएसएल ने वर्ष 2011-12 में अर्जित ₹ 268 लाख की तुलना में वर्ष 2012-13 में ₹ 67.60 लाख (अलेखा परीक्षित) का निवल लाभ अर्जित किया है।

बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लि. व बीओआई एक्सा ट्रस्टीशिप सर्विसेस प्राइवेट लि.

यह कंपनिया म्यूचुअल फंड व पोर्टफोलियों प्रबंधन के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ इंडिया की इन कंपनियों में 51% की शेयरधारिता है।

एसटीसीआई फाइनेंस लि.

एसटीसीआई लि., देश का एक प्रमुख प्रायमरी डीलर है। इसे सक्रिय सेकेंडरी मार्केट के विकास के माध्यम से गिल्ट एवं अन्य ऋण प्रतिभूति बाजार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 1994 में प्रवर्तित किया गया था। एसटीसीआई जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 380 करोड़ है, बैंक ऑफ़ इंडिया 29.96% धारिता के साथ सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है। यह कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 21 (एएस-21) के अनुसार बैंक की सहयोगी कंपनी है।

इस बढ़ती धारणा के परिप्रेक्ष्य में कि प्रायमरी डीलरशिप अपने आप में कोई आकर्षक व्यवसाय नहीं रहा, एसटीसीआई ने प्राइमरी डीलरशिप कारोबार अपनी नई सहायक कंपनी एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. को देने का निर्णय किया है, जिसने अपना कार्य 25 जून, 2007 से शुरू किया है। इस सहायक कंपनी ने अपना कार्य सावधानीपूर्वक शुरू किया है और तब से नियमित प्रगति की है।

बैंक की सहायक कंपनियों के निर्माण के पश्चात एसटीसीआई ने आईबीओ निधि, मार्जिन निधि, पण्य स्वरूप भावी कारोबार, आस्ति प्रबंधन, लघु अवधि कार्पोरेट ऋण / सीपी में निवेश, इक्विटी कारोबार आदि गतिविधियां प्रारंभ की।

एसटीसीआई का वित्त वर्ष 2011-12 के कर उपरांत लाभ ₹ 46.45 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान कर उपरांत लाभ ₹ 78.81 करोड़ है।

स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ)

बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया एवं दाई-इची म्यूचुअल लाईफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने वृद्धिशील बीमा बाजार का लाभ लेने तथा देश में चारों और फैले अपने ग्राहकों को विश्वसनीय गुणवत्ता बीमा उपलब्ध करने के लिए "स्टार यूनियन दाई-इची लाईफ इंश्योरेंस कंपनी" गठित की है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार प्रारंभ किया है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी में बीओआई का ₹ 250.00 करोड़ का 48% अंश है।

बैंक की धारिता के अतिरिक्त यूनियन बैंक का हिस्सा 26% तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान की धारिता 26% है। संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार बैंक ने अपनी 3% धारिता यूनियन बैंक के पक्ष में पहले ही अंतरण कर दिया है।

महत्वपूर्ण निवेश / गठज़ोड़

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)

यह कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया व अन्य बैंकों के साथ 1997 में प्रवर्तित की गई थी। सीडीएसएल को प्रवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य स्क्रिप्स के डिमेटीकरण की गति में वृद्धि व पूंजी बाजार में निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने और देश की द्वितीय डिपॉजिटरी के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित करना था। सीडीएसएल की ₹ 104.50 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में बैंक का हिस्सा 5.56% है। सीडीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2011-12 में 10% लाभांश तथा 2012-13 के लिए 15% लाभांश का भुगतान किया है।

एएसआरईसी (इंडिया) लि.

कंपनी को यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रूप में प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्रचना कार्यकलाप करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2004-05 के उत्तरार्द्ध में सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया था और तब से कंपनी ने पूर्णरूपेण कार्य करना शुरू किया। वर्तमान कंपनी की ₹ 98 करोड़ इक्विटी पूंजी में बैंक की 26.02% की धारिता है।

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल)

ऋण आसूचना ब्यूरो देश का पहला ऋण आसूचना ब्यूरो है, जिसे बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को ऋण सूचना और जोखिम विश्लेषण सेवाएँ देने के लिए अगस्त 2000 में निगमित किया गया। कंपनी ने अपना उपभोक्ता ब्यूरो परिचालन वित्तीय वर्ष 2004-05 में एवं वाणिज्यिक ब्यूरो परिचालन 2006-07 के दौरान प्रारंभ किए। कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में बैंक की 5% की धारिता है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एमसीएक्स)

एमसीएक्स नई पीढ़ी का राष्ट्रीय स्तर पर वादा ट्रेडिंग करने वाला बहु पण्य एक्सचेंज है। एक्सचेंज ने वित्तीय वर्ष 2004-05 में कार्य प्रारंभ किया एवं अल्प अवधि के भीतर भारत के प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में अपना स्थान बनाया है। अब इसे विश्व के टॉप बुलियन एवं बेस मेटल एक्सचेंज में गिना जाता है। बैंक का एमसीएक्स की पूंजी में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में से हक के साथ सहयोगी होने की दृष्टि से इक्विटी सहभागिता के रूप में 2% का सामान्य हिस्सा है। बैंक बुलियन एक्सचेंज शाखा के माध्यम से एक्सचेंज के बैंक समाशोधन कार्यों को भी संभालता है।

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल)

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. को नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित किया गया है। इसको दिनांक 28.09.2004 को प्रतिभूतियों एवं कमोडिटीज हेतु सुरक्षा, प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए कोलेटरल प्रबंधन सेवाएं प्रोन्नत करने तथा प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था। यह कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड के विकास हेतु विभिन्न सेवाएं तथा सिक्यूरिटिज एवं कमोडिटीज इत्यादि का मूल्यांकन ग्रेडिंग, इन्शुअरिंग, सेक्युरिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रिब्यूटिंग, क्लिअरिंग एवं फारवर्डिंग का कार्य करता है। बैंक की कंपनी इक्विटी पूंजी में 10.17% हिस्सेदारी (₹ 3 करोड़) है। इस तरह यह बैंक को एनसीएमएसएल के साथ अपने संबंधों के चलते उनके सदस्यों और ग्राहकों को क्रेडिट देने का अवसर प्राप्त होता है।

स्वीफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेस प्रा.लि

यह नया उद्यम स्वीफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 8 प्रमुख बैंको द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्वीफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% की धारिता 8 प्रमुख बैंको के पास है। कंपनी में बैंक ऑफ़ इंडिया की ईक्विटी स्टेक 5.63% है। कंपनी का परिचालन आरंभ नहीं हुआ है।

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

एक प्रमुख ऋण स्तरांकन एजेन्सी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। एसएमईआरए का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय स्तरांकन प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण उपलब्धता होगी। बैंक की कंपनी की इक्विटी पूंजी में नाममात्र 4% धारिता है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश

उपर्युक्त सूचीबद्ध मुख्य महत्वपूर्ण निवेश के अलावा एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 25 करोड़) युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 7.50 करोड़), इक्वीफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस लि. (₹ 1.75 करोड़), यूवी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (₹ 15 करोड़), क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (₹ 50 करोड़), एग्रीक्ल्चरल फायनेंस कार्पोरेशल लि. (₹ 12.60 करोड़), सिडबी (₹ 45.30 करोड़), टूरिज्म फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹ 2.67 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लि. (₹ 1.11 करोड़), सीओआरडीईएक्स (₹ 1 करोड़), एसबीआई डीएफएचई (₹ 8.46 करोड़) में भी बैंक का महत्वपूर्ण निवेश है।

बैंक की डिपॉजिटरी सेवाएं

सभी शाखाओं द्वारा कोर बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं दी जा रही है। बैंकिंग सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने तथा डिपॉजिटरी सेवाओं के विभिन्न फायदों को उपलब्ध करवाने के लिए बैंक दोनों यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल डिपॉजिटरी सेवाओं को प्रदान कर रहा है। बेहतर सेवा देने के लिए डीपी परिचालन को मुंबई में केन्द्रीकृत किया गया है। इस वर्ष के दौरान सहक्रिया को प्राप्त करने तथा मानव संसाधन के सही उपयोग के लिए बैंक ने सीडीएसएल, डीपीओ को अंधेरी (पश्चिम) से मुंबई (मुख्य) शाखा के बड़े परिसर में स्थानांतरित किया है।

हमारे डीपीओ में सक्रिय डीमैट खातों को संख्या 31.03.12 में 91,041 की तुलना में यथा 31.03.2013 में 92,293 है। वर्ष 2011-12 के दौरान अर्जित सकल आय 35 लाख की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 39 लाख अर्जित किया है।

स्टार शेयर ट्रेड (शेयर की ऑन लाईन ट्रेडिंग)

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग (ओएलएसटी) स्टॉक मार्केट के निवेशकों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और सौदों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। हमारे ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने और उन्हें माउस क्लिक, फोन पर सौदे करने की सुविधा देने के विचार से बैंक ने एनएसई में सेबी पंजीकृत प्रतिष्ठित ब्रोकिंग कंपनी **असित सी. मेहता इनवेस्टमेंट इन्टरमीडियेट्स (एसीएमआईआईएल) लि.** के साथ गठजोड़ व्यवस्था कर अपने ग्राहकों के लिए बैंक खाता, डीमेट खाता एवं ट्रेडिंग खाता

को एकीकृत कर स्टार शेयर ट्रेड (आनलाइन ट्रेडिंग सुविधा) प्रारंभ की है। ओएलएसटी सुविधा 2005 से उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सुविधा हमारे एनआरआई ग्राहक और आईपीओ भरने के लिए भी उपलब्ध है।

ग्राहकों को अधिक विकल्प देने तथा व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले ग्राहकों तक पहुंचने के लिए इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित तीन ब्रोकिंग कंपनियों के साथ गठजोड़ व्यवस्था की गई है। इस गठजोड़ व्यवस्था द्वारा कई उत्पाद दिए जा रहे है :

- मेसर्स असित सी मेहता इंवेश्टमेंट इंटरमिडियट्स लिमिटेड (एसीएमआईआईएल)
- एजकॉन ग्लोबल सर्विसेज़ (एजीएसएल)
- जीईपीएल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जीसीपीएल)
- कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल)

ऐप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाक्ड एमाउंट (एएसबीए)

बैंक सेबी में स्वयं प्रमाणित सिंडीकेट बैंक (एससीएसबी) के रुप में पंजीकृत है और एएसबीए के अंतर्गत प्राप्त आईपीओ आवेदन (प्रत्यक्ष आवेदन) हमारी नामित शाखाओं द्वारा संसाधित किए जाते हैं। बैंक की स्टॉक एक्सचेंज शाखा आसबा की नोडल शाखा के रुप में कार्य कर रही है। उपर्युक्त नामित शाखाओं के अतिरिक्त अन्य सभी शाखाओं के ग्राहक जिन्होंने इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा ली है वे स्टार कॉनेक्ट रिटेल इंटरनेट बैंकिंग से एएसबीए आईपीओ में ऑनलाइन बिड सह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्नलिखित निवेशक एएसबीए के माध्यम से आईपीओ हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है :

i) **पब्लिक इश्यू में :** क्वालीफाइड इन्स्टीटूशनल बायर (क्यूआईबी) छोड़कर सभी निवेशकर्ता सार्वजनिक निर्गम में एएसबीए के माध्यम से आवेदन करने हेतु पात्र है।

ii) **राइट इश्यू में :** जारीकर्ता कंपनी के सभी शेयरधारक रिकार्ड तारीख पर जारी करते है, बशर्ते कि वह :

   क. डिमेट फॉर्म में शेयर धारण करता हो और पात्रता के लिए आवेदन और/ अथवा अतिरिक्त शेयर्स डिमेट फार्म जारी के लिए आवेदन किया हो

   ख. उनकी पात्रता पूर्ण/आंशिक रुप से त्याग न दी गई हो

   ग. निर्गम का उसने त्याग न किया हो

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

भारत का एक सबसे बड़ा बैंक और सबसे अधिक प्रतिष्ठित बैंक होने के नाते बैंक ऑफ़ इंडिया (बीओआई) ने विविध पहलों की शुरूआत की है। जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के अधिदेशाधीन विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है।

सी एस आर, विविध सामाजिक और पर्यावरणीय दबावों का परिणाम है।

मुख्य रूप से यह श्रम शक्ति और उनके परिवार, साथ ही स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के जीवन से नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से ध्यान हटाने की रणनीति है। इससे बैंक अपने उत्पादों के प्रयोग, कर्मचारी सामर्थ्य, नेटवर्क को मज़बूती देने और कुछ हद तक हाशिये के समुदायों को रक्षणीय परिवर्तन सृजन करने योग्य बना सकता है।

सी एस आर को केवल मानव अधिकार के मानकों के अनुपालन, श्रम और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध लड़ाई, नैसर्गिक संसाधनों का रक्षणीय प्रबंधन और उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए।

इस दिशा में हमारे बैंक ने निम्नलिखित पहलों की योजना बनाई है।

- रक्षणीय समुदाय पहलें
- वयस्क साक्षरता कार्यक्रम
- यूनिवर्सिटी पहलें
- एकेडेमिक इंटरफेस
- ग्राम विकास कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने पूरे देश में अपनी ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से ग्रीनवे स्मार्ट स्टोव क्लीन बायोमास बर्निंग कूक स्टोव को बढ़ावा देने के लिए, जिसने परंपरागत मिट्टि के चूल्हों को बदल दिया है, ग्रीनवे ग्रामीण इन्फ्रा एण्ड सिएटल माइक्रो इनर्जी क्रेडिट (एमइसी) से भागीदारी की है।

किसी भी बैंक द्वारा पहली बार किया गया यह कार्यक्रम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव (एनबीसीआई) का हिस्सा बना है। एनबीसीआई का गठन, 162 मिलियन से अधिक लोगों अर्थात भारत के सभी दो-तिहाई परिवार द्वारा उपयोग किए जा रहे परंपरागत मिट्टि के चुल्हों को सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च दक्षता, कम उत्सर्जन वाले स्टोव से बदलने के लिए हुआ है।

मार्च 2013 तक बैंक ने 13333 कूक स्टोव भारत भर में सुपुर्द किए हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों पर जोर दिया गया था, जहां 2000 कूकिंग स्टोव सुपुर्द किए गये थे। इससे बैंक को कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करने में सहायता मिली। महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा सूखा ग्रस्त है। इस क्षेत्र के गरीब और सीमांत किसानों को बैंक ने अपने खर्चे से पानी जमा करने के टैंक लगाये हैं। ये टैंक सांगली जिले और सोलापुर के कुछ हिस्सों में उपलब्ध कराये गये हैं।

निदेशक उत्तरदायितव वक्तव्य

मार्च, 31, 2013 को समाप्त वार्षिक लेखा की तैयारी में निदेशक पुष्टि करते है कि,

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरुप तैयार लेखा नीतियां समनुरुप से लागू की गई है;
- वित्तीय वर्ष के अंत और 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सत्य और सही परिस्थिति के लिए तर्कसंगत और यथोचित निर्णय तथा प्राक्कलन किया गया;
- भारत में बैंकों के नियंत्रण के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा रिकार्ड अनुरक्षण के लिए सही और पर्याप्त ध्यान रखा गया; और
- 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान' के आधार पर लेखा तैयार किया गया है।

Reaching the Star in Challenging Time

Mrs. V.R. Iyer
Chairperson and Managing Director

Dear Shareholders,

Banking is on the threshold of a change. While the economic scenario is challenging, the regulatory and prudential obligations are also becoming more stringent. Some of them poses a challenge and require a sound balancing act. The financial results for 2012-13 are to be viewed in this context. It is my privilege to present before you the Annual Report of your great institution for the year ended March 31,2013.Your Bank has shown good growth amidst challenging times.

The global economy had shown subdued growth during the major part of the current financial year though some recovery is seen across major markets, of late. There is a renewed surge seen in U.S and Japanese economy and this has resulted in FIIs pulling out funds from emerging markets. As a result BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) markets started losing sheen and it has been replaced by MIST (Mexico, Indonesia, South Korea and Turkey). In a positive development for the US economy, non farm payrolls improved and unemployment rate came down to 7.7%, creating positive signals that US economy will re-enter growth path. However, debates about $ 85 billion of spending cuts are still underway.US trade deficit also widened to $ 444.88 billion as per the latest available data.

However, data from European Union was disappointing with the manufacturing purchasing Managers Index (PMI) at 46.5, well below 50- the borderline situation. The European Central Bank at its meeting on May 2, 2013 cut key benchmark rate by 25 bps from 0.75% to 0.50%.

The sudden crisis in Cyprus has sparked sale of its gold reserves and fears that other PIIGS nations, along with U.K may also follow suit. This has contributed to the steep fall in gold prices and gold fell to $ 1350/oz, before bouncing back a bit. This has led to gold slowly losing its safe heaven status and a hedge status against inflation.

China has maintained its forecast of a 7.6% growth rate for the next financial year. Manufacturing activity in China, the second biggest economy, grew at the fastest pace in more than 19 months, raising hopes that it is on the path towards faster pace of growth. However, this is lower than its trend rate of growth seen during the previous years when Chinese economy grew at the rate of 8% plus. The Chinese economy is expected to rebound as the government increased infrastructure spending and accelerated investment project appraisals.

Growth moderated in the domestic front. The Central Statistical Organization (CSO) has estimated GDP growth at 5% during 2012-13. However, there is significant divergence in estimates between various think tanks on the growth estimates for 2013-14. While IMF and private economists peg the growth rate at 5.7-5.8%, the PMEAC (Prime Minister's Economic Advisory Council) estimates India to grow 6.4% during 2013-14. This comes on the back of improved growth prospects estimated across farm, industry and service segments.

Following the slowdown induced by the global financial crisis in 2008-09, the Indian economy responded strongly to fiscal and monetary stimulus and achieved a growth rate of 8.6 per cent and 9.3 per cent respectively in 2009-10 and 2010-11. However, the Reserve Bank of India (RBI) started raising policy rates in March 2010.

High rates as well as policy constraints adversely impacted investment, and in 2011-12 and 2012-13, the growth rate slowed to 6.2 per cent and 5.0 per cent respectively. Nevertheless, the compound annual growth rate (CAGR) for gross domestic product (GDP), over the decade ending 2012-13 is 7.9 per cent.

The moderation in growth is primarily attributable to weakness in industry which registered a growth rate of only 3.5 per cent, manufacturing sector which was even lower at 1.9 per cent while growth in agriculture has also been weak in 2012-13, following lower-than-normal rainfall. The growth rate of the services sector also declined to 6.6 per cent in 2012-13 from 8.2% during 2011-12.

Despite recovering strongly from the global financial crisis, the domestic economy slowed down due to a host of factors. First, the boost to demand given by monetary and fiscal stimulus following the crisis was large. The result was strong inflation. Second, starting 2011-12, corporate and infrastructure investmens started slowing both as a result of policy bottlenecks as well as tighter monetary policy. Thirdly, the already slowing domestic economy was hit by two additional shocks: a slowing global economy and a weak monsoon at home.

Outlook for FY 2013-14

The world economy is expected to perform slightly better during 2013-14. During 2013-14, domestic economic activity is expected to show only a modest improvement over last year, with a pick-up likely only in the second half of the year. Conditional upon a normal monsoon, agricultural growth could return to trend levels. The outlook for industrial activity remains subdued, with the pipeline of new investment drying up and existing projects stalled by bottlenecks and implementation gaps. With global growth unlikely to improve

significantly from 2012 level, growth in services and exports may remain sluggish. Accordingly, the baseline GDP growth for 2013-14 is projected at 5.7 per cent.

By March 2013, WPI inflation at 6.0 per cent turned out to be lower than the Reserve Bank's indicative projection of 6.8 per cent, mainly due to a sharp deceleration in non-food manufactured products inflation in the second half of the year. The global inflation outlook for the current year appears more benign compared to last year on expectations of some softening of crude oil and food prices. Accordingly, imported inflation is likely to be lower provided the exchange rate remains broadly stable. Indicators of corporate performance, industrial outlook and PMIs are pointing to a declining pricing power. On the other hand, food inflation is likely to be a source of upside pressure because of persisting supply imbalances. Also, the timing and magnitude of administered price revisions, particularly of electricity and coal, will impact the evolution of the trajectory of inflation in 2013-14.

Keeping in view the domestic demand-supply balance, the outlook for global commodity prices and the forecast of a normal monsoon, WPI inflation is expected to be range-bound around 5.5 per cent during 2013-14, with some edging down in the first half on account of past policy actions, although there could be some increase in the second half, largely reflecting base effects.

Bank's performance

- Your Bank posted an Operating Profit growth of 11.42% during FY 2012-13 to ₹ 7458.50 Cr from ₹ 6694 crore during FY 2011-12.
- Net Profit of the Bank for FY 2012-13 rose by 2.69% from ₹ 2,677 Crore during FY 2011-12 to ₹ 2749 Crore during FY 2012-13.The Non-Interest Income during the year 2012-13 registered a growth of 13.39% to ₹ 3766 crore from ₹ 3321 crore during the year 2011-12.
- The Earning per Share (EPS) of the Bank for FY 2012-13 stood at ₹ 47.79 against ₹ 48.98 in FY 2011-12.The Book value per share improved from ₹ 326.52 as on 31st March, 2012 to ₹ 362.37 as on 31st March 2013.
- The Cost to Income Ratio dropped appreciably during the year from 42.47% in FY 2011-12 to 41.69% for FY 2012-13.
- Your Bank's Net Worth increased to ₹ 21621 crore as on 31st March, 2013 from Rs.18759 crore as on 31st March, 2012. Capital Adequacy Ratio (CRAR) stood at 11.02% as on 31st March, 2013 as per Basel II.
- Global Business-mix of the Bank reached a level of ₹ 6,74,808 crore as on 31st March 2013 from Rs.5,69,710 crore as on 31st March 2012, registering a growth rate of 18.45%.
- The Banks' Total Deposits went up from ₹ 3,18,216 crore as on 31st March 2012 to ₹ 3,81,840 crore as on 31st March 2013 or by 20% and Gross Advances went up from ₹ 2,51,494 crore to ₹ 2,92,968 crore as on 31st March, 2013 i.e. by 16.49%.
- CASA deposits rose to ₹ 93800 crore as of 31st March 2013 and CASA ratio was 32.79%.
- The International Operations of the Bank showed robust performance with Y-o-Y growth of 26% in Deposits and 21% in Advances. During the year, the Bank took a conscious decision of expanding the business commensurate with cost effectiveness and profitability.

I am happy to inform that the Board of Directors of your Bank has declared a Dividend at the rate of ₹ 10/- per share (100%) for the year.

Initiatives during FY 2012-2013

Your Bank undertook several initiatives to foster business growth and customer services. The major highlights are:

- 15 Million New Customers were added during the year 2012-13, taking the total Customer base to 68 Million.
- 292 branches were opened during the year 2012-13, taking Domestic branch network to 4292. During the year 2012-13, 453 new ATMs were installed taking the total number of ATMs to 2133 as on March 31, 2013.
- Your Bank remains one of the front runners in the implementation of Financial Inclusion Initiatives. Committed to Financial Inclusion efforts, Bank opened 80 lacs No-Frill accounts. Bank has engaged 5,000 Business Correspondents. Bank achieved 100% Financial Inclusion in 11,300 villages and has a UID enrollment of 150 lacs.
- Bank opened one more branch in Tanzania on 10.09.2012. Subsidiary was opened in Uganda and representative office in Johannesburg has been upgraded to branch in September 2012.
- Bank plans to open subsidiaries in Botswana, Canada and Brazil and also plans to open Representative office in Myanmar
- Banking Through Mobile- (BTM) facility was introduced by the Bank as an emerging alternate delivery channel for funds transfer. This facility allows customers to transfer funds through Mobile phone at any time and from anywhere.
- Your Bank, with a view to serve clients with better Mutual Funds products, plans to re-enter the Asset Management Business. Towards this end, the Bank has finalised a joint venture with AXA Investment Managers, a market leader in Asset Management business.

I wish to place on record the valuable contributions made by the directors of the Board who demitted office during the year namely Shri Alok Kumar Misra, Ex Chairman and Managing Director of the Bank. The Bank has been receiving excellent support and valuable guidance from the Board, the Reserve Bank of India and the Government of India. Our customers and shareholders have reposed their unstinted faith in us. But for the tireless efforts of our committed staff members, these accomplishments would not have been possible. On behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank all the stakeholders and look forward to their continued patronage, guidance and support.

With warm regards,

Date: May 15, 2013 **(Mrs. V.R.Iyer)**

DIRECTORS' REPORT

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

FINANCIAL PARAMETERS

- Operating profit ₹ 7459 crore.
- Net Profit ₹ 2749 crore, recording 2.67% growth over previous year.
- Net Interest Margin (NIM) as on 31.03.2013 is 2.46%.
- Capital Adequacy Ratio at 11.02% as against 10% prescribed by Reserve Bank of India.

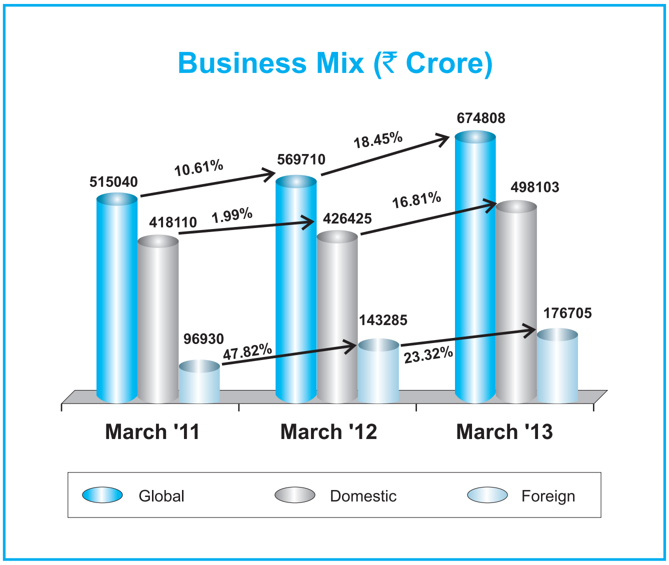

- Net Worth at ₹ 21621 crore grew by 15.26% over March 2012.
- Book Value per share ₹ 362.37 (₹ 326.52 previous year)
- Gross NPA ratio at 2.99%.
- Net NPA ratio at 2.06%.
- Total business (Deposit + Gross Advances) reached at ₹ 674808 crore recording a growth of ₹ 105098 crore (18.45%). Domestic business grew by 16.81% to reach the level of ₹ 498103 crore.
- Total deposits increased by ₹ 63624 crore reached the level of ₹ 381840 crore, a growth of 19.99%. Domestic deposits increased by 18.35% to reach the level of ₹ 294067 crore. Share of low cost deposits in the domestic deposits is 32.79%.
- Gross credit touched ₹ 292968 crore, recording a growth of 16.49% with domestic credit recording a growth of 14.66% to reach level of ₹ 204036 crore.
- Priority Sector lending constituted 37.83% of Net Adjusted Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 15.47%.
- Credit to MSME sector grew from ₹ 30232 crore to ₹ 37230 crore recording a growth of 23.14%.
- Schematic Retail Credit grew by 19.25% from ₹ 14677 crore to ₹ 17502 crore.

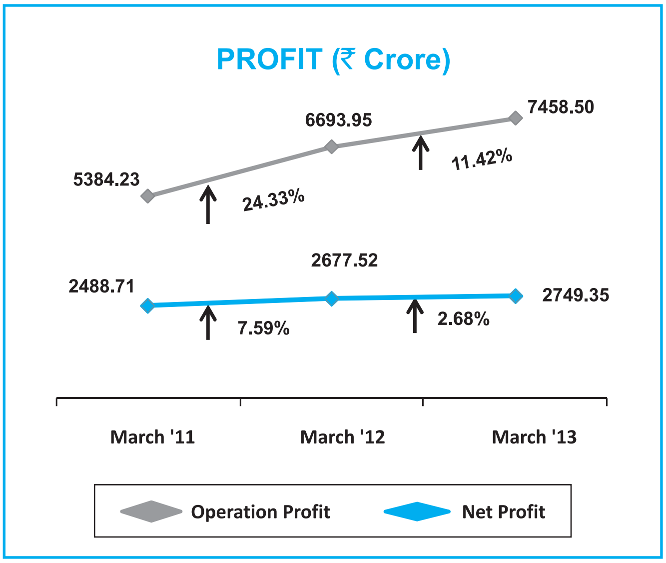

- Export Credit stood at ₹ 9531 crore registered a growth of ₹ 1208 crore, i.e., 14.51% growth over previous year.
- Return on Assets (ROA) is 0.65%.
- Return on Equity (ROE) is 13.62%.

NEW PRODUCTS & SERVICES

- Welcome Kits introduced for NRI Customers opening NRE/NRO accounts at foreign centers.
- As per Finance Ministry guidelines and recommendations, the Bank's corporate web-site (English) has been enabled for persons with Disabilities.
- The Bank has introduced a new format of Savings Bank Passbook (Horizontal Format) which will print all details of the transaction on the same page as against the existing format (Vertical Format) where the details are printed on two pages.
- New facilities introduced for BOI Net Banking user. Fixed Deposit scheme- Star Sunidhi Tax saving with nomination facility introduced. The BOI PPF account holders can now make online deposit.
- Self-operating SB pass book printing kiosk has been introduced.
- As per Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) requirements, the Bank is printing help line number on the passbook & statement of accounts.
- Quarterly consolidated Statement of a/c is sent to the Diamond customers in PDF format via email.
- As a fraud prevention measure, SMS alerts – **Star Sandesh** are generated and provided to all customers who have registered their mobile number with the Bank for all Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ATM/POS); all Debit clearing transactions of ₹ 25,000/- and above; all Customer induced debit transfer & cash payments of ₹ 10,000/- and above; all Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above; all Debit RTGS transactions and acknowledgment on accepting the cheque book issue request.

- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Star eTrade – Online share trading – Integration with Gupta Equities.
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding Bank's Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card Internet banking account.
- Mobile Banking facility is introduced as the latest alternate delivery channel which allows customers to do banking activities virtually from the convenience of the Mobile phone at any time and from anywhere. This facility is extended to all Retail internet banking customers and includes features like Balance enquiry, last five transactions, Cheque status, Funds Transfer & Mobile Payments.
- Online Interbank Fund Transfer across banks, through Star Connect Internet Banking Services, using RTGS / NEFT.
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services / bills.
- e-Payment for Direct & Indirect, Central Excise and Service Tax.
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment.
- Online Payment of Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license fees.
- Online Booking of Railway & Airlines Ticket.
- Online Application for Education loan.
- Provision to make online bid-cum-application for Application Supported by Blocked Amount (ASBA) IPO issues by Retail Internet Banking Customers having account with any DPO.
- BOI-BTM (Banking through Mobile launched).
- DHAN-AADHAR CARD Launched with micro ATM & Biometric pin authentication facility.
- Introduction of Personal Accident Insurance Cover for all No Frill account holders.
- Bank has launched BOI Star Pension Aadhar Card, BOI Privilege International Credit & Debit Cards and RuPayCard as alternate delivery channels.
- For International Travellers BOI Star International Travel Card in US Currency with Visa Affiliation has been introduced.

BUSINESS INITIATIVES

- Presently 52 **Rural Processing Centres** are operational across 33 zones.
- Product Innovation Cells are planned to be opened to explore new territories for penetration in agricultural business.
- All RRBs of the Bank have migrated to Core Banking Solution and are RTGS / NEFT enabled.
- Cash & Fidelity Insurance has been introduced for business correspondent channel.
- 21 Retail Business Centres are operational for quick delivery of Credit.
- Bank has introduced Star Vidhya Education Loan, BOI Star Loan against Property and Star Diamond Home Loan Schemes.
- A total of **100 SME City Centres** are functioning in 50 zones. These centres have been instrumental in reduced Turn Around Time(TAT) for credit delivery.
- The **42 Mid-Corporate** branches are monitored by Seven Divisional Managers across 51 zones.
- Bank has introduced Diamond / Platinum / Gold Customer concept for encouraging SME customers with good track record.
- Bank has launched Composite Loan Product and Demand / Term Loan Products for Medium & Small Enterprises. For SME Entrepreneurs, Star SME Contractor Credit Line, Star SME Liquid Plus, Star SME Auto Express & Star SME Education Plus Loans Schemes have been introduced.
- The **10 Large Corporate** branches are directly monitored by the General Manager from Head Office.
- Lead Management System (Sales Force Automation), to generate, track and monitor leads, is stabilized and functioning satisfactorily.
- A scheme for extending financial assistance at concessional rate of 4% to selected low income groups for productive endeavours under the Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank. The Bank has extended financial assistance to 18806 beneficiaries during the year.
- The Bank has been actively involved in implementation of the **Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS)** and has achieved the target allocated by National Housing Bank for the year. During the year, Bank has sanctioned 15302 cases under GJRHFS.
- The Bank is very active in implementing **Financial Inclusion** extending all banking products and services to all who are currently deprived of these services. So far, the first step towards achievement of Financial Inclusion was opening of No-Frill Accounts and accordingly, the Bank has opened 79.83 lakh No-Frill Accounts during FY 2012-13.
- The Bank is also implementing IT solutions on end to end basis using hand held devices and smart cards. The Bank has issued 11.87 lakh **smart cards.**
- **Project Finance And Syndications Group:** It takes up assignments of technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During FY 12-13 financial closures were amounting to project cost of ₹ 14018 crore and syndicated debt of ₹ 6905 crore.
- Mobile Banking facility is introduced as the latest alternate delivery channel which allows customers to do banking activities virtually from the convenience of the Mobile phone at any time and from anywhere. This facility is extended to all Retail internet banking customers and includes features like Balance enquiry, last five transactions, Cheque status, Funds Transfer & Mobile Payments.
- Established Global Remittance Centre for centralizing some of the activities related to NRI Customers which would hasten turnaround time and product delivery and also enable proactive marketing strategies and grievance redressal mechanism.

AWARDS & ACCOLADES

- The Bank has been awarded as "The Best Bank for excellence in AADHAR related UIDAI programme of Government of India at the hands of Prime Minister at DODU village near Jaipur in Rajasthan"
- The Bank has been awarded the 'Outlook Money Award 2012' for "Best Education Loan" provider.
- Bank has been declared ET's 2nd Most Trusted Brand in India.
- The Bank has been conferred with National Award-2011 for implementing PMEGP scheme in West Zone.
- The Bank has been adjudged Second Rank by Ministry of MSME, New Delhi based on its performance in lending to Micro Enterprises.
- Bank of India received the Winners Award in International Banking Technology Award 2010 from IBA in the best Business Enablement Initiative category.

FINANCIAL REVIEW

FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank recorded an Operating Profit of ₹ 7458 crore, (previous year ₹ 6694 crore). Net Profit stood at ₹ 2749 crore (previous year ₹ 2678 crore).

Net interest income grew by 8.55% due to rise in volume of business mix by 18.45% (from ₹ 569710 crore to ₹ 674807 crore). Non-interest income increased by 13.37% and covered 70.64% of Operating Expenses as against 67.23% in the previous year.

The Financial performance of the Bank for the year 2012-13 is summarised below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2012-13	Growth (%)
Net Interest Income	8,313.43	9024.00	8.55%
Non-Interest Income	3,321.17	3766.04	13.37%
Operating Expenses	4,940.66	5331.55	7.92%
Operating Profit	6,693.95	7458.50	11.41%
Provisions / Contingencies	4,016.43	4709.15	17.24%
Net Profit	2,677.52	2749.35	2.67%
Earnings per share (₹)	48.98	47.79	-2.43%
Book value per share (₹)	326.52	362.37	10.98%
Return on Equity (%)	15.63	13.62	
Return on Average Assets (%)	0.72	0.65	

Some of the Key Financial Ratios are presented below:

(Percentage) (%)

Parameters	2011-12	2012-13
Yield on Advances	9.38	8.87
Yield on Investment	7.69	7.81
Yield on Funds	7.88	7.67
Cost of Deposits	6.01	5.94
Cost of Funds	5.58	5.50
Net Interest Margin (Q)	2.86	2.46
Net Interest Margin (A)	2.52	2.38
Non Interest Income to Operating Expenses	67.22	70.64
Other Income to Average Working Fund	0.92	0.90
Operating Expenses to Average Working Fund	1.37	1.28
Staff Expenses to Average Working Fund	0.84	0.75
Other operating Exp. to Average Working Fund	0.52	0.53
Asset Utilisation Ratio	1.85	1.79
Non-Interest Income to Total Income	10.44	10.56
Non-Interest Income to Net Income	28.55	29.45
Cost to Income Ratio	42.47	41.69

SEGMENT- WISE PERFORMANCE

The Bank earned an Operating Profit of ₹ 7458 crore during the year 2012-13. The contribution made through Treasury operations was ₹ 1222 crore and other banking operations earned a profit of ₹ 6236 crore. The unallocable expenditure net of unallocable income was ₹ 223 crore during the year 2012-13.

DIVIDEND

A Dividend at the rate of ₹ 10 per share (100%) for the year (Previous year ₹ 7 per share), has been declared. The total dividend payment amounts to ₹ 697.09 crore (including dividend distribution tax).

CAPITAL

Net worth of the Bank has increased to ₹ 21621 crore from ₹ 18759 crore during the financial year ending 2012-13. During the year, the Bank has issued 22121957 Equity Shares of ₹ 10 each at a price of ₹ 365.70 amounting to ₹ 809 crore to Government of India.

CAPITAL ADEQUACY

As per Basel II framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio of 11.02% which was higher than the regulatory requirement of 10%.

Details of Capital Adequacy (BASEL II) are shown as under :

(₹ in crore)

Particulars (Under BASEL – II)	31.03.2012		31.03.2013	
	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)	Amount
Tier I Capital	20,230	8.59	23,019	8.20
Tier II Capital	7,916	3.36	7,916	2.82
Total Capital	28,147	11.95	30,935	11.02
Risk Weighted Assets	2,35,466	–	280,637	–

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economic Scenario:

In the current scenario, emerging market and developing economies are doing well but in advanced economies, there is a growing bifurcation between the United States on and the Euro area. This is reflected in the various forecasts. Growth in emerging market and developing economies was 5.3 percent in 2013 and estimated to reach 5.7 percent in 2014. Growth in the United States is expected to be 1.9 percent in 2013 when final data arrives and 3.0 percent in 2014. In contrast, growth in the Euro area is expected to be –0.3 percent in 2013 and 1.1 percent in 2014.

The forecast for negative growth in the Euro area reflects not only weakness in the periphery but also some weakness in the core. The process of devaluation is taking place, and most of these countries are becoming more competitive. However, external demand is not strong enough to compensate weak internal demand. In the Euro area, institutional progress has been made over the past year, in particular on creating a road map for a banking union. The Outright Monetary Transactions program offered by the European Central Bank has reduced tail risks. The interest rates facing borrowers in periphery countries are still too high to secure the recovery and there is need for urgent measures to strengthen banks.

Emerging market economies face different challenges, one of which is handling capital flows. Fundamentally attractive prospects in emerging market economies, together with low interest rates in advanced economies, are likely to lead to continuing net capital inflows and exchange rate pressures in emerging market economies. Capital flows can be volatile, making macroeconomic management more difficult. The challenge for recipient countries is to reduce the volatility of capital flows when they threaten macro or financial stability. In short, recent good news about the United States has come with renewed worries about the euro area, given the strong interconnections between the two.

Outlook for 2013-14

Global prospects have improved again but the road to recovery in the advanced economies will remain difficult. World output growth was 3¼ percent in 2013 and is estimated to reach 4 percent in 2014. In the major advanced economies, activity is expected to gradually accelerate, following a weak start to 2013. Advanced economy policy makers have successfully defused two of the biggest threats to the global recovery, a breakup of the euro area and a sharp fiscal contraction in the United States caused by a plunge off the “fiscal cliff.”

In the short term, risks mainly relate to developments in the Euro area, including uncertainty about the fallout from events in Cyprus and Italy as well as vulnerabilities in the periphery. In the medium term, the key risks relate to insufficient institutional reform and prolonged stagnation in the euro area as well as high fiscal deficits and debt in the United States and Japan. In advanced economies, the right macroeconomic approach continues to be gradual but sustained fiscal adjustment and an accommodative monetary policy aimed at supporting internal demand. The United States and Japan still need to devise and implement strong medium-term fiscal consolidation plans. In emerging market and developing economies, some tightening of policies appears appropriate. This tightening should begin with monetary policy supported with prudential measures.

Domestic economic scenario

According to Central Statistical Organization (CSO) Indian economy grew 5.0 per cent in 2012-13. The growth is on the lower side not only as compared to the recent past but also in the context of growth trends witnessed since 2003-04. The slowdown in the growth of the economy in 2012-13 is mainly on account of industrial sector which grew 3.1 per cent in 2012-13 as against 3.5 per cent in 2011-12 and a lower growth of 1.8 per cent in agriculture sector. Services sector grew at the rate of 6.6 per cent in 2012-13, which is also lower than that achieved in 2011-12. The slowdown in 2011-12 and 2012-13 has been precipitated by domestic as well as global factors, Domestic factors, including the tightening of monetary policy resulted in slowing down of investment and growth, particularly in the industrial sector.

In the domestic front, Inflation did ease in 2012-13 vis-à-vis higher levels prevailing in 2011-12. However, the pace of decline has been slow, denying requisite flexibility to the RBI to undertake sufficient reduction in the policy rates. The Indian economy is expected to register a growth rate of 5.7 per cent in 2013-14 as against 5 per cent in 2012-13. Moreover, with the reform measures undertaken recently along with expectations of improvement in the global economic scenario, there is a possibility of revival of growth in 2013-14.

On the fiscal deficit front, Government is committed to a fiscal consolidation target of 5.3% of GDP. However, the revised estimate pegged the deficit at 5.2% for FY 2012-13. This was achieved through a reduction in Plan expenditure and borrowing programme was also lower at ₹ 5.59 lakh crore for 2012-13 vis-à-vis the Budget Estimate of ₹ 5.75 lakh crore. Government has projected fiscal deficit target for FY 2013-14 at 4.8%.

However, the rising current account deficit is a concern. It was 6.7% of GDP during the third quarter of 2012-13. Exports are declining at a faster pace than imports, leading to widening of the deficit. CAD is likely to touch 6% for FY 2012-13. Declining oil and commodity prices is likely to lower the current account deficit for the ensuing financial year. Inflation is also likely to decline further due to subdued oil and commodity prices.

The recent reform measures undertaken by the Government have started to reverse sentiment. Government undertook long anticipated measures towards fiscal consolidation by reducing fuel subsidies and selling stakes in public enterprises on an ongoing basis. Further steps to increase FDI in retail, insurance and pension sector should contribute to greater capital inflows.

Inflation is also on a falling trend. WPI inflation for April 2013 was 4.9% which is below the 5% RBI target. CPI inflation for April 2013 was also lower at 100 bps lower than March figure at 9.36%. Though there were significant upward revisions in the WPI inflation figure for the month of January 2013 due to lagged effect of fuel price hikes, subsequent month figures may see only a modest revision due to the effect of hike in food prices. However of serious concern is the FY 2012-13 industrial growth which came at just 1%.

Outlook for FY 2013-14

Growth prospects for 2013-14 are expected to be better as compared to 2012-13. However, there is significant divergence in estimates between various think tanks on the growth estimates for

2013-14. While IMF and private economists peg the growth rate at 5.7-5.8%, the PMEAC (Prime Minister's Economic Advisory Council) estimates India to grow 6.4% during 2013-14. This comes on the back of improved growth prospects estimated across farm, industry and service segments.

The Asian Development Bank (ADB) maintained that Indian economy could grow at an improved rate of 6 per cent during the current fiscal, provided reforms are put in place at a faster pace to sort out the structural bottlenecks, stem the deteriorating investment situation and the worsening current account deficit (CAD) is brought under check.

A normal monsoon will boost agricultural GDP growth to an above-trend rate of 3.5 per cent in 2013-14. With the easing of inflation, RBI is expected to cut interest rates by 50 basis points during 2013-14. The likely increase in government spending in the form of higher expenditure on social sector schemes and rural development will be driven by the upcoming general elections. Increased expenditure by the government, lower interest rates, moderation in inflation and high farm incomes will boost household spending and benefit sectors such as consumer durables, hotels and restaurants and financial services. Further improved external demand could raise India's exports, especially in the IT/ITes sector.

Despite higher consumption growth, average WPI inflation is projected to be lower at 6 per cent in 2013-14,as against 7 per cent forecast for 2012-13 on back of normal monsoon, a stronger rupee, and lower crude oil prices.. The downside risks to GDP growth forecast for 2013-14 would stem from a failure of monsoon in 2013 and deterioration in global economic prospects.

Banking industry – developments outlook

The performance of the Indian economy is one of the strongest drivers for the banking industry's growth and vice versa and the average GDP growth of 8.1 per cent expected over 2011–16 will facilitate the expansion of the banking sector. The government policies bringing in monetary stability will also benefit and shield the industry from global economic or political turmoil. The banking sector has outperformed the market from 2010 onwards. A boost in the banking industry is also expected from the rising per capita income in India, which along with a growth in earnings of the country will lead to a higher number of people utilising banking services.

Money supply (M3) growth was around 14.0 per cent during Q1 of 2012-13 but decelerated thereafter to 11.2 per cent by end-December as time deposit growth slowed down. There was some pick up in deposit mobilisation in Q4, taking deposit growth to 14.3 per cent by end-March. Consequently, M3 growth reached 13.3 per cent by end-March 2013, slightly above the revised indicative trajectory of 13.0 per cent. The non food credit for 2013-14 for the banking industry is projected at 15% and deposit growth at 14% on a y-o-y basis.

Nonfood credit growth decelerated from 18.2 per cent at the beginning of 2012-13 and remained close to 16.0 per cent for the major part of the year. By March 2013, nonfood credit growth dropped to 14.0 per cent, lower than the indicative projection of 16.0 per cent, reflecting some risk aversion and muted demand. While the Reserve Bank's credit conditions survey showed easing of overall credit conditions, there was some tightening for sectors such as metals, construction, infrastructure, commercial real estate, chemicals and finance in Q4 of 2012-13.

In consonance with the cuts in the policy repo rate and the cash reserve ratio (CRR) during 2012-13, the term deposit rate declined by 11 basis points (bps) and the base rate by 50 bps. While the decline in the term deposit rate occurred mostly during the first half, the base rate softened by 50 bps to 10.25 per cent on an average in two steps of 25 bps each during Q1 and Q4 of 2012-13. During Q4, 39 banks reduced their base rates in the range of 5-75 bps. The weighted average lending rate of banks declined by 36 bps to 12.17 per cent during 2012-13 (up to February).

Liquidity remained under pressure throughout the year because of persistently high government cash balances with the Reserve Bank and elevated incremental credit to deposit ratio for much of the year. The net average liquidity injection under the daily liquidity adjustment facility (LAF), at ₹ 730 billion during the first half of the year, increased significantly to ₹ 1,012 billion during the second half. In order to alleviate liquidity pressures, the Reserve Bank lowered the CRR of SCBs cumulatively by 75 bps on three occasions and the statutory liquidity ratio (SLR) by 100 bps during the year. Additionally, the Reserve Bank injected liquidity to the tune of ₹ 1,546 billion through open market operation (OMO) purchase auctions. The net injection of liquidity under the LAF, which peaked at ₹ 1,808 billion on March 28, 2013 reflecting the year-end demand, reversed sharply to ₹ 842 billion by end-April 2013.

Financial Inclusion is another area where banks will have a major role to play. A World Bank Survey conducted in 2011 revealed that only 35 per cent of all adults in India had a bank account with a formal banking institution, while this figure stood at 21 per cent in the poorest income quanti le. This represents a massive opening that financial institutions in the country can leverage upon for future growth. Further, the policies of the Reserve Bank have prioritised financial inclusion, presenting an opportunity that might not manifest itself again. The Indian government has advised banks to open at least one branch in villages with a population of more than 2,000, and also cover the peripheral villages. Banks are also required to formulate a board approved Financial Inclusion Plan (FIP), the implementation of which will be monitored by the RBI.

The Indian government aims to further financial inclusion by setting up ATMs and providing mobile/online banking facilities. Further, experts suggest that the number of ATMs need to increase by 5 times in the coming decade. The mobile banking channel in India is also untapped, with close to 900 million mobile connections, and only 400 million bank accounts. These areas open up diverse opportunities for Indian banking industry.

However, there are certain challenges facing banks in India. They are raising capital to adhere to Basel-III standards, asset quality issues and increasing restructuring cases as well as human resource management issues. A McKinsey report suggests that banks in India need to recruit employees with the both core and specialist skills, and control attrition especially at the junior levels. Non private Indian banks will greatly benefit from productivity improvements, such as a re-engineering of the institutions knowledge processes, better use of technology and building industry level utilities

BUSINESS REVIEW

DEPOSITS

Bank's total Deposits increased by ₹ 63624 crore to ₹ 381840 crore during the year recording a growth of 19.99%. The growth in domestic deposits was to the tune of ₹ 45592 crore or 18.35% over previous year.

Non-Resident Deposits of the Bank stood at ₹ 16,688 crore which constituted 5.67% of aggregate domestic deposits.

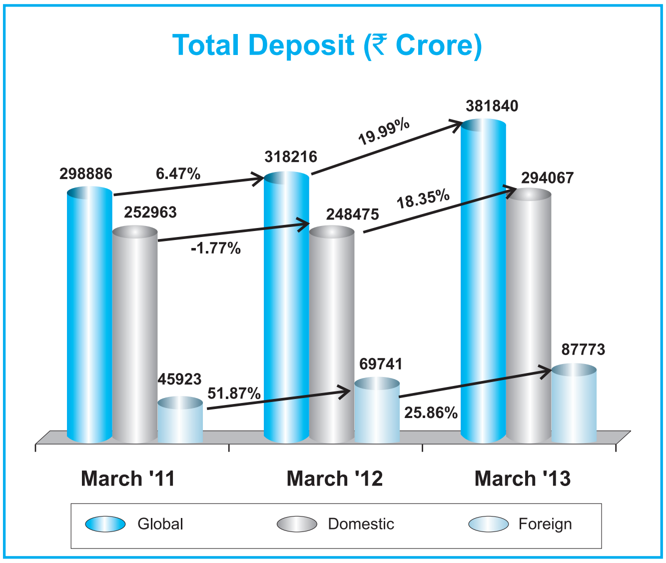

Savings Bank deposits grew by 16.04% and Current deposits logged a growth of 12.01%. The share of low cost deposits comprising of savings and current deposits to total domestic deposits is 32.79%.

The Bank has a well diversified deposit base with 12% of domestic deposits coming from rural areas, 13% from semi urban, 19% from urban and 56% from metro areas. The bank's total clientele base of 65.11 million consisted of 60.38 million depositors and 4.73 million borrowers as on 31st of March, 2013.

ADVANCES

The gross domestic Credit of the Bank registered a growth of 14.66% from ₹ 177950 crore on 31.03.2012 to ₹ 204036 crore. The growth rate in the last year was 7.75%. Robust sanctions / disbursement by Large Corporate, Mid Corporate, SME and Agriculture segments enabled the growth.

Under Large Corporate portfolio, the Bank added 115 new customers and accounts, 10 Corporate Banking Branches, 42 Mid Corporate Branches and 4344 domestic overseas branches continue to cater exclusively to the specialised credit requirement of the Corporate borrowers/exporters.

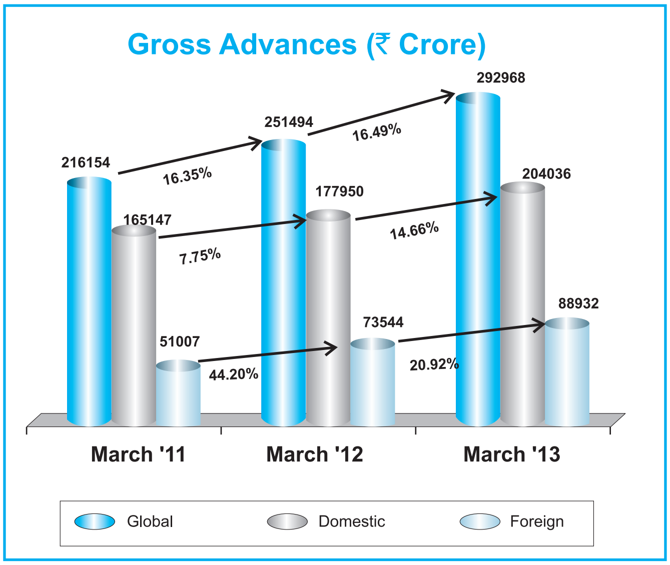

INFRASTRUCTURE FINANCE

During the year, the Bank sanctioned fund based limits of ₹ 11,225 crore and Non Fund Based limits ₹ 2,466 crore under infrastructure projects in new and existing account covering power, telecommunications, ports, roads etc.

EXPORT CREDIT

The Bank is active in meeting the importers and exporter clients' financial requirements both in domestic and in foreign currency. Bank's 215 branches across the country are authorized to handle foreign exchange business and cater to the credit / foreign exchange needs of importers and exporters. The Bank's export credit registered a growth of ₹ 1208 crores i.e. 14.51% increase over March 2012 and reached a level of ₹ 9531 crore as on 31st March, 2013. The share of export credit to adjusted net bank credit as at March 2013 was 5.34%.

Financial requirements of both exporters and non-exporters are met through ECBs at the Bank's overseas branches and Foreign Currency loans at domestic branches. The total amount of such advances as on 31.03.2013 was USD 2203 million (Comprising of ECBs USD 1608 Mn and Foreign Currency Loan of USD 595 Mn) equivalent to ₹ 11,962 crore. The bank also extended pre-shipment and post-shipment export credit in foreign currency and the amount outstanding as on 31.03.2013 was USD 550 Mn. (equivalent to ₹ 3014 crore).

Wholesale and International Banking Group:

LARGE CORPORATE

The Large Corporate segment constituted 48% share in total domestic advances as on 31.03.2013. Advances to this important segment has increased from ₹ 89257 crore as on 31.03.2012 to ₹ 98801 crore as on 31.03.2013.

With implementation of "SANKALP 10,000", Large Corporate Credit set-up has been re-designed for:.

- Separate Large Corporate Vertical has been created to cater to large corporates having sales turnover above ₹ 500 crore and Project Cost of above ₹ 100 crores. In order to have more focused attention and to reduce turnaround time, Credit processing Centre has been set up at each LCB with direct reporting to Head Office. A total of 10 Large Corporate branches are catering to the needs of Large Corporate Customers at major business centers such as Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad and Pune.
- Accounts at Large Corporate branches have been mapped with Relationship Managers who would look after all Corporate needs of the customer for cash management, forex, treasury products, trade finance, deposits, retail banking and third party products and customer will have one point contact through the Relationship Manager for all banking needs.
- Credit business at Large Corporate Branches have been segregated between Relationship Managers reporting to Branch Heads and Credit Appraisal Officers reporting to Credit Team Leader as a measure of Risk Management. Credit proposals processed at Large Corporate Branches are sent directly to General Manager, Head Office, Large Corporate. This has resulted in reduction of turnaround time.
- Bank has put systems in place to monitor pending Proposals / references at Large Corporate branches as well as at Head Office level.

Strategies:

- The Bank, for reducing turnaround time, has developed CAPS module for credit processing.
- Large Corporate branches, apart from meeting the credit needs of borrowers, are now taking care of entire banking needs of the Corporate customers. Large Corporate branches serve as a focal point for corporate clients and to canvass new business.

MID CORPORATE

Mid corporate vertical was established in October 2010 with the sole purpose of meeting all banking related requirements of the customer under a single roof. The purpose of setting up of separate Mid Corporate vertical is to harness the large potential in the segment with offers higher yields with wider risk spread.

Mid Corporate covers new companies with project cost of ₹ 10 - ₹ 100 crores. For existing units sales turn over criteria of ₹ 100 - ₹ 500 crore applies.

Mid Corporate vertical operates through 7 Divisional Offices and 42 Mid Corporate branches. There are 12 Credit Processing Centres (CPC) established exclusively for processing of the proposals.

During the FY 2012-13, total Credit under Mid Corporate vertical grew from ₹ 20470 crore to ₹ 22862 crore registering a growth of 11.69%. Similarly, Deposits grew from ₹ 9359 crore to ₹ 10655 crore registering a growth of 13.85%. Mid Corporate vertical contributes 11.17% of the total domestic Credit and 3.62% of domestic Deposit business of the Bank.

PROJECT FINANCE AND SYNDICATIONS GROUP

Project Finance and Syndications Group of the bank is manned by highly experienced and qualified professionals. It undertakes appraisals of infrastructure and industrial projects.

It takes up assignments of technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During the Year 2012-13 financial closures were done with a project cost of ₹ 14018 crores and syndicated debt of ₹ 6905 crores.

To strengthen the vertical further the bank has recruited Engineers and MBA's from the Industry with diverse experience.

Bank is also acting as Mandated Lead Arranger (MLA) and Joint Book Runner (JBR) for Multicurrency International Syndication loans and arranged loans for Indian Corporates for their expansion / acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

The technical appraisal department, which supports the syndication team, continues to appraise of industrial credit apart from syndicated loans. The team comprising professional engineers, evaluated technology related risks for the year, enabling the bank to improve quality of industrial assets. The operations of the department, translated into a fee based income of ₹ 16.42 crores for the year.

TRANSACTION BANKING

Transaction Banking department is focusing on following 4 business lines, with an intention to make them major revenue drivers for the Bank. They are:

- Cash Management Services,
- Channel Finance,
- Trade Finance, and
- Government Business

For Bank's corporate and HNW clients, cash pick up facility (Door Step Banking) has been put in place at all NBG offices. The initiative has received positive response from target clientele who are relieved from the worries and risks of handling and carrying huge amount of cash to Bank. During the year 2012-13 Bank has made specific marketing efforts and has made liaison Governments of Chhattisgarh (Raipur Zone), Jharkhand (Ranchi Zone), Uttaranchal (Ghaziabad Zone), Assam & Meghalaya (Siliguri Zone) which has yielded good results.

INTERNATIONAL BANKING

The Bank has presence across 5 continents and 20 countries covering all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. As on 31.03.2013, bank has a network of 52 foreign offices which includes 4 Representative Offices, 4 Subsidiaries and 1 Joint Venture.

The Bank has a Global Processing Centre (GPC) at Singapore, thereby improving the Management Information system and the customer service. Bank's foreign operations are being integrated with domestic operations by migrating them to Finacle. Some Centres have already migrated to Finacle platform and it is proposed to migrate the remaining Centres during 2013-14.

Bank has Global Remittance Centre (GRC) in Mumbai. The inward remittances, NRE/NRO Account opening are centralized at GRC. For service to non-resident customers. SMS alerts to remitter as well as beneficiary for remittance from Gulf Countries have been introduced. Straight through processing (STP) for Speed Remittances has been put up in place and viewing facility has been set up for off site account details. The bank has introduced BOI Premium NR Deposit Scheme, Star e-Remit for UK based customers.

As at 31st March, 2013, total deposits at foreign branches stood at ₹ 87,773 crore, registering a rise of ₹ 18,032 crore (25.85%) over previous year. Total advances stood at ₹ 88,932 crore recording a rise of ₹ 15,388 crore (20.92%) over previous year. Investments were at ₹ 4,047 crore. Operating profit of foreign branches for the year ended March 2013 at ₹ 1,181 crore has shown a rise of ₹ 93 crore over previous year. However, Net profit at ₹ 295 crore has decreased by ₹ 332 crore over March 2012. In terms of contribution to global business and profit, foreign branches contributed 26.19% towards global business and, 15.83% and 10.73% towards Operating profit and Net profit respectively for the year ended 31.03.2013.

FOREX BUSINESS

The forex business handled by the Bank has shown good growth. During the year 2012-13, Merchant and Interbank turnover was ₹ 192027 crores and ₹ 608522 crores respectively. The Bank continues to be leading player in the forex market. The aggregate turnover of Banks treasury Branch during the year was ₹ 800549 crores.

TREASURY INVESTMENTS

The yield on benchmark 10 year G sec which was 8.63% as on 31st March 2012 has softened to 7.95% as on 31st March 2013. However, movement of G Sec yields was highly volatile and the same moved within a wide range from 8.68% to 7.82% during the year. The Bank has maintained a higher level of investments keeping a balance between interest income and market risk. The Bank has maintained SLR investments at higher level in excess of the regulatory requirement of 23% of Net Demand and Time Liabilities so that excess SLR can be utilized for the borrowing from Repo / CBLO windows. The gross SLR investments were ₹ 79653 crores (87.01% of total investments) and Non SLR stood at ₹ 11895 crores (12.99% of total investments). The investments are made in accordance with the comprehensive policy in this regard approved by the Board. The

policy is reviewed periodically to respond to market developments/ regulatory requirements.

TREASURY OPERATIONS

The Bank continues to play an active role in all segments of the market- Funds,Forex and Bonds during 2012-13. Taking advantage of the G sec rate movements, Bank has churned its investments portfolio and earned profit from trading and sale of securities. Bank has registered 193% growth in profit from sale of securities in FY 2012-13 as compared to FY 2011-12. Bank has taken advantage of arbitrage opportunity within various market segments and could place the excess rupee funds in Certificate of deposits (CD), buy / sell foreign currency swaps, term money markets there by earning a spread of 0.50% to 1.00%. The Bank has built up a portfolio of ₹ 3446 crores in CDs and also lent ₹ 2471 crores in Term money by borrowing in CBLO/Repo against 'T' Bills and surplus securities thereby earning a spread of approximately 0.50% to 1.00%

National Banking Group (Head Office):

RURAL BANKING

1. Priority Sector Advances:

The Bank has always been one of the leaders in servicing to the priority and agriculture sectors, with its vast network of rural and semi-urban branches and committed personnel. Priority sector advances, apart from presenting a big business opportunity, have wide social ramifications. The Bank has registered an outstanding level of ₹ 65518 crore under Priority Sector which is 36.71% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank could disburse ₹ 17729 crore up to March 2013. The position of priority sector advances under various segments is as under:

(Amount in crore)

	As on 31.03.2013		Growth	
	2012	2013	Amount	Percentage
1. Agriculture	21178	27041	5863	27.68
2. Small Enterprise	25090	28912	3822	15.23
3. Education	2193	2329	136	6.20
4. Housing	5596	6790	1194	21.34
5. Others	–	446	446	–
Total Priority Sector	**54057**	**65518**	**11461**	**21.20**

2. Centralized Processing Centres in focused districts:

Centralized Processing Centres have been established in zones with the objective of augmenting agriculture credit. So far, 52 CPCs are operational.

3. Kisan Credit Cards:

Kisan Credit Card Scheme aims at providing need based and timely credit to the farmers for their cultivation needs as well as non-farm activities to bring about flexible and operational freedom in credit utilization. During the year Bank has issued 474669 new Kisan Credit Cards with aggregate limit of ₹ 4924 crore. The Bank has so far issued 1453132 Kisan Credit Cards (cumulative) involving financial outlay of ₹ 12111 crore.

4. Debt Swap :

Bank has designed 'Debt Swap' Scheme with an objective to help the indebted farmers to redeem their outstanding dues to money lenders and to mitigate acute distress faced by the farmers due to heavy burden of debt from non-institutional lenders at unrealistic interest rates. Bank has made more than 91 villages as money lender free villages and also financed more than 238 beneficiaries.

5. Differential Rate of Interest :

A scheme for extending financial assistance at concessional interest rate of 4% to selected low income groups for productive endeavors under the name Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank. The Bank has sanctioned 18806 cases under DRI Scheme during the year.

6. Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minority Communities :

With focused attention to minority communities, Bank has been extending finance to the minority communities of Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians and Buddhists. During the year 2012-13, Bank has financed ₹ 649 crore to the various minority communities and registered an outstanding level of ₹ 9847 crore as on March 2013.

7. Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme :

The Bank has been actively involved in implementation of the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS) and has achieved the target of ₹ 180.53 crore allocated by National Housing Bank for the year. During the year, Bank has sanctioned 15502 cases under GJRHFS.

Total Priority (₹ Crore)

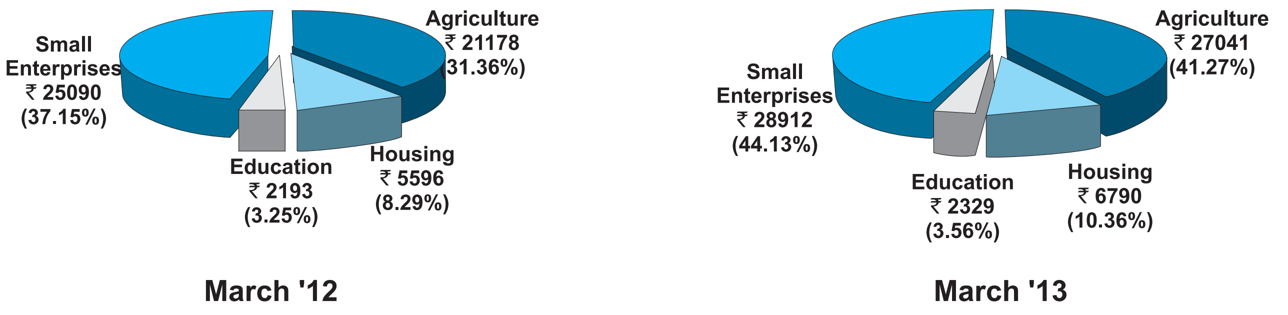

8. Micro Finance / Micro Credit :

The Scheme of Micro Credit has been found to be an effective instrument for lifting the poor above the level of poverty by providing them increased self employment opportunities and making them credit worthy. Bank is having more than 91844 SHGs credit linked with Financial Outlay of ₹ 579 crore. Out of this, more than 79912 women Self Help Groups are credit linked to the Bank having financial outlay of ₹ 431 crore.

9. Solar Energy Home Lighting System :

To address the issues of electricity paucity the Bank has prepared and launched a scheme on Solar Energy Home Lighting System. The Bank extends financial assistance to the prospective borrowers for purchase and installation of Solar Energy Home Lighting System. The Bank has so far sanctioned 1565 units with financial outlay of ₹ 4 crore.

10. Mega project – 140 villages :

The main objective of the scheme is to create awareness and bring urban amenities to rural areas including technology to rural households as available to urban clientele. So far, 147 villages spread over 15 States and 85 districts have been covered under the Scheme. The Bank has financed to the tune of ₹ 19.88 crore under the scheme through 1824 beneficiary accounts.

11. Lead Bank Responsibility:

The Bank has been assigned with Lead Bank responsibility in 48 districts spread over five states of Jharkhand (15), Maharashtra (12), Madhya Pradesh (12), Uttar Pradesh (7) and Orissa (2). The Bank has been successfully discharging its duties of Lead Bank in all these districts. The Annual Credit Plan (ACP) for the year 2012-13 was launched in all the Lead Districts involving credit outlay of ₹ 8809 crore for the Bank. The achievement of the Bank is ₹ 8471 crore which is 96.16% of ACP.

The Bank has now, been designated by the SLBC as the "Lead Bank Convener" in the state of Jharkhand.

FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is integral to the inclusive growth process and sustainable development of the country. There has been a strategic shift in sustainable financial inclusion to the adoption of market oriented approach viewing financial inclusion as a viable business proposition. The paradigm has decidedly shifted from "CSR" to "economic viability". It has been made possible with the availability of ICT based solution to support secure and sufficiently low cost transactions required by the financial sector. The Bank is viewing these prospective banking service users through a prism of opportunity rather than obligation.

The Bank has carved out Financial Inclusion as a new Business Unit headed by a General Manager to drive implementation of Board approved Financial Inclusion Plan. Bank is committed to provide banking services through Business Correspondents and ICT based hand held devices (micro ATMs) to 40160 villages, connect 125 lakh people through Basic savings Bank Deposit Account with in built overdraft facilities to take care of their urgent consumption needs, extend entrepreneurship credit to eligible people to earn their sustainable livelihood, offer mobile based remittance facility to help mainly the migrant labour / self employed to remit money to their family members and facilitate access to Bank's third party products including Micro Insurance amongst other services.

The progress under Financial Inclusion Plan (FIP) as on 31.03.2013 is:-

- No. of Basic Savings Bank Deposit Accounts opened : 79.83 lakh
- No. of Smart Cards issued : 11.87 lakh
- GCC/KCC issued : 17.03 lakh
- Business Correspondents engaged : 4889
- Channel Management Partners engaged : 93
- No. of Villages where 100% FI achieved : 11239

The Bank has achieved 100% Financial Inclusion in all 2992 allotted villages with population above 2000 as on 31.03.2013. Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are being pursued.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs)

With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, the Bank took initiative to form a dedicated trust named **"STAR SWAROJGAR PRASHIKSHAN SANSTHAN (SSPS)"** in 2005. Two SSPS Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) were established at Bhopal and Kolhapur immediately after formation of the trust. Ministry of Rural Development, Government of India found value in the initiative and proposed to support establishment of such Institute in each district of the country to tap the rural BPL youth from the rural hinterland. The formation, nomenclature, sponsorship, management, programme structure, staffing and administration, MIS were defined. Bank was allotted 42 centres to establish institutes. Bank has established 42 such institutes in Jharkhand, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. 39169 participants have been trained and 14534 have been provided with credit inputs from these centres till date.

Bank has planned to upgrade/establish five integrated SSPS (RSETIs) at Ranchi (Jharkhand), Barabanki (Uttar Pradesh), Bhopal (Madhya Pradesh), Pen (Maharashtra) and Belgaum (Karnataka) for extending the scope of SSPS, Rural Self Employment Training institutes (RSETIs) to primary health care, adult literacy, comprehensive financial access, planning for growth, strengthening civil society organizations and environmental sustainability. Bank would like to collaborate with and foster strategic partnerships aimed at bringing diverse resources from the public, private and social sectors to bear on the challenges surrounding these areas.

Financial literacy and Credit Counseling Centres (ABHAY)

Bank has recognized the need for financial education to appreciate the complexities of dealing with intermediaries on matters relating to personal finances on a day to day basis. Further, those who suffer from financial problems due to unmanageable debts also need credit counseling to come out of the repayment obligations, bankruptcy and to learn credit usages and improve their financial management. It is in this background that Bank has opened 5 (five) Credit counseling centres named ABHAY at Mumbai, Wardha, Gumla, Kolkata and Chennai and they are manned by senior and experienced bankers.

By extending the concept of ABHAY, Bank has now opened 51 Financial Literacy Centres as per the guidelines of Reserve Bank of India and NABARD.

In addition to remedial counseling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counseling through media, workshops and seminars are also given. So far 68490 cases of counseling were taken up and disposed off quickly bringing smile on the faces of the distressed people.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored 4 (four) Regional Rural Banks (RRBs) namely Jharkhand Gramin Bank (Jharkhand State), Gramin Bank of Aryavart (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank (Madhya Pradesh State) and Vidarbha Konkan Gramin Bank (Maharashtra State). All RRBs are profit making. All Branches and administrative offices of the Gramin Banks are now on CBS platform. These banks are enabled on RTGS and NEFT and ATM platforms. All RRBs taken together have a branch network of 1252 outlets and have garnered a business mix of ₹ 21398.93 crore.

RETAIL CREDIT

The Bank during the year 2012-13, pursued the policy of building up a healthy retail credit portfolio. The Bank's retail credit portfolio increased from ₹ 19116 crore to ₹ 22350 crore as on 31st March, 2013. During this period the contours of retail credit were also redefined. The bank has established 21 RBC's across major cities of the country to expedite the processing of retail Home Loans / Loan Against Property and also processing of Vehicle Loans and Education Loans proposals- in case of tie-up arrangement. Home Loan segment recorded a growth of (23.03%) from ₹ 8345 crore (March, 2012) to ₹ 10267 crore (March, 2013). The Bank has formulated basic guidelines for entering in to tie-up with builders. In order to ensure that the tie-ups are encouraged only with builders with proven track record, the Zonal Managers have been empowered to enter into tie-ups with builders of repute locally. The Bank is participating in the Central Government sponsored special Interest Subvention scheme to stimulate demand for credit to Housing in the middle and lower income segment as announced in the Union Budget. Education loan portfolio recorded growth of 9.99% increasing from ₹ 2193 crore to ₹ 2412 crore during the year. The Bank has embraced the Interest subsidy scheme, wherein borrowers who have availed education loans during academic year 2012-13 and hailing from Economically Weaker Sections are eligible for education loan interest subsidy from Government of India, Ministry of HRD, through Nodal Bank. The Bank continues to give top priority for extending credit for pursuing higher education under the Star Education Loan scheme. Towards this end, the Zonal marketing teams are constantly entering into tie-up arrangements with local Institutions so that the students' requirements are speedily attended to by the Branches. Bank has also introduced a new product under Education Loan viz. BOI Star Vidya Loan to cater to students seeking admission to Premier Educational Institutions in the country such as IITs/IIMs/NIDs etc.

Vehicle Loan segment also recorded reasonable growth of 12.23% increasing from ₹ 1815 crore to ₹ 2037 crore during the year. The strategy of tie-up arrangement with diverse reputed Auto manufacturers like Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors, Mahindra & Mahindra continues to provide healthy retail leads to augment Autofin portfolio. The growth in respect of major Retail loan schemes was as under:

(₹ in crore)

Scheme	31.03.2012	31.03.2013	Growth	% growth
Star Home Loan Scheme	8,345	10267	1922	23.03%
Star Education Loan Scheme	2,193	2412	219	9.99%
Star Vehicle loan Scheme	1,815	2037	222	12.23%
Star Personal Loan Scheme	692	779	87	12.57%
Star Mortgage Loan Scheme	1,632	2007	375	22.97%

SME

The Bank has created a new vertical for SME business, headed by a General Manager to cater to the specific business needs of the segment. A more inclusive definition for SME business is to include all business activities with a turnover of up to ₹ 100 crores. The vertical will focus not only on credit, but also CASA, Retail. Business, Fee Based Income and Third Party products in the SME segment.

Strategies for SME business growth, as enunciated by the Bank are:

- 21 SME City Centers across 20 Zones formed to act as Processing Hubs for all SME credit business with credit limits above ₹ 1 crore.
- As a risk management measure, Credit Origination and Processing are segregated in the City Centers.
- Dedicated team for credit processing and outbound sales team for lead generation and follow up for business acquisition put in place.
- Credit processes de layered and delegation revised upwards to ensure reduced Turn Around Time.
- New products launched to suit customer requirements in SME segment.
- Simplified Application Form introduced for all SME customers irrespective of the size of limit.(MSE-1)
- Master Check List formulated for obtaining information required for processing customer requests at one go.
- System Generated centralized application register put in place.

Performance of the Bank under MSME

- **Business growth:** MSME Outstanding – ₹ 37246 cr. registering Y-O-Y growth of **24.23%.**
- **Performance under MSE:** MSE Outstanding - ₹ 31932 Cr. registering Y-O-Y growth of 28.55%.
- **Share of Micro sector within MSE** increased from 37.37% as at March 2012 to **49.54%** as at March 2013.
- **Growth in number of micro accounts** stood at 11.45% as against the prescribed target of 10%.
- **Total NPA under MSME** advances marginally decreased from ₹ 2682 cr. to ₹ 2576 Cr. In percentage terms the NPA has decreased from 8.23% to 6.92%.
- **Performance under CGTMSE –** Covered additional 27435 accounts for ₹ 1723.57 Cr. during the year and retained our first position among PSU Banks.
- **Performance under PMEGP –** Sanctioned 8528 cases amounting to ₹ 389.68 Cr.

Strategies for achieving growth under MSME

- Our Bank felicitated TOP 100 SME borrowers who have contributed significantly to SME segment in INDIA SME 100 Awards, 2013 held at Mumbai as AWARDS PARTNER. We have signed an agreement with an emerging NGO "INDIA SME FORUM" as an exclusive presenting partner for all their ground events across the cities throughout the year. Through this we expect to get wide publicity, particularly for our SME Products.
- In order to support the thrust of Govt. of India and RBI for providing more credit to the special category of the borrowers namely S/C, S/T, Women Beneficiaries, & Minority community and inhabitants of North Eastern Regions including Sikkim and Jammu & Kashmir, we have revised fee sharing pattern for CGTMSE covered accounts

- This will not only help in increasing the share of these categories in MSE advance, but will also help the Bank to achieve related targets under social banking.
- We have commenced operation of Specialized MSE Service Cells in all the Lead Districts for catering to clusters of those districts. In all, 45 specialized MSE service cells are operationalized covering 4 states and 135 clusters.
- In order to drive credit growth under micro sector lending and with a view to targeting this segment a new scheme for financing Traders to meet their working capital requirement is devised. The scheme is titled as "BOI STAR VYAPAR". The extent of finance under the scheme is capped at ₹ 200 lakhs.
- Coverage under CGTMSE has been made mandatory in case of all sanctions up to a limit of 1 crore. Such coverage is in lieu of collateral security and guarantee.
- Customization of Credit Products for SME. Various new products i.e. Star SME Liquid Plus, Star SME Auto Express, Star SME Contractor Line of Credit and Star SME Education Plus have been rolled out.
- In order to give fillip to SRTO finance, Bank has signed MOUs with 9 OEMs for finance under tie-up arrangement.
- Bank has introduced unique Web based Module for generation of loan applications for financing commercial vehicles of dealers of Tata Motors Ltd. and Ashok Leyland Ltd.
- At present 21 SME City Centres are functional for exclusively dealing with credit proposals of above ₹ 1.00 crore. Dedicated outbound sales force is posted at SME City Centres to get maximum business from market. During the year ended March 2013, these centers have processed 2046 applications with sanctioned limits of ₹ 6518.82 crores with disbursements of ₹ 4784.97 Cr.
- MOUs with 5 External Credit Rating agencies for conducting credit rating and allowing concession in Rate of Interest for first and Second rated accounts.
- The online application & tracking system for MSME customers is in Place.
- Centralized MSME application registration has been implemented from this year.

  We are recipient of National Award for outstanding performance in implementation of PMEGP Scheme in East Zone for 2012.

REORGANISATION OF THE BANK

Reorganisation of the Bank was completed in the previous year. As part of the reorganization, two separate business groups viz. National Banking Group and Wholesale and International Banking Group were created for focused attention to respective businesses. Each Group is responsible for the performance of various Business Units falling under its purview. Based on the experience gained from working of structures, processes and business focus, further refinement was carried out during FY13. Some of these changes are the following:

- The turnaround time was sought to be further reduced by delinking NBG Branches headed by Asstt. General Managers from specialized processing centres viz. SMECCs and RBCs.
- The Bank decided to increase the focus on mid-corporate business by permitting NBG branches, headed by AGMs, to do mid-corporate business. The strategy behind this move is to enable larger number of branches to solicit such business which was hitherto restricted only to Mid-Corporate branches.

'BRANCH OF THE FUTURE' PROJECT

In the previous year 5 branches were converted into futuristic branches through planned layout and customer friendly equipment for better customer experience under 'Branch of the Future' Project. These pilot branches recorded success which led the Bank to take up another 101 existing branches for conversion as 'Branches of the Future'. All these branches have been successfully rolled out during FY 13. Some of the key differentiating elements of 'Branches of the Future' are the following.

- The interiors of these branches have been aesthetically laid out creating large customer area with sufficient seating arrangement.
- Distinct front office and in-branch back office have been created for quick turnaround time of transactions.
- Customer empowerment has been attempted through self-operated passbook printing kiosks.
- Queue Management System (QMS) is being used for managing front line customer facing activities in a more organized manner.
- New roles and responsibilities have been defined for members of the branch team to achieve greater sales push and customer satisfaction.
- Training for better customer management and cross selling has been provided to staff working at these branches.

Customers of these branches are delighted with the makeover and new processes. The overall efficiency of branch operations has improved as a result of this initiative. Customer acquisitions and business leads are also picking up significantly at these branches.

REVIEW OF OTHER PRODUCTS & SERVICES

IT Enabled Services

The Bank is offering Five types of Credit Cards to select from to the customers. The Bank also has Two affiliate banks viz. Bank of Maharashtra and Tamilnadu Mercantile Bank Ltd. issuing Credit Cards under the brand name "India Card". During the year Issuing turnover witnessed a growth of 11.34% and stood at about ₹ 391.44 crore and acquiring turnover witnessed an increase of 1.57% and stood at ₹ 314.13 crore.

Acquiring turnover on debit cards witnessed a growth of 50.06% and stood at ₹ 1147.05 crores.

The Bank is also offering Five types of Debit cum ATM cards. Total Debit Cards issued as on 31.03.2013 stood at 136.03 lakh comprising of 39.49 lakh Starlinks International ATM cum Debit Cards (Visa Electron), 90.61 lakh BOI Global Debit cum ATM cards (MasterCard), 0.03 lakh Platinum Debit Cards (MasterCard), 0.12 lakh Gift Cards (Visa Electron), 1.80 lakh Bingo Cards.

SMS Alerts – Star Sandesh

As a fraud prevention measure, SMS alerts are generated and provided to all customers who have registered their mobile number with the Bank for

- All Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ATM/POS).
- All Customer induced debit & credit transactions of ₹ 10,000/- and above.

- All Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit RTGS transactions.
- Acknowledgment on accepting the cheque book issue request.
- Alerts for installment due in Star Autofin & Housing Accounts.

Internet Banking:

A fast and secure internet banking facility is available to customers for utility bill payments, air & rail ticket booking, on-line shopping, inter-bank and intra bank fund transfers, etc.

Bank of India is the first PSU Bank in India to implement Two-factor Authentication (2FA) – Star Token for both Retail and Corporate internet banking customers as an additional security measure. Bank's customers enjoy the convenience of "secured" Anytime, Anywhere, Anyhow hassle free Banking from the comfort of their homes and offices with a click of a mouse.

Some of the features available are:

- Online Interbank Fund Transfer across banks, through our Star Connect Internet Banking Services, using RTGS / NEFT facility
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services / bills
- e-Payment of Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment
- Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license fee Online e-Payment
- Online Booking of Railway & Airlines Ticket
- Online Application for Education loan
- On Line facility available to View and Apply Application Supported by Blocked Amount (ASBA) for IPOs from Internet Banking
- Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit.
- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding our Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card & Internet banking account.
- Online Nomination facility while creating online Term Deposit Receipt as well as for existing Term Deposit Receipts.

Automated Teller Machines (ATMs):

The Bank has joined National Financial Switch (NFS) which enables Customers to access more than 85,000+ ATMs across the country. Bank is also part of Cash Tree, BANCS & SBI Group networks. As on 30th April, 2013 we had 2,226 ATMs out of which 439 were under Ministry Of Ministry and the rest 1,787 were under Phase VI.

IT Enabled Services:

In the process of the ambitious growth plan of the Bank, under Sankalp 10000 initiatives,

- Internet Banking: Retail Customers and Corporate Customers
- Mobile Banking:
- ATMs
- Card Products: Debit Cards, Credit Cards, Bingo Cards, Gift Cards
- BOI Star Reward Program
- E-Commerce Facility
- E-Pay Facility
- Demat

Bullion Banking

Bullion Banking was introduced by the Bank in November 1997. Initially the scheme was introduced at SEEPZ and Ahmedabad branches and was subsequently introduced at other branches. As on date although 9 branches are authorized to undertake bullion business only 3 branches are undertaking bullion business. The gold is procured on consignment basis for catering to the needs of the jewellery exporters and domestic manufacturers. The Bank sold 11,668 Kg of gold in the year 2012-13, with a turnover of 3,485 crore, thereby earning an income of ₹ 20.34 crore. The increase in the earnings during the year was 21.51%.

STAR CASH MANAGEMENT SERVICES (STAR CMS)

The Bank has active presence in CMS space but the CMS operations have been revamped by adopting latest state of the art Web based technology. The Bank has also entered into Correspondent banking arrangement with other Banks. Due to switch over to the WEB based software on ORACLE platform the Bank is well positioned to handle any number of transactions.

The Bank has a separate department for CMS at Head Office which monitors and controls the overall functioning of CMS. It is under the direct control of the General Manager (Transaction Banking). The CMS HUB located at M.G. Road, Mumbai takes care of the operational side of the initiative. The Bank has over 4000 branches which are operating on CBS platform across more than 1000 cities and towns. All these branches can canvass for CMS clients for availing various CMS services.

Product-wise Capabilities

a. Local Collections:

The STAR CMS has the capability to provide location-wise daily MIS for realizations and returns. The Bank can also provide detailed listing of returns by encrypted e-mail and if required hard copy can also be mailed to the customers.

b. Bulk Collections:

Bulk collections are offered at ALL locations covered under local collections, but with prior approval since modalities/systems are to be enabled. Soft copy of the details is needed for direct data upload for all Bulk collections.

c. Outstation Collections:

Day arrangements range from Day 0 – Day 21; which are always center specific. These vary for local and up country cheque collection centres.

d. Physical Cash:

Physical cash can be absorbed at all locations being offered for cash management; this facility is being rolled out under Door Step banking initiative. Day arrangement will be T + 1 day.

e. Payments:

Positive pay facility is available across all locations for drafts drawn on the Bank. The Bank has the facility for Bulk Printing of drafts/ cheques and the locations can be fixed as per requirements.

f. Electronic Settlements:

The Bank has system capabilities to offer Direct Credit and Direct Debit facility. In case of Direct Debits, mandate verification is must. TAT will depend upon the location.

g. Other additional services:

The Bank is open to offer services at its branches for collection of application forms for NFOs and Right Issues.

THIRD PARTY PRODUCTS

Tie-up for Life Insurance:

Bank continues its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture Life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. for sale of their life insurance products. Bank has around 1600 employees to act as 'Specified Person' for sale of insurance products in various centres.

During the current financial year, bank collected premium of ₹ 465 crore (Number of Policies – over 96,000) and contributed to more than 55% of the total new business of the Joint Venture company.

Bank continues to offer optional life insurance cover to our Star Home Loan and Star Education Loan borrowers under Group Policy wherein the borrowers pay reduced premium for life cover.

Tie-up for General Insurance (Non-life) with National Insurance Co Ltd. (NICL):

The existing tie-up arrangement with NICL was converted into Corporate Agency Distribution Model in compliance with IRDA revised guidelines covering Bancassurance Business with Distributors like Bank. Bank has a co-branded health insurance product – **BOI National Swasthya Bima,** which is a Family Floater Mediclaim Insurance Cover available only for Bank of India account holders, for a very low premium. The coverage is for the Account Holder, Spouse and Maximum of 2 Dependent Children. Entire family (Account holder, his/her spouse and their two dependent children) is covered to the extent of sum insured in as much as part of the sum insured can be availed at different times by family members. It has been a popular product and as on 31.03.2013 over 1.42 lakh Bank of India Account holders have taken this policy.

The total premium collected by the Bank for NICL during financial year 2012-13 has been ₹ 155 crore which earned a commission of ₹ 15.07 crore.

Mutual Funds Products:

Our Bank continues to be a shop for all financial needs of the customers and we distribute Mutual Fund products of the following 10 Asset Management Companies, viz., BOI-AXA Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, DSP Black Rock Mutual Fund, Franklin Templeton Investments, HDFC Mutual Fund, IDFC Mutual Fund, ING Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Reliance Mutual Fund and UTI Mutual Fund.

ASSET RECOVERY & NPA MANAGEMENT

The Bank continues its drive and focus in improving its performance in the area of NPA management in the year 2012-13 as well. Reduction of NPAs is given utmost priority at the Bank and this function has steadily grown in importance. Substantial measures were initiated to augment recovery and contain NPAs. Efforts were also made to maximize recovery in written off accounts and uncharged / unrealised interest in NPA accounts which contributes to the Bank's profits significantly.

The following table shows management of NPAs during last 3 years:

(₹ in crore)

Item	31.03.11 (Actual)	31.03.12 (Actual)	31.03.13 (Actual)
GROSS NPA (Opening)	**4,883**	**4,812**	5894
Less:			
Cash-Recovery	895	1,205	1245
Upgradations	1,038	487	759
Write-off	881	2,415	2415
Agr. Debt Waiver/Debt Relief Scheme 2008	0	0	0
Total Reduction	**2,814**	**4,107**	**4419**
Add:			
Slippages	2,908	5,401	7379
Less Unrealised Interest (URI)			
(introduced from F.Y 2009-10)	166	212	89
GROSS NPA (Closing)	**4,811**	**5,894**	8765
Recovery in W/Off A/cs, UCI/URI	383	672	1051
Net NPA	**1,945**	**3,656**	5947
% of Gross NPA to Gross Advances	**2.23**	**2.34**	2.99
% of Net NPA to Net Advances	**0.91**	**1.47**	2.06

During the year, on bid and Portfolio basis the Bank under took sale of impaired assets worth ₹ 8.25 crore on Cash basis to Asset Reconstruction Companies.

To boost recovery in small and soft impaired (NPA) accounts, Bank launched special drive for recovery in small loan upto ₹ 10.00 lakh.

Bank has made recovery of ₹ 667.18 crore under the special drive during the year.

Recovery Camps and participation in LOK ADALAT for speedy resolution of small NPAs has also been undertaken in a big way at the Zones. The Bank has made recovery of ₹ 581.56 crores through LOK-ADALAT and Recovery Camps.

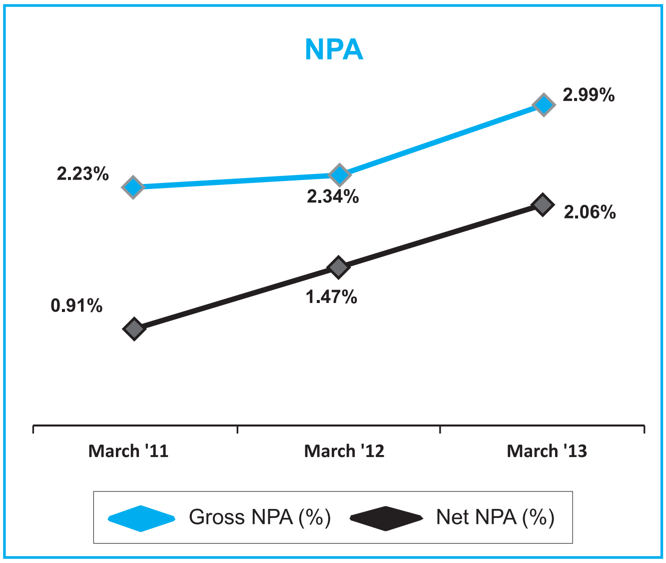

CREDIT MONITORING:

The need for an accentuated focus on Credit Monitoring for a robust and healthy credit portfolio, in the present economic scenario cannot be denied. The gamut of functions undertaken by the Credit Monitoring Department of the Bank has expanded over the years and assumed critical importance in the Bank's endeavour to maintain sound asset quality.

- Monitoring is being done through various system generated reports on weekly / fortnightly / monthly basis. The breakup of overdue / out of order position of accounts in various time buckets assists in control and monitoring of credit assets. These reports are being effectively utilized to track and avoid delinquency.
- Monitoring of slippages in small ticket advances pose a challenge due to sheer enormity of their numbers. To address this issue, during the fiscal 2012-13, the Bank took the initiative of introducing 'Collection Cells' at zonal centres. In all loan accounts including KCC accounts, a system generated advance intimation from Zonal Office is sent to the borrower, 10 days prior to due date, a system generated advance intimation from Zonal Office is sent to the borrower, informing the due date and amount of installment. In case the installment is not paid on the 15th day from the due date, regular follow up is made by the branch officials till such time the overdue is paid off. In case of accounts above ₹ 10 lakh, Task Force Meeting (TFM) is arranged with Zonal Head. The Advance intimations pertaining to Rural and Semi Urban branches is written in local language.

Tools utilized for efficient monitoring and control process:

- Inspection of the assets charged to the Bank for ensuring end use of funds is undertaken at regular intervals. Adequate insurance of charged assets held in force, is given prime importance for safeguarding the Bank's exposure.
- Periodic Stock & Receivable Audit is another important tool used to safeguard quality of assets charged to the Bank which is carried out by empanelled Chartered Accountants.
- Credit Process Audit (CPA), prior to release of funds by the Bank, ensures compliance of all terms of sanction and other covenants.
- Zonal Credit Monitoring Committee meetings are conducted at all Zones wherein issues relating to big ticket advances are dealt with.
- The advances showing inherent signs of weakness such as out of order position, inability to meet commitments under Letters of Credit / Bank Guarantees, timely review, etc. which pose a threat to Bank's asset quality, are followed up by extensive usage of Video Conferencing facility / discussions at various platforms thereby sensitizing all concerned.
- Critical analysis of delinquencies in advances within a short period of their respective sanctions (quick mortality cases) is made and remedial action is taken, wherever necessary. Additionally, accountability is examined in all delinquent assets, more particularly under quick mortality.
- The classification of advances is in accordance with the prevalent IRAC norms. Advances which display signs of stress / temporary aberrations albeit having financial / economic viability are restructured in line with the prevalent guidelines / instructions issued from time to time by the regulatory authority. Calculation of Diminution in Fair Value and provision thereon is done at the Head Office level in respect of all restructured advances of ₹ 100 lakh and above.

BRANCH NETWORK & EXPANSION

The Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. The Bank had 4000 branches in India as on 31.03.2012. In the foreign countries, 48 branches and 4 representative offices keep Bank's presence felt in all time zones and important financial centers of the globe.

During the year 2012-13, Bank opened 292 new branches including 02 Extension Counters converted into full-fledged branches.

Composition of Bank's Branch Network is as follows :

Category	31.03.2012		31.03.2013	
	No. of Brs.	% to Total	No. of Brs.	% to Total
Metropolitan	722	18.05	787	18.34
Urban	709	17.72	742	17.29
Semi-Urban	1078	26.95	1165	27.14
Rural	1491	37.28	1598	37.23
Total Branches	4000	100	4292	100

Falling in line with RBI liberalized policy of branch authorization, some branches were shifted to alternate sites and Extension Counters showing good performance and those with locational advantage, were converted into full-fledged branches. It is intended to continue this policy for the coming year as well. RBI has further liberalized its branch authorization policy w.e.f. 29.11.2011 allowing banks to open branches in centers having population below 1,00,000 (enhanced from 50,000 to below 1,00,000) without obtaining prior approval from them. The Bank availed the opportunity and authorized zones to open branches under this category in 322 centers.

POSITION AT A GLANCE

At the year end	31.03.2012	31.03.2013
Number of branches	4049	4341
Foreign	49	49
Indian	4000	4292
Of which :		
Metropolitan	722	787
Urban	709	742
Semi-Urban	1078	1165
Rural	1491	1598
Computerised Branches		
Fully computerised	4000	4292
Partially computerised	–	–
Specialised Branches	271	271
Extension counters	43	42

The Bank has 271 Specialised branches catering to the specific financial requirements of various categories of customers in the domestic market. Break-up of such branches is given in the following table:

	Categories of Specialised Branches	31.03.2012	31.03.2013
1.	SME Branches	100	100
2.	Overseas Branches	03	03
3.	Corporate Banking Branches	----	---
4.	Large Corporate Banking Branches	13	10
5.	Mid-Corporate Branches	41	42
6.	N.R.I. Branches	06	06
7.	Recovery Branches	13	15
8.	Commercial & Personal Banking Brs.	26	26
9.	Treasury Branch	01	01
10.	Housing & Personal Finance Brs. @	25	24
11.	Government Business Branch	01	01
12.	Bullion Banking Branch	----	01
13.	Service Branches	41	41
14.	Centralised Pension Processing Branch	01	01
15.	TOTAL	271	271

@ – Including Retail Business Centers (RBC's)

MARKETING

Marketing has been an important focus in this Bank for acquisition of new customers and create a set of customer centric processes for enhancing value for them.

The Bank has placed Marketing Team in all the zones for mobilizing Deposits, Retail & SME advances, De-mat Accounts, Card Products, IT Enabled Products and Services, sale of Third Party Products and Gold coins to name a few. The marketing staff are placed / attached to the branches / Zonal Offices and are working under the Head Marketing placed at Zonal Office (ZO).

The Bank has also placed separate Marketing Teams at Retail Business Centres (RBCs) for mobilizing retail loans, SME Centres for mobilizing SME Loans and has created TASC Teams for mobilizing TASC (Trusts, Associations, Societies and Clubs) Business.

To strengthen the marketing Team, the Bank has recruited 430 Marketing Executives during the last three financial years. During the current year the bank has recruited 234 Marketing Executives. As on 31st March, 2013, Bank has over 500 proactive and trained marketing personnel for focused marketing efforts.

Detailed guidelines defining Roles & Responsibilities of Marketing Head, Marketing Staff (ZO / Branches), their annual target, Monitoring & performance tracking of marketing staff has been formulated and implemented during the year.

Major Initiatives during 2012-13

- **Training:** Arranged workshop at MDI (Management Development Institute), Belapur for the Heads of Marketing from all the Zones. We have also initiated conducting of workshops for the newly recruited Marketing Executives to sensitize them on their roles and responsibilities and provide them inputs on marketing. Four workshops have been conducted at STC Noida, MDI Belapur, STC Chennai and STC Kolkata covering all the marketing Executives from five NBGs (National Banking Group) which were addressed by our Top Executives.
- **On the Job Training:** For acquiring knowledge of branch functioning, finacle system and operational exposure at branches, the newly recruited Marketing Executives were posted in a branch for a period of 6 months.
- **Lead Management System:** The LMS software package has been made mandatory for all marketing staff of the bank. The system effectively captures, monitors, tracks, closes and analyses the leads generated at various levels. Workshops have been conducted for the key officials from select Zones.
- **Campaign /Initiatives:** Various campaigns / initiatives have been launched for CASA, Retail Term Deposits, Gold Coins and Retail Loans to garner business for the bank. Reward & Recognition programs have also been launched for various Third Party Products during the financial year.

Publicity & Public Relation

This year our Publicity & PR Department had executed the multi-media Corporate Campaigns specifically designed to enhance the visibility of our Bank's Brand Image & Promote bank's retail products down the line at Pan India under the able guidance of Top management. In order to execute the media plan, the foundation of our approved theme "Relationships beyond banking" has been continued. The famous Corporate TVC (piggy bank, couple, friends, closing time, bus etc) have been aired through various Radio and TV channels. The campaign has propel the promotion of our Bank's products Housing Loans, Auto Loans, SME loan , Education Loans, Vyapar Loan, and ITES through Print media i.e. publishing various ads in major national and regional dailies. The same theme was further carried forward for OOH activities on hoarding at prominent places in metro and other centers, Railway and Air port locations have been used. This campaign initiative have reportedly garnered good mileage and enhanced the corporate image besides promoting & establishing the Bank Products. Apart from the campaign department is involved in giving due publicity to our retail products activities such as to invest in real estate, buying cars, consumer durables, buying gold and jewellery on occasion like Akshay Tritiya and festival/ auspicious days.

The department has sponsored various events to increase the visibility of the Brand Sponsorship some major events like Great Sarovar Run -2013 at Calcutta, Gold Partner Sponsorship of FICCI-IBA conference "Sustainable Excellence through engaged customers, employees and right use of technology" held from 4th to 6th September, 2012, Sponsoring for Participating in SWIFT International Banking Operations Seminar (SIBOS) - 2012 at Osaka, JAPAN from 29th October – 1st November, 2012, Sponsorship for the 35th World Diamond Congress (WDC) at Mumbai, Sponsorship of fully equipped Van (Mobile Dental clinic) to Society for Cancer in Oral-Cavity Prevention Through Education (SCOPE), Hyderabad, Lucknow Zone Sponsorship of the Cultural programme – Deva Mahotsav (Janpad Barabanki), Rajasthan Zone, Jodhpur Branch.Title Sponsorship of the Mega event – IGNUS-13 of the Premier Institute of IIT Jodhpur. Sponsorship of Mega Cultural Evening of Lucknow Mahotsava from 26th November to 6th December, 2012 at Khetriya Park, Sector – L, Ashiyana Lucknow, International Cricket match at Ranchi, "India SME Forum". Celebrating SME achievers of 2012 as exclusive Presenting Partner and many other activities have been done by us for increased visibility of the Bank.

In hoarding activities, displaying of hoardings at prominent places in metro and Pan India to enhance our Brand Image and other products at various places such as, display of Hoardings (Neon Sign) at Haji Ali (40' X 20') symbolic sign at heart of sea in Mumbai, the display of hoardings at New Delhi Hyderabad, Bangalore – Airports, and various railway stations and others places have been undertaken by us.

OPERATIONAL EXCELLENCE

Commitment towards Customers

The Bank reiterates its commitment to customer service through customer centric approach to achieve the goals set under SANKALP 10,000.

Major Initiatives:

- **Training:**

  Sales Force and Relationship Managers are being provided training from time to time either at the Training Centers or at Zonal Office. During the current year, Bank has arranged training for all the Heads of Marketing, Sales Force and RSMs from each zone at MDI, Mumbai during the year.
- **Sales Force Automation (SFA) Package:**

  Bank has launched IT enabled software package called Sales Force Automation (SFA) i.e. Lead Management System. The system effectively captures, monitors, tracks converted leads and analyzes the leads generated at various levels. The system will also be used for administering the incentive scheme as well.

- **Quick Wins Campaign:**

  Massive Contact Programme to meet Diamond Customers. The Campaign was launched in Centres for contacting Diamond Customers, updating their data, KYC compliance, opening of new value accounts, cross selling of various Bank's products and Third party Products. During the campaign, over one Lac Diamond Customers are contacted.
- **SUD Life Campaign** was launched in all 50 zones for marketing of Life Insurance products.

The Bank has with a view to enhance its corporate image and identity, initiated media campaigns on the existing theme "Relationships beyond Banking". Towards this end three TVCs were produced in line with the Relationship theme viz. Old Couple, Friends and Bus which were aired on both National as well as Regional Channels.

CHANGE MANAGEMENT OFFICE

OPERATIONAL EXCELLENCE

Commitment towards Customers

The Bank reiterates its commitment to customer service through a customer centric approach to achieve the goals set under SANKALP 10000.

The Bank has been a voluntary member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since its inception in 2006, to emphasise its customer orientation and commitment to provide service of a high order in a transparent manner, supplying the customer with the necessary information to take an informed decisions. BCSBI revised Code 2009 was also adopted by the Bank and displayed on the website. Copies of the revised code are distributed among customers for their information.

The Bank has adopted various revised customer centric policies formulated by IBA – like Deposit Policy, Cheque Collection Policy, Grievance Redressal Policy, Compensation Policy, Recovery of Dues and Security Repossession Policy, Simplified Procedure for Settlement of Dues in Deceased Depositors Accounts and Delivery of Contents from Safe Custody and SDV Lockers in case of Deceased Constituents.

- A short film on desired staff behaviour shot entirely within the Bank premises is being shown to the participants attending training courses conducted at Staff Training Centres all over India.
- Root cause analysis of complaints is being done at half yearly intervals to identify problem areas and initiate corrective steps at the Head office level.
- Zonal Offices have also been authorized to carry out root cause analysis and to reduce the grievance redressal time, identify critical areas, take prompt corrective steps at their level if possible or to escalate the same to head office and thus help enhance customer satisfaction.
- SMS complaint management has been introduced for directly contacting the Zonal managers for quick redressal of complaints.
- With the increased emphasis on use of electronic mode of communication, the turn – around time for complaints is being compressed to 10 days in majority of the cases.
- Web based Customer Complaint Management System (CCMS) is revamped to generate analytical reports to help reduce turnaround time in grievance redressal and initiate remedial steps in time.
- Customer service and grievance redressal week has been celebrated twice during the year to draw the customers and staff closer and bring about changes, if any, for improved customer service.
- Compliance with various customer friendly measures by branches is being periodically assessed through the visits of officers from Zonal Audit Offices and necessary corrective steps are being taken promptly thereafter.
- Incognito visits by Deputy Zonal Managers to one or two branches in the adjacent zones to monitor the level of compliance.
- Clean note policy of RBI is being implemented through introduction of latest note sorting machines / note authentication machines.
- All customer centric information mandatorily required, is displayed on the website for the benefit of customers and is made available at the branches.
- A Comprehensive Notice Board in English / Hindi containing information mandated by RBI and much more has been printed and distributed from Head Office to our branches for displaying the same for customers' benefit.
- Various channels are offered to customers for airing their grievances, including e-mail, phone.
- Bank is issuing personalized Cheque books in all branches.

RISK MANAGEMENT & CONTROL

Risk is an integral element of the activities of any bank. Accordingly, the purpose of the risk control function is not only to minimize risks but also to ensure that the institution properly identifies measures and handles risks and prepares adequate reports on all these efforts so that the extent of risks, which have occurred, should not endanger the continuity of operations. With this in mind the bank has established well mechanisms, which ensure the ongoing assessment of relevant risk types on an individual basis and of the overall risk position of the bank

Risk Management is a Board driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The process of risk management consisting of various stages i.e. identification, measurement, monitoring and control, is covered in the policies for Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. These stages constitute a control cycle, which also involves feedback and forward loops.

The identification, definition and recording of all potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting the same by the operational level risk committees and task forces. Risk profiling of the bank is also done on a quarterly basis. Various tools and systems like prudential limits, new Basel Compliant credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for market risks, Self assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for operational risk have been introduced for assessing / measuring the identified risks. Data warehousing project to provide comprehensive data for analysis is implemented. The Bank is implementing Credit Risk Management Software which will help the bank in improving the data quality and completeness and upgrading its Risk Management systems.

The Bank has migrated to computation of capital adequacy under New Capital Adequacy Framework (Basel II) based on Standardised Approach for Credit and Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 31.03.2008.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment/measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risks and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances. Going forward, this exercise is expected to render an objective basis for decision making both to the risk control function and to the entire institution and also for assessing the performance of the independent control function.

As per the road map prepared the Bank is also preparing for migration to more sophisticated approaches for enhancing the effectiveness and robustness of risk management systems.

INFORMATION TECHNOLOGY

Branch Automation

All branches of Bank are on Core Banking Solution (CBS) and new branches are directly being opened under the CBS platform. All these branches are RTGS / NEFT enabled.

Implementation of CBS in Bank sponsored Regional Rural Banks (RRBs)

Bank has completed the process of implementation of CBS in all the Bank sponsored RRBs during the year to provide "Anytime, Anywhere, Anyhow" banking service to the rural clientele. 100% CBS achieved in all the branches of all the Regional Rural Banks (RRBs). All the branches of RRBs are RTGS / NEFT enabled using our infrastructure. CBS Migration and integration of amalgamating the then Kshetriya Gramin Bank and Aryavart Gramin Bank into Aryavart Kshetriya Gramin Bank has been completed.

Enhancements / New Initiatives implemented during the year

Besides the regular banking modules our Bank has ensured that even ancillary portfolios viz. Government Business, Safe Deposit Vault, PPF, SCSS (Senior Citizen Savings Scheme) Government bonds are seamlessly integrated under CBS platform ensuring one-stop-shop for everyone avoiding hopping between various systems. The Bank has implemented Straight Through Processing (STP) between CBS and various Payments Systems / other applications to eliminate the need for data entry at multiple systems & hence ensuring integrity & reliability of data. This has also ensured auto reconciliation of these entries within the system itself.

The following customer centric enhancements have been implemented during the year 2012-13

- Launching of "SMS based Grievance Redressal system" which is being brought to the notice of the Zonal Head on real-time basis for due attention to customers and for speedy resolution from the Business Team.
- Launching of Balance enquiry for SB & OD Accounts through SMS using "Missed call" facility "free-of-cost" to the customers.
- Online acceptance of PPF subscription in PPF account maintained with Bank of India.
- Online acceptance of Donation for Prime Minister National Relief Fund (PMNRF)
- Inclusion of Star Sunidhi Scheme (Tax Relief Deposit) in Online TDR module.
- e-Payment of Commercial Tax for additional seven state governments.
- Online Cheque Book Request facility for Internet banking Users and also through BOI ATMs for ATM Card Holders.
- Online Custom Duty payment module is enhanced to enable the customers to make multiple challan payments simultaneously.
- Statement of account option is now enhanced to enable the customers to view/print statement for a period of one year at a time.
- Online standing instruction module for our Retail Internet Banking customers having fund transfer facility.
- Introduction of one time password (OTP) for registration of a new Beneficiary for RTGS / NEFT as second authentication factor as a Security and Risk Mitigation Measure for Electronic Payment Transactions.
- SMS Alert for inward/outward RTGS / NEFT messages
- Launch of Cash NEFT for walk in customers.
- Acceptance of PPF subscription in any branch for the PPF account maintained in Bank of India.
- Linking of Aadhaar Number and Account number on the basis of Customer Id which will enable Direct Cash Transfers of subsidies into the Bank account of the beneficiaries under Government's various welfare schemes being implemented such as MGNREGA, Fertilizer Subsidy, Scholarship, LPG subsidy, etc.
- Deployment of Self Service Passbook updation Kiosk.
- Deployment of Queue Management system for enhanced customer experience.
- Deployment of Digital Signages – reforming Bank's Photo & Video advertisements.
- Revamped next-generation customer-centric website on the latest Web platform was launched on Bank's 107th foundation day on 7th September, 2012.

Data Centre

Data Centre, certified with ISO 27001:2005 Certification with 1:1 redundancy of physical hardware Infrastructure between primary site to secondary site with the Recovery Time Objective (RTO) of 15 minutes has been successfully established by the Bank. The primary site is situated at Mumbai and Disaster Recover site (DR) situated at Bangalore. The Near Site (NR) has been established with primary site storage replication for zero data loss. All offices, branches and data centres are connected in WAN network with 24 hours dual power supply from two DG-Sets through UPS.

The Data Centre deploys three tier architecture i.e. database, application and web, which are deployed in different high-end servers with latest version of operating systems, RDBMS and applications for better management and performance.

Bank's security and network infrastructure is designed considering availability/capacity requirements. The data centre also has a strong physical security control with Bio metric authentication for critical areas of server and network farms. Dedicated resources working on 24 X 7 X 365 days equipped with latest Building Management Systems are deployed to control and optimise management of power cooling, Fire protection and data centre infrastructure system is in place. The entire premises is covered with surveillance cameras to monitor on a 24 X 7 X 365 basis.

The Bank has a fully functional Disaster Recovery Site and Disaster Recovery Drills are planned and executed once every quarter to ensure readiness. The Bank has RTO of 15 minutes to switch over from Primary to DR site operations. One of the innovative ideas of Bank of India was to use the Disaster Recovery set-up for MIS

and Report generation purposes. This not only results in optimum utilization of both the DC and DR resources, but also ensures that all these resources also get constantly tested in the process.

Bank of India also has a Global Processing Centre (GPC) at Singapore to connect all its overseas Branches to a central hub and enable processing for all its foreign branches. It is a 24/7 central hub catering IT related requirements of 24 foreign branches from Japan in the east to USA in the West. Disaster Recovery Hot Sites with identical hardware and suitable software that do online replication of data from Data Centre to DR Site have been setup. One disaster Recovery setup is in Singapore and the other is at Mumbai. The transactions are being replicated on real time basis at both DR sites. DR drills to ensure high availability of the system are being conducted on regular basis.

SMS Alerts – Star Sandesh

As a fraud prevention measure, SMS alerts are generated and provided to all customers who have registered their mobile number with the Bank for

- Activation of login / transaction passwords for the Internet Banking users.
- Alerts for installment due in Star Auto fin & Housing Accounts.
- All Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ ATM/POS).
- All Customer induced debit & credit transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit RTGS transactions.
- All Debit NEFT transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All ECS Credit / Debit transactions for ₹ 10,000/- and above.
- Credit confirmation for NEFT outward message (i.e. credit to beneficiary A/c).
- Auto reversals of transactions for failed ATM transactions.
- Acknowledgment on accepting the cheque book issue request.
- One Time Passwords for transactions in respect of customers who have not opted for Star Token (in respect of Internet Banking).
- One Time passwords of Star Token whenever the customer desires to access Internet Banking from a PC other than the registered PC.

Internet Banking:

A fast and secure internet banking facility is available to customers for utility bill payments, air & rail ticket booking, on-line shopping, inter-bank and intra bank fund transfers, etc.

Bank of India is the first PSU Bank in India to implement Two-factor Authentication (2FA) – Star Token for both Retail and Corporate internet banking customers as an additional security measure. Bank's customers enjoy the convenience of "secured" Anytime, Anywhere, Anyhow hassle free Banking from the comfort of their homes and offices with a click of a mouse.

Some of the features available are:

- Online Nomination facility while creating online Term Deposit Receipt as well as for existing Term Deposit Receipts.
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services / bills
- e-Payment of Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment
- Directorate General of Foreign Trade(DGFT) license fee Online e-Payment
- Online Booking of Railway & Airlines Ticket
- Online Application for Education loan
- On Line facility available to View and Apply Application Supported by Blocked Amount (ASBA) for IPOs from Internet Banking
- Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit.
- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding our Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card & Internet banking account.
- Online creation of Term Deposit Receipts.
- Online Nomination facility while creating online Term Deposit Receipt as well as for existing Term Deposit Receipts.

Awards:

- Best Bank Award for Technology for Financial Inclusion among Large Banks for the year 2010-2011 conferred by IDRBT.
- C-Change Enterprise Awards 2011- Recognising Excellence among CIOs - Best Security Implementation Award awarded by CIOL & DATAQUEST.
- Outstanding Innovation Award conferred on Bank of India by Hughes – Network Service Provider.
- Certificate of appreciation awarded by Computer Society of India to the bank for the Project – Financial Inclusion through ICT enabled solution

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

To further reap the benefit of CBS, Bank has also set up the Data Warehouse (DWH) with Data mining solution to enable Decision Support / Management Information System for the Bank & for achieving its Business Intelligence goals more quickly and effectively. With the implementation of this solution, Bank's Data Warehouse is storing daily transactional data from Core Banking System. Bank has simultaneously taken initiatives for refining the quality of the data & with this bank's MIS has become more refined and precise. Bank is generating most of RBI returns, reports to Government of India, MIS reports for internal purpose based on the data in the DWH database. The Dashboard provided to the Top Management is effectively used for monitoring business growth & taking timely corrective actions wherever necessary. Bank has also implemented business analytical tools for achieving business intelligence goals. As per Reserve Bank of India directives, all our regulatory statements are now made Automated Data Flow (ADF) Compliant.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human Resources play an important role in the growth of an organization. Management of people begins with recruitment process and passes through various movements, such as, training, placement, performance reviews, promotions etc. Human resources department is instrumental in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged and motivated to perform their best.

Policies, Recruitment & Promotion

Human Resource Management plays a vital role in accomplishment of corporate goals. In a service-oriented industry like Banking, success depends on prompt and efficient customer service, which can be achieved by recruiting right talent, grooming and right placement. Banking industry as a whole is facing shortage of staff and Banks are making all out efforts to recruit employees both in Clerical and Officer Cadre. Conscious attempts are being made to improve / infuse young employees to replace the superannuating employees. The Bank could largely succeed in spite of various inherent constraints such as monetary compensation, simultaneous recruitment of staff by all PSBs due to acute shortage etc. In years to come most of the PSB's will recruit through common recruitment process conducted by IBPS which will reduce the attrition of new recruits in Bank.

Bank has recruited 1492 officers in General Banking & Specialist cadre in various scales and 2378 in clerical cadre in financial year 2012-13.

Bank has initiated steps for recruitment of 1613 General Banking Officers in JMGS I, and 2500 Clerical Staff. The newly recruited Clerks and Officers are expected to report for duties in the first quarter of financial year 2013-14 to take care of requirements due to branch expansion / business expansion as well as retirements / VRS.

The other initiatives being taken on the HR front include:

- Scientific assessment of Manpower requirements of the Bank;
- Simplification of the Annual Performance Assessment system;
- Review the Promotion Policy to make it more objective and suitable as per the present requirements
- Inclusion and integration of more HRMS modules (activities) to provide full-fledged solution to all HR issues.
- Star Desk is being regularly visited by the General Manager (HR) for exchange of suggestions related to HR initiatives, improvising HR policies;
- Special drive for Recruitment of clerks from North Eastern Region;
- Introduced 'Talent Bank' by identifying Officers having special skills in areas like Credit, Forex, Marketing, Recovery,
- Introduction of fast promotion process relaxing eligibility criteria for Officers;
- Various welfare measures being implemented for employees such as Group Savings Linked Insurance, Death Relief Scheme, Reimbursement of Education Expenses of wards of employees, Tie-up arrangement with various hospitals for cashless treatment, Medical Assistance for Retired Employees.

Learning and Development

Building winning teams through developing skill of the employee is a key component of Human Resources Department. In line with the above and recognizing the need to harness the true potential of our large human resource pool, a separate department Learning and Development has been carved out from Human Resources department.

Learning & Development Department through its continuous training and development programmes and modules acts as a catalyst in augmenting the competencies of employees and equip them with right skills and knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments. The new Training Policy was approved by Board on 08.12.2012.

The Bank has six training colleges across the country. While the Management Development Institute (MDI), CBD Belapur, Navi Mumbai is Apex level training establishment, four Staff Training Colleges (STCs) are at strategic locations at Bhopal, Chennai, Noida and Kolkata besides one Information Technology Training Centre (ITTC) at Pune. During the year 2012-13 in all 23468 employees of the Bank and 1306 employees from RRBs were imparted training in 1025 programmes organized at these colleges.

During the last one year, 1492 new direct recruit officers and 2378 new clerks joined the Bank for whom exclusive Induction training programmes were held at all the training Centers. These included programmes for Chartered Accountants, Marketing Executives, Specialists and Finance Executives recruited from campus. Each such batch has been addressed by General Manager (HR) &/or General Manager (L & DD) either at MDI Belapur or at Bank's BKC Auditorium or through video conferencing at other training centers. On some occasions DROs were addressed by our Chairperson and Managing Director Mrs. V R Iyer Executive Directors Shri N. Seshadri and Shri B P Sharma and Many General Managers at Head office. Pre recruitment and pre-promotion training programmes were held for eligible persons. Special programmes for lady officers and clerks organized at MDI, was addressed by Chairperson & Managing Director Mrs. V R Iyer. Programme for retiring staff was organized at MDI-Belapur.

836 Officers were nominated for training at outside institutions in India and 13 officers were deputed abroad to attend trainings, conferences and seminars.

Bank has conducted the training for staff posted in foreign branches

5 Days - Leadership and Change Management programmes for all the newly promoted GMs, DGMs and AGMs were organized at IIM-Bangalore, NIBM-Pune, ASCI-Hyderabad and XLRI-Jamshedpur.

'Train the trainers' programme for newly selected faculty staff was organized at STC – Noida in collaboration with Indian Society for Training & Development - New Delhi.

1-Day locational training for all the sub staff, and 2 day locational trainings for all the clerical staff were organized at all the Zonal offices.

The Bank deputed 53 officers to foreign branches for exposure in International Banking. All these officers were imparted "on the job training" at Treasury Branch, International Dept. H.O, Mumbai Overseas Branch.

Programmes for outside institutions were conducted at Bank's training centers-Like "One week Orientation Workshop on FOREX" on behalf of FEDAI at MDI Belapur, STC Bhopal, and STC Noida, "Customised Bourse programme" for officers of Andhra Bank at MDI-Belapur, "Induction Trainings to DROs of Central Bank of India" at STC-Noida, "Trainer Training Programme on Financial Inclusion" on behalf of BIRD-Lucknow at STC-Noida. MDI also conducted a "Bourse Programme" for bank's Dealers which was also attended by officers of other banks.

To discharge our duties towards society at large 690 students from different management institutions availed Summer Internship opportunity in the Bank.

The Bank's e-learning programme has been successful 12 modules at Gold Level,12 modules at Beta Level and 6 modules at Alfa Level have been uploaded. There are another 23 Module Gold Level ready for uploading.

The staff feed back has been helpful in updating the Stardesk site available to Employees under Stardesk.

A significant achievement has been made in the Bank's training system by making training module live under Human Resource Management system. This has facilitated on line nomination to various training programmes in the Bank at Zonal level and generates the reports at Head Office levels to monitor the nominations.

Incentive schemes are in place to encourage staff members to upgrade their knowledge by passing various examinations conducted by the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) and other reputed institutions.

The Global Human Resources talent in the Bank consists of 17061 Officers, 17220 clerks and 7865 support staff aggregating to 42146 as on 31.03.2013.

In- House Publications (Taarangan)

Bank's quarterly In House Journal 'Taarangan' was conferred two awards by Association of Business Communicators of India (ABCI) in various categories in their 52nd Annual Awards Nite at Taj Palace, Mumbai. It has also received 'First Prize' in All India In-House Magazine Competition from Rotary Club of Cochin Midtown, 'Consolation Prize' amongst all Public Sector Banks in the Bilingual In-House journal Contest for the year 2011-12 from Reserve Bank of India and 'Certificate of Merit' from Shailaja Nair Foundation Initiative, Mumbai.

Compliance with Reservation Policy

The Bank is complying fully with the reservation policy of the Government of India. Special Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ST/OBC Employees.

Pre-Recruitment Training and Pre-Promotion Training from clerical cadre to General Banking Officers cadre and within the Officer cadre from Scale – I to Scale – II, Scale II to Scale III are imparted to SC/ST candidates / staff. Details of such pre-recruitment and pre-promotion trainings imparted to SC/ST employees during the year, 2012-13 are as under:

Sr. No.	Cadre	Pre-Recruitment				Pre-Promotion			
		No. of Pro-grammes conducted	Duration period of Programme	No. of Persons Trained		No. of Programmes conducted	Duration period of Programme	No. of Persons Trained	
				SCs	STs			SCs	STs
a)	Officers	1	6 days	2	1	21	6 days	492	229
b)	Clerks	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Sub-Staff	0	0	0	0	0	0	0	0

The Bank has designated officers of the rank of General Managers as Chief Liaison Officers for OBCs and SCs/STs respectively at the Head Office. Officers belonging to SC/ST/OBC categories are designated as Liaison Officers / Cell Officers at Zonal Offices. In terms of the Government guidelines, Post-based Reservation Rosters maintained at Head Office / Zonal Offices are inspected annually. SC/ST Cells established at the Head Office and Zonal Offices are also associated with implementation of reservations in respect of other categories like Ex-servicemen / Persons with disability etc.

Representation of SC/ST/OBCs in Total Staff Strength (Indian)

March 2013	Officers	Clerks	Sub-Staff	Total
SC	2888	2743	2858	8489
% to total Staff in Indian Offices	16.86	15.83	36.23	20.05
ST	1266	1725	810	3801
% to total Staff in Indian Offices	7.39	9.95	10.27	8.98
OBC	1901	1579	1215	4695
% to total Staff in Indian Offices	11.10	9.11	15.40	11.08

LEGAL

Legal Department acts as facilitator and attends to various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various functional departments at Head Office, besides attending to referral matters of various NBGs/Zones, Indian Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries.

The Legal Department is also catering to the specific need of specialized Departments like Information Technology / International/ Treasury / Card Products etc. by Drafting / Vetting of documents of various contracts/Service Level Agreements (SLAs), (Software/ Hardware procurement, Service Level Agreements, various types of tie-up arrangements / new products etc.)

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones / NBGs. The Deputy General Manager / Asstt. General Manager (Law) of Legal Department is also designated CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is Appellate Authority which involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time frame of 30 days and also to guide the other Zones / NBG on specific points

With a view to create awareness among the staff `Legal News Letter' is regularly issued and circulated by the Legal Department, besides, issuing circulars from time to time on latest legal developments.

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank.
- Legal matters pertaining to Premises including vetting of Sale/ Lease deeds, providing opinions etc.
- Share transmission matters.
- Collection and Submission of data/statistics pertaining to suit filed/ decreed cases, to various authorities like Reserve Bank of India, MOF etc. Monitoring of cases of 1 crores and above.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Cases against Bank / Contingent liability matters and preparation of statements, follow up with Zones etc.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/ amendments under consideration on various Acts.
- Legal News letter.
- Attending to requests from citizens made under the Right to Information Act. This includes processing the requests, forwarding the same to the concerned departments, follow up, collecting the information from concerned Departments and giving timely replies (within 30 days). In case appeal is made against such Orders, further processing the Appeals and disposing of the same in a

time bound manner. In addition, the Legal Department is guiding the Zones and Branches for replying to queries under the Right to Information Act. Wherever required, Legal Department appears before the CIC for the hearing of the appeals filed by the parties.

COMPLIANCE

Compliance in a regulatory context is of prime importance because of ever-increasing regulations. Compliance has, thus, increasingly become a concern of corporate governance.

A Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board as per Reserve Bank of India guidelines. An independent Compliance department, headed by a Chief Compliance Officer of the rank of General Manager, is functioning at Head office. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank.

The department has prepared Compliance Rules in the following areas of branch banking:

Return	Frequency	No. of Rules
Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating of Financing of Terrorism	Monthly	51
Deposits & Services	Quarterly	62
Advances	Quarterly	63
FEMA	Quarterly	119

Every zone submits certification to the above rules as per prescribed frequency. Based on the rules, the department is conducting half-yearly compliance testing at selected branches all over India. A report on the findings of such compliance testing is submitted to the Top Management.

At each Zonal Office, a Compliance Officer has been identified for monitoring the compliance function of the respective Zone. In respect of foreign Branches, monitoring is done at cluster level.

Compliance department, inter-alia, submits the following to the Board/Top Management/Head Office departments:

- A quarterly report on the compliance function of the bank to the Board;
- Instances of compliance failures to H.O. departments for follow-up/rectification with the respective zones;
- A monthly note to Top Management, on the compliance risk faced by the bank;
- A monthly note to the Board on major initiatives taken in KYC/AML/CFT;
- A gist of the circulars issued by RBI to the Board on a monthly basis;
- Compliance of the bank to the various circulars/instructions issued by RBI, to the Audit Committee of the Board on a quarterly basis;
- A quarterly report to the Audit Committee of the Board on review of implementation of KYC;
- Monitors the Calendar of Reviews stipulated by RBI and submits a report to the Board on a quarterly basis on the same;

The department is also vested with the responsibility of implementation / monitoring Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML) Measures / CFT Guidelines in the Bank. The department has taken up earnestly the task of ensuring compliance with KYC norms in all the existing accounts, as directed by RBI. A separate mandatory field is provided in the Finacle system to facilitate noting of KYC status in each account. Branches are in the process of identifying KYC non-compliant accounts, obtaining KYC documents and suitably updating the Finacle system.

As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and the Rules made there under as well as the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) on KYC, branches are properly identifying every customer by obtaining recent photograph, proof of identity and proof of current address for KYC compliance. Opening of accounts of persons of low income group with simplified KYC norms have been introduced. All the customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception. The review of the Risk categorisation of accounts has been centralised at Head Office w.e.f. the half year ended 30.9.2012.

The Bank has implemented the provisions of the **Prevention of Money Laundering Act, 2002** as under

- The Principal Officer has been appointed (the Chief Compliance Officer is also the Money Laundering Reporting Officer [MLRO])
- The Bank is submitting monthly Cash Transaction Reports (CTRs) in respect of transactions over ₹ 10 lakhs to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), New Delhi
- The Bank is also submitting Suspicious Transactions Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports (CCRs) to the FIU-IND, as and when the same are identified
- Maintaining and preserving the records as per the provisions of the PML Act.

The bank has procured Anti Money Laundering Software (AMLOCK) for identifying suspicious transactions under the Prevention of Money Laundering Act. On an average, this software is generating about 4000 alerts daily. These alerts are scrutinised by the department. Follow-up is made with the zones/branches wherever necessary and in case the bank is not satisfied with the zone/branch clarification, a Suspicious Transaction Report (STR) is filed with the FIU-IND.

The department handles the Annual Financial Inspection (AFI) by the RBI by co-ordinating with Head Office departments. The AFI reports are scrutinised and compliance is submitted to the RBI. The AFI for the year 2011-12 concluded on 28.8.2012 and report was received on 10.9.2012. The replies/compliance Action Points in the report was obtained from all the departments and put up to the Audit Committee of the Board on 9.11.2012. The replies/compliance to the Action Points was submitted to the RBI on 15.11.2012.

The department is also the single point of contact for all the regulatory agencies when they want to communicate with the bank.

VIGILANCE

The Vigilance machinery of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) of the rank of General Manager appointed with concurrence of the Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by committed officers having knowledge / background of investigation and disciplinary action matters as well as banking, for tendering advice to Disciplinary Authorities / Controlling Authorities in all vigilance cases. The Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. In this regard, the Bank has now created five separate “Vigilance Units” and also a Separate Fraud Risk Management Department under Risk Management Department to deal effectively with the Operational Risk.

FRAUD RISK MANAGEMENT

The main functions of the Fraud Risk Management department are:

- Reporting and Monitoring of Frauds.
- Maintenance of Centralized data on frauds.
- Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds.
- Provisioning of amounts involved in frauds, other than advance related.

- Sensitizing staff through training on Fraud prevention.
- Drawing up and Administration of FRM Policy for the Bank.
- Convening meeting of Task Force of Frauds at Head Office.
- Follow-up action for recovery in respect of fraud accounts.

INSPECTION & AUDIT

During the year 2012-13, the Department carried out Risk Based Internal Audit, Information System Audit & Revenue Audit at domestic as well as all foreign branches, Currency Chests & Depository Participant Office and Risk Based Management Audit at HO Departments, Zonal Offices, Zonal Audit Offices, Staff Training Centres, MDI, LDM Offices and RRBs. Concurrent Audit was being carried out at 720 domestic branches (including Treasury Branch) & Estate Department, H.O. (for Centralized Payments) by FCAs and at 24 Foreign Branches, Card Products Department, Comptrollers' Department, Data Centre and Estate Department, H.O. (for Other Matters) by in-house officers. The total coverage of concurrent audit is 87.67% of total global advances and 69.14% of total global deposits of the Bank against the stipulated level of 50% each. During conduct of various audits at branches, the department detected revenue leakage to the extent of Rs. 70.16 crore of which Rs. 66.07 crore has already been recovered.

Under the project STARBOOST, Audit Exception Reports (AERs) of 3043 branches were generated and sent to the branches that are subject to RBIA. These reports are sent to the concerned branches 2 months in advance so as to enable the branches to initiate necessary corrective measures before commencement of audit which would facilitate to rank for a good audit rating.

Policy of Risk Based Internal Audit, Information System Audit, and Concurrent Audit were reviewed/revised suitably a) as per Draft Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI b) cover/elaborate the areas that were pointed out in the previous AFI by RBI. Long Form Audit Report of the Bank for the year 2011-12 was attended in time and compliance was reported to ACB & Board. Compliance of Action Points emanated at the meetings of ACB/Board was submitted to ACB/Board in time.

Apart from the routine audit exercise conducted under the auspices of the department the following special assignments were undertaken to meet the special requirements of the bank under the instructions/guidance of the top management.

- Discretionary Audit was conducted at branches that were rated under 'High Risk and above' to ensure conclusive compliance of observations/ exceptions.
- Revenue Audit of non-concurrent audit branches was conducted (yearly in case of small/medium branches and half-yearly in case of large and above branches) and a revenue leakage of Rs. 6.27 Crore was detected.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures was undertaken at branches that were audited (this is being carried out on an ongoing basis).
- Credit Audit & Loan Review Mechanism was conducted in 5133 accounts spread over to 839 branches.
- Long Form Audit Report of the Bank for the year 2011-12 was received on 28.06.2012 and the compliance was submitted to RBI on 27.08.2012.
- The Migration Audit of Foreign Centers is assigned to M/s Ernst & Young. They have started the Migration audit of Kenya Center and submitted the Final Report. They have also initiated the Migration Audit of Jersey, Antwerp & Paris centers and submitted the Draft Report for Jersey and Antwerp. Presently, Migration Audit of UK Center has been initiated.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures was undertaken at branches that were audited (This is being carried out on an ongoing basis).
- For improving the skills of field level auditors, training was organized in RBIA, Forex Operations & IT related issues. It was inaugurated by RD, RBI, Bhopal & Director on our Board, Executive Director & General Manager.
- M/s Ernst & Young has been assigned the Concurrent Audit of Data Center and were submitted their 1st report with recommendations.
- M/s KPMG has conducted the VA&PT exercise for Banks' critical IT assets during the month of December 2012 and submitted the report in the month of March 2013.
- M/s Paladion Networks Pvt. Ltd., has conducted the Quarterly Information System (IS) Audit of DC, DR and Treasury for December, 2012 and submitted the report along with the Compliance report of the previous IS audit.
- As a proactive measure, at our office after analyzing / doing Trend Analysis of reasons for Revenue leakages, we are also checking interest fields to address generic issues.
- For better communications, interaction with Concurrent Auditors at Foreign Centers is done through V/C / tele conferencing.
- As per RBI directions, Special Audit of accounts under Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme'2008 is completed and follow-up on the Report has been initiated at appropriate level.

The General Manager and Dy. General Manager attended 36 Zonal Audit Committee of Executives meetings and Meetings with Chief Incumbent of High risk Rated Branches and rendered suitable guidance in the matter of ensuing timely compliance/closure of audit reports and improving audit rating.

Meeting of concurrent auditors/internal auditors at 16 Zones were conducted wherein GM & DGM emphasized the need for quality and timely reporting of audit findings and also timely submission of reports.

Full time in-house concurrent auditor was appointed for Data Centre and is assigned, among other duties, the job of verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts. The observations of the concurrent auditor are forwarded to IT Department, for compliance. The compliance received from them is put up to Audit Committee of Executives for their noting and further direction, if any.

Regular reporting on all important Audit findings are being made to Top Management, Audit Committee of Executives and ACB as prescribed and the directions thereof are being complied.

OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has continued its vigorous efforts to achieve the various targets set in Annual implementation programme 2012-13 issued by Government of India. For effective implementation of official language policy 12 official language officers were recruited by bank during this year. The bank has also successfully organized various customer related programmes in Hindi as per directives of Reserve Bank of India and Government of India, Ministry of Finance. To inculcate the habit of working in Hindi in our day to day work and to make staff aware of the expectations of Government of India, a Rajbhasha Awareness Programme was organized at Head Office.

Total 155 Hindi workshops were conducted during the year in which 3073 officers/clerks were trained to use Hindi in day to day banking functions. The bank received various awards for implementation of Official Language Policy. Prominent among them are Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) prizes to Agra, Patna, Bhopal Bokaro, Bhubaneshwar, Jamshedpur, Siliguri, Kolkata,

Ahmedabad, Vadodara Zone and Gangtok (Branch). Our two staff members received second and third prize in inter-bank essay competition conducted by Reserve Bank of India, One staff member got second prize in All India Essay competition organized by Punjab National Bank.

Our bank is convener of Town Official Language Implementation Committee in four cities and successfully running the committee and publishing magazines. 'Sankalpana' magazine was published by the department every quarter with special features like Women's Day, Hindi Divas, E-commerce solution.

All information on Bank's website is being published in Hindi also. The facility of Hindi has also been provided in ATM for ATM users.

BANK'S SUBSIDIARY / ASSOCIATES

Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)

IZB is a joint venture of three Indian Banks viz. Bank of India, Bank of Baroda, Central Bank of India and Government of Zambia. Each of the Indian Banks holds 20% of the share capital, whereas Government of Zambia holds 40% of the share capital. Indo-Zambia Bank Ltd. is fine example successful joint venture. It enjoys the patronage of two friendly republics, the Government of Republic of Zambia and Government of India.

PT Bank SwadeshiTbk, Indonesia

During FY 2007-08 the bank acquired a stake of 76% in PT Bank SwadeshiTbk at a total consideration of Indian ₹ 3.77 crores. The Bank has three Directors on the Board of PT Bank SwadeshiTbk.

Bank of India (Tanzania) Ltd.

Bank of India (Tanzania) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank and commenced operations on 16th June 2008 with first branch at Dar-Es-Saleam.

Bank of India (New Zealand) Ltd.

Bank of India (New-Zealand) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank. The Bank' has a Net Worth of ₹ 227.46 crores as on 31.03.2013. The Bank has a PAT of ₹ 1.23 crore for the year ended 31.03.2013.

BOI Shareholding Ltd. (BOISL)

Bank's association with the Capital Market spans a period of nine decades. The clearing and settlement function of Bombay Stock Exchange (BSE) was being handled by the Bank since 1921. In 1989, Bank set-up "BOI Shareholding Ltd. (BOISL)", joint venture with BSE, to manage the clearing house activities of the Stock Exchange. The Bank has holding of 51% of its paid up capital of ₹ 2 crore.

The company has been carrying out the rolling and weekly settlements of trades executed by member brokers operating on the Exchange, BOISL is also a Depository Participant (DP) of both the Depositories viz. the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) and provides depository services to the clearing members and investors. BOISL is the first Securities Clearing House in the country to have been awarded the ISO 9001-2000 ISO Certification.

BOISL earned a net profit of ₹ 67.60 lacs(unaudited) during 2012-13 as against ₹ 268 lacs earned during 2011-12.

BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trusteeship Services Pvt. Ltd.

These Companies are in the Business of Mutual Fund and Portfolio Management. Bank of India is holding 51% Stake in both the Companies.

STCI Finance Limited.

STCI Ltd. is one of the leading Primary Dealers in the country. It was established in 1994 with the objectives of widening the gilt and other debt security market through development of a vibrant secondary market. Bank of India with 29.96% holding is the single largest stakeholder in STCI having Paid up Capital of ₹ 380 crore. The Company is an associate company of the Bank in terms of Accounting Standards 21 (AS-21) of the Institute of Chartered Accountants of India.

With growing perception that Primary Dealership by itself is no longer an attractive business, STCI decided to hive off the Primary Dealership business to its new subsidiary namely STCI Primary Dealer Ltd. which commenced its operations from 25th June 2007. The Subsidiary which started on a cautious note has made steady progress since then.

After formation of subsidiary, STCI took up activities of IPO funding, margin funding, commodity future trading, Asset Management, investments in short term corporate loans / CP, equity trading etc.

During the FY 2012-13 the PAT was at ₹ 78.81 crore as compared to a PAT of ₹ 46.45 crore for the FY 2011-12.

Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife)

Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-ichi Life Insurance Company" to take advantage of the growing insurance market and to provide quality assured insurance to its clients spread across the length and breadth of the country. The company has commenced insurance business since February 2009. BOI holds 48% in the Company's paid up Capital of ₹ 250 crores.

Union Bank holds 26% stake and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan holds 26% in addition to the Bank's stake. In terms of the Joint Venture Agreement the Bank had earlier transferred it's 3% stake in favour of Union Bank.

STRATEGIC INVESTMENT / ALLANCES

Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)

The Company was promoted in 1997 by the Bombay Stock Exchange and Bank of India along with other Banks. The main objective of promoting CDSL, was to accelerate the pace of dematerialization of scrips, bring wide participation of investors in the capital market and to create a competitive environment as country's second depository. Bank now holds 5.56% stake in the paid up capital of ₹ 104.58 crore of CDSL. CDSL has paid 10% dividend in FY 2007-08, 2008-09, 2011-12 and 15% dividend for 2012-13.

ASREC (India) Ltd.

The Company was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India to undertake securitization and asset reconstruction activities. The company was granted Certificate of Registration by RBI under the SARFAESI Act, 2002 in the second half of FY 2004-05 and has since commenced full-fledged operation. Currently the Bank has holds 26.02% stake, in the equity capital of the company which is ₹ 98 crores.

Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL)

CIBIL is the first credit information bureau in the country, incorporated in August, 2000 for providing credit information and risk analysis services to the Banking and Financial services sectors. The company launched its consumer bureau operations in FY 2004-05 and commercial bureau operations during 2006-07. Bank holds a stake of 5% in the equity share capital of the company.

Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX)

MCX is a new generation multi commodity exchange undertaking future trading in commodities at the national level. The Exchange

commenced operation during FY 2004-05 and within a short span has come up as India's No. 1 Commodity Exchange. It now figures in the world's Top Bullion and Base Metal Exchanges. Bank has a nominal stake of 2% by way of equity participation in the capital of MCX with a view to be associated with one of the major commodity exchanges. Bank also handles clearing bank functions of the exchange through Bullion Exchange Branch.

National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)

National Collateral Managements Services Ltd. is promoted by the National Commodity and Derivates Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. It offers various services for the development of trades on commodity exchange such as valuation, grading, insuring, securing, storing, distributing, clearing and forwarding of securities and commodities etc. Bank holds a stake of 10.17% (₹ 3 crore) in the equity capital of the company, thus providing opportunities to the bank to harness its association with NCMSL for credit lines to its members and clients.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd.

The new joint venture company is promoted by SWIFT and 8 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55% equity and remaining 45% is hold by 8 major Banks. Bank of India has an equity stake of 5.63% in the company. The company is yet to start its operations.

SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

SMERA was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet one of the leading credit rating agencies. SMERA's primary objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easier flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 4% in the equity capital of the company.

Other Strategic Investments

Apart from the above listed major Strategic Investments Bank also has strategic investments in MCX Stock Exchange Ltd. (₹ 2.5 crore),United Stok Exchange Ltd. (₹ 7.50 crore), Equifax Credit Information Services Ltd. (₹ 1.75 crore),U.V. Asset Reconstruction co. Ltd. (₹ 15 lacs) Clearing Corporation of India (₹ 0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (₹ 12.60 crore), SIDBI (₹ 45.30 crore), Tourism Finance Corporation Limited (₹ 2.67 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (₹ 1.11 crore)., Loss date consortium CORDEX (₹ 1 crore), SBI DFHI (₹ 8.46 crore.).

Bank's Depository Services

Bank has been offering Depository Services to its customers from all the Branches by leveraging Core Banking Solutions. With a view to adding value to the banking services and making available the numerous benefits of depository services, the Bank is offering the services of both the depositories i.e. NSDL and CDSL. In order to offer better services the DP operations are centralised at Mumbai. To achieve synergies and better utilization of Human resources, Bank's CDSL DPO which was earlier situated at Andheri (West) has been shifted to a spacious premises at Mumbai (Main) Branch during the year.

The number of active Demat Accounts with the DPOs was 92,293 as on 31.03.2013, against 91,041 accounts as on 31.03.2012. During the year 2012-13 the Bank earned a gross Income of 39 Lacs as against ₹ 35 Lacs earned during 2011-12.

Star Share Trade (Online Share Trading)

During the recent years Online Share Trading (OLST) has been gaining popularity among Investors in the Stock Makets and the volumes traded has been on an increase. With a view to meet the growing needs of Bank's customers and in order to provide them the comfort of trading in securities on a mouse click, the Bank had launched Star Share Trade (Online Share Trading) over phone facility by integrating Bank Account, Demat Account and Trading Account of the customers under Tie up arrangement with leading Stock Brokers **M/s. Asit C Mehta Investement Interrmediates Limited (ACMIIL),** the OLST facility is being offered since 2005. The facility has also been made available to the NRI clients for filling of IPOs.

In order to offer wider choice to the customers and to reach the customers spread across wide geographical area, tie up arrangement with the following Broking Companies was launched during the year. Several products are being offered through this Tie up arrangement:

- M/s. Asit C Mehta Investment Intermediates Limited (ACMIIL)
- Ajcon Global Services Limited (AGSL)
- GEPL Capital Private Limited (GCPL)
- Karvy Stock Broking Limited (KSBL)

Application supported by Blocked Amount (ASBA)

The Bank has been registered with SEBI as a Self Certified Syndicate Bank (SCSB) and IPO applications received under ASBA (physical application) are processed through these designated Branches. As per SEBI guidelines all our Branches are authorized Branches to accept the applications under ASBA. Bank's Stock Exchange Branch is the nodal Branch for ASBA. In addition to the above designated Branches. Customers of all other branches who have availed Internet Banking facility can enjoy the facility of Online Bid cum Application for ASBA IPO through Star connect Retail Internet Banking facility.

The following Investors are eligible to apply for IPOs through ASBA:

i) **In Public Issues :** All Investors except Qualified Institutional Buyers (QIBs) are eligible to apply through ASBA in Public Issues

ii) **In Rights Issues:** All shareholders of the Issuer company who, as on date :

   a) Are holding shares in Demat form and have applied for entitlements and/or additional shares in the Issue in Demat form.

   b) Are not a renounce to the Issue

   c) Have not renounced entitlements in full or in part.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

As one of India's largest and most reputed banks, Bank of India (BOI) has been undertaking a variety of initiatives that aim to meet nationally mandated development goals.

CSR is a result of a variety of social, environmental and economic pressures.

It is primarily a strategy to divert attention away from the negative social and environmental impacts of the lives of workforce and their families as well as of the local community and society at large. It enables the Bank to leverage its products, employee strength, networks and profits and up to some extent to create a sustainable change for marginalized communities.

CSR can not only refer to the compliance of human right standards, labour and social security arrangements, but also to the fight against climate change, sustainable management of natural resources and consumer protection.

In this direction, our Bank has planned following initiatives:

- Sustainable community initiatives
- Adult literacy program
- University activities
- Academic interface
- Village development program

During the FY 2012-13, Bank has partnered with Greenway Grameen Infra and Seattle based Micro Energy Credits (MEC) to promote the Greenway Smart Stove – a clean biomass burning cook stove that replaces traditional mud stoves through its rural branches across the country.

This programme, a first of its kind by a Bank forms a part of the Ministry of New & Renewable Energy's National Biomass Cook stove Initiative (NBCI). The NBCI formed to replace traditional mud stoves used by over 162 million i.e. over two thirds of all households in India by government approved high efficiency, low emission stoves.

Bank has till March 2013 delivered 13333 cook stoves pan India. Thrust was given to North Eastern states where 2000 cook stoves were delivered. This has helped Bank earn carbon credits. Some or parts in Maharashtra suffered from severe drought. In order to help poor and marginal farmers from these areas, Bank has at its own expense installed water storage tanks. Such tanks were provided in Sangli District and some parts of Solapur.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2013,

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2013;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and
- The accounts have been prepared on a "going concern" basis.

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट - 2012-13

(लिस्टिंग करार के खण्ड 55 के तहत)

भाग ए : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी का कार्पोरेट आइडेन्टिटी नम्बर (सीआईएन)	:	लागू नहीं
2.	कंपनी का नाम	:	बैंक ऑफ़ इंडिया
3.	पंजीकृत क्षेत्र	:	स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
4.	वेबसाइट	:	www.bankofindia.co.in
5.	ई मेल आईडी	:	Headoffice.god@bankofindia.co.in
6.	रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष	:	2012-2013
7.	कंपनी जिन क्षेत्र (त्रों) में कार्यरत है (कोडवार औद्योगिक गतिविधि)	:	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं
8.	कंपनी द्वारा निर्मित/मुहैया करवाए जा रहे तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाएं (जैसा तुलन-पत्र में दिया गया है)	:	जमाराशि, अग्रिम ,तृतीय पक्ष उत्पाद, फॉरेक्स, कोषागार
9.	कुल स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी द्वारा कारोबार गतिविधि की जाती है	:	
	i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या [प्रमुख 5 का ब्यौरा दें]	:	23 [यूएस, यूके, सिंगापुर, हांगकांग, जापान]
	ii) देशीय स्थानों की संख्या	:	4292
10.	कंपनी द्वारा सर्व किए जा रहे बाजार	:	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय

भाग बी : कंपनी का वित्तीय ब्यौरा

1.	प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपए)	:	₹ 596.64 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (भारतीय रुपए)	:	₹ 35,675 करोड़
3.	कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपए)	:	₹ 2749.35 करोड़
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रुप में कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी थी। तथापि, प्रचार के बजट से सीएसआर (सीएसआर) पर कुल व्यय	:	बीआर नीति केवल 31.03.2013 को अपनाई गई थी। तथापि, प्रचार के बजट से सीएसआर गतिविधियां की गई थी निवल लाभ का 0.04%
5.	उपर्युक्त 4 के गतिविधियों की सूची जिनमें व्यय किए गए	:	

ए. महिला उद्यमियों को बढावा

बी. कम सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए दोपहर का भोजन

सी. दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्य

डी. कम सुविधा प्राप्त बच्चियों के लिए शिक्षा

ई. हमारे देश में युवा आबादी के बीच वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों को प्रायोजित करना।

एफ. अभावग्रस्तों को सहायता देना

जी. सेवानिवृत्त लोगों को सहायता मुहैया कराना

Business Reponsibility Report – 2012-13

(Clause 55 of Listing Agreement)

Section A : General Information about the Company

1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	:	Not Applicable
2.	Name of the Company	:	BANK OF INDIA
3.	Registered Areas	:	Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 057
4.	Website	:	www.bankofindia.co.in
5.	Email ID	:	Headoffice.god@bankofindia.co.in
6.	Financial Year reported	:	2012-2013
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	:	Banking & Financial Services
8.	List of three key products/ services that the Company manufacturers/provides (as in balance sheet)	:	Deposits, Advances, Third Party Products FOREX, TREASURY
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	:	
	i) No. of International Locations) [provide details of major 5]	:	23 [US, UK, Singapore, Hongkong, Japan]
	ii) No. of National Locations	:	4292
10.	Markets served by the Company	:	National and International

Section B : Financial Details of the Company

1.	Paid Up Capital (INR)	:	₹ 596.64 crore
2.	Total Turnover (INR)/Revenue	:	₹ 35,675 crore
3.	Total Profit After Taxes (INR)	:	₹ 2749.35 crore
4.	Total Spending on Corporate Social Reponsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	:	BR Policy was adopted on 31.03.13 only However, from publicity budget, CSR activities were undertaken 0.04% of Net Profit
5.	List of activities in which Expenditure in **4. Above** has been incurred	:	

a. Promotion of women entrepreneurs

b. Mid-Day meal for under-privileged children

c. Welfare of blind persons

d. Education of the under-privileged girl child

e. Sponsorship of various exhibitions and events aimed at promoting Scientific and cultural awareness amongst the youth populace of our country

f. Provide help to destitute

g. Provide support to retired people

एच. मुंबई मैराथॉन के लिए प्रायोजकता करना

आई. मोतियाबिंद ऑपरेशन / आंखों का इलाज करना

जे. बच्चों के पालक घरों (फॉस्टर होम) की सहायता के लिए निधि जुटाना

के. भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।

एल. खेलकूद प्रायोजित करना

एम. सामुदायिक अस्पतालों की प्रायोजकता करना

एन. वित्तीय समस्या से जूझ रहे मेधावी छात्राओं को सहायता मुहैया करवाना।

ओ. अलग तरह के विकलांगो के लिए शिक्षा / प्रशिक्षण / पुनर्वास सेवाएं प्रायोजित करना

पी. फ्लैग डे (नौसेना दिवस) की प्रायोजकता करना

क्यू. चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रायोजकता करना

आर. नौकरी मेले प्रायोजित करना

एस. चिकित्सा उपकरण की खरीद के लिए प्रायोजकता करना

टी. बाल वाडियो के लिए उपहार

यू. देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बैटरी संचालित वाहनों के लिए प्रायोजकता कराना। वरिष्ठ नागरिको और अन्य रुप से विकलांग व्यक्तियों की जरुरतों को यह वाहन पूरा करते हैं।

वी. बिहार के जनजाति क्षेत्रो में एक शिक्षक स्कूलों को अपनाया जाना

भाग सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां है : हाँ

2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या स्पष्ट करें : नहीं

3. कंपनी जिन संस्था / संस्थाओं (आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) के साथ कारोबार करती है, वे कंपनी की कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) की पहलों में सहभागिता करते हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत स्पष्ट करें? (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) : नहीं

भाग डी : कारोबार जिम्मेदारी (बी आर) की जानकारी

1. कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का ब्यौरा

क) कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर :
- नाम : लागू नहीं
- पदनाम :

ख) कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) प्रमुख का ब्यौरा - कृपया इसकी जांच करें क्योंकि इसके अंतर्गत हम सीएफओ / ईडी / सीएमडी किसी को भी दें सकते हैं

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन नम्बर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री एन.सी. खुल्वे
3.	पदनाम	महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नम्बर	022-66684444
5.	ई-मेल आईडी: Headoffice.God@bankofindia.co.in	

h. Provide sponsorship for Mumbai Marathon

i. Cataract Operation / Eye Care

j. Fund raising activities to support Foster Homes for children

k. Promotion of Indian culture and arts

l. Provide sponsorship to sports

m. Provide sponsorship to Community Hospitals/NGOs in healthcare

n. Provide assistance to meritorious students grappling with financial constraints

o. Provide sponsorship for education / training / rehabilitation services for differently abled people

p. Provide sponsorship for the Flag Day (Navy Day)

q. Provide sponsorship for setting up medical centres

r. Provide sponsorship for job fairs

s. Provide sponsorship to purchase medical equipment

t. Gift for Balwadis

u. Provide sponsorship for Battery Operated Vehicles at various Railway Stations across the country. These vehicles cater to the needs of Senior Citizens and Differently Abled Persons

v. Adoption of One Teacher Schools in Tibal areas of Bihar

Section C : Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/Companies : YES

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR initiatives of the parent Company? If yes, then indicate the number of such subsidiary companies : NO

3. Do any other entity/entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30-60%, more than 60%) : NO

Section D : BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director / Director Responsible for implementation of the BR Policy / policies

- DIN Number :
- Name : N.A.
- Designation :

b) Details of the BR head – Please check this as we can give either CFO/ED/CMD under this.

S.No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A.
2.	Name	Mr. N.C. Khulbe
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	022-66684444
5.	e-mail id: Headoffice.God@bankofindia.co.in	

2. सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हाँ / नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास.... के लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ								
2.	क्या संबंधित शेयरधारक के साथ विचार-विमर्श करके नीति बनाई गई है?	हाँ								
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप है? यदि हां, स्पष्ट करें? (50 शब्दों में)	आईबीए/आरबीआई/बीसीएसबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार								
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है, यदि हाँ, तो क्या इस एमडी / ओनर / सीईओ / उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।	हाँ								
5.	क्या नीति बोर्ड के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए कंपनी में बोर्ड / निदेशक / अधिकारियों की विशिष्ट समिति है?	हाँ								
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.bankofinda.com								
7.	सभी संबंधित आंतरिक तथा बाहरी शेयरधारकों को नीति के संबंध में औपचारिक सूचना दी गई है?	हाँ								
8.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आंतरिक ढॉचा है?	हाँ								
9.	क्या कंपनी में शेयरधारकों की नीति / नीतियों से संबंधित शिकायतों की देखभाल करने हेतु संबंधित नीति/नितियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ								
10.	क्या कंपनी द्वारा इस नीति के कार्य का आंतरिक अथवा बाहरी एजेन्सी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया गया है?	हाँ								

2क. यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें क्यों? (2 विकल्प तक सही का निशान लगाएं)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नही समझा है	नहीं								
2.	कंपनी उस स्तर पर नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने तथा क्रियान्वित करने की स्थिति में हो	नहीं								
3.	कंपनी के पास कार्य हेतु वित्तीय अथवा श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है	नहीं								
4.	अगले छह महीने के अंदर यह करने की योजना है	हाँ, 6 महीने								
5.	अगले एक वर्ष के अंदर यह करने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

Sr. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/ policies for....	Yes								
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stake-holders?	Yes								
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	In line with guidelines issued by IBA/RBI/BCSBI								
4.	Has the policy been approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	YES								
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	YES								
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.bankofinda.com								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes								
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies	YES								
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	YES								
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	YES								

2a. If answer to S. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sr. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	The company has not understood the Principles	NO								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	NO								
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	NO								
4.	It is planned to be done within next 6 months	YES 6 months								
5.	It is planned to be done within the next 1 year									
6.	Any other reason (please specify)									

3. कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) से संबंधित शासन प्रणाली

- निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओं द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन कितने अंतराल में किया जाता है, स्पष्ट करें। 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक
- क्या कंपनी बीआर अथवा एक निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हायपरलिंक क्या है? कितने अंतराल में यह प्रकाशित की जाती है

  पहली बार. बीआरपी 31.03.2013 को अपनाया गया था। नई पहल है। यथा समय उपलब्ध होगा.

भाग ईः सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या नीतिशास्त्र, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हॉ

   क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/ अन्य पर विस्तारित है? हॉ

2. विगत वित्तीय वर्ष में शेयरधारको से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से निवारण का प्रतिशत क्या है? यदि

क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	:	19
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	2255
ग)	वर्ष के दौरान कितनी शिकायतों का निवारण किया गया	:	2262
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	:	12
	निपटाई गयी शिकायतों का %	:	99.47

सिद्धांत 2

1. आपके 3 ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची बनाए जिनमें सामाजिक अथवा पर्यावरण चिन्ताओं, जोखिमों और/अथवा अवसरों को शामिल किया गया है

   क) स्वयं सहायता समूह

   ख) स्वरोजगार विकास संस्थान (आरसेटी)

   ग) वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (अभय)

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में उत्पाद की प्रति इकाई के लिए (वैकल्पिक) उपयोग किए गए संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दें:

   i. वैल्यू चैन के शुरु से अंत तक विगत वर्ष से सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान प्राप्त कमी? } लागू नहीं

   ii. विगत वर्ष की तुलना में ग्राहको द्वारा उपयोग (ऊर्जा, पानी) के दौरान प्राप्त कमी ? }

3. स्थायी सोर्सिंग के लिए कंपनी के पास कार्यविधि है (ढुलाई सहित)

   i. यदि हॉं तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रुप से सोर्स किया गया? } लागू नहीं

   कृपया 50 शब्दों में उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें

   शाखाओं द्वारा प्रयोग की सभी वस्तुएं स्थानीय सोर्स से ली जाती हैं। सभी सेवाआउटलेटों के बीच वितरण के लिए थोक में खरीदी पारदर्शी प्रक्रिया की बोली के जरिए सोर्स की जाती है।

4. क्या कंपनी उनके कार्यक्षेत्र के आसपास के समूह सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान और सेवाएं लेने हेतु कोई कदम उठाये है?

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

  Maiden Time. BRP adopted on 31.03.2013. New initiative. Would be available in due course

Section E: Principle-wise performance

Principle 1

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes

   Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others? YES

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If

a)	No. of complaints pending at the beginning of year	:	19
b)	No. of complaints received during the year	:	2255
c)	No. of complaints redressed during the year	:	2262
d)	No. of Complaints pending at the end of	:	12
	the year % of complaints resoved	:	99.47

Principle 2

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

   a) Self Helf Groups

   b) Swarojgar Vikas Sansthan (RSETI)

   c) Financial Literacy & Credit Counselling centre (Abhay)

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

   i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? } N.A.

   ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year? }

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

   i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? } N.A.

   Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

   Almost all items of use are sourced locally by branches. Bulk Purchases for distribution among all service outlets are sourced through bidding transparent process.

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

यदि हॉ तो, स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं?

हाँ, जहाँ तक संभव है लागत को घटाने के लिए सबसे नजदीकी बिन्दु से सोर्सिंग की जाती है।

5. क्या कंपनी के पास उत्पाद और अपशिष्ट को रीसाइकल करने की प्रक्रिया है? यदि हाँ तो उत्पाद और अपशिष्ट का कितना प्रतिशत रीसाइकल किया जाता है (पृथक रुप में <5%, 5-10%, >10%). करीब 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।

<5%

सिद्धांत 3

कुल कर्मचारियों की संख्या सूचित करें . 42346

1. अस्थायी/ठेके पर/आकस्मिक आधार पर लिए गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं — करीब 1000
2. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं — 8415
3. कृपया विकलांगता सहित स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताए — 616
4. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन की मान्यता प्राप्त है। — हाँ
5. कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इन मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है? — 100%
6. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान बाल-श्रम, बेगारी, अनिच्छुक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं

क्र. सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/बेगारी / अनिच्छुक श्रम	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	पक्षपाती नियोजन	कोई नहीं	कोई नहीं

8. विगत वर्ष में निम्नलिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?
   - स्थायी कर्मचारी
   - स्थायी महिला कर्मचारी
   - आकस्मिक/अस्थायी/ठेके के कर्मचारी
   - अपंगता वाले कर्मचारी

लागू नहीं

सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य शेयरधारकों के लिए योजना बनाई है? हॉ/नहीं — हॉ
2. उपर्युक्त में से सुविधाहीन, संवेदनशील और अधिकारहीन शेयरधारको को अभिनिर्धारित किया है — हॉ

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Yes. As far as possible, sourcing done from nearest point to reduce costs.

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

<5%

Principle 3

Please indicate the Total number of employees 42346

1. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis — 1000 approx.
2. Please indicate the Number of permanent women employees — 8415
3. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities — 616
4. Do you have an employee association that is recognized by management — YES
5. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association? — 100%
6. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

Sr. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour/forced labour/involuntary labour	None	None
2.	Sexual harassment	None	None
3.	Discriminatory employment	None	None

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?
   - Permanent Employees
   - Permanent Women Employees
   - Casual/Temporary/Contractual Employees
   - Employees with Disabilities

N.A.

Principle 4

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No — **YES**
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders — **YES**

3.	क्या सुविधाहीन, संवेदनशील और अधिकारहीन शेयरधारकों को शामिल करने के लिए कंपनी द्वारा विशेष पहल की गई हैं। यदि हाँ तो करीब 50 शब्दों में ब्यौरा दें।	**जी हाँ, इस क्षेत्र के आंतरिक शेयरधारकों के लिए विभिन्न पहलों के जरिए, बेहतर समझ के लिए उन्हें आर्थिक लाभ देने के साथ-साथ पक्ष का समर्थन करना।**

सिद्धांत 5

1.	क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारो/एनजीओ/अन्यों के लिए भी विस्तारित की गई है?	**सभी के लिए। पारदर्शी प्रणाली के जरिए**
2.	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से कितनी शिकायते प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया?	**लगभग 99%**

सिद्धांत 6

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारो/एनजीओ/अन्य के लिए भी विस्तारित की गई है।	**कंपनी और कंपनी के साथ लेन-देन करने वाले सभी को कवर करती है।**
2.	क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे बदलता मौसम, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि का पता लगाने के लिए रणनीतियॉं/पहले हैं? हॉं/नहीं यदि हाँ तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।	**यह सेवा उद्योग होने के कारण कोई विशिष्ट पहल नहीं हैं।**
3.	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरण जोखिमों की पहचान और आकलन करती है ? हाँ/नहीं	हाँ
4.	क्या कंपनी के पास क्लीन डेवलप्मेन्ट मेकेनिज्म से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ तो करीब 50 शब्दो में ब्यौरा दें। साथ ही यदि हॉं तो क्या पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की जाती है?	नहीं
5.	क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलाजी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हॉं/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें।	**जी हाँ, ऊर्जा दक्षता की धारणा को क्रियान्वित किया जा रहा है।**
6.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा जेनरेट किए जा रहे इमिशन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के अंदर है?	**लागू नही, क्योंकि यह सेवा उद्योग है**
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या, जो लंबित (अर्थात् संतोषपूर्ण निवारण नहीं हुआ) है	**कोई नहीं।**

सिद्धांत 7

1.	क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेम्बर अथवा संघ की सदस्य है? यदि हाँ, केवल उन प्रमुख का नाम दें जिसके साथ आपका कारोबार संबंधी लेनदेन होता हैः	1. भारतीय बैंक संघ 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएन)

3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	**Yes. Through various initiatives for internal stakeholders to this section, to give them economic benefits as well as support causes for better understanding**

Principle 5

1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?	**To all. Through transparent system**
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	**99% approx.**

Principle 6

1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.	**Covers the Company and all those dealing with the Company**
2.	Does the company have strategies / initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.	**No specific initiative as it is a Service Industry.**
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	**YES**
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?	**NO**
5.	Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	**Yes. Concept of energy efficiency is being implemented**
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	**N.A., as engaged in Service Industry**
7.	Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	**None**

Principle 7

1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with: No	1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) 3. Institute of Banking Personal Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM)

2. क्या आपने उपर्युक्त संघ के जरिए जनता की भलाई की उन्नति और सुधार हेतु वकालत/प्रचार किया है? हॉ/नहीं; यदि हाँ मुख्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें (ड्राप बाक्सः शासन प्रणाली और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास की नीतियॉं, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा, स्थायी कारोबार सिद्धांत, अन्य)

❒ देश का एक बड़ा वाणिज्यिक बैंक होने के नाते बैंक नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों इत्यादि में प्रभावी रूप से सम्बद्ध है।

सिद्धांत 8

1.	क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/ परियोजना है यदि हाँ तो उसके ब्यौरे दें.	**हॉ**
2.	क्या इन हाउस टीम/अपना आधार/बाह्य एनजीओं/सरकारी संरचना/अन्य किसी संगठन द्वारा कार्यक्रम/परियोजना शुरु की गई है?	**इन हाउस के साथ-साथ बाह्य एजेन्सियां**
3.	क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?	**नहीं**
4.	समुदाय विकास परियोजना में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान क्या है। भारतीय रुपए में रकम और शुरु की गई परियोजना का ब्यौरा।.	
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया करीब 50 शब्दों में स्पष्ट करें।	**बैंक ने जरुरत मंद व्यक्तियों और समाज के दलित वर्गो के लिए ऋण सलाहकार सेवाएं जैसे ''अभय" आरंभ की हैं।**

सिद्धांत 9

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं।	**0.53%**
2.	क्या कंपनी स्थानीय कानून की अनिवार्यता के अतिरिक्त उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हॉ/नहीं/लागू नहीं /टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	**लागू नहीं**
3.	विगत पांच वर्षो के दौरान कंपनी के विरुद्ध किसी भी शेयरधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कोई भी मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हॉ, करीब 50 शब्दों में ब्यौरा दें	**कोई नहीं**
4.	क्या आपकी कंपनी द्वारा उपभोक्ता संतुष्टि की प्रवृत्ति /उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया है?	**हाँ**

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).

❒ Bank being one of the largest commercial banks in the country, works closely with policymakers and policy-making associations, for sustainable development of the banking industry.

Principle 8

1.	Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	**YES**
2.	Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?	**In-house as well as outside agencies**
3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	**NO**
4.	What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken	
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	**The Bank has set up Credit Advisory Services, viz. "ABHAY" for needy persons and downtrodden sections of the society**

Principle 9

1.	What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	**0.53%**
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. / Remarks (additional information)	**N.A.**
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so	**NONE**
4.	Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	**YES**

कार्पोरेट शासन प्रणाली

शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

अपने कारोबार संचलन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली दर्शन संरचित है जबकि प्रयास शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि जिसमें स्पष्टतया उनकी विशिष्ट भूमिकाएं चिन्हित हैं तथा विकसित कार्पोरेट कार्यनिष्पादन है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन बोर्ड के निदेशक मंडल के पास है, जिसकी अध्यक्षता बैंक की अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका द्वारा की जाती है।

अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका तथा कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत बोर्ड का संयोजन निम्नलिखित था :

श्री आलोक कुमार मिश्रा (30.09.2012 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती वी. आर. अय्यर (05.11.2012 से)	अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
श्री एन. शेषाद्री	कार्यपालक निदेशक
श्री एम. एस. राघवन	कार्यपालक निदेशक
श्री बी. पी. शर्मा (18.06.2012 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री उमेश कुमार	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री पी. आर. रवि मोहन (06.09.2012 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री हरविंदर सिंह	गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री ए. एम. परेरा (18.07.2012 से)	कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री के. के. नायर	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री नीरज भाटिया	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री पी. एम. सिराज़ुीन	शेयरधारक निदेशक
श्री प्रमोद भसीन	शेयरधारक निदेशक
श्री उमेश कुमार खेतान	शेयरधारक निदेशक

अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर मंडल में शेष सभी निदेशक बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के अलावा केंद्रीय सरकार और शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक व रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रतिनिधि निदेशक सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं। कोई भी निदेशक अन्य किसी निदेशक का संबंधी नहीं है।

वर्ष के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्रीमती वी. आर. अय्यर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशिका

श्रीमती वी. आर. अय्यर, आयु 57 वर्ष, हमारे बैंक की अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका हैं। मौजूदा समनुदेशन से पूर्व वे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में 1 सितंबर, 2010 से कार्यपालक निदेशक थीं, जहां वे ऋण, कोषागार, विदेशी मुद्रा, सूचना प्रौद्योगिकी, सीबीएस,

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairperson and Managing Director.

The Chairperson & Managing Director and the Executive Directors are appointed by the Central Government. During the year under review the Composition of the Board was as under:-

Shri Alok Kumar Misra (Upto 30.09.2012)	Chairman & Managing Director
Smt. V. R. Iyer (From 05.11.2012)	Chairperson and Managing Director
Shri N. Seshadri	Executive Director
Shri M.S. Raghavan	Executive Director
Shri B.P. Sharma (From 18.06.2012)	Executive Director
Shri Umesh Kumar	Nominee of the Central Government
Shri P.R. Ravi Mohan (From 06.09.2012)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri Harvinder Singh	Non-Workmen Employee Director
Shri A.M. Pereira (From 18.07.2012)	Workmen Employee Director
Shri K.K. Nair	Part-Time Non-Official Director
Shri Neeraj Bhatia	Part-Time Non-Official Director
Shri P.M. Sirajuddin	Shareholder Director
Shri Pramod Bhasin	Shareholder Director
Shri Umesh Kumar Khaitan	Shareholder Director

All directors, other than the Chairperson & Managing Director and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and the part time non official Directors appointed by the Central Government are independent directors within the meaning of Clause 49 of the Listing Agreement. None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year

Smt. V R Iyer, Chairperson & Managing Director

Smt. V R Iyer, aged 57 years, is the Chairperson & Managing Director of your Bank. Prior to the current assignment, she was Executive Director in Central Bank of India with effect from 1st September, 2010 where she looked after Credit, Treasury, Forex, IT,

जोखिम प्रबंधन और निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा पोर्टफोलियों का कार्यभार संभालती थीं। श्रीमती अय्यर सीएआईआईबी के साथ कॉमर्स में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने 1975 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से अपने कॅरियर की शुरुआत की। उन्होंने बहुत बड़ी और अतिरिक्त रुप से बड़ी शाखाओं में काम किया है। ऋण निगरानी विभाग और जोखिम प्रबंधन विभाग, सीबीएस की शुरुआत वैकल्पिक चैनल और अन्य विभिन्न ई-पहलों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री बिमल प्रसाद शर्मा

श्री बिमल प्रसाद शर्मा, कार्यपालक निदेशक श्री बिमल प्रसाद शर्मा 1984 के सीधी भर्ती के प्रबंधक हैं, जिन्होंने 18 जून, 2012 से बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। श्री शर्मा हॉनर्स के साथ विज्ञान में स्नातक, विधि में स्नातक तथा समाज कल्याण में स्नातकोत्तर हैं उन्होंने अपने कॅरियर की शुरुआत 27 अगस्त, 1984 से पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग के रुप में की। उन्होंने 28 वर्षों की कॅरियर अवधि में बैंक के पदानुक्रम में विभिन्न पदों को संभाला। श्री शर्मा ने बड़े पैमाने पर देशभर में मानव संसाधन, परिचालन एवं एमएसएमई में काम किया है।

श्री पी. आर. रविमोहन

श्री पी.आर. रविमोहन, आयु 54 वर्ष, 6 सितम्बर, 2012 से भारतीय रिज़र्व के नामिती निदेशक हैं। श्री रवि मोहन एम.एस.सी. (फिजिक्स), सीएआइआईबी हैं और बर्मिंधन विश्व विद्यालय यू.के. से एम.बी.ए. का प्रफेशनल क्वालिफिकेशन है (इंटरनेशनल बैंकिंग एण्ड फाइनेंस) फिलहाल वे क्षेत्रीय निदेशक, भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक में तैनात हैं।

श्री एंटोनियो एम. परेरा

श्री एंटोनियो परेरा, आयु 54 वर्ष, 18.07.2012 से कामगार कर्मचारी निदेशक हैं, श्री परेरा बी.ए. (इकॉनामिक हॉनर्स), एल.एल.बी., सीएआईआईबी हैं और वर्तमान में बीओआई स्टाफ यूनियन फेडरेशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं और वास्को-डा-गामा शाखा में विशेष सहायक के रुप में तैनात हैं।

CBS, Risk Management and Inspection & Audit portfolios. Smt. Iyer, post-graduate in Commerce with CAIIB, started her career in Union Bank of India in 1975. She has worked in very large and extra large branches. She has extensive exposure in Credit Department, Credit Monitoring Department and contributed significantly in setting up of Risk Management Department, rolling out CBS, alternate channels and various other e-initiatives.

Shri Bimal Prasad Sharma, Executive Director

Shri Bimal Prasad Sharma, a Direct Recruit Manager of 1984 has taken over as Executive Director of Bank of India with effect from 18th June, 2012. Shri Sharma, a Science Graduate with honors', a Graduate of Law and a Master in Social Welfare was the General Manager at the Punjab National Bank. He had started his career with Punjab National Bank as Manager, HRD on 27th August, 1984. He had held several distinguished positions in the Bank's hierarchy in a career spanning 28 years. Shri Sharma has worked extensively throughout the country in the areas of Human Resources, Operations & MSME

Shri P.R. Ravi Mohan

Shri P.R. Ravi Mohan, aged 54 years, is a Reserve Bank of India Nominee Director of the Bank w.e.f. 6th September, 2012. Shri P.R. Ravi Mohan is a M.Sc. (Physics), CAIIB and has professional qualification of M.B.A. (International Banking & Finance), from university of Birmingham, U.K. He is currently posted at Regional Director, Bhopal Regional Office, Reserve Bank of India.

Shri Antonio. M. Pereira

Shri Antonio M. Pereira, 54 years, is a Workmen Employee Director with effect from 18.07.2012. Shri Pereira is B.A. (Economics Hons.), LL.B., CAIIB and presently Deputy General Secretary of Federation of BOI Staff Union and is posted at. Vasco-da-Gama Branch as a Special Assistant.

निदेशकों के अन्य विवरण OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS

Sr No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समिति के सदस्य Member of Board Committees	
						सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1.	श्रीमती वी. आर. अय्यर Smt.V.R.Iyer		05.11.2012	बैंकिंग Banking	1. न्यू इंडिया एस्यूरेंस कं. लि. 2. आयात निर्यात बैंक ऑफ़ इंडिया 3. बीओआई शेयर होल्डिंग लि. 1. New India Assurance Co. Ltd. 2. Export Import Bank of India 3. BOI Shareholding Limited	–	–
2.	श्री एन. शेषाद्री Shri N. Seshadri	-	01.11.2010	बैंकिंग Banking	1. बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विस प्रा.लि. 2. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 3. इंडो जांबिया बैंक लि. 1. BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd. 2. National Payment Corporation of India 3. Indo Zambia Bank	2	–
3.	श्री एम.एस. राघवन Shri M.S. Raghavan	–	01.01.2012	बैंकिंग Banking	1. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इन्स्यूरेंस कं. लि. 2. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. 3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानिया) लि. 1. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 2. Bank of India (New Zealand) Ltd. 3. Bank of India (Tanzania) Ltd.	2	–

निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समिति के सदस्य Member of Board Committees सदस्य Member	 अध्यक्ष Chairman
4. श्री बी. पी. शर्मा Shri B.P. Sharma		18.06.2012	बैंकिंग Banking	1. बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 2. एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. 3. बैंक ऑफ़ इंडिया यूगांडा लि. 1. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 2. Agriculture Finance Corporation Limited 3. Bank of India Uganda Ltd.	2	–
5. श्री उमेश कुमार Shri Umesh Kumar	-	22.07.2011	प्रशासन Administration	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एण्ड रुरल डेवलपमेंट National Bank for Agriculture and Rural Development	–	–
6. श्री पी. आर. रवि मोहन Shri P.R. Ravi Mohan		06.09.2012	बैंकिंग Banking	–		1 –
7. श्री नीरज भाटिया Shri Neeraj Bhatia	–	17.10.2011	लेखाकंन Accounting	बैन्डबरोन मार्केटिंग (प्रा.) लि. Brandbaron Marketing (P) Ltd.	1	1
8. श्री के. के. नायर Shri K K Nair	800	04.05.2011	बैंकिंग Banking	–	–	–
9. श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	200	01.02.2011	बैंकिंग Banking	–	–	–
10. श्री ए. एम. परेरा Shri A. M. Pereira	600	18.07.2012	बैंकिंग Banking	–	–	–
11. श्री पी.एम. सिराजुद्दीन Shri P.M. Sirajuddin	600	25.10.2011	वित्त, प्रशासन रुरल ऋण Finance, Administration, Rural Credit	–	1	1
12. श्री उमेश कुमार खेतान Shri Umesh Kumar Khaitan	100	25.10.2011	विधि Law	1. कॉन्टम पेपर लि. 2. सुतलुज टेक्सटाइल एंड इन्. लि. 3. अय्यर मनीज रबर इस्टेट लि. 4. नेहरु प्लेस हॉटेल्स लि. 5. ओरिएंट एब्रेसिव्ज लि. 6. कंबाइन एक्यूरेट फाइनेंसियल सर्विसेज इंडिया लि. 7. कंबाइन ओवरसीज लि. 8. रुनेचा टेक्सटाइल लि. 9. गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट लि. 1. Kauntum papers Ltd. 2. Sutluj Textiles & Industries Ltd. 3. Aiyer Manis Rubber Estate Ltd. 4. Nehru Place Hotels Ltd. 5. Orient Abrasives Ltd. 6. Combine Accurate Financial Services India Ltd. 7. Combine Overseas Ltd. 8. Runeecha Textiles Ltd. 9. Ghaziabad Investment Limited	2	–
13. श्री प्रमोद भसीन Shri Pramod Bhasin	200	25.10.2011	बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट फाइनेंसि-यल सर्विसेज Business Process Management, Financial Services	1. एनडीटीवी लि. 2. एसआरएफ लि. 1. NDTV Ltd. 2. SRF Ltd.	3	–

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता / सदस्यता पर विचार किया है।

In compliance of Clause 49 of the Listing Agreement the Bank has considered the Chairmanship/Membership of the Audit Committee and the Investor's / Shareholder's Grievance committee alone.

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 12 बैठकें आयोजित की गईं:

Conduct of Board Meetings :

During the year, 12 Board Meetings were held on the following dates:

30.04.2012	07.05.2012	01.06.2012	29.06.2012	27.07.2012	17.08.2012
22.09.2012	29.10.2012	08.12.2012	08.01.2013	28.01.2013	01.03.2013

बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपास्थिति का आभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि से - तक Period (From – To)
श्री आलोक मिश्रा	Shri Alok K. Misra	7	7	01.04.2012 से / to 30.09.2012
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V. R. Iyer	4	4	05.11.2012 से / to 31.03.2013
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	12	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M.S.Raghavan	9	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री बी. पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	8	9	18.06.2012 से / to 31.03.2013
श्री उमेश कुमार	Shri Umesh Kumar	7	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री पी. आर. रवि मोहन	Shri P.R. Ravi Mohan	6	6	06.09.2012 से / to 31.03.2013
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	12	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री ए. एम. परेरा	Shri A. M. Pereira	8	8	18.07.2012 से / to 31.03.2013
श्री के.के. नायर	Shri K. K. Nair	11	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	12	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	11	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री प्रमोद भसीन	Shri Pramod Bhasin	6	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	11	12	01.04.2012 से / to 31.03.2013

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और वह वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2013 को इस समिति में 9 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, सनदी लेखाकार निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 3 अंशकालिक अशासकीय निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 20 बैठकें हुई :

Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.3.2013 it comprised of 9 members consisting of the Chairman and Managing Director, 3 Executive Directors, Chartered Accountant Director, nominee of RBI and 3 part time non-official Directors.

The Management Committee of the Board met 20 times during the year on the following dates:

20.04.2012	02.06.2012	30.06.2012	26.07.2012	09.08.2012	08.09.2012	22.09.2012	09.10.2012	22.10.2012	29.10.2012	09.11.2012	05.12.2012
14.12.2012	26.12.2012	15.01.2013	22.01.2013	13.02.2013	01.03.2013	13.03.2013	23.03.2013				

प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित अनुसार है:

Attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपास्थिति का आभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि से - तक Period (From – To)
श्री आलोक मिश्रा	Shri Alok K. Misra	7	7	01.04.2012 से / to 30.09.2012
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V.R. Iyer	9	10	05.11.2012 से / to 31.03.2013
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	20	20	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	16	20	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री बी. पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	11	18	18.06.2012 से / to 31.03.2013
श्री पी. आर. रवि मोहन	Shri P.R. Ravi Mohan	15	15	06.09.2012 से / to 31.03.2013
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	20	20	01.04.2012 से / to 31.3.2013

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपास्थिति का आभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि से - तक Period (From – To)
श्री के.के. नायर	Shri K.K. Nair	13	14	08.05.2012 से / to 07.11.2012 19.01.2013 से / to 31.03.2013
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	4	4	01.04.2012 से / to 18.07.2012 22.03.2013 से / to 31.03.2013
श्री ए. एम. परेरा	Shri A.M. Pereira	9	13	22.09.2012 से / to 21.03.2013
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	12	13	01.04.2012 से / to 07.05.2012 19.07.2012 से / to 18.01.2013
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	12	13	01.04.2012 से / to 01.07.2012 08.11.2012 से / to 31.03.2013

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समितिः

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में ₹ 400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

नयी बनायी गयी इस समिति के सदस्यों में अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका, कार्यपालक निदेशक गण, क्रेडिट के प्रभारी अधिकारी महाप्रबंधक, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका करेंगी। वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 24 बैठकें हुई :

Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto ₹ 400 crore in case of our Bank and in case of exposure exceeds such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Chairperson and Managing Director, the Executive Directors, The General Manager in-charge of the credit, The General Manager in-chage of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management. The committee meetings are being chaired by the Chairperson and Managing Director of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 24 times during the year on the following dates:

10.04.2012	13.04.2012	12.05.2012	23.05.2012	08.06.2012	20.06.2012	30.06.2012	17.07.2012	04.08.2012	16.08.2012	03.09.2012	08.09.2012
18.09.2012	30.11.2012	13.12.2012	22.12.2012	28.12.2012	31.12.2012	11.01.2013	28.01.2013	15.02.2013	25.02.2013	08.03.2013	19.03.2013

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपास्थिति का आभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री आलोक मिश्रा	Shri Alok K Misra	13	13	01.04.2012 से / to 30.09.2012
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V R Iyer	9	11	05.11.2012 से / to 31.03.2013
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	20	24	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M S Raghavan	18	24	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री बी. पी. शर्मा	Shri B P Sharma	9	19	18.06.2012 से / to 31.03.2013

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बेंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निदेश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 7 सदस्य हैं, अर्थात कार्यपालक निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अंशकालिक अशासकीय निदेशक। श्री नीरज भाटिया बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें हुई :

Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 7 members viz. Executive Directors, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 non official part time directors, Shri Neeraj Bhatia is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the year, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

30.04.2012	07.05.2012	29.06.2012	27.07.2012	30.08.2012	22.09.2012	29.10.2012	09.11.2012	26.12.2012	28.01.2013	01.03.2013

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का आभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	11	11	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	11	11	01.04.2011 से / to 31.03.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	8	11	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री बी. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	8	9	18.06.2012 से / to 31.03.2013
श्री उमेश कुमार	Shri Umesh Kumar	6	11	01.04.2012 से / to 31.03.2013
श्री पी. आर. रवि मोहन	Shri P.R. Ravi Mohan	6	6	06.09.2012 से / to 31.03.2013
श्री प्रमोद भसीन	Shri Pramod Bhasin	6	11	01.04.2012 से / to 31.03.2013

बैंक के तिमाही गैर-लेखा परीक्षित परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति :

कार्पोरेट नियंत्रण पर सेबी के दिशानिर्देशों के तहत स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र की अप्राप्ति, लाभांश की अप्राप्ति इत्यादि से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शेयरधारकों/निवेशकों की एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया था। वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्रायःसात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें हल कर दी जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री पी. एम. सिराजुद्दीन इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईः

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for adoption.

Shareholders'/Investors' Grievance Committee :

In compliance of SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in clause 49 of the Listing Agreement, Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance sheet, non-receipt of dividends etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri P M Sirajuddin, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance officer of the Bank for this purpose.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

30.06.2012	22.09.2012	05.12.2012	13.03.2013

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित हैः

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का आभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	4	4	01.04.2012 to 31.03.2013
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	4	4	01.04.2012 to 31.03.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	2	4	01.04.2012 to 31.03.2013
श्री बी. पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	1	4	18.06.2012 to 31.03.2012
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	4	4	01.04.2012 to 31.03.2013

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री आलोक के. मिश्रा, श्री एन. शेषाद्रि, श्री एम.एस. राघवन, श्री बी. पी. शर्मा, श्री नीरज भाटिया, श्री पी. एम. सिराज्ुीन, श्री के.के. नायर और श्री हरविंदर सिंह दिनांक 29.06.2012 को हुई बैंक की विगत अर्थात सोलहवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

Shri Alok K. Misra, Shri N. Seshadri, Shri M S Raghavan, Shri B P Sharma, Shri Neeraj Bhatia, Shri P M Sirajuddin, Shri K K Nair and Shri Harvinder Singh attended the last i.e., Sixteenth Annual General Meeting of the Bank held on 29.06.2012

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances :

Share Transfers, Dividend / interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these

को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार से संपर्क करने का अनुरोध है :

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, 13, ए बी, समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स, दूसरी मंजिल, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी कुर्ला रोड़, साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 072. फोन 022-67720300, फैक्स - 022-28591568, ई-मेलः sharepro@shareproservices.com

अथवा इस पर

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि,. निवेशक संपर्क केन्द्र, 912, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल हाउस,नरीमन पॉईंट मुंबई - 400 021.

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैंः

स्टार हाउस, 8वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, फोन 022-66684444, फैक्स- 022-66684491, ई-मेलः headoffice.share@bankofindia.co.in

बेहतर निवेशक सेवाएं मुहैया कराने के लिए और शेयर अंतरण प्रणाली को तीव्र बनाने के लिए बैंक शेयरों के अंतरण/प्रेषण का प्रोसेस साप्ताहिक आधार पर करता है और शेयर अंतरण समिति को मासिक आधार पर मामले की रिपोर्ट करता है। बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार शेयर अंतरण समिति, अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और दो अन्य निदेशकों से गठित की गई है। वर्ष के दौरान समिति की 12 बैठकें हुईं। 31.03.2013 तक अंतरण के लिए प्राप्त सभी प्रमाण-पत्रों को प्रासेस किया गया और प्रेषित किया गया।

documents and for queries/ complaints /grievances, shareholders and investors are requested to contact

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Unit-Bank of India, 13AB, Samhita Warehousing Comlex 2nd Floor, Near Sakinaka Telephone Exchange, Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai - 400 072 Phone 022-67720300, Fax- 022-28591568, E-mail : sharepro@shareproservices.com

OR at

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Investor Relation Centre, 912, Raheja Centre, Free Press Journal House, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Share Department at

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051, Phone 022-66684444, Fax- 022-66684491, E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

With a view to speed up the share transfer system for the better investor's services, Bank is processing the transfer / transmission of shares on weekly basis and reports the matter to Share Transfer Committee on monthly basis. The Share Transfer committee is comprising of the Chairperson & Managing Director and in her absence Executive Director of the Bank and two other directors in terms of the provisions of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007. The committee met 12 times in the year. All the share certificates received for transfer upto 31.03.2013 have been processed and dispatched.

आम सभा की बैठकें : / General Body Meetings :

	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue
1	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	01.03.2013 दोपहर 3.00 बजे / 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
2	सोलहवीं वार्षिक आम बैठक Sixteenth Annual General Meeting	29.06.2012 दोपहर 3.00 बजे / 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
3	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	24.03.2012 प्रातः 10.30 बजे / 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
4	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	21.10.2011 प्रातः 10.30 बजे / 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
5	पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक Fifteenth Annual General Meeting	14.07.2011 दोपहर 3.30 बजे / 3.30 P.M.	पाटकर कॉन्वोकेशन हॉल, क्वीन्स रोड, फोर्ट, मुंबई 400 020. Patkar Convocation Hall, Queens Road, Fort, Mumbai 400 020.
6	असाधारण आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	17.03.2011 दोपहर 3.30 बजे / 3.30. P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
7	चौदहवीं वार्षिक आम बैठक Fourteenth Annual General Meeting	14.07.2010 दोपहर 3.00 बजे / 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.

प्रकटन

बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 से नियंत्रित होता है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि सूचीकृत संस्थाएं जो कंपनियां नहीं है लेकिन अन्य संविधियों के अंतर्गत निगमित निकाय हैं (उदाहरणार्थ ज्ञ्निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां आदि) पर सूचीकरण करार का खंड 49 केवल उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक वह उनकी संदर्भगत संविधि और उनके नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी तत्संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें।

Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i) निदेशकों का पारिश्रमिक :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक

समिति बैठकों के लिए : ₹ 5,000/- प्रति बैठक

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो।बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जब उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमान्य निर्गमों आदि की आगम राशियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 809 करोड़ की टियर I बढ़ाने के लिए इक्विटी शेयरों के प्रिफेरशिंयल इश्यू के रूप में भारत सरकार को प्रतिशेयर ₹ 355.70 की प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10/- के 2,21,21,957 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। निधियां उठाने का प्राथमिक उेश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुढ करने हेतु टियर-I एवं II पूंजी प्राप्त करना और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को सुधारना और इस रकम को इसी उद्देश्य के लिए लगाया है।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. स्टाक एक्सचेंज के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सूचीकरण करार की धारा 47(सी) के अंतर्गत किए गए करार के द्वारा अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन समेलन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव से प्रत्येक छः माह में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को 30 दिनों के भीतर जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, प्रेषित किए जाते हैं तथा निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

vi. सेबी के परिपत्र सं.डीएवं सीसी/एफआइटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसबंर, 2002 की शर्तों के अनुसार निक्षेपागारों के साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की जाती है। इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध रहते हैं।

संप्रेषण के साधन

तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (गैर-लेखा परीक्षित परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्यधीन और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी में इकॉनॉमिक टाइम्स/बिजनेस स्टैंडर्ड/फाइनेंसियल एक्सप्रेस/बिजनेस लाइन और मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में सकाळ/नवशक्ति/लोकमत/आपला महानगर तथा हिंदी भाषा में नवभारत टाइम्स/नवभारत समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the independent directors excepting sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per meeting

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the. Bank has issued 2,21,21,957 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 355.70 per share to Government of India by way of Preferential issue of Equity Shares for raising Bank's Tier I Capital of ₹ 809 Crores

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I&II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under clause 47[c] of the listing agreements entered into by Bank of India with stock exchanges a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares in the within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance and also placed before the Board of Directors.

vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of capital Report is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

Means of Communication :

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Financial Express /Business Line in English, Sakal /Navshakti/ Lokmat/ Apla Mahanagar in Marathi (Regional language) and Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

सेबी एवं करारों के सूचीकरण में स्टॉक एक्सचेंज को प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त अपनी वित्तीय एवं अन्य जानकारी को, कॉर्पफाइलिंग प्रणाली के माध्यम से तथा नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करता है।

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online through Corpfiling system in addition to the physical submission to the Stock Exchange and on the web portals of NSE & BSE.

वित्तीय कैलेंडर : 1 अप्रैल 2013 से / Financial Calendar : From 1st April, 2013 :

बैंक के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड की बैठक Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	13 मई, 2013 13th May, 2013
17वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख, समय, स्थानः Date, Time, Venue of 17th AGM:	शनिवार 29 जून, 2013, प्रातः 11.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Saturday 29th June, 2013, 11.00 A.M. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
वार्षिक रिपोर्ट के डाक प्रेषण की तारीख Posting of Annual Report	3 से 4 जून, 2013 3nd to 4rd June, 2013
बही बंद करने की तारीखें Book Closure dates	22 से 29 जून, 2013 22nd June to 29th June 2013
परोक्षी फार्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of proxy forms	24 जून, 2013 24th June, 2013
लांभाश के भुगतान की तारीख (यदि घोषित हुआ) Date of payment of dividend (if Declared)	09 जुलाई, 2013 09th July, 2013
प्रथम 3 तिमाहियों के लिए गैर-लेखा परीक्षित परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	संबंधित तिमाही से 45 दिनों के भीतर Within 45 days after the relevant quarter.

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयरों का बी.एस.ई. लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं:

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

बी.एस.ई. लिमिटेड	BSE Limited	532149
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	ISIN Number	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2013-2014 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र के स्वरूप में अपरिवर्तनीय बांड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं उनसे संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

Annual listing fee for 2013-14 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉड - टियरI एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2013
BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2013

क्र.सं Sr.No	निर्गम का विवरण PARTICULARS OF THE ISSUE		कुल मूल्य (रु.करोड में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	5.88% बीओआई श्रृंखला - V-2014	5.88% BOI SERIES – V-2014	350.00	आईएनई / INE084A09050
2	5.90% बीओआई श्रृंखला - VI-2014	5.90% BOI SERIES – VI-2014	200.00	आईएनई / INE084A09068
3	7.10% बीओआई श्रृंखला - VII-2014	7.10% BOI SERIES – VII-2014	300.00	आईएनई / INE084A09076
4	7.50% बीओआई श्रृंखला - VIII-2014	7.50% BOI SERIES –VIII-2014	750.00	आईएनई / INE084A09084
5	8.00% बीओआई श्रृंखला - IX-2016	8.00% BOI SERIES – IX –2016	200.00	आईएनई / INE084A09100
6	9.35% अपर टियर II - श्रृंखला I-2016	9.35% UPPER TIER II SERIES–I-2016	732.00	आईएनई / INE084A09118
7	11.15% अपर टियर II - श्रृंखला II-2018	11.15% UPPER TIER II SERIES–II- 2018	500.00	आईएनई / INE084A09159
8	8.45% अपर टियर II श्रृंखला - III-2019	8.45% UPPER TIER II SERIES–III-2019	500.00	आईएनई / INE084A09175
9	8.50% अपर टियर II श्रृंखला - V-2019	8.50% UPPER TIER II SERIES–IV-2019	500.00	आईएनई / INE084A09183
10	8.54% अपर टियर II श्रृंखला - V-2020	8.54% UPPER TIER II SERIES–V-2020	1000.00	आईएनई / INE084A09209

क्र.सं Sr.No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
11	8.48% अपर टियर II श्रृंखला - VI-2020	8.48% UPPER TIER II SERIES–VI-2020	1000.00	आईएनई / INE084A09217
12	10.55% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला I	10.55% IPDI Bonds-Series I	400.00	आईएनई / INE084A09126
13	10.45% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला II	10.45% IPDI Bonds-Series II	100.00	आईएनई / INE084A09134
14	10.40% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला III	10.40% IPDI Bonds-Series III	155.00	आईएनई / INE084A09142
15	8.90% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	आईएनई / INE084A09167
16	9.00% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	आईएनई / INE084A09191
17	9.05% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	आईएनई / INE084A09225
	कुल	**TOTAL**	**7712.00**	

इन सभी बॉंडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इं.लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2013-2014 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2013-2014 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण

Credit Ratings

एजेंसी	Agency	प्रदत्त रेटिंग / Rating Assigned
मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (मूडीस)	Moody's Investor Service (Moody's)	बीएए3 / पी-3 / Baa3 / P-3
स्टॅन्डर्ड एवं पूअर (एस एवं पी)	Standard & Poor's (S&P)	बीबीबी(-) / BBB(-)
क्रेडिट एनालिसिस एवं रिसर्च लि.(सीएआरई)	Credit Analysis & Research Limited (CARE)	सीएआरईएए / CAREAAA
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आइसीआरए)	Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Term Deposit Programme	एमएए / MAAA
बांडस हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आईसीआरए)	Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Bonds	एलएए+ / LAA+
कॉर्पोरेट शासन हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (आईसीआरए)	Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Corporate Governance	सी.जी.आर.-2 / CGR-2
सीआरआइएसआइएल (क्रिसिल)लि. बॉंड्स हेतु	CRISIL Limited – For Bonds	एए / AAA
सीआरआइएसआइएल (क्रिसिल)लि.- जमा प्रमाण पत्र हेतु	CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	पी1+ / P1+
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा.लि. - बांड्स हेतु	Brickwork Ratings India Pvt Limited-For Bonds	बीडब्ल्यूआर एए / BWR AAA

शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डिमेट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडील) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है।

शेयरधारकों का यथा दिनांक 31.03.2013 को प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा इस प्रकार हैः

Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2013 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of share holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारण का % % shareholding
सीडीएसएल	CDSL	33078	386515035	64.86
एनएसडीएल	NSDL	74284	192620300	32.33
प्रत्यक्ष	Physical	109946	16766992	2.81
कुल	**Total**	**217308**	**595902327**	**100.00**

शेयरधारण पैटर्न यथा 31.03.2013 / Shareholding Pattern as on 31.03.2013

शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	1	382006827	64.11
म्यूचुअल फंड / यूटीआई	Mutual Funds / UTI	49	4088309	0.69
वित्तीय संस्थाएं / बैंक	Financial Institutions / Banks	26	1199601	0.20
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	41	92068869	15.45
कारपोरेट निकाय	Bodies Corporate	1746	3348904	0.56
एकल व्यक्ति	Individuals	213579	30256461	5.07
अनिवासी भारतीय / ओसीबी	Non Resident Indians/ OCB	1560	2313652	0.39
विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	306	80619704	13.53
कुल	**Total**	**217308**	**595902327**	**100.00**

पब्लिक शेयरधार का विवरण जिनकी शेयरधारिता 1% से अधिक है
Statement Showing Shareholding of persons Belonging to the Category 'Public' and holding more than !% of the total number of shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या / Number of Shares	शेयरधारिता % / % of Holding
भारतीय बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	76419557	12.82
लज़ार्ड असेट मैनेजमेंट	Lazard Asset Management LLC	23216845	3.90

लॉक्ड-इन शेयर दर्शाने वाला विवरण / Statement Showing locked in Shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	लॉक्ड-इन शेयरों की संख्या Number of locked in Shares	कुल शेयरों के % के रूप में लॉक्ड-इन शेयर Locked in shares as a % of total number of shares
भारत के राष्ट्रपति	President of India	382006827	64.11

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2013 / Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2013

		फोलियो / Folio		शेयर / Shares	
धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	**No of Equity Shares held**	**संख्या / Nos.**	**प्रतिशत / %age**	**संख्या / Nos.**	**प्रतिशत / %age**
500 तक	Upto 500	211035	97.11	25032390	4.20
501 से 1000	501 to 1000	4314	1.99	3060690	0.51
1001 से 5000	1001 to 5000	1394	0.64	2952534	0.50
5001 से 10000	5001 to 10000	158	0.07	1183937	0.20
10001 एवं इससे अधिक	10001 & above	407	0.19	563672776	94.59
कुल	**Total**	**217308**	**100.00**	**595902327**	**100.00**

शेयर मूल्य /मात्रा :

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

Share Price / Volume :

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-

अवधि	Period	अधिकतम रुपये Highest ₹	न्यूनतम रुपये Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of shares traded
अप्रैल, 2012	April, 2012	389.70	322.00	12139294
मई, 2012	May, 2012	358.60	302.00	13508425
जून, 2012	June, 2012	362.00	324.20	9898637
जुलाई, 2012	July, 2012	356.90	288.00	15055686
अगस्त, 2012	August, 2012	300.90	253.30	12763458
सितंबर, 2012	September, 2012	313.80	253.55	19966182
अक्तूबर, 2012	October, 2012	314.80	269.25	17598228
नवंबर, 2012	November, 2012	294.90	263.10	11923102
दिसंबर, 2012	December, 2012	347.55	278.10	22516640
जनवरी, 2012	January, 2013	393.00	332.40	33990895
फरवरी, 2013	February, 2013	358.50	312.10	16802142
मार्च, 2013	March, 2013	330.70	281.90	18695341
यथा 31.03.2013 की लेखा बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2013	₹ 302.85 (एनएसई) / (NSE)		
बाज़ार पूंजीकरण	Market Capitalisation	₹ 18046.90 करोड़ / Crore		

व्यापकता आधारवाले संकेतकों की तुलना में कार्य-निष्पादन
Performance in comparison to Broad Based Indices

एनएसई पर बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on NSE

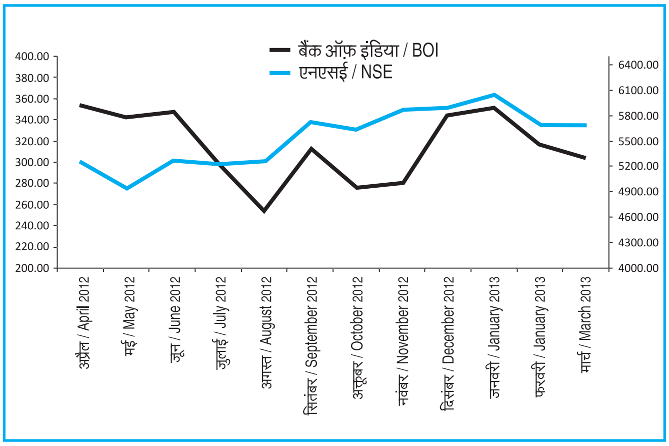

बीएसई पर बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Prise on BSE

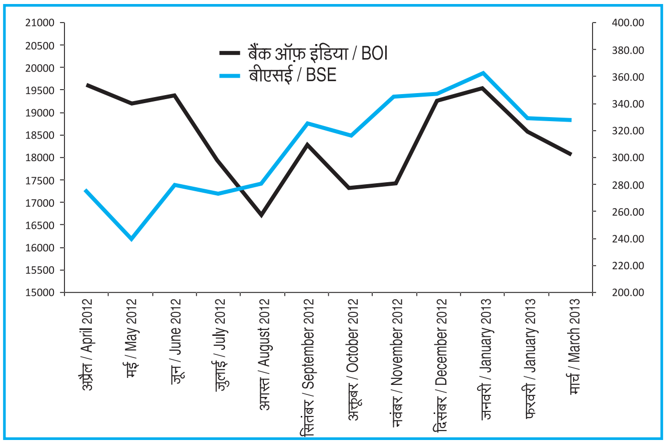

कार्पोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

शेयर बाजार के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

कार्पोरेट शासन की रेटिंग

बैंक की कार्पोरेट शासन प्रथाओं पर आईसीआरए ने ''सीजीआर-2'' रेटिंग प्रदान की है।

अनिवार्य, गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने सूचीबद्ध करार के खण्ड की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और कथित खण्ड की गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में बैंक ने उसे अपनाया नहीं है। कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

Corporate Governance Rating

ICRA Ltd. has assigned 'CGR-2' rating on Corporate Governance practices of the Bank.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements.

The Bank has complied with the mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement in respect of non mandatory requirements of the said clause, the Bank has not adopted the same. The status of its implementation is as under:

क्र.सं. Sr.No.	गैर अनिवार्य अपेाााएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड** - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार हो। **The Board** - A non executive Chairman May be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense.	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक है। Not applicable, since the Chairman's Position is Executive.
2	**पारिश्रमिक समिति** - कार्यपालक निदशकों के लिए पेंशन का अधिकार एवं कोई क्षतिपूर्ति भुगतान सहित विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों के संबंध में कंपनी नीति के निर्धारण हेतु बोर्ड एक पारिश्रमिक समिति का गठन कर सकती है। **Remuneration Committee** - Board may Set up a Remunerative Committee to determine company's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension right and any compensation payment.	पारिश्रमिक समिति - केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन की पात्रता का निर्धारण करती है। तथापि कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करते है। Remuneration Committee decides the entitlement of performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government. However, Executive Director draw salary as fixed by the Government of India.
3	**शेयरधारकों का अधिकार** विगत छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जाए। **Shareholder's Rights** - A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/ /वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई, बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में छपवाई जाती हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अंतः शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिशः भेजी नहीं जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.

क्र.सं. Sr.No.	गैर अनिवार्य अपेक्षा Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
4	**लेखा परीक्षा अर्हता -** अन्क्वालिफाइड फैनेन्शियल स्टेटमेंट की प्रथा की ओर अग्रेसर हो। **Audit Qualification** - bank may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण अन्क्वालिफाइड हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियां अनुसूचियों में उपलब्ध हैं जो कि वर्णनात्मक प्रकृति के है। The bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature.
5	**बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण -** बैंक, कंपनी के कारोबारी मॉडल एवं कंपनी के कारोबारी मानकों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करे। **Training of Board Members -** Bank may train Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	बैंक ने इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है। The Bank has implemented these guidelines
6	**बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों के मूल्यांकन का तंत्र -** किसी गैर-कार्यपालक निदेशक के कार्यनिष्पादनका मूल्यांकन, मूल्यांकनाधीन निदेशक को छोडकर, पूरे निदेशक मंडल के सदस्यों वाली समक्ष समूह द्वारा किया जा सकता है और समकक्ष समूह मूल्यांकन गैर कार्यपालक निदेशकों कर नियुक्ति को बढ़ाने/जारी रखने का तंत्र हो सकता है। **Mechanism of evaluating Non-Executive Board Members-** The performance evaluation of non- executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to the determine whether to extend/ continue the terms of appointment of non- executive directors.	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के खण्ड 9(3)(i) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक "फिट्‌ऐन्ड प्रॉपर" स्थिति के निर्धारण की शर्त के अधीन है। इसके अलावा गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है। A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of " fit & proper" status. Further other Non-Executive directors are appointed by GoI, as per statutory provisions.
7	**विसल ब्लोअर पॉलिसी -** अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचरण संहिता या आचारनीति के उल्लंघन के संबंध में कर्मचारी अपनी चिंताएं प्रबंधन को सूचित करें, इसके लिए बैंक को एक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस तंत्र में, इस तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के साथ अत्याचार के विरूद्ध पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध हो और अपवादात्मक मामलों में उन्हें लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे तंत्र की स्थापना के पश्चात उसकी समुचित सूचना संगठन के अंदर परिचालित की जाए। **Whistle Blower Policy -** The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the company's code of conduct or ethics policy. This mechanism could also provide for adequate safeguards against victimization of employees who avail of the mechanism and also provide for direct access to the Chairman of the Audit Committee in exceptional cases. Once established, the existence of the mechanism may be appropriately communicated within the organization.	बैंक ने बिसल ब्लोअर पॉलिसी कार्यान्वित की है। The Bank has implemented the Whistle Blower Policy.

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। वर्ष के दौरान पद छोड़ने वाले भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आलोक कुमार मिश्रा की सेवाओं एवं सहयोग हेतु बोर्ड उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार तथा बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

ह.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13.05.2013

(श्रीमती वी.आर. अय्यर)
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchanges Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board places on record its deep appreciation for the services and contributions made by Shri Alok Kumar Misra, Ex. Chairman & Managing Director, who have relinquished office during the year. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders and also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated services and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 13.05.2013

(Mrs. V R Iyer)
Chairperson & Managing Director

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ़ इंडिया मुंबई
महोदय,

विषय : वर्ष 2012-13 के लिए सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 41 एवं 49 के आधार पर, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :-

क) हमने वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है। वर्ष 2012-13 हेतु और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :- i) इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से गलत विवरण नहीं है या इनमें कोई

   i) महत्वपूर्ण तथ्य छोडा नहीं गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं है जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हों।

   ii) मिलकर ये सभी विवरण बैंक की गतिविधियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऐसा संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण है, अवैध है या जो बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन या डिज़ाइन में कमियों का खुलासा लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है। अगर ऐसी किसी कमी की जानकारी हमें है तो उन कमियों को दूर करने हेतु हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समितियों को निम्नलिखित यह सूचित किया है :-

   i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

   ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है और

   iii) अगर किसी ऐसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो, जिसमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

ह.

(ए.के. वर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह.

(श्रीमती वी.आर.अय्यर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशिका

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों तथा कोर प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2013 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13.05.2013

(श्रीमती वी.आर. अय्यर)
अध्यक्षा एवं
प्रबंध निदेशिका

DECLARATION OF CEO

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2013.

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 13.05.2013

(Mrs. V.R. Iyer)
Chairperson &
Managing Directorr

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai

Dear Sir,

Re: **CEO/CFO Certification for the year 2012-13**

Pursuant to clause 41and 49 of the Listing Agreement with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2012-13 and that to the best of our knowledge and belief:

   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosred to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls. If any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

   i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

   ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

   iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/-

(A K VERMA)
Chief Financial Officer

Sd/-

(Mrs. V R Iyer)
Chairperson and Managing Director

कार्पोरेट नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र
AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य
स्टार हाऊस, सी- 5, जी ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला काम्पलेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

हमने उक्त बैंक का स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 मे दी गई शर्त के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा परीक्षा है और न ही मत का प्रकटन है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लेख किए गए सूचीकरण करार के अनुसार कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी गाइडेन्स नोट की आवश्यकताओं के अनुसार हम अभिव्यक्त करते है कि शेयरहोल्डर्स एण्ड इन्वेस्टर्स ग्रीवन्स कमिटी द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरूद्ध ऐसी कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं है जो एक महीने से अधिक हो।

हम यह भी अभिव्यक्त करते है कि यह अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों की दक्षता या प्रभावशीलता से संचालन से संबंधित है।

कृते चतुर्वेदी एंड शाह सनदी लेखाकार (फर्म पंजी. सं. 101720W)	**कृते कर्नावट एंड कंपनी** सनदी लेखाकार (फर्म पंजी. सं. 104863W)	**कृते शंकरन एंड कृष्णन** सनदी लेखाकार (फर्म पंजी. सं. 003582S)
(वितेश डी. गांधी) भागीदार एम. नं. 110248	**(समीर बी. दोशी)** भागीदार एम.नं. 117987	**(एम. के. कुमार)** भागीदार एम. नं. 202092
कृते एल.बी.झा एंड कं सनदी लेखाकार (फर्म पंजी. सं. 301088E)	**कृते एसआरबी एंड एसोशिएट** सनदी लेखाकार (फर्म पंजी. सं. 310009E)	**कृते ईसाक एण्ड सुरेश** सनदी लेखाकार (फर्म पंजी. सं. 001150S)
(के.के. भांजा) भागीदार एम. नं. 14722	**(संजीत पात्रा)** भागीदार एम. नं. 056121	**(के. सुरेश)** भागीदार एम. नं. 023554

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2013

The Members of Bank of India,
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of India for the year ended 31st March, 2013 as stipulated in Clause 49 of the listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

As required by the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, we have to state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the bank as per the records maintained by the Shareholders' and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Chaturvedi & Shah Chartered Accountants (Firm Reg. No. 101720W)	**For Karnavat & Co.** Chartered Accountants (Firm Reg. No. 104863W)	**For Sankaran & Krishnan** Chartered Accountants (Firm Reg. No. 003582S)
(Vitesh D. Gandhi) Partner Membership No. 110248	**(Sameer B. Doshi)** Partner Membership No. 117987	**(M. K. Kumar)** Partner Membership No. 202092
For L. B. Jha & Co. Chartered Accountants (Firm Reg. No. 301088E)	**For SRB & Associates** Chartered Accountants (Firm Reg. No. 310009E)	**For Isaac & Suresh** Chartered Accountants (Firm Reg. No. 001150S)
(K. K. Bhanja) Partner Membership No. 14722	**(Sanjeet Patra)** Partner Membership No. 056121	**(K. Suresh)** Partner Membership No. 023554

Place : Mumbai
Date : 13th May, 2013

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

Balance Sheet As at 31st March, 2013 & Profit and Loss Account For the year ended 31st March, 2013

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2013

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		अनुसूची संख्या Schedule No.	यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
I. पूंजी और देयताएं	**CAPITAL AND LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**5,966,414**	5,745,195
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	**233,215,148**	203,872,653
जमाराशियाँ	Deposits	3	**3,818,395,859**	3,182,160,332
उधार	Borrowings	4	**353,675,848**	321,142,250
अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**114,773,914**	132,434,284
जोड़	**TOTAL**		**4,526,027,183**	3,845,354,714
II. आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	**219,670,365**	149,867,100
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर धन राशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	**328,688,229**	197,245,445
निवेश	Investments	8	**946,134,318**	867,535,861
अग्रिम	Advances	9	**2,893,674,972**	2,488,333,442
अचल आस्तियाँ	Fixed Assets	10	**28,701,254**	27,715,922
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	**109,158,045**	114,656,944
जोड़	**TOTAL**		**4,526,027,183**	3,845,354,714
आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	**2,216,868,027**	1,911,297,103
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**242,299,977**	192,984,560
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
तुलन-पत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

श्रीमती वी.आर. अय्यर
Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
Chairperson and Managing Director

उमेश कुमार
Umesh Kumar
हरविंदर सिंह
Harvinder Singh
पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

पी. आर. रवि मोहन
P.R. Ravi Mohan
ए. एम. परेरा
A. M. Pereira
प्रमोद भसीन
Pramod Bhasin

नीरज भाटिया
Neeraj Bhatia
के. के. नायर
K. K. Nair
उमेश कुमार खेतान
Umesh Kumar Khaitan

एम. एस. राघवन
M.S. Raghavan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बी. पी. शर्मा
B.P. Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए. के. वर्मा
A.K. Verma
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
In terms of our report of even date attached

चतुर्वेदी एंड शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 101720W)
(वितेश डी. गांधी)
(Vitesh D. Gandhi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 110248
Membership No. 110248

कर्णावट एंड कं.
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 104863W)
(समीर बी. दोशी)
(Sameer B. Doshi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 117987
Membership No. 117987

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg. No. 003582S)
(एम. के. कुमार)
(M.K. Kumar)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 202092
Membership No. 202092

एल.बी. झा एण्ड कं
L B Jha & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg. No. 301088E)
(के.के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स
SRB & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 310009ई)
(Firm Reg. No. 310009E)
(संजीत पात्रा)
(Sanjeet Patra)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 056121
Membership No. 056121

ईसाक एण्ड सुरेश
Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 001150एस)
(Firm Reg. No. 001150S)
(के. सुरेश)
(K. Suresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 023554
Membership No. 023554

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			अनुसूची संख्या Schedule No.	को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended 31-03-2013 ₹	को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended 31-03-2012 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित ब्याज	Interest earned	13	319,089,290	284,806,664
	अन्य आय	Other income	14	37,660,431	33,211,732
	जोड़	TOTAL		356,749,721	318,018,396
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	228,849,298	201,672,330
	परिचालन व्यय	Operating expenses	16	53,315,467	49,406,581
	प्रावधान और आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies	18(5.1)	47,091,490	40,164,330
	जोड़	TOTAL		329,256,255	291,243,241
III.	लाभ	PROFIT			
	वर्ष का निवल लाभ	Net Profit for the period		27,493,466	26,775,155
	जोड़ें: आगे लाया गया लाभ	Add: Profit brought forward		–	–
	जोड़	TOTAL		27,493,466	26,775,155
IV.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		6,873,367	6,693,789
	राजस्व आरक्षित निधि को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		10,335,542	12,852,324
	पूंजी आरक्षित निधि को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		317,318	101,223
	विशेष आरक्षित निधि (से)/को अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		(3,654)	(31,941)
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		6,970,893	4,659,760
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		3,000,000	2,500,000
	जोड़	TOTAL		27,493,466	26,775,155
	प्रति शेयर उपार्जन ₹	Earnings Per Share ₹	18(4.8)	47.79	48.98
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
	लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
लाभ हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

श्रीमती वी.आर. अय्यर
Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
Chairperson and Managing Director

उमेश कुमार
Umesh Kumar
हरविंदर सिंह
Harvinder Singh
पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

पी. आर. रवि मोहन
P.R. Ravi Mohan
ए. एम. परेरा
A. M. Pereira
प्रमोद भसीन
Pramod Bhasin

नीरज भाटिया
Neeraj Bhatia
के. के. नायर
K. K. Nair
उमेश कुमार खेतान
Umesh Kumar Khaitan

एम. एस. राघवन
M.S. Raghavan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बी. पी. शर्मा
B.P. Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए. के. वर्मा
A.K. Verma
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
In terms of our report of even date attached

चतुर्वेदी एंड शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 101720W)
(वितेश डी. गांधी)
(Vitesh D. Gandhi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 110248
Membership No. 110248

कर्णावट एंड कं.
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 104863W)
(समीर बी. दोशी)
(Sameer B. Doshi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 117987
Membership No. 117987

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg. No. 003582S)
(एम. के. कुमार)
(M.K. Kumar)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 202092
Membership No. 202092

एल.बी. झा एण्ड कं
L B Jha & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg. No. 301088E)
(के.के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स
SRB & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 310009ई)
(Firm Reg. No.310009E)
(संजीत पात्रा)
(Sanjeet Patra)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 056121
Membership No. 056121

ईसाक एण्ड सुरेश
Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 001150एस)
(Firm Reg. No.001150S)
(के. सुरेश)
(K Suresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 023554
Membership No. 023554

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	विवरण		Particulars	को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2013	को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2012
क.	परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	A.	Cash Flow from Operating Activities:		
	कर के पहले निवल लाभ		Net Profit before taxes	30,077,375	35,775,109
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		Adjustments for:		
	निवेशों पर परिशोधन / मूल्यह्रास		Amortisation/Depreciation on Investments	2,375,900	5,898,098
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	1,838,856	1,668,330
	अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ / (हानि)		Profit / (Loss) on sale of Fixed Asset	3,964	(7,525)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for Other Items	43,740,696	26,795,740
	गौण बांड्स / आईपीडीआई, अपर टियर II बांड्स पर भुगतान/ब्याज हेतु प्रावधान		Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	7,867,476	7,702,166
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(446,377)	(394,511)
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		Adjustments for:		
	जमा राशियों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Deposits	636,235,527	193,302,269
	उधार में बढ़ / (घट)		Increase / (Decrease) in Borrowings	31,406,074	98,870,766
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़ / (घट)		Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(16,313,176)	(3,218,681)
	निवेश में (बढ़) / (घट)		(Increase) / Decrease in Investments	(80,879,245)	(13,756,754)
	अग्रिमों में (बढ़) / (घट)		(Increase) / Decrease in Advances	(442,607,015)	(377,623,260)
	अन्य आस्तियों में (बढ़) / (घट)		(Increase) / Decrease in Other Assets	11,655,706	17,836,544
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान) / वापसी		Direct Taxes (Paid) / Refund	(17,385,548)	(13,159,133)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**207,570,213**	**(20,303,317)**
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	B.	Cash Flow from Investing Activities :		
	अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(3,725,936)	(6,169,510)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	360,221	756,846
	सहायक कंपनियों / जॉइंट वेंचरों / एसोशिएट्स में अतिरिक्त निवेश		Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	(95,113)	(953,029)
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	446,377	394,511
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(3,014,451)**	**(5,971,182)**
ग.	वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	C.	Cash Flow from Financing Activities:		
	शेयर पूंजी		Share Capital	221,219	273,000
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	7,868,779	10,101,546
	आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	1,127,524	2,057,728
	प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		Dividend (Interim & Final) paid	(4,659,760)	(4,442,954)
	आईपीडीआई / गौण बांड अपर टियर II बांड पर प्रदत्त ब्याज		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(7,867,476)	(7,702,166)
	वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**(3,309,714)**	**287,154**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त (क)+(ख)+(ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**201,246,049**	**(25,987,345)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**347,112,546**	**373,099,890**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**548,358,595**	**347,112,545**

निदेशक DIRECTORS

श्रीमती वी.आर. अय्यर
Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
Chairperson and Managing Director

उमेश कुमार
Umesh Kumar
हरविंदर सिंह
Harvinder Singh
पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

पी. आर. रवि मोहन
P.R. Ravi Mohan
ए. एम. परेरा
A. M. Pereira
प्रमोद भसीन
Pramod Bhasin

नीरज भाटिया
Neeraj Bhatia
के. के. नायर
K. K. Nair
उमेश कुमार खेतान
Umesh Kumar Khaitan

एम. एस. राघवन
M.S. Raghavan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बी. पी. शर्मा
B.P. Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए. के. वर्मा
A.K. Verma
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
In terms of our report of even date attached

चतुर्वेदी एंड शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 101720W)
(वितेश डी. गांधी)
(Vitesh D. Gandhi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 110248
Membership No. 110248

कर्णावट एंड कं.
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 104863W)
(समीर बी. दोशी)
(Sameer B. Doshi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 117987
Membership No. 117987

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg. No. 003582S)
(एम. के. कुमार)
(M.K. Kumar)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 202092
Membership No. 202092

एल.बी. झा एण्ड कं
L B Jha & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg. No. 301088E)
(के.के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स
SRB & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 310009ई)
(Firm Reg. No. 310009E)
(संजीत पात्रा)
(Sanjeet Patra)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 056121
Membership No. 056121

ईसाक एण्ड सुरेश
Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 001150एस)
(Firm Reg. No. 001150S)
(के. सुरेश)
(K Suresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 023554
Membership No. 023554

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
अनुसूची - 1 : पूंजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (विगत वर्ष 300,00,00,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	30,000,000
जारी और अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
59,70,79,427 (विगत वर्ष 57,49,57,470) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर शामिल 38,20,06,827 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 35,98,84,870) प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण प्रदत्त कुल ₹ 382.01 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 359.88 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा धारित;	59,70,79,427 Equity Shares (Previous year ended 57,49,57,470) of ₹ 10 each including 38,20,06,827 Equity Shares (Previous year ended 35,98,84,870) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 382.01 crores (Previous year ended ₹ 359.88 crores) held by Central Government;	**5,970,794**	5,749,575
जोड़ें	**TOTAL**	**5,970,794**	5,749,575
प्रदत्त पूंजी	**Paid up Capital**		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 59,59,02,327 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 57,37,80,370)	59,59,02,327 Equity Shares (Previous year ended 57,37,80,370) of ₹ 10 each fully paid-up.	**5,959,023**	5,737,804
जोड़ें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	**7,391**	7,391
जोड़ें	**TOTAL**	**5,966,414**	5,745,195
अनुसूची - 2 : आरक्षित निधियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षित निधि	**I. Statutory Reserve :**		
आरम्भिक शेष राशि	Opening Balance	**52,695,475**	46,001,686
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**6,873,367**	6,693,789
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**59,568,842**	52,695,475
II. पूंजी आरक्षित निधि :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पूनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	A) Revaluation Reserve :		
आरम्भिक शेष राशि	Opening Balance	**12,358,898**	13,194,673
जोड़ें: संपत्ति का पूनर्मूल्यांकन	Add: Revaluation of Property	**–**	–
घटाएं: पूनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation/adjustments on account of revaluation.	**537,562**	835,775
(ए) का जोड़	**Total of (A)**	**11,821,336**	12,358,898
बी) अन्य	B) Others		
i) निवेशों की बिक्री पर लाभ ''परिपक्वता तक धारित''	i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
आरंभिक शेष राशि	Opening Balance	**8,433,282**	8,332,059
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**317,318**	101,223
(i) का उप जोड़	**Sub-total of (i)**	**8,750,600**	8,433,282
ii) विदेशी मुद्रा रुपांतरण आरक्षित निधि	ii) Foreign Currency Translation Reserve		
आरंभिक शेष राशि	Opening Balance	**9,664,922**	4,608,038
जोड़ें (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	**1,488,705**	5,056,884
(ii) का उप जोड़	**Sub-total of (ii)**	**11,153,627**	9,664,922

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
अनुसूची - 2: आरक्षित निधियां और अधिशेष *(जारी)*	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS *(Contd.)***		
iii) विशेष आरक्षित निधि - मुद्रा स्वैप	iii) Special Reserve - Currency Swaps		
आरंभिक शेष राशि	Opening Balance	**3,654**	35,595
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	**(3,654)**	(31,941)
(iii) का उप जोड़	**Sub-total of (iii)**	**–**	3,654
(बी) का जोड़	**Total of (B)**	**19,904,227**	18,101,858
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**31,725,563**	30,460,756
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
आरंभिक शेष राशि	Opening Balance	**38,444,294**	28,342,748
परिवर्धन (इक्विटी शेयर का प्रिफरेन्शियल इश्यू)	Additions (Preferential Issue of Equity shares)	**7,868,779**	10,101,546
जोड़ें : रद्द किए गए जब्त शेयरों पर	Add: On forfeited shares annulled	**–**	–
(III) जोड़	**TOTAL (III)**	**46,313,073**	38,444,294
IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षित निधियां	i) Revenue Reserve :		
आरंभिक शेष राशि	Opening Balance	**72,572,128**	59,719,803
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**10,335,542**	12,852,325
IV(i) का उप जोड़	**Sub-total of IV(i)**	**82,907,670**	72,572,128
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
आरंभिक शेष राशि	Opening Balance	**9,700,000**	7,200,000
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**3,000,000**	2,500,000
IV(ii) का उप जोड़	**Sub-total of IV(ii)**	**12,700,000**	9,700,000
जोड़ (IV)	**TOTAL (IV)**	**95,607,670**	82,272,128
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Profit and Loss Account :**	**–**	–
जोड़ (I से V तक)	**TOTAL (I TO V)**	**233,215,148**	**203,872,653**

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
अनुसूची - 3 : जमाराशियाँ	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. माँग जमाराशियां	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	**10,594,715**	9,992,393
ii) अन्य से	ii) From Others	**192,262,757**	169,617,100
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**202,857,472**	179,609,493
II. बचत बैंक जमा राशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**776,212,260**	668,446,179
III. मीयादी जमा राशियां	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	**389,418,666**	365,373,190
ii) अन्य से	ii) From Others	**2,449,907,461**	1,968,731,470
जोड़ (III)	**TOTAL (III)**	**2,839,326,127**	2,334,104,660
जोड़ ए (I, II, III)	**TOTAL A (I, II, III)**	**3,818,395,859**	3,182,160,332
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	**B.** i) Deposits of branches in India	**2,940,667,388**	2,484,752,976
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	**877,728,471**	697,407,356
जोड़ (बी)	**TOTAL (B)**	**3,818,395,859**	3,182,160,332

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

अनुसूची - 4 : उधार / SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
I. भारत में उधारः	**I. Borrowings in India :**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**4,110**	37,260
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**5,712,000**	5,712,000
ख. अपर टियर-II पूंजी	b. Upper Tier II Capital	**695,000**	695,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**1,113,000**	1,083,000
घ अन्य	d. Others	**14,882,355**	3,203,459
जोड़ (ii)	**Total (ii)**	**22,402,355**	10,693,459
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	iii) Other Institutions and Agencies		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**11,088,000**	11,088,000
ख. अपर टियर-II पूंजी।	b. Upper Tier II Capital	**41,625,000**	41,625,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**16,887,000**	16,917,000
घ. अन्य	d. Others	**62,534,309**	99,625,893
जोड़ (iii)	**Total (iii)**	**132,134,309**	169,255,893
जोड़ (I)	**Total (I)**	**154,540,774**	179,986,612
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**4,610,989**	4,324,457
ख. अपर टियर-II पूंजी	b. Upper Tier II Capital	**13,051,984**	12,210,993
ग. अन्य	c. Others	**181,472,101**	124,620,188
जोड़ (II)	**Total (II)**	**199,135,074**	**141,155,638**
जोड़ (I, II)	**Total (I, II)**	**353,675,848**	321,142,250
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in above	–	–

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
I. देय बिल	I. Bills Payable	**12,880,400**	11,587,100
II. अंतर-कार्यालय समायोजन - (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	**–**	–
III. उपचित ब्याज	III. Interest accrued	**14,936,158**	11,331,895
IV. आस्थगित कर देयताएं	IV. Deferred Tax Liabilities	**3,124,632**	10,824,734
V. अन्य (प्रावधानोंसहित)	V. Others (Including Provisions)	**83,832,724**	98,690,555
जोड़	**TOTAL**	**114,773,914**	132,434,284

अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां / SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट और स्वर्ण सम्मिलित है।)	**I. Cash in hand** (including foreign currency notes and gold)	**17,571,477**	11,534,386
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष :	**II. Balances with Reserve Bank of India :**		
i) चालू खाते में	i) In Current Account	**202,098,888**	138,332,714
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	**–**	–
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**202,098,888**	138,332,714
जोड़ (I, II)	**TOTAL (I, II)**	**219,670,365**	149,867,100

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**5,446,559**	4,032,127
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**86,269,260**	34,111,817
ii) मांग पर और अल्प सूचना पर धन राशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	**–**	–
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	**–**	–
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**91,715,819**	38,143,944
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	**5,481,190**	11,144,304
ii) अन्य जमा खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	**228,819,335**	109,722,182
iii) मांग पर और अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	**2,671,885**	38,235,015
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**236,972,410**	159,101,501
जोड़ (I, II)	**TOTAL (I, II)**	**328,688,229**	197,245,445

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	**794,907,507**	715,705,726
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	**11,647**	718,815
iii) शेयरों में	iii) Shares	**9,232,587**	8,864,165
iv) डिबेंचरों और बंधपत्रों में	iv) Debentures and Bonds	**55,387,975**	51,808,308
v) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में	v) Subsidiaries and Associates	**4,134,540**	4,039,427
vi) अन्य (कमर्शियल पेपर, म्युच्युअल फंड, पास थ्रू सर्टिफिकेट, सिक्यूरिटी प्राप्तियां वेंचर फंड आदि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	42,381,640	43,621,354
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**906,055,896**	824,757,795
सकल ₹ 91,14,01,218 (विगत वर्ष ₹ 83,07,13,994) घटाएं : मूल्यहृास ₹ 53,45,322 (विगत वर्ष ₹ 59,56,199)	Gross ₹ 91,14,01,218 (Previous year ended ₹ 83,07,13,994) Less: Depreciation ₹ 53,45,322 (Previous year ended ₹ 59,56,199)		
II. भारत के बाहर निवेश :	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	**23,764,631**	21,628,097
ii) अनुषंगियों और/या विदेश में संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	**4,069,822**	4,069,822
iii) अन्य निवेशों में (डिबेंचर्स, बॉंड्स आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	**12,243,969**	17,080,147
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**40,078,422**	42,778,066
सकल ₹ 4,45,58,161 (विगत वर्ष ₹ 4,62,31,019) घटाएं : मूल्यहृास एवं विनिमय घट-बढ़ ₹ 44,79,739 (विगत वर्ष ₹ 34,52,953)	Gross ₹ 4,45,58,161(Previous year ended ₹ 4,62,31,019) less depreciation and amortisation ₹ 44,79,739 (Previous year ended ₹ 34,52,953)		
जोड़ (I, II)	**TOTAL (I, II)**	**946,134,318**	867,535,861

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	**511,686,089**	392,876,368
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**1,228,782,177**	1,099,367,073
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	**1,153,206,706**	996,090,001
जोड़ (ए)	**TOTAL (A)**	**2,893,674,972**	2,488,333,442
बी. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम शामिल हैं)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**1,879,769,741**	1,526,095,072
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**606,559,629**	438,197,057
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	**407,345,602**	524,041,313
जोड़ (बी)	**TOTAL (B)**	**2,893,674,972**	2,488,333,442
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	**649,660,787**	561,399,202
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	**298,815,767**	167,610,143
iii) बैंक	iii) Banks	**1,805,600**	2,106,532
iv) अन्य	iv) Others	**1,063,400,725**	1,026,619,771
जोड़ (सी-I)	**TOTAL (C-I)**	**2,013,682,879**	1,757,735,648
II. भारत के बाहर अग्रिम :	**II. Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	**306,819,176**	291,554,722
ii) अन्यों से देय	ii) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	**184,660,244**	105,148,454
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	**152,816,449**	133,164,303
ग) अन्य	c) Others	**235,696,224**	200,730,315
जोड़ (सी-II)	**TOTAL (C-II)**	**879,992,093**	730,597,794
जोड़ (सी-I, सी-II)	**TOTAL (C-I, C-II)**	**2,893,674,972**	2,488,333,442

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरम्भिक शेष राशि	Opening Balance at cost	**11,476,796**	7,874,351
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions / Adjustments during the year	**154,544**	3,613,544
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	**–**	11,099
उप-जोड	**Sub-total**	**11,631,340**	11,476,796
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	**19,613,350**	19,613,350
घटाएं : इस तारीख को मूल्यहास (पुनर्मूल्यन के कारण ₹ 77,92,016 सहित-विगत वर्ष में ₹ 72,54,454)	Less : Depreciation to date (including ₹ 77,92,016 on account of revaluation - Previous year end ₹ 72,54,454)	**10,594,208**	9,670,849
जोड़ - (I)	**TOTAL - (I)**	**20,650,482**	21,419,297

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2013 को ₹	यथा As at 31-03-2012 को ₹
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां *(जारी)*	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS *(Contd.)***		
II. **अन्य अचल आस्तियां :** (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित है)	II. **OTHER FIXED ASSETS :** (including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष राशि	Opening Balance at cost	**15,192,015**	12,712,909
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions / Adjustments during the year	**3,145,807**	3,217,645
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	Less: Deductions / Adjustments during the year	**401,788**	738,539
उप-जोड	**Sub-total**	**17,936,034**	15,192,015
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	**10,797,238**	9,381,781
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**7,138,796**	5,810,234
III. **चल रहे कैपिटल वर्क**	III. **CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**911,976**	486,391
जोड़ (I, II, III)	**TOTAL (I, II, III)**	**28,701,254**	27,715,922
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियाँ	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. आंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter-office adjustments (net)	**1,114,569**	8,886,491
II. उपचित ब्याज	II. Interest accrued	**19,209,454**	20,983,123
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	**44,055,583**	38,604,647
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV. Stationery and Stamps	**22,444**	19,563
V. आस्थगित कर आस्तियाँ	V. Deferred Tax Assets	**794,457**	88,586
VI. अन्य	VI. Others	**43,961,538**	46,074,534
जोड़	**TOTAL**	**109,158,045**	114,656,944
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएँ	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	**8,113,001**	6,005,347
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	**1,170,424**	3,200
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**1,426,112,004**	1,041,967,872
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ :	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a) In India	**167,395,925**	165,681,720
ख) भारत के बाहर	b) Outside India	**128,253,018**	112,337,637
V. सकार, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	**271,427,822**	259,566,409
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	**202,187,374**	238,047,553
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	**12,208,459**	87,687,365
जोड़	**TOTAL**	**2,216,868,027**	1,911,297,103

लाभ व हानि खाते की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		31-03-2013 को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended ₹		31-03-2012 को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended ₹	
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**				
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills		**231,392,121**		202,406,311
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments		**72,612,644**		71,417,607
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अन्तर-बैंक निधियों के पास शेष राशियों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds		**12,569,655**		8,339,637
IV. अन्य	IV. Others		**2,514,870**		2,643,109
जोड़	**TOTAL**		**319,089,290**		284,806,664
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage		**12,631,524**		12,714,573
II. निवेशों के पर विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	**4,496,167**		4,207,844	
घटाएं: निवेश के विक्रय पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	**25,570**	**4,470,597**	119,409	4,088,435
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	**–**		7,525	
घटाएं: भूमि तथा अन्य अस्तियों के विक्रय पर हानि	Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	**–**	–	–	7,525
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ-निवल	IV. Profit on exchange transactions	**20,496,891**		18,676,641	
घटाएं: विनिमय संव्यवहारों पर हानि	Less: Loss on exchange transactions	**14,056,496**	**6,440,395**	12,783,059	5,893,582
V. अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos.and/or JVs		**446,377**		394,511
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income		**13,671,538**		10,113,106
जोड़	**TOTAL**		**37,660,431**		33,211,732
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**				
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits		**202,383,076**		179,570,392
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings		**14,885,950**		11,452,831
III. गौण ऋणों आईआरएस आदि पर ब्याज	III. Interest on subordinated debts, IRS etc.		**11,580,272**		10,649,107
जोड़	**TOTAL**		**228,849,298**		201,672,330
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees		**31,305,157**		30,693,125
II. किराया, कर और बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting		**4,298,222**		3,435,209
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery		**611,555**		544,755
IV. विज्ञापन और प्रचार	IV. Advertisement and Publicity		**627,577**		640,045
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)		**1,838,856**		1,668,330
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses		**1,325**		1,218
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों के लिए व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including brach Auditors' fees & expenses)		**372,218**		375,810
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges		**187,574**		185,462
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.		**453,044**		434,618
X. मरम्मत और रख-रखाव	X. Repairs and Maintenance		**599,486**		459,308
XI. बीमा	XI. Insurance		**2,281,577**		2,382,730
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure		**10,738,876**		8,585,971
जोड़	**TOTAL**		**53,315,467**		49,406,581

अनुसूची -17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1) **लेखांकन पद्धति**

वित्तीय विवरण प्रचलित विचारधारा का पालन करते हुए, ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय तथा भारतीय बैंकिंग उद्यम में अपनायी जाने वाली लेखांकन प्रथा के अनुरूप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का पालन किया गया है सिवाय उनके संबंध में जिनका उल्लेख अन्यत्र किया गया है।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरणी की तिथि को रिपोर्ट किए गए आस्ति तथा देयताओं की राशी में (आकस्मिक देयताओं सहित) में सुविचारित अनुमानों तथा धारणा और रिपोर्ट की गई अवधि के लिए आय और व्ययो को प्रबंधन पूरा करें। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

2) **राजस्व पहचान**

क. जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो, आय/व्यय का लेखांकन प्रायः उपचय आधार पर किया जाता है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुत्पादक आस्तियों पर आमदनी का निर्धारण उगाही पर किया जाता है। अनुत्पादक खातों की वसूली को सर्वप्रथम अवसूलीकृत ब्याज/आय/मूल देयता में समायोजित किया गया है और तत्पश्चात अप्रभारित ब्याज में समायोजित किया गया है।

ग. विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज, लाभांश आय, सरकारी कारोबार पर कमीशन, अन्य पक्ष उत्पादों पर कमीशन, सिंडिकेशन से फीस और अन्य प्रभार का वास्तविक वसूली आधार पर लेखा किया जाता है।

घ. आयकर धन वापसी पर ब्याज का लेखांकन वर्ष में मूल्यांकन आदेश की प्राप्ति पर किया जाता है।

3) **अग्रिम :**

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा अग्रिम की मूल/ब्याज की वसूली के आधार पर उत्पादक अथवा अनुत्पादक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे उप-मानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

ग. अनुत्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है :

प्रवर्ग	प्रावधान
अवमानक आस्तियां	
क) सामान्य प्रावधान	20% (चाहे प्रतिभूति का मूल्य कुछ भी हो)
ख) प्रतिभूति रहित एक्सपोजर (इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोजर सहित)	25%

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) **ACCOUNTING CONVENTION:**

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/ branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2) **REVENUE RECOGNITION:**

(a) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(b) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines. The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income, principal dues and thereafter towards uncharged interest.

(c) Exchange Commission, Brokerage, Dividend Income, Commission on Government Business, Commission on Third Party Products, fee from syndication and other charges are accounted for on realisation.

(d) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of assessment order.

3) **ADVANCES:**

(a) In terms of guidelines issued by the RBI, advances to borrowers are classified into “Performing” or “Non-Performing” assets based on recovery of principal/ interest. NPAs are further classified as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets.

(b) Provision for Standard assets is made as per RBI guidelines.

(c) Provision in respect of NPAs is made as under:

Category	Provision
Sub Standard Assets	
a) General provision	20% (irrespective of the value of security)
b) Unsecured exposure (including unsecured exposure in respect of Infrastructure loan)	25%

प्रवर्ग	प्रावधान
संदिग्ध आस्तियाँ	
क) प्रतिभूति युक्त भाग - 1 वर्ष तक - 1 वर्ष से 3 वर्ष - 3 वर्ष से अधिक	 50% 60% 100%
ख) प्रतिभूति रहित भाग	100%
हानि आस्तियाँ	100%

घ. विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक आवश्यकतानुसार संबंधित विदेशी देश अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार जो भी अधिक हो, प्रावधान किए गए हैं।

ड. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम जानने हेतु अनुत्पादक आस्तियॉं, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान कुल अग्रिमों में से घटाए जाते हैं।

च. पुनर्निर्धारित/पुनः संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम जानने हेतु यह प्रावधान घटाया जाता है।

छ. यदि वित्तीय आस्तियॉं आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेच दी जाती हैं, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है तो, इस स्थिति में अंतर (कमी) को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रावधान रखा जाता है, जिससे कि एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होने वाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जा सके।

4) **निवेश**

निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता के लिए धारित', "कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणियों में किया जाता है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए की अपेक्षाओं के अनुरूप इनका वर्गीकरण छः समूहों : सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बन्धपत्र, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश और अन्य निवेश, में किया जाता है।

ए. वर्गीकरण का आधार

निवेशों का वर्गीकरण सामान्यतः उसके अर्जन के समय किया जाता है :

i) **परिपक्वता तक धारित**

ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखता है।

ii) **कारोबार के लिए धारित**

ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए रखा जाता है, उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

iii) **बिक्री के लिए उपलब्ध**

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा ''कारोबार के लिए धारित'' रूप में नहीं किया गया है उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

बी) मूल्यांकन का तरीका

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों में) संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक 'सेटलमेन्ट डेट' का पालन करता है।

i) परिपक्वता तक धारित

इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अधिग्रहण लागत पर किया गया है। इनके

Category	Provision
Doubtful assets	
a) Secured portion - Upto one year - One year to three years - More than three years	 50% 60% 100%
b) Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

(d) In respect of advances at foreign offices/branches, provision is made as per the statutory requirements prevailing at the respective foreign countries, or as per RBI guidelines, whichever is higher.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured accounts, provision is made for the sacrifice of interest/diminution in the value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the Profit and Loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

4) INVESTMENTS:

Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. In conformity with the requirements in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these are classified under six groups – Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investments in Subsidiaries/Joint Ventures and Other Investments.

A) Basis of classification

Classification of an investment is normally done at the time of its acquisition:

i) Held to Maturity

These comprise investments the Bank intends to hold till maturity.

ii) Held for Trading

Investments acquired with the intention to trade within 90 days from the date of purchase are classified under this head.

iii) Available for Sale

Investments which are not classified either as "Held to Maturity" or as "Held for Trading" are classified under this head.

B) Method of valuation

Investments are valued in accordance with the RBI guidelines. Accordingly, the Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment (in Government securities) transactions.

i) Held to Maturity

Investments included in this category are carried

अधिग्रहण पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो तो, उसे सतत अर्जन प्रणाली उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है।

ii) **कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध**

ए. इस श्रेणी में प्रतिभूतियों का स्क्रिपवार मूल्यांकन किया गया है। प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि / मूल्य-ह्रास को उनके वर्गानुसार जोड़ा/घटाया गया है और निवल मूल्य- ह्रास को लाभ व हानि खातों की मान्य पद्धतियों के अनुरूप लगाया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है।

बी. "कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार हैं :-

सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आय के आधार पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आय के आधार पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (12 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1/-
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आय के आधार पर
पीएसयू बॉंड्स	परिपक्वता आय के आधार पर समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधियां (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/ लेखा परीक्षित वित्तीयन सतत 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रू.1/- प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति प्राप्तियां	सेक्युरिटैज़ेशन कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) **विदेशी शाखाओं में धारित :**

विदेशी शाखाओं के निवेशों को संबंधित विदेशी केन्द्रों पर प्रचलित सांविधिक प्रावधानों या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य से कम मूल्य पर नियत किया गया है।

iv) समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (भारत और विदेश दोनों में) का मूल्यांकन, ह्रास को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है, अस्थायी स्वरूप को छोड़कर

सी. **प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :**

उपर्युक्त पैरा 4 क (i) से (iii) तक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण, अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है, पर किए जाते हैं। मूल्य-ह्रास, यदि है तो ऐसे अंतरण पर पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

डी. **निवेश की अधिग्रहण लागत**

i) इक्विटि निवेशों के अधिग्रहण पर प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया गया है।

ii) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन, खंडित अवधि के ब्याज

at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortised using constant yield method over the remaining period of maturity.

ii) **Held for Trading / Available for Sale**

a) Investments under these categories are valued scrip-wise. Appreciation / depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognised in the Profit and Loss account, whereas net appreciation is ignored.

b) For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

iii) **Held at Foreign Branches**

Investments held at foreign branches are carried at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

iv) Investment in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

C) **Transfer of Securities between Categories**

The transfer of securities between categories specified in 4 A (i) to (iii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

D) **Acquisition Cost of Investment**

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of Equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/

को आय/व्यय माना जाता है और उसे लागत/बिक्री निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है।

iii) निवेशों के सब्सक्रिपशन पर प्राप्त ब्रोकरेज एवं कमीशन को लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv) ऐवरेज कॉस्ट मेथड पर निवेशों की लागत को अभिनिर्धारित एवं भारित किया जाता है।

v) ट्रेज़री बिलों एवं वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखरखाव लागत पर किया जाता है।

ई) निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि :

किसी भी प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, परिपक्वता तक धारित शीर्ष के अंतर्गत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल समान राशि तथा संविधिक आरक्षिती में अंतरित राशि, आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित की जाती है।

एफ) प्रावधानीकरण तथा आय पहचान - अनुत्पादक निवेश (एनपीआई) :

अनुत्पादक निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

जी) रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो तथा रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लिए {भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन संव्यवहारों के अतिरिक्त} निर्धारित की गई लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो संव्यवहार अर्थात प्रतिभूति की बिक्री (खरीदी) द्वारा निधियों को उधार (उधार देना) रेपो सहभागी की बहियों में रिफ्लेक्ट होता है, संपार्श्विकृत उधार और उधार लेना संव्यवहार के रूप में, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद अनुबंध सहित। उसका लेखांकन लागत व राजस्व ब्याज व्यय/आय के लिए, जैसा भी मामला हो, किया जाए। रेपो/रिवर्स रेपो खाते की शेष, निवेश खाते की शेष के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियाँ निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स की जाती हैं। उस पर अर्जित/खर्च किए गए ब्याज का लेखांकन खर्च/राजस्व के रूप में किया जाता है।

एच. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्स) का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा फ्यूचर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता हैः

हेज/गैर हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

हेज़िंग डेरिवेटिव्स, एक्रूअल आधार पर लेखांकित होती हैं।

ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिह्नित(एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, को नज़रअंदाज़ किया जाता है। ब्याज दर स्वैप से सम्बद्ध आय एवं व्यय को निपटान तिथि से संबद्ध किया जाता है। ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया कम अवधि से संबद्ध किया जाता है।

received on debt instruments is treated as income/ expense and is excluded from cost/sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of Investments is determined at weighted average cost method.

v) Treasury bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

E) Profit or loss on sale of investment

Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

F) Provisioning and income recognition – Non performing Investments (NPIs)

In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

G) Repo / Reverse Repo

The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. The economic essence of repo transactions, viz., borrowing (lending) of funds by selling (purchasing) securities is reflected in the books of repo participants, by accounting the same as collateralized lending and borrowing transaction, with an agreement to repurchase, on the agreed terms. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

H) Derivative

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

Hedging derivatives are accounted on accrual basis.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognised on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/ liabilities.

5) **अचल आस्तियां :**

क. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के मामले छोडकर, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया गया है।

ख. परिसर-लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि दोनों की लागत शामिल है।

6. **अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास**

ए) आस्तियों पर मूल्यह्रास बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर रिटन डाउन वैल्यू पर प्रभारित किया गया है, सिवाय कम्प्यूटरों के मामलों के जहॉं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

बी) परिवर्धनों के संबंध में मूल्यह्रास हेतु पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि किसी आस्ति की बिक्री/निपटान के वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सी) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकित रिजर्व के समक्ष समायोजित किया गया है।

डी) जहॉं भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, भवनों हेतु लागू दर पर संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

ई) पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित है।

एफ. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर
1.	परिसर	5%
2.	अन्य अचल आस्तियां	
	ए. फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	10%
	बी. एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबारी मशीनें	15%
	सी. मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	20%
	डी. कम्प्यूटर तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर जो हॉर्डवेयर का अंगभूत भाग हैं।	33.33%
	ई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं हैं	100%

जी. भारत के बाहर स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं / अथवा संबंधित देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

7. **विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध लेन-देन**

विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध लेन-देन विदेशी विनिमय के लेन देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस) 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुरूप किया गया है।

क. **समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण**

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को समाकलित (इंटेग्रेटिड) विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

i. एफईडीएआई (फ़ॉरिन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया) द्वारा यथा सूचित संव्यवहार प्रारंभ में साप्ताहिक औसत अंतिम दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।

5) **FIXED ASSETS:**

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

6) **DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:**

(a) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI

(b) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/ disposal of an asset

(c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

(d) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

(e) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

(f) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation
1.	Premises	5%
2.	Other Fixed Assets	
	a) Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10%
	b) Air-conditioning plants, etc. and business machines	15%
	c) Motor cars, Vans & Motor cycles	20%
	d) Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%
	e) Computer Software, not forming integral part of hardware	100%

(g) Depreciation on fixed assets outside India is provided as per the regulatory requirements/or prevailing practices of the respective country.

7) **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:**

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

a) **Translation in respect of Integral Foreign operations:**

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations.

i) The transactions are initially recorded on weekly average closing rate as advised by Foreign exchange dealers association of India(FEDAI)

ii. मौद्रिक विदेशी मुद्रा की आस्तियाँ एवं देयताओं का मूल्य , वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अंकित किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा में स्वीकृत बिलों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों एवं गारंटियों को वर्ष समाप्ति में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर अंकित किया गया है।

iv. विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को हरेक सप्ताह समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दर पर अंकित किया गया है।

v. परिणामस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतरों को आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है और लाभ-हानि खाते के माध्यम से उसका लेखांकन किया गया है।

ख. समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण

विदेशी शाखाओं के संव्यवहारों एवं शेषों को समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके वित्तीय विवरण पत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :

i) आस्तियों और देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया गया है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर स्पष्ट किया गया है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व' में संचित किया जाता है।

सी. वायदा विनिमय संविदाएं :

एफईडीएआई के दिशानिर्देशों एवं एएस-11 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मुद्रा में बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तुलनपत्र की तारीख पर तदनुरूपी वायदा दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि एवं संविदा राशि के बीच भिन्नता को, स्थिति के अनुसार, लाभ अथवा हानि के रूप में माना जाता है।

मुद्रा वायदा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ/ हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ किया जाता है और ऐसी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में स्थान दिया जाता है।

8. कर्मचारी लाभ :

क. भविष्य निधि

भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना है चूंकि बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत अंशदान अदा करता है। बैंक की बाध्यता इस प्रकार नियत अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ-हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

ख. उपदान

उपदान एक परिभाषित लाभ बाध्यता है और वित्तिय वर्ष के अंत में एस 15 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। इस योजना को बैंक से निधि प्राप्त होती है और इसका प्रबंध अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

ग. पेन्शन

वे कर्मचारी जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक ज्वाइन किया है और पेंशन का विकल्प चुना है, पेन्शन बाध्यता एक परिभाषित लाभ बाध्यता है और वित्तिय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एस "15 कर्मचारी लाभ" के अनुसार इसका प्रावधान किया जाता है। इस योजना को बैंक से निधि प्राप्त होती है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

ii) Monetary Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

iii) Acceptances, endorsements, other obligations and guarantees in foreign currencies are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end

iv) Foreign Currency Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each week.

v) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments in the respective foreign branches.

c) Forward Exchange Contracts:

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

8) EMPLOYEE BENEFITS:

a) Provident Fund

Provident fund is a defined contribution scheme as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.

b) Gratuity

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15 "Employee benefits". The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

c) Pension

Pension liability for employees who have joined the Bank up to 31.03.2010 and opted for pension is a defined benefit obligation, which is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक ज्वाइन किया है, पेंशन बाध्यता एक परिभाषित अंशदान योजना के तहत है। बैंक पूर्व निर्धारित दर से नियत अंशदान का भुगतान करता है और बैंक की बाध्यता ऐसे नियत अंशदान तक सीमित है। इस योजना को बैंक से निधि प्राप्त होती है और प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

घ. अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण लाभ जो कि एक परिभाषित लाभ बाध्यता है और वित्तिय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एएस 15 के अनुसार इसका प्रावधान किया जाता है।

ङ. कर्मचारियों को अन्य लाभ

बैंक अपने कर्मचारियों को, अवकाश किराया रियायत, माइलस्टोन और पुनर्वास लाभ जैसे अन्य लाभ प्रदान करता है जो कि परिभाषित लाभ बाध्यता हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है।

9) पट्टाकृत आस्तियाँ :

पट्टों की आय की पहचान पट्टे की प्राथमिक अवधि पर आंतरिक प्रतिफल दर पद्धति के अनुसार की जाती है और उसका लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक एएस 19 "पट्टों का लेखांकन" के अनुसार किया गया है।

10) प्रति शेयर अर्जन :

बैंक इस संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एण्ड डैल्यूटिड अर्निंग्स की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना, कर उपरांत निवल लाभ को उस अवधि हेतु भारित औसत बकाया इक्विटी शेयर से विभाजित करके, किया जाता है। डैल्यूटिड अर्निंग्स पर इक्विटि शेयर की गणना उस अवधि के दौरान भारित औसत इक्विटी शेयर की संख्या एवं बकाया डैल्यूटिड पोटेन्शियल इक्विटि शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

11) आय पर कर :

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल हैं। आय व व्यय की मदें जो एक समय आती हैं और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती हैं, के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्य है। आस्थगित कर आस्तियों और देयता का मापन कर दरों तथा कर विधियों से किया जाता है, जो तुलन पत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए जाते हैं।

12) आस्तियों का ह्रासः

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को शामिल करते हुए) पर ह्रासन हानियों (यदि कोई हो) की पहचान की जाती है और लेखा मानक (एएस) 28 "आस्तियों के ह्रासन" के अनुसार लाभ हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

13) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

लेखा मानक एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक प्रावधानों को भी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब आकस्मिक देयता उसी स्थिति में प्रकट की जाती है, जब आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्रवाह की संभावना अधिक होती है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि, इससे उस आय को मान्यता प्रदान कर दी जाती है जो कभी भी वसूल नहीं हो सकती हैं।

Pension liability for employees who have joined the Bank on or after 01.04.2010 is under a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

d) Leave encashment

Leave encashment benefits which are a defined benefit obligation is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15.

e) Other employee benefits

Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone, resettlement benefits, etc which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15.

9) LEASED ASSETS:

Lease Income is recognised based on the Internal Rate of Return method over the primary period of the lease and is accounted for in accordance with AS 19 “Accounting for Leases”.

10) EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 “Earnings per share”. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

11) TAXES ON INCOME:

Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 “Accounting for Taxes on Income”. Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

12) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”.

13) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची-18 :

लेखे पर टिप्पणियां

1. वर्ष के दौरान, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (सेबी) विनियमन, 2009, समय-समय पर यथा संशोधित (दें "सेबी आईसीडीआर रेग्यूलेशन्स") के अध्याय VII की शर्तों में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार भारत के राष्ट्रपति को ₹ 355.70 प्रति शेयर की प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 2,21,21,957 इक्विटी शेयर आंबटित किए हैं। इस खाते में बैंक द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि ₹ 809 करोड़ है और इसके फलस्वरूप सरकार की होल्डिंग 62.72% से बढ़कर 64.11% हो गई है।

2. अनुपूरक खाता लेखे का तुलन और विदेशी शाखा और नोस्ट्रो खातों से पुष्टि/लेखा समाधान और उचंत, देय-ड्राफ्ट, समाशोधन भिन्नता आदि में प्रविष्टियों का समायोजन लगातार किया जा रहा है। विदेशी शाखाओं सहित उपरोक्त लंबित अंतिम समाशोधन/समायोजन का प्रबंधन की राय में लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा।

   31 मार्च 2013 तक अंतर कार्यालय समायोजन के विषय में नामे और जमा बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। शेष प्रविष्टियों के समाधान हेतु अनुवर्ती कार्य किया जा रहा है। प्रबंधन की राय में लंबित अंतिम निपटान/समायोजन की प्रविष्टियों का लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा।

3. निम्नलिखित जानकारी का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन किया गया है:

3.1 पूंजी : (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i)	**सीआरएआर (%)**		
	बासेल-I	11.35%	11.57%
	बासेल-II	11.02%	11.95%
ii)	**सीआरएआर - टियर I पूँजी (%)**		
	बासेल -I	8.42%	8.29%
	बासेल -II	8.20%	8.59%
iii)	**सीआरएआर - टियर II पूँजी (%)**		
	बासेल-I	2.93%	3.28%
	बासेल -II	2.82%	3.36%
iv)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	64.11%	62.72%
v)	वर्ष के दौरान टियर-II पूंजी के रूप में उठायी गयी गौण ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	0.00	0.00
vi)	वर्ष के दौरान टियर- I पूंजी के रूप में नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) के इशू द्वारा उठायी गई राशि (₹ करोड़ में)	0.00	0.00
vii)	वर्ष के दौरान उच्चतर टियर- II लिखतों के इश्यू द्वारा उठायी गयी राशि (₹ करोड़ में)	0.00	0.00

बैंक ने टियर-I पूँजी की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) उठायी हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष में उठायी गयी (रेज्ड)	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजनार्थ गिनी गयी (आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार)
2006-07	आईपीडीआई	461.10 (विदेशी मुद्रा में रेज्ड यूएसडी 85मिलियन)	461.10 (विदेशी मुद्रा में रेज्ड यूएसडी 85 मिलियन)
2007-08	आईपीडीआई	655.00	655.00
2008-09	आईपीडीआई	400.00	400.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	325.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	300.00

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, the Bank has allotted 2,21,21,957 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 355.70 per share to The President of India as determined by the Board in terms of the Chapter VII of the Securities Exchange Board of India (SEBI) Regulations, 2009, as amended from time to time (the "SEBI ICDR Regulations") on preferential basis. The total amount received by the bank on this account is ₹ 809 crore and consequently the Government holding has increased from 62.72% to 64.11%.

2. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

   As regards Inter office adjustments, initial matching of debit and credit outstanding entries has been completed upto 31st March 2013. Reconciliation of residual entries is in progress. Pending final clearance/adjustment of the entries, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

3. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

3.1 Capital: (Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i)	**CRAR (%)**		
	Basel-I	11.35%	11.57%
	Basel-II	11.02%	11.95%
ii)	**CRAR - Tier I Capital (%)**		
	Basel-I	8.42%	8.29%
	Basel-II	8.20%	8.59%
iii)	**CRAR – Tier II Capital (%)**		
	Basel-I	2.93%	3.28%
	Basel-II	2.82%	3.36%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India	64.11%	62.72%
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital during the year (₹ in Crores)	0.00	0.00
vi)	Amount raised by issue of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) as Tier I capital during the year (₹ in Crores)	0.00	0.00
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier-II instruments during the year (₹ in Crores)	0.00	0.00

The bank has raised following Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) to augment Tier I capital requirements:

(Amount in ₹ crore)

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (as per RBI guidelines)
2006-07	IPDI	461.10 (USD 85 Mn. raised in foreign currency)	461.10 (USD 85 Mn. raised in foreign currency)
2007-08	IPDI	655.00	655.00
2008-09	IPDI	400.00	400.00
2009-10	IPDI	325.00	325.00
2010-11	IPDI	300.00	300.00

टियर I लिखतों के अतिरिक्त, बैंक ने पूंजी संबंधी आवश्यकताओं में इज़ाफा करने के लिए निम्नलिखित टियर II लिखतों को रेज्ड किया हैः

(राशि रू.करोड़ में)

वर्ष में उठायी गयी (रेज्ड)	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजनार्थ गिनी गयी (आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार)
2003-04	लोअर टियर II	550.00	110.00
2004-05	लोअर टियर II	300.00	60.00
2005-06	लोअर टियर II	950.00	420.00
2006-07	अपर टियर II	1305.20 (विदेशी मुद्रा में रेज्ड यूएस डालर 240 मिलियन)	1305.20 (विदेशी मुद्रा में रेज्ड यूएस डालर 240 मिलियन)
2006-07	अपर टियर II	732.00	732.00
2008-09	अपर टियर II	500.00	500.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	2000.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	1000.00

3.2 निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	यथा दिनांक 31.03.2013	यथा दिनांक 31.03.2012
1	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य	95595.94	87694.50
	क) भारत में	91140.12	83071.40
	ख) भारत के बाहर	4455.82	4623.10
ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	980.09	939.19
	क) भारत में	534.53	595.62
	ख) भारत के बाहर	445.56	343.57
iii)	संक्रामण	2.42	1.72
	क) भारत में	0.00	0.00
	ख) भारत के बाहर	2.42	1.72
iv)	निवेशों का निवल मूल्य	94613.43	86753.59
	क) भारत में	90605.59	82475.78
	ख) भारत के बाहर	4007.84	4277.81
2	निवेशों के मूल्यह्रास के समक्ष किए हुए प्रावधानों की मूवमेंट		
i)	आरंभिक शेष	939.19	689.45
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	76.69	436.87
iii)	घटाएं : बट्टे खाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	35.78	187.13
iv)	अंतिम शेष	980.10	939.19

3.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	बकाया यथा 31 मार्च, 2013
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	9000.00	4417.51	500.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

In addition to Tier I instruments, the bank has raised following Tier II Instruments to augment capital requirements:

(Amount in ₹ crore)

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (as per RBI guidelines)
2003-04	Lower Tier II	550.00	110.00
2004-05	Lower Tier II	300.00	60.00
2005-06	Lower Tier II	950.00	420.00
2006-07	Upper Tier II	1305.20 (USD 240 Mn. raised in foreign currency)	1305.20 (USD 240 Mn. raised in foreign currency)
2006-07	Upper Tier II	732.00	732.00
2008-09	Upper Tier II	500.00	500.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	2000.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	1000.00

3.2 Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	95595.94	87694.50
	a) In India	91140.12	83071.40
	b) Outside India	4455.82	4623.10
ii)	Provisions for Depreciation	980.09	939.19
	a) In India	534.53	595.62
	b) Outside India	445.56	343.57
iii)	Amortisations	2.42	1.72
	a) In India	0.00	0.00
	b) Outside India	2.42	1.72
iv)	Net Value of Investments	94613.43	86753.59
	a) In India	90605.59	82475.78
	b) Outside India	4007.84	4277.81
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	939.19	689.45
ii)	Add: Provisions made during the year	76.69	436.87
iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	35.78	187.13
iv)	Closing balance	980.10	939.19

3.2.1 Repo Transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2013
Securities sold under repo i) Government Securities	0.00	9000.00	4417.51	500.00
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए सौदे शामिल हैं (मार्जिन को छोड़कर).

3.2.2 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग :

i) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति की मात्रा	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति की मात्रा	'असूचीबद्ध' की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	1206.91	181.87	0.00	0.00	10.00
ii.	वित्तीय संस्थाएं	1923.47	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	बैंक	1200.83	0.00	0.00	0.00	134.07
iv.	निजी कार्पोरेट	2641.51	1533.99	2789.26	0.00	4217.59
v.	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	687.79	687.79	0.00	687.79	0.00
vi.	अन्य	5960.73	4134.59	29.58	149.46	406.40
	उप-जोड़	**13621.24**	**6538.24**	**2818.84**	**837.25**	**4768.06**
vii.	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान	948.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**12672.37**	**6538.24**	**2818.84**	**837.25**	**4768.06**

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
प्रारंभिक शेष	576.80	262.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन	205.47*	344.17
वर्ष के दौरान कटौतियां	238.00	29.60
इतिशेष	544.27	576.80
धारित कुल प्रावधान	458.94	389.72

* विनिमय अंतर सहित

3.2.3 बिक्री तथा एचटीएम श्रेणी को/से अंतरण :

एचटीएम प्रवर्ग को/से प्रतिभूतियों के अंतरण और बिक्री मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम प्रवर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

3.3 डेरिवेटिव

3.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	यथा दिनांक 31.03.2013	यथा दिनांक 31.03.2012
i)	स्वैप करारों की नोशनल मूल राशि	19275.34	22524.40
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	986.02	1058.85
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरुरत नहीं है क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट है.	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	1016.84	903.18

The above include deals done under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

3.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) ***Issuer Composition of Non-SLR Investments***

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Un-listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	1206.91	181.87	0.00	0.00	10.00
ii.	FIs	1923.47	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Banks	1200.83	0.00	0.00	0.00	134.07
iv.	Private Corporates	2641.51	1533.99	2789.26	0.00	4217.59
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	687.79	687.79	0.00	687.79	0.00
vi.	Others	5960.73	4134.59	29.58	149.46	406.40
	Sub-total	**13621.24**	**6538.24**	**2818.84**	**837.25**	**4768.06**
vii.	Less: Provision held towards Depreciation	948.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**12672.37**	**6538.24**	**2818.84**	**837.25**	**4768.06**

ii) ***Non-performing Non-SLR Investments***

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Opening balance	576.80	262.23
Additions during the year	205.47*	344.17
Reductions during the year	238.00	29.60
Closing balance	544.27	576.80
Total provisions held	458.94	389.72

* Including Exchange Difference

3.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

3.3 Derivatives

3.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
i)	The notional principal of swap agreements	19275.34	22524.40
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	986.02	1058.85
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals wererequired for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.	
v)	The fair value of the swap book	1016.84	903.18

3.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च 2013 को विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की नोशनल मूल राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखत वार) क) ख) ग)	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखत वार) क) ख) ग)	0.00

3.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

प्रतिरक्षा अदला-बदली का लेखांकन उपचय के आधार पर किया जाता है सिवाय आस्ति तथा देयता के साथ अभिहित अदला-बदली को बाजार मूल्य अथवा लागत/बाजार मूल्य से कम में लिया जाता है। ऐसे मामलों में अदला-बदली की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और उसके परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ अथवा हानि को अभिहित आस्ति और देयता के बाजार मूल्य के साथ समायोजन के रुप में रिकार्ड किया जाएगा। अभिहित आस्ति अथवा देयताओं पर लाभ अथवा हानि में प्रति संतुलन दिखाये जाने पर ब्याज दरों की अदला-बदली के लाभ अथवा हानि को दिखाया जाएगा। इसका अर्थ है ब्याज दरों की अदला-बदली की समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि आस्थगित रखी जाएगी और अदला-बदली के शेष बचे करार-आयु अथवा आस्ति/देयता के शेष आयु पर अल्पकालिक दिखाया जाएगा।

कारोबारी डेरिवेटिव की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और यदि कोई हानि हो, तो उसे लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है यदि कोई लाभ हो, तो निपटान तिथि से नहीं दिखाया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ और हानि को तत्काल आय और व्यय में रिकार्ड किया जाता है।

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2013 (instrument-wise) a) b) c)	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	0.00

3.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate swaps, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an ongoing basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

Hedging swaps are accounted for on an accrual basis except for swap designated with an asset and liability that is carried at market value or lower of cost/market value. In such cases, the swaps are marked to market and the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the designated asset or liability. Gains or losses on the termination of swaps are recognised when the offsetting gain or loss is recognised on the designated asset or liability. This implies that any gain or loss on the terminated swap would be deferred and recognised over the shorter of the remaining contracting life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the profit and loss account. Profit, if any, are not recognised on the settlement date. Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses.

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलूओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तो के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वरुप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	नोशनल मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक से पाँच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय "बिक्रीगत विकल्पो'' को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त/वसूली होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती हैं। इस पर "मानक" श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरुरतें भी लागू हैं। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याजदर डेरिवेटिव (आईएनआर)	
1	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि)				
	क) हेजिंग हेतु	1772.34		18593.84	
	ख) ट्रेडिंग हेतु	121083.05		681.43	
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थितियां [1]				
	क) आस्ति (+)	104.81		1016.81	
	ख) देयता (-)	13.04		46.82	
3	ऋण जोखिम (एक्सपोजर) (2)	9518.42		280.09	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.02		22.07	
	ब) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.00		0.00	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी 01 की अधिकतम और न्यूनतम	अधि	न्यू	अधि	न्यू
	क) हेजिंग पर	0.04	0.02	20.25	14.29
	ब) ट्रेडिंग पर	0.01	0.00	0.00	0.00

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Directors. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, “sold options” are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the “Standard” category, of the concerned counterparty. At present the provision is to be maintained at 0.4% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives (INR)	
1	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	1772.34		18593.84	
	b) For trading	121083.05		681.43	
2	Marked to Market Positions [1]				
	a) Asset (+)	104.81		1016.81	
	b) Liability (-)	13.04		46.82	
3	Credit Exposure [2]	9518.42		280.09	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.02		22.07	
	b) on trading derivatives	0.00		0.00	
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max	Min	Max	Min
	a) on hedging	0.04	0.02	20.25	14.29
	b) on trading	0.01	0.00	0.00	0.00

3.4 आस्ति गुणवत्ता

3.4.1 अनर्जक आस्तियां

(क) अनर्जक अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
(i)	निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	2.06%	1.47%
(ii)	एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव		
	क) आरंभिक शेष	5893.97	4811.55
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	7379.56	5401.24
	ग) वर्ष के दौरान कमी	4508.28	4318.82
	घ) अंतिम शेष	8765.25	5893.97
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क) आरंभिक शेष	3656.42	1944.99
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2960.27	2716.62
	ग) वर्ष के दौरान कमी	669.38	1005.19
	घ) अंतिम शेष	5947.31	3656.42
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	क) आरंभिक शेष	1472.78	2224.78
	ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	2876.69	2066.31
	ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	2390.59	2818.31
	घ) अंतिम शेष	1958.88	1472.78

(ख) अनर्जक निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
(i)	निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	0.09%	0.21%
(ii)	एनपीआई (सकल) का मूवमेंट		
	क) आरंभिक शेष	576.90	262.33
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	198.51	344.17
	ग) वर्ष के दौरान कमी	231.13	29.60
	घ) अंतिम शेष	544.28	576.90
(iii)	निवल एनपीआई का मूवमेंट		
	क) आरंभिक शेष	186.04	2.79
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(69.79)	185.96
	ग) वर्ष के दौरान कमी	30.92	2.71
	घ) अंतिम शेष	85.33	186.04
(iv)	एनपीआई के लिए प्रावधानों का मूवमेंट		
	क) आरंभिक शेष	390.86	259.54
	ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	268.30	158.21
	ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	200.21	26.89
	घ) अंतिम शेष	458.95	390.86

3.4 Asset Quality

3.4.1 Non-Performing Assets

(a) Non performing Advances

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	2012-13	2011-12
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	2.06%	1.47%
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening balance	5893.97	4811.55
	b) Additions during the year	7379.56	5401.24
	c) Reductions during the year	4508.28	4318.82
	d) Closing balance	8765.25	5893.97
(iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening balance	3656.42	1944.99
	b) Additions during the year	2960.27	2716.62
	c) Reductions during the year	669.38	1005.19
	d) Closing balance	5947.31	3656.42
(iv)	Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	1472.78	2224.78
	b) Provisions made during the year	2876.69	2066.31
	c) Write-off/write-back of excess provisions	2390.59	2818.31
	d) Closing balance	1958.88	1472.78

(b) Non performing Investments

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	2012-13	2011-12
(i)	Net NPIs to Net Investment (%)	0.09%	0.21%
(ii)	Movement of NPIs (Gross)		
	a) Opening balance	576.90	262.33
	b) Additions during the year	198.51	344.17
	c) Reductions during the year	231.13	29.60
	d) Closing balance	544.28	576.90
(iii)	Movement of Net NPIs		
	a) Opening balance	186.04	2.79
	b) Additions during the year	(69.79)	185.96
	c) Reductions during the year	30.92	2.71
	d) Closing balance	85.33	186.04
(iv)	Movement of provision for NPIs		
	a) Opening balance	390.86	259.54
	b) Provisions made during the year	268.30	158.21
	c) Write-off/write-back of excess provisions	200.21	26.89
	d) Closing balance	458.95	390.86

3.4.2. पुनर्गठित खातों के विवरण / Particulars of Accounts Restructured

(क) वर्ष के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे
(a) *Details of Loan assets subjected to restructuring during the year*

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का वर्गीकरण / Assets Classification		वैश्विक / Global					वैश्विक / Global					वैश्विक / Global					वैश्विक / Global				
	ब्यौरे /Details		मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Account as on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	29	0	2	0	31	14	0	0	0	14	31744	601	16	0	32361	31787	601	18	0	32406
		बकाया राशि Amount Outstanding	2569.07	0.00	44.13	0.00	2613.20	15.17	0.00	0.00	0.00	15.17	8269.77	776.63	80.24	0.00	9126.64	10854.02	776.63	124.37	0.00	11755.02
		उस पर प्रावधान Provision thereon	257.73	0.00	18.79	0.00	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.36	56.77	0.08	0.00	155.21	356.09	56.77	18.87	0.00	431.73
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	40	5	0	0	45	57	4	1	0	62	9105	571	259	0	9935	9202	580	260	0	10042
		बकाया राशि Amount Outstanding	3551.40	339.99	0.00	0.00	3891.39	379.14	11.71	1.35	0.00	392.20	4620.48	17.49	2.38	0.00	4640.35	8551.03	369.19	3.73	0.00	8923.95
		उस पर प्रावधान Provision thereon	283.86	43.36	0.00	0.00	327.22	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	219.13	0.41	0.12	0.00	219.66	504.08	43.77	0.12	0.00	547.97
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	2	-2	0	0	0
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	-3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	-3.28	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं हैं। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25411	0	0	0	25411	25416	0	0	0	25416
		बकाया राशि Amount Outstanding	349.97	0.00	0.00	0.00	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.55	0.00	0.00	0.00	942.55	1292.52	0.00	0.00	0.00	1292.52
		उस पर प्रावधान Provision thereon	36.80	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring आस्तियों का वर्गीकरण / Assets Classification	ब्यौरे /Details	सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism वैश्विक / Global मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring वैश्विक / Global मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	अन्य Others वैश्विक / Global मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	कुल Total वैश्विक / Global मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	42	6	2	0	-52	44	6	2	0
		बकाया राशि Amount Outstanding	-733.74	733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.64	618.98	142.68	168.98	0.00	-1664.38	1352.72	142.68	168.98	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.95	14.75	4.20	0.00	0.00	-24.29	20.09	4.20	0.00	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़ें*) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	56	7	2	0	65	71	4	1	0	76	15391	884	275	2	16552	15518	895	278	2	16693
		बकाया राशि Amount Outstanding	4951.96	1073.73	39.16	0.00	6064.85	385.92	11.71	1.35	0.00	398.98	11934.15	437.63	179.17	160.70	12711.66	17272.03	1523.07	219.68	160.70	19175.49
		बकाया राशि Provision thereon	446.67	48.70	9.96	0.00	505.33	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	253.42	9.10	4.01	0.00	266.53	701.26	57.80	13.97	0.00	773.03

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समेकित पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों का विवरण: (विपत्ति में फँसे किसानों के पुनर्गठित खातों के संबंध में सूचना)

(b) Details of Loan assets subjected to restructuring during the year (Information in respect of restructured accounts of farmers in distress) as compiled by the management

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring आस्तियों का विवरण / Assets Classification ब्यौरे /Details		सीडीआर मेकेनिजम के अधीन Under CDR Mechanism मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	एसएमई ऋण पुनर्गठित के अधीन Under SME Debt Restructuring मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	अन्य Others मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	कुल Total मानक Standard	अवमानक Sub standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening Figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					1292	92	236	10	1630	1292	92	236	10	1630
		बकाया राशि Amountt Outstanding	कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					74.49	1.77	1.04	0.00	77.30	74.49	1.77	1.04	0.00	77.30
		उस पर प्रावधान Provision thereon	कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					0.96	0.17	0.47	0.00	1.60	0.96	0.17	0.47	0.00	1.60
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित कुछ नहीं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					3798	38	0.00	2.00	3838	3798	38	0.00	2.00	3838
		बकाया राशि Amount Outstanding	कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					100.57	0.30	0.00	0.00	100.87	100.57	0.30	0.00	0.00	100.87
		उस पर प्रावधान Provision thereon	कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठित के अधीन Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का वर्गीकरण / Assets Classification ब्यौरे /Details		मानक Stan-dard	अवमानक Sub stan-dard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan-dard	अवमानक Sub stan-dard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan-dard	अवमानक Sub stan-dard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan-dard	अवमानक Sub stan-dard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL			195	0.00	0.00	0.00	195.00	195	0.00	0.00	0.00	195.00
		बकाया राशि Amt Outstanding			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL			3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52
		उस पर प्रावधान Provision thereon			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं हैं। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
		बकाया राशि Amount Outstanding			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
		उस पर प्रावधान Provision thereon			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
		बकाया राशि Amt Outstanding			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
		उस पर प्रावधान Provision thereon			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
		बकाया राशि Amount Outstanding			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
		उस पर प्रावधान Provision thereon			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL		
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़े*) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL			4885	130	236	8.00	5259	4885	130	236	8.00	5259
		बकाया राशि Amount Outstanding			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL			168.52	2.07	1.05	0.00	171.64	168.52	2.07	1.05	0.00	171.64
		उस पर प्रावधान Provision thereon			कुछ नहीं NIL					कुछ नहीं NIL			0.02	0.17	0.47	0.00	0.66	0.02	0.17	0.47	0.00	0.66

* उन मानक पुनर्गठित अग्रिमों के आँकड़ों को छोड़कर जो उच्चतर प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) अट्रेक्ट नहीं करते हैं।
* Excluding figures of standard restructured advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

नोट : वर्ष के दौरान बेलेन्स 3 के चुकता हो जाने के कारण यथा 31.03.2013 को खातों के बेलेन्स में अंतर।
Note: Difference in accounts balance as on 31.03.2013 due to paid off of balance3 during the year.

3.4.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2011-12
i	खातों की संख्या	2.00	0.00
ii	एससी / आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	8.25	0.00
iii	कुल प्रतिफल	11.47	0.00
iv	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
v	निवल बही मूल्य पर कुल आय / (हानि)	3.22	0.00

3.4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से / को)

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
1	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2	(क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	शून्य	शून्य
	(ख) कुल बकाया शून्य	शून्य	

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

3.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (आरबीआई के मुताबिक)	1498.63	1182.66

3.5. कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	7.53%	7.69%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	0.89%	0.90%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.76%	1.81%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.65%	0.72%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में) (जमाराशि + अग्रिम)	15.82	13.60
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.0644	0.0640

3.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2012-13	2011-12
i	Number of accounts	2.00	0.00
ii	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	8.25	0.00
iii	Aggregate consideration	11.47	0.00
iv	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
v	Aggregate gain / (loss) over net book value	3.22	0.00

3.4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)

a) Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	2012-13	2011-12
1	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

b) Details of non-performing financial assets sold :

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	2012-13	2011-12
1.	No. of accounts sold	NIL	NIL
2.	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3.	Aggregate consideration received	NIL	NIL

3.4.5 Provisions on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
Provisions towards Standard Assets (in terms of RBI)	1498.63	1182.66

3.5. Business Ratios

Sr. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
(i)	Interest Income as a percentage to average Working Funds	7.53%	7.69%
(ii)	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.89%	0.90%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.76%	1.81%
(iv)	Return on Assets	0.65%	0.72%
(v)	Business per employee (₹ in crore) (deposits plus advances)	15.82	13.60
(vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.0644	0.0640

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता प्रकार

3.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

विवरण	Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 महीने तक 29 days to 3 months	3 महिनों से अधिक एवं 6 महीनों तक Over 3 months & upto 6 months	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	जोड़ Total
जमाराशियां	Deposits	21560.37	11824.97	8925.91	22390.15	47535.48	43335.97	48698.41	51814.01	43059.16	82668.16	381839.59
अग्रिम	Advances	27420.69	6028.59	4267.88	9635.47	76135.69	34685.30	18500.52	30080.41	30808.15	51804.80	289367.49
निवेश	Investments	85.17	2527.14	1065.56	2563.81	4634.14	2548.42	734.88	9313.32	18617.70	52523.28	94613.42
उधार	Borrowings	1590.27	391.10	435.98	1434.52	1537.36	7593.71	1197.90	7108.02	2262.10	11816.65	35367.58
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency Assets	3127.71	6639.52	2658.89	7406.66	35587.98	17813.64	8143.29	8081.42	5574.98	10383.34	105417.43
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency Liabilities	7895.85	6640.54	5035.99	11563.32	26935.90	19680.06	18868.23	9163.80	2052.39	7375.64	115211.72

3.7 एक्सपोज़र

3.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रवर्ग	यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
ए)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	19,387.39	16,640.82
	i) आवासीय बंधक	12,257.32	10,501.25
	जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गृह ऋण	8,155.95	6,944.72
	ii) व्यवसायिक रियल इस्टेट	7,128.96	6,137.93
	iii) गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	1.11	1.64
	क) आवासीय	1.11	1.64
	ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट	0.00	0.00
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	7,240.70	7,408.75
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज़) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	7,240.70	7,408.75
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	**26,628.09**	**24,049.57**

3.7 Exposures

3.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Category	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
a)	Direct exposure	19,387.39	16,640.82
	i) Residential Mortgages	12,257.32	10,501.25
	Out of which Priority Sector housing loans	8,155.95	6,944.72
	ii) Commercial Real Estate	7,128.96	6,137.93
	iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	1.11	1.64
	a) Residential	1.11	1.64
	b) Commercial Real Estate	0.00	0.00
b)	Indirect Exposure	7,240.70	7,408.75
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	7,240.70	7,408.75
	Total exposure to Real Estate Sector	**26,628.09**	**24,049.57**

3.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रवर्ग	2012-13	2011-12
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया;	764.15	906.92

3.7.2 Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Category	2012-13	2011-12
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	764.15	906.92

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रवर्ग	2012-13	2011-12
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	6.50	12.91
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	4.88	4.47
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की युनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	287.23	436.89
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	1,917.74	1,688.46
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुसार गणना की जाएगी।	340.63	292.45
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**3,321.13**	**3,342.10**

3.7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जोखिम प्रवर्ग	यथा दिनांक 31.03.2013		यथा दिनांक 31.03.2012	
		एक्सपोज़र (निवल)	धारित प्रावधान	एक्सपोज़र (निवल)	धारित प्रावधान
1	नगण्य	36957.88	28.44	43413.00	46.47
2	न्यून	12045.71	7.95	4404.23	3.53
3	साधारण	2011.50	0.00	2306.68	0.00
4	उच्च	662.01	0.00	1505.00	0.00
5	बहुत उच्च	8.95	0.00	56.45	0.00
6	प्रतिबंधित	0.00	0.00	44.40	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	1.97	0.00	0.01	0.00
	कुल	**51688.02**	**36.39**	**51729.77**	**50.00**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Category	2012-13	2011-12
ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	6.50	12.91
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	4.88	4.47
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	287.23	436.89
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,917.74	1,688.46
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	340.63	292.45
	Total Exposure to Capital Market	**3,321.13**	**3,342.10**

3.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Risk Category	As at 31.03.2013		As at 31.03.2012	
		Exposure (Net)	Provision held	Exposure (Net)	Provision held
1	Insignificant	36957.88	28.44	43413.00	46.47
2	Low	12045.71	7.95	4404.23	3.53
3	Moderate	2011.50	0.00	2306.68	0.00
4	High	662.01	0.00	1505.00	0.00
5	Very High	8.95	0.00	56.45	0.00
6	Restricted	0.00	0.00	44.40	0.00
7	Off credit	1.97	0.00	0.01	0.00
	Total	**51688.02**	**36.39**	**51729.77**	**50.00**

3.7.4 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	यथा 31.03.2013 को बकाया
1.	एकल उधारकर्ता			
	आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड (एचडीएफसी)	2,814.00	3,017.27	3,012.55
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

स्वीकृत सीमा अथवा बकाया शेष जो भी उच्चतर है उसे एक्सपोज़र माना जाएगा।

3.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	2149.59	966.57
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	1645.41	4877.23

3.8 विविध

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
आयकर के लिए प्रावधान	1099.15	518.85
आस्थागित कर के लिए प्रावधान	(840.76)	381.15
कुल	**258.39**	**900.00**

3.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, अथवा उक्त अधिनियम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं नियमों अथवा शर्तों की आवश्यकता के उल्लंघन अथवा गैर अनुपालन के लिए, एसजीएल डील की बाउसिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त ₹ 0.42 लाख (विगत वर्ष 2011-12 ₹ 1 लाख) की पेनल्टी को छोड़कर, कोई पेनल्टी नहीं लगी है।

4. लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

4.1 लेखांकन मानक 9-राजस्व की पहचान

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं. 2 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है।

3.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2013
1.	Single Borrower			
	Housing Development Finance Corporation Limited	2,814.00	3,017.27	3,012.55
2.	Group Borrower			
	NIL	NIL	NIL	NIL

Exposure is reckoned as Sanctioned Limit or Balance outstanding whichever is higher.

3.7.5 Unsecured Advances:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	2149.59	966.57
Estimated value of such intangible collateral securities	1645.41	4877.23

3.8 Miscellaneous

3.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Provision for Income Tax	1099.15	518.85
Provision for Deferred Tax	(840.76)	381.15
Total	**258.39**	**900.00**

3.8.2 Disclosures of Penalties imposed by RBI

During the financial year 2012-13, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act, except for a penalty of ₹ 0.42 lac (previous year 2011-12 ₹ 1 lac) paid to RBI for bouncing of SGL Deal.

4. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

4.1 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy No. 2 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

4.2 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

4.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

			2012-2013		2011-2012	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate Current	8.50%	8.00%	8.50%	9.00%
	वर्तमान आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	5.00%	5.00%	4.00%	4.00%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	2.00%	2.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation:**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1477.64	7139.38	1449.67	6892.06
	ब्याज लागत	Interest Cost	110.03	552.17	119.85	583.29
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	64.39	943.80	53.37	169.02
	सेवा उपरांत लागत (परिशोधीत)	Past Service Cost (Amortised)	–	–	–	–
	सेवा उपरांत लागत (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit)	–	–	–	–
	अन्य ट्रस्ट से अन्तरित देयताएं	Liability transferred in from other trust	–	–	0.04	–
	देयता अंतरण-निर्गम	Liability transferred out	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(204.45)	(474.38)	(186.18)	(397.70)
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	57.77	(756.32)	40.89	(107.29)
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1505.38	7404.65	1477.64	7139.38
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1017.12	5070.13	837.85	3571.61
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	81.37	405.61	80.99	386.30
	अंशदान	Contributions	405.93	1385.43	267.65	1456.03
	अन्य ट्रस्ट से अन्तरण	Transfer from other trust	–	–	0.04	1.59
	अन्य कम्पनी को अन्तरण	Transfer to other company	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(204.45)	(474.38)	(186.18)	(397.70)
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	33.82	118.04	16.77	52.30
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1333.79	6504.83	1017.12	5070.13
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(23.95)**	**874.36**	**(24.13)**	**159.59**
(iv)	**संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability :**				
	प्रारंभ में परिवर्तन देयता	Transitional Liability at start	257.38	1327.29	344.17	1864.11
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability recognised during the year	85.79	442.43	86.79	536.82
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	**Transition Liability at end**	171.59	884.86	257.38	1327.29
(v)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	81.37	405.61	80.99	386.30
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	33.82	118.04	16.77	52.30
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	115.19	523.65	97.76	438.60
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1505.38	7404.65	1477.64	7139.38
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1333.79	6504.83	1017.12	5070.13
	अंतर	Difference	(171.59)	(899.82)	(460.52)	(2069.25)
	अमान्य विगत सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost (Amortised)	–	–	–	–
	अमान्य परिवर्तन देयता	Unrecognised Transition Liability	171.59	884.86	257.38	1327.29
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	–	(14.96)	(203.14)	(741.96)
(vii)	**आय विवरण में मान्य व्यय:**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	64.39	943.80	53.37	169.02
	ब्याज लागत	Interest Cost	110.03	552.17	119.85	583.29
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(81.37)	(405.61)	(80.99)	(386.30)
	मान्य सेवा विगत (परिशोधित) लागत	Past Service Cost (Amortised) recognised	–	–	–	–
	मान्य सेवा विगत लागत (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit) recognised	–	–	–	–
	विगत वर्षों में संबंधित मान्य व्यय	Expenses recognised relating to prior years	–	1.96	–	–
	संक्रमणकालीन देयता-मान्य	Recognition of Transition Liability	85.79	442.43	86.79	536.82
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	23.95	(874.36)	24.13	(159.59)
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	Expense Recognised in P & L	202.79	660.39	203.14	743.24

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

			2012-2013		2011-2012	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(viii)	**तुलन पत्र समाधानः**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	203.14	740.00	267.65	1453.94
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	202.79	660.39	203.14	743.84
	अन्य कंपनी से अंतरण निवल	Transfer from other Company Net	–	–	–	(1.59)
	अन्य कंपनी को अंतरण निवल	Transfer to other Company Net	–	–	–	–
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(405.93)	(1385.43)	(267.65)	(1456.03)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	–	14.96	203.14	740.16
(ix)	**अन्य विवरण :**	**Other Details :**				
	अधिकतम 50% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन, वेतन के 1/66 की दर से देय है।	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%				
	रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक दी गई कंपनी की योजना के अनुसार अथवा अधिकतम ₹ 10,00,000/- के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 15 दिनों के वेतन दर पर देय ग्रेच्युटी घटना वर्ष में लेखाकृत बीमांकिक लाभ/हानि	Gratuity is payable at the rate of 15 day's salary for each year of service subject to a maximum of ₹ 10,00,000/ or as per company scheme as detailed in report. Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence				
	सदस्यों की संख्या	No. of members	42346	31932	41455	34498
	वेतन प्रतिमाह	Salary P.M.	153.44	130.21	126.99	116.83
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	**Contribution for next period**	153.44	421.88	126.99	378.53
(x)	**आस्तियों का प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Assets	177.04	619.75	193.05	630.92
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	295.45	4253.32	542.43	3178.78
	विशेष जमा योजना	Special Deposits Scheme	–	–	–	–
	राज्य सरकार	State Government	831.83	1588.37	229.80	1158.38
	सम्पत्ति	Property	–	–	–	–
	अन्य	Other	29.47	43.39	51.84	102.05
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	Insurer managed funds	–	–	–	–
	कुल	**Total**	1333.79	6504.83	1017.12	5070.13
(xi)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**				
	प्लान देयता पर (लाभ) / हानि	**On Plan Liability (Gain) / Loss**	57.77	(756.32)	40.89	993.74
	प्लान एसेट पर (हानि) / लाभ	**On Plan Asset (Loss) / Gain**	33.82	118.04	16.77	52.30

i) वर्ष के दौरान लाभ हानि खाते में प्रभारित ट्रैन्जिशनल लायबिलिटी कुछ नहीं है (विगत वर्ष में ₹ 125.27 करोड़), चूँकि उसे पहले ही 31.03.2012 तक प्रभारित कर दिया गया था।

ii) पुरानी प्रथा में अनुसार बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रुप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹ 24.97 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 28.67 करोड़) का अंशदान दिया है।

iii) 31.03.2011 में समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने पेंशन विकल्प को पुनः खोला। यह विकल्प ऐसे कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया था। 22,338 कर्मचारियों द्वारा इस विकल्प का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप बैंक ने ₹ 2,212.15 करोड़ की देयता खर्च की है। आगे, यह भी कि 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, ग्रेच्यूटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में संशोधन के अनुपालन में बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी की सीमा बढी है। इसके परिणामस्वरुप बैंक की ग्रेच्यूटी देयता बढ़कर ₹ 428.96 करोड़ हो गई है।

iv) लेखांकन मानक (एएस)15: कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार ₹ 2,641.11 करोड़ (अर्थात ₹ 2,212.15 करोड़ + ₹ 428.96 करोड़)

i) Transitional Liability charged to Profit and Loss Account during the year is NIL (Previous year ₹ 125.27 crores), since the same had already been charged by 31.03.2012.

ii) As per the past practice, the bank has recognised contribution to employee provident fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 24.97 crore (previous year Rs.28.67crore) towards such fund which is a defined contribution plan.

iii) During the year ended 31.03.2011, the Bank re-opened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of the same by 22,338 employees, the bank has incurred a liability of ₹ 2,212.15 crore. Further, during the year ended 31.03.2011, the limit of Gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 428.96 crore.

iv) In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15 : Employee Benefits, the entire amount of ₹ 2,641.11crore (i.e. ₹ 2,212.15 crore + ₹ 428.96 crore) was required to be

की संपूर्ण राशि लाभ एवं हानि खातों को 31.03..2011 को समाप्त वर्ष में प्रभारित की जानी है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प खोलने एवं ग्रेच्यूटी सीमा में बढ़ोत्तरी - प्रूडेंशियल रेग्युलेटरी ट्रीटमेंट, दिनांक 9 फरवरी, 2011 परिपत्र संख्या (डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11) जारी किया है। उक्त कथित परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बैंक पांच वर्षों के अवधि में ₹ 2,641.11 करोड़ की राशि को खत्म करेगा। तदनुसार ₹ 528.22 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ के पांचवे हिस्से को प्रदर्शित करती है) की राशि चालू वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित की जाएगी और ₹ 1056.45 करोड़ की राशि आगे ली जाएगी तथा आने वाले वर्षों में बैंक के लाभ व हानि खातें में प्रभारित की जाएगी।

charged to the Profit and Loss Account during the year ended 31.03.2011. However, the Reserve Bank of India issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on re-opening of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank would amortise the amount of ₹ 2,641.11 crore over a period of five years. Accordingly a further amount of ₹ 528.22 crore (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 crore) has been charged to the profit and loss account for the current year and the balance of ₹ 1056.45 crore is being carried forward to be charged to profit and loss account of the bank in the coming years.

4.3 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्ट करना / Accounting Standard 17 - Segment Reporting

भाग कः कारोबार खण्ड / Part A: Business Segment

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		(*) अन्य बैंकिंग परिचालन (*) Other Banking Operations		कुल Total	
		2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
परिणाम	Results	1120.98	1615.23	897.31	1465.53	1212.47	649.74			3230.76	3730.50
गैर-अनाबंटित आय	Unallocated Expenses									(223.02)	(152.98)
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									3007.74	3577.52
आयकर	Income Tax									258.39	900.00
असाधारण लाभ / हानि	Extraordinary profit / loss									0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit									2749.35	2677.52
अन्य जानकारी :	**Other Information :**										
खंड आस्तियां	Segment Assets	142167.18	116936.59	223015.31	191886.13	78291.64	67877.47			443474.13	376700.19
गैर आबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									9128.59	7835.28
कुल आस्तियां	Total Assets									452602.72	384535.47
खंड देयताएं	Segment Liabilities	135823.60	110866.24	213080.56	181978.81	74860.17	64382.53			423764.33	357227.58
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									4920.23	6346.11
कुल देयताएं	Total Liabilities									428684.56	363573.69

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण 'अन्य बैंकिंग परिचालन' नहीं है। / (*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग खः भौगोलिक खण्ड / Part B: Geographical Segment

(Amount in ₹ crore)

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	**Particulars**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**
राजस्व	Revenue	31877.04	28816.89	3797.92	2984.95	35674.96	31801.84
आस्तियां	Assets	338278.45	295516.76	114324.27	89018.71	452602.72	384535.47

बैंक ने लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंड़ों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंड़ों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन :** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु 'कोषागार' में संपूर्ण निवेश संविभाग जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों के साथ पूंजी बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।

ख) **थोक बैंकिंग :** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

ग) **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग में वे एक्सपोज़र सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोज़र - अधिकतम कुल एक्सपोज़र ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक कारोबार ₹ 50 करोड़ से कम है यथा वर्तमान कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों का औसत तथा नई कंपनियों के मामले में अनुमानित कुल कारोबार।

अंतर-खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन

क) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्यय संबंधित खण्ड में आंबटित हैं।

ख) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में आंबटित है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

4.4 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्षकार के संव्यवहार :

I) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका	:	श्रीमती वी.आर. अय्यर (05.11.2012 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	श्री आलोक के. मिश्रा (30.09.2012 तक)
कार्यपालक निदेशक गण	:	श्री एन. शेषाद्रि श्री एम. एस. राघवन श्री बी.पी. शर्मा (18.06.2012 से)

(ख) अनुषंगिया कंपनियां:

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

(ii) पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशियी टीबीके (पहले पीटी बैंक स्वदेशी के रुप में जाना जाता था)

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.

(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

(v) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

(vi) बीओआई एएक्सए इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.

(vii) बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.

(ग) सहयोगी कंपनियां:

(i) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(iii) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(iv) बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :-

(क) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)

(ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक

(ग) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)

c) **Retail Banking:** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crores

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 Crores i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

4.4 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions

I) List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel :

Chairperson & Managing Director	:	Smt. V.R. Iyer (w.e.f. 05.11.2012)
Chairman & Managing Director	:	Shri Alok K Misra (upto 30.09.2012)
Executive Directors	:	Shri N. Seshadri Shri M. S. Raghavan Shri B. P. Sharma (w.e.f.18.06.2012)

(b) Subsidiaries :

(i) BOI Shareholding Limited.

(ii) PT Bank of India Indonesia Tbk (Formerly known as PT Bank Swadeshi)

(iii) Bank of India (Tanzania) Limited.

(iv) Bank of India (New Zealand) Limited.

(v) Bank of India (Uganda) Limited.

(vi) BOI AXA Investment Managers Private Limited.

(vii) BOI AXA Trustee Services Private Limited

(c) Associates :

(i) STCI Finance Limited.

(ii) ASREC (India) Limited.

(iii) Indo-Zambia Bank Limited.

(iv) 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank:

(a) Aryavart Kshetriya Gramin Bank (Formerly Known as Aryavart Gramin Bank)

(b) Jharkhand Gramin Bank;

(c) Narmada Jhabua Gramin Bank; (Formerly Known as Narmada Malwa Gramin Bank)

(घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (पहले वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)

(घ) संयुक्त उद्यम

(i) स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

II) क) *संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)*

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पक्ष	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	
	2012-13	2011-12
जमा	21.15	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	21.15	–
जमाराशियों का नियोजन	44.06	73.78
वर्ष के दौरान अधिकतम	44.06	173.40
निवेश	–	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	–	10.52
मांग सूचना में उधार देना / टर्म मनी	–	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	–	–
अन्य उधार देना	–	112.50
वर्ष के दौरान अधिकतम	–	112.50
मांग सूचना में उधार लेना/टर्म मनी	29.58	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	142.08	150.00
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की बिक्री	10.84	140.27
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों/बांडों की खरीद	–	101.24
गैर-निधिक वचनबद्धताएं	–	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	–	–
प्रदत्त ब्याज	2.62	2.82
प्राप्त ब्याज	4.07	3.68
प्राप्त गैर-वित्तीय खर्चें	–	0.18
प्रदत्त लाभांश	9.11	–
प्राप्त लाभांश	–	10.94
प्रदान सेवाएं	–	27.06
प्राप्त सेवाएं	–	17.29
प्रबंधन संविदाएं	–	–
अन्य प्राप्य प्रभार	–	–
कोई अन्य	167.48	2.44

* वास्तविक राशि ₹ 50000/- से कम होने के कारण दर्शायी नहीं गयी है।

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिकः

नाम	पदनाम	पारिश्रामिक	
		चालू वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
श्रीमती वी.आर. अय्यर	अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका	6,48,485	--
श्री आलोक के. मिश्रा	पूर्व-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	15,11,800	22,54,643
श्री एन. शेषाद्रि	कार्यपालक निदेशक	19,95,690	15,50,895
श्री एम.एस. राघवन	कार्यपालक निदेशक	15,16,172	3,29,850
श्री बी. पी. शर्मा (18.06.2012 से)	कार्यपालक निदेशक	10,77,105	--
श्री बी.ए. प्रभाकर	पूर्व-कार्यपालक निदेशक	--	15,48,157

(d) Vidharbha Konkan Gramin Bank; (Formerly known as Wainganga Krishna Gramin Bank;

(d) Joint Venture :

(i) Star Union Dai–Ichi Life Insurance Co. Ltd.

II) a) ***Transactions with Related Parties (As compiled by the management)***

(Amount in ₹ crore)

Items / Related Party	Associates/ Joint ventures	
	2012-13	2011-12
Deposit	21.15	–
Maximum during the year	21.15	–
Placement of deposits	44.06	73.78
Maximum during the year	44.06	173.40
Investments	–	–
Maximum during the year	–	10.52
Lending in Call Notice / Term Money	–	–
Maximum during the year	–	–
Other Lending	–	112.50
Maximum during the year	–	112.50
Borrowings in Call/ Notice / Term Money	29.58	–
Maximum during the year	142.08	150.00
Sale of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	10.84	140.27
Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	–	101.24
Non–funded commitments	–	–
Maximum during the year	–	–
Interest paid	2.62	2.82
Interest received	4.07	3.68
Non financial expense recd.	–	0.18
Dividend Paid	9.11	–
Dividend Received	–	10.94
Services rendered	–	27.06
Services received	–	17.29
Management contracts	–	–
Other Charges receivable	–	–
Any Others	167.48	2.44

Actual amount being less than ₹ 50000/-, the same is not furnished.

b) ***Key Management Personnel:***

Name	Designation	Remuneration	
		Current Year ₹	Previous Year ₹
Smt. V.R. Iyer	Chairperson & Managing Director	6,48,485	–
Shri Alok K. Misra	Ex-Chairman & Managing Director	15,11,800	22,54,643
Shri N. Seshadri	Executive Director	19,95,690	15,50,895
Shri M.S. Raghavan	Executive Director	15,16,172	3,29,850
Shri B.P. Sharma (w.e.f. 18.06.2012)	Executive Director	10,77,105	–
Shri B.A. Prabhakar	Ex-Executive Director	–	15,48,157

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

4.5 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	आस्थागित कर आस्तियां		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	809.61	584.57
ii)	अन्य	79.45	8.86
	कुल आस्थगित कर आस्तियां	**889.06**	**593.43**
	आस्थगित कर देयता		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	41.22	28.28
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	495.54	1025.05
iii)	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं होने के कारण	580.61	605.50
iv)	अन्य	4.75	8.26
	कुल आस्थगित कर देयताएं	1122.12	1667.09
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	(233.06)	(1073.66)

4.6 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यम में निवेश

निवेश में ₹ 120 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 120 करोड़) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्था में बैंक का हिस्सा दर्शा रहा है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	आवासिय देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	₹ 120 crore	भारत	48%

4.7 लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
क)	सकल निवेश	0.22	0.22
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	0.22	0.22
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
	कुल	**0.22**	**0.22**
ग)	अनर्जित वित्त आय	0.00	0.00
घ)	**निवल निवेश [क - ग]**	**0.22**	**0.22**

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

4.5 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
	Deferred Tax Assets		
i)	On account of timing difference towards provisions	809.61	584.57
ii)	Others	79.45	8.86
	Total Deferred Tax Assets	**889.06**	**593.43**
	Deferred Tax Liabilities		
i)	On account of Depreciation on fixed assets	41.22	28.28
ii)	On account of Depreciation on investment	495.54	1025.05
iii)	On account of interest accrued but not due	580.61	605.50
iv)	Others	4.75	8.26
	Total Deferred Tax Liabilities	**1122.12**	**1667.09**
	Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	**(233.06)**	**(1073.66)**

4.6 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 120 crore (Previous year ₹ 120 crore) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 120 crore	India	48%

4.7 Accounting Standard 19 - Lease Financing

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and itscomponents, which are included in advances, are set out below:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
a)	Gross Investments	0.22	0.22
b)	Lease payment receivables		
	(i) not later than 1 year	0.22	0.22
	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	TOTAL	**0.22**	**0.22**
c)	Unearned finance income	0.00	0.00
d)	**Net investments [a – c]**	**0.22**	**0.22**

4.8 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2011-12
1.	आधारभूत और तनुकृत *	47.79	48.98

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2011-12
(क)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़)	2749.35	2677.52
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)	57.54	54.66
(ग)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	47.79	48.98
(घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

4.9 लेखांकन मानक 29: ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ'':

क. देयताओं हेतु प्रावधानों की गतिविधि (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले / आकस्मिकताएं	
	2012-13	2011-12
प्रारंभिक शेष	22.05	6.61
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	4.89	15.44
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	–	–
अंतिम शेष	26.94	22.05
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ विवाचन करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमशः निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

5. अतिरिक्त प्रकटीकरण

5.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताएं" का ब्रेक-अप निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
निवेश के मूल्यह्रास पर प्रावधान	76.69	436.86
एनपीए हेतु प्रावधान	3726.55	2025.16
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	291.63	278.44
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	258.39	900.00
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
• पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	355.96	279.20
• देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	(13.61)	30.00
• फ्लोटिंग प्रावधान	0.00	0.00
• अन्य प्रावधान	13.55	66.77
कुल	**4709.15**	**4016.43**

4.8 Accounting Standard 20 - Earnings Per Share

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	2012-13	2011-12
1.	Basic & Diluted *	47.79	48.98

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

Sr. No.	Particulars	2012-13	2011-12
(A)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore)	2749.35	2677.52
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	57.54	54.66
(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	47.79	48.98
(D)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

4.9 Accounting Standard 29: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2012-13	2011-12
Opening Balance	22.05	6.61
Provided during the year	4.89	15.44
Amounts used during the year	–	–
Closing Balance	26.94	22.05
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

5. Additional Disclosures

5.1 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Provision for Depreciation on Investment	76.69	436.86
Provision towards NPA	3726.55	2025.16
Provision towards Standard Assets	291.63	278.44
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	258.39	900.00
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	355.96	279.20
• Provision for Country Risk	(13.61)	30.00
• Floating Provision	0.00	0.00
• Other Provisions	13.55	66.77
Total	**4709.15**	**4016.43**

5.2 अस्थिर प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
फ्लोटिंग प्रोविजन खाते में प्रारम्भिक शेष मात्रा	543.92	543.92
लेखाकंन वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रोविजनस् की प्रमात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि (ड्रॉ डाउन प्रयोजन, यदि कोई हो, दिया जाए)	0.00	0.00
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	543.92	543.92

5.3 आरक्षितियों से ड्रॉ डाउन

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार विशेष आरक्षिति मुद्रा स्वैप में से ₹ 0.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.19 करोड़) की राशि बैंक द्वारा आहरित कर कमी की गई।

5.4 शिकायतों का प्रकटन

i) ग्राहकों की शिकायतें:

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	19
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2255
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2262
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	12

ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	9
(ग)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	11
(घ)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	1

5.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बैंक ऑफ़ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. (अभी खोली जानी है) के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदा देय होने पर पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदा यदि देय होने पर पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी किया है।

तथापि यथा 31.03.2013 में उपर्युक्त वायदा में कोई वित्तीय दायित्व नहीं है।

5.6 प्रावधानीकरण कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2013 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानीकरण 60.92% है (पिछले वर्ष: 64.18%)

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
जीवन बीमा पॉलिसी	31.01
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	15.07
म्युचूअल फंड उत्पाद	2.21
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	0.39
सोने के सिक्कों की बिक्री	18.74
कुल	**67.42**

5.2 Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Opening Balance in the floating provisions account	543.92	543.92
The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
Amount of draw down made during the accounting year (purpose of draw down to be given, if any)	0.00	0.00
Closing Balance in the floating provisions account	543.92	543.92

5.3 Draw Down from Reserves

During the year, the bank has made a draw down of ₹ 0.37crore (Previous year ₹ 3.19 crore) from the Special reserve currency swaps in terms of the RBI guidelines.

5.4 Disclosure of complaints

i) Customer Complaints :

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	19
(b)	No. of complaints received during the year	2255
(c)	No. of complaints redressed during the year	2262
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	12

ii) Awards passed by the Banking Ombudsman :

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	3
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	9
(c)	No. of Awards implemented during the year	11
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

5.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank (As compiled by Management)

During the year 2011-2012, the Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (BTW) Ltd. (yet to be opened) to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

However, as on 31.03.2013 no financial obligations have arisen on the above commitments.

5.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2013 is 60.92% (Previous year: 64.18%)

5.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Amount
Life Insurance Policies	31.01
Non-Life Insurance Policies	15.07
Mutual fund products	2.21
Equity broking products	0.39
Sale of gold coins	18.74
Total	**67.42**

5.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

5.8.1 जमाराशियों का संकेंद्रन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	24214.20	25390.64
बैंक की कुल जमाराशियों में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के जमाराशियों का प्रतिशत	6.34%	7.98%

5.8.2 आग्रिमों का संकेंद्रन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल अग्रिम	43591.00	43639.45
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	7.85%	9.25%

5.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रणः

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	44398.10	43750.96
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	6.81%	7.82%

5.8.4 एनपीए संकेंद्रणः

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	2106.55	1216.18

5.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

क्र. सं.	क्षेत्र	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		2012-13	2011-12
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2.02	2.67
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	4.82	1.90
3	सेवाएं	2.96	3.57
4	व्यक्तिगत ऋण	1.30	2.56

5.10 एनपीए का मूवमेंट

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
सकल एनपीए यथा 01.04.2012 को (प्रारंभिक शेष)	5893.97	4811.55
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	7379.56	5401.24
उप-जोड़ (ए)	13273.53	10212.79
घटाएं :- (i) अपग्रेडेशन	759.28	487.05
(ii) वसूलीयाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	1244.64	1205.47
(iii) बट्टे खाते लिखाई	2415.37	2414.73
(iv) एनपीए खातों पर यूआरआई	88.99	211.56
उप-जोड़ (बी)	4508.28	4318.81
सकल एनपीए यथा 31.03.2013 (अंतिम शेष) (ए-बी)	8765.25	5893.97

5.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (as compiled by management)

5.8.1 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Total Deposits of twenty largest depositors	24214.20	25390.64
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.34%	7.98%

5.8.2 Concentration of Advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Total Advances to twenty largest borrowers	43591.00	43639.45
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	7.85%	9.25%

5.8.3 Concentration of Exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	44398.10	43750.96
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	6.81%	7.82%

5.8.4 Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Total Exposure to top four NPA accounts	2106.55	1216.18

5.9 Sector-wise NPAs (as compiled by management)

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		2012-13	2011-12
1	Agriculture and allied activities	2.02	2.67
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	4.82	1.90
3	Services	2.96	3.57
4	Personal Loans	1.30	2.56

5.10 Movement of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Gross NPAs as on 01.04.2012 (Opening Balance)	5893.97	4811.55
Additions (Fresh NPAs) during the year	7379.56	5401.24
Sub-total (A)	13273.53	10212.79
Less : (i) Up gradations	759.28	487.05
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1244.64	1205.47
(iii) Write-offs	2415.37	2414.73
(iv) URI on NPA accounts	88.99	211.56
Sub-total (B)	4508.28	4318.81
Gross NPAs as on 31.03.2013 (Closing Balance) (A-B)	8765.25	5893.97

5.11 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2011-12
1	कुल आस्तियां	114324.27	89018.71
2	कुल एनपीए	1613.21	724.26
3	कुल राजस्व	3797.92	2984.95

5.12 एसपीवीज़ स्पॉन्सर ऑफ बैलेन्स शीट

(जो लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित की जानी है)

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम	
स्वदेशी	विदेशी
शून्य	शून्य

5.13 अपरिशोधित पेन्शन और ग्रेच्युटी देयताएं :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेन्शन विकल्प फिर से प्रदान करने और उपदान सीमा बढ़ाने - प्रूडेन्शियल रेगुलेटरी ट्रीटमेन्ट, पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.80/21.04.018/ 2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार बैंक ने ₹ 2,641.11 करोड़ की कथित देयता को पॉच वर्षों की अवधि में परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, ₹ 528.22 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ का 1/5वा हिस्सा) बैंक के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है। उक्त आरबीआई परिपत्र की अपेक्षा के अनुसार, आगे ले जाई गई शेष राशि, अर्थात ₹ 1056.45 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ से ₹ 1584.66 करोड़ घटाकर) में बैंक सेवा से अलग हुए/सेवानिवृत कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

5.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

5.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के साथ डीलिंग शुरू नहीं की है।

6. अन्य नोट

क) आय कर:

I) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है जिसके अंतर्गत ₹ 621.25 करोड़ (₹ 420.67 करोड़) की विवादित आय कर / ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान / समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों के आधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

II) कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया है।

III) एमएटी क्रेडिट के नेट ₹ 603.89 करोड़ (विगत वर्ष 2011-12 ₹ 75.37 करोड़) के आय कर के प्रावधान को विभिन्न अपील प्राधिकारियों के अनुकूल निर्णयों के आधर पर इस वर्ष के दौरान वापस लिख दिया गया है।

बी) प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग :

i) दि. 31-03-2013 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक ने एचटीएम से एएफएस

5.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2012-13	2011-12
1	Total Assets	114324.27	89018.71
2	Total NPAs	1613.21	724.26
3	Total Revenue	3797.92	2984.95

5.12 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

5.13 Unamortised Pension and Gratuity Liabilities:

As per the Reserve Bank of India circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011, the Bank opted to amortise the said liability of ₹ 2,641.11 Crores over a period of five years. Accordingly, ₹ 528.22 Crores (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 Crores) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e., ₹ 1056.45 Crores (₹ 2,641.11 Crores minus ₹ 1584.66 Crores) does not include any amount relating to the employees separated/retired.

5.14 Disclosure relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2012-13

5.15 Credit Default Swaps

The bank has not started dealing with Credit Default swaps upto end of the financial year 2012-13.

6. Other Notes

a) Income Tax:

I) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 621.25 crores (previous year 2011-12 ₹ 420.67 crore) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

III) Provision for Income Tax of ₹ 603.89 crores (previous year 2011-12 ₹ 75.37 crores) net of MAT Credit has been written back during the year on the basis of favourable decisions of various appellate authorities.

b) Shifting of securities:

i) For the year ended 31-03-2013, Bank has shifted securities amounting to ₹ 1594.28 crore from HTM to

प्रवर्ग में ₹ 1594.28 करोड़ की प्रतिभूति राशि को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर ₹ 5.02 करोड़ की हानि बुक की गई है।

ii) वर्ष के दौरान बैंक ने एएफएस से एचटीएम प्रवर्ग में ₹ 3558.91 करोड़ की प्रतिभूतियों को शिफ्ट किया गया और ऐसे अतंरण पर हुई हानि पर ₹ 37.04 करोड़ के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया है।

iii) दि. 31-03-2013 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक ने एचटीएम से एएफएस प्रवर्ग में ₹ 10.49 करोड़ के वेंचर फण्ड पोर्टफोलियो को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर ₹ 0.21 करोड़ की हानि हुई।

(सी) एसएलआर प्रतिभूतियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012	
विवरण	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी, टीबी)	81839.02	82089.73	73837.25	71126.65
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	135.68	153.97	201.40	214.29

(डी) परिपक्वता तक धारित' प्रवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री पर ₹ 62.63 करोड़ के लाभ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके पश्चात् करों का निवल ₹ 31.73 करोड़ की राशि आरक्षित पूंजी में समायोजित की गई और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित किया गया।

(ई) पुरस्कार (रिवार्ड) प्वॉइन्ट का संचलन

क्र. सं.	विवरण	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड प्वॉइन्ट्स	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वॉइन्ट्स	कुल
1	यथा 31.03.2012 को प्रारंभिक शेष	56227144	24728759	80955903
2	जोड़ें : ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान उपचित रिवार्ड प्वॉइन्ट्स	149379007	23071047	172450054
3	घटाएं : ग्राहक द्वारा लिए गए रिवार्ड प्वॉइन्ट्स	747370	22149286	22896656
4	यथा 31.03.2013 को अंतिम शेष	204858781	25650520	230509301

7. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकडों को पुनःसमूहित / पुनःव्यवस्थित किया गया है।

AFS category and ₹ 5.02 Crores loss has been booked as loss on such transfer.

ii) Securities amounting to ₹ 3558.91 Crores were shifted from AFS to HTM category and loss arisen upon such transfer amounting to ₹ 37.04 Crores has been provided for during the year.

iii) For the year ended 31.03.2013, Bank has shifted portfolio of Venture Fund amounting ₹ 10.49 crores from HTM to AFS and ₹ 0.21 crores of loss has arisen due to such transfer.

(c) SLR Securities

(Amount in ₹ crore)

	As at 31.03.2013		As at 31.03.2012	
Particulars	Book Value	Market Value	Book Value	Market Value
Government Securities SLR (CG, SG, TB)	81839.02	82089.73	73837.25	71126.65
Approved securities - SLR	135.68	153.97	201.40	214.29

(d) Profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 62.63 crore has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount of ₹ 31.73 crore has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

(e) Movement of Reward Points

Sl No.	Particulars	Reward points on Debit Card	Reward points on Credit Card	Total
1	Opening Balance as on 31.03.2012	56227144	24728759	80955903
2	Add: Reward points accrued during the year by Customers	149379007	23071047	172450054
3	Less: Reward Points availed by customers	747370	22149286	22896656
4	Closing Balance as on 31.03.2013	204858781	25650520	230509301

7. Previous year's figures have been Regrouped / Rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के यथा 31 मार्च, 2013 की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिसके साथ यथा 31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना संलग्न थे। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं (ट्रेज़री शाखा सहित), शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1695 स्वदेशी शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 25 विदेशी शाखाओं की विवरणियों का समावेश है। बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते में उन 2602 शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं। ये गैर-लेखा परीक्षित शाखाएं 5.55% अग्रिम, 19.03% जमाराशियां, 5.51% ब्याज-आय और 17.63% ब्याज-व्यय का योगदान करती हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुरुप वित्तीय विवरणियों की तैयारी, प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की तैयारी, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरुप हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा थी कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस संबंध में इस बात का समुचित आश्वाससन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं करनी होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणियों में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है। इन जोखिम-आकलनों में, इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

राय

6. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की बहियों में दर्शाए अनुसारः

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS

To
The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of India ('the Bank') as at 31st March, 2013, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches (Including Treasury Branch) audited by us and 1695 domestic branches audited by branch auditors and 25 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2602 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.55 per cent of advances, 19.03 per cent of deposits, 5.51 per cent of interest income and 17.63 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र, आवश्यक विवरणों वाला पूर्ण और उचित तुलन पत्र है और उचित रुप से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक की गतिविधियों का, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप, सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो;
- नीतियां के साथ पठित लाभ-हानि खाता, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप लाभ का सही तुलन दर्शाता है; और
- नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता, क्रमशः बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' एवं 'बी' में तैयार किए गए हैं।
8. उक्त पैरा 1 से 5 में उल्लिखित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं उसके द्वारा अपेक्षित प्रकटन सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   - हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
   - बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं; और
   - बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।
9. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

- The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
   - We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
   - The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and
   - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
9. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते चतुर्वेदी एंड शाह **For Chaturvedi & Shah** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 101720W) (Firm Reg. No. 101720W)	कृते कर्नावट एंड कंपनी **For Karnavat & Co.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 104863W) (Firm Reg. No. 104863W)	कृते शंकरन एंड कृष्णन **For Sankaran & Krishnan** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 003582S) (Firm Reg. No. 003582S)
(वितेश डी. गांधी) **(Vitesh D. Gandhi)** भागीदार Partner एम.नं. 110248 M. No. 110248	(समीर बी. दोशी) **(Sameer B. Doshi)** भागीदार Partner एम.नं. 117987 M. No. 117987	(एम.के.कुमार) **(M. K. Kumar)** भागीदार Partner एम.नं. 202092 M. No. 202092
कृते एल.बी.झा एंड कं. **For L.B. Jha & Co.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 301088E) (Firm Reg. No. 301088E)	कृते एसआरबी एंड एसोशिएट **For SRB & Associates** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 310009E) (Firm Reg. No. 310009E)	कृते ईसाक एण्ड सुरेश **For Isaac & Suresh** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 001150S) (Firm Reg. No. 001150S)
(के.के. भांजा) **(K.K. Bhanja)** भागीदार Partner एम.नं. 14722 M. No. 14722	(संजीत पात्रा) **(Sanjeet Patra)** भागीदार Partner एम.नं. 056121 M. No.056121	(के. सुरेश) **(K. Suresh)** भागीदार Partner एम.नं 023554 M. No. 023554

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

बैंक ऑफ़ इंडिया
समेकित वित्तीय विवरणियाँ
2012-13

Bank of India
Consolidated Financial Statements
2012-13

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2013

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			अनुसूची संख्या Schedule No.	यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
I.	पूंजी और देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
	पूंजी	Capital	1	5,966,414	5,745,195
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	238,743,727	208,394,816
	अल्प संख्यक हित	Minorities Interest	2A	734,292	628,998
	जमाराशियाँ	Deposits	3	3,831,309,940	3,194,125,271
	उधार	Borrowings	4	353,694,024	321,189,450
	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	133,619,631	145,808,721
	जोड़	TOTAL		4,564,068,028	3,875,892,451
II.	आस्तियाँ	ASSETS			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	221,251,226	151,396,709
	बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and money at call and short notice	7	332,520,031	203,246,647
	निवेश	Investments	8	963,877,594	880,568,732
	अग्रिम	Advances	9	2,906,546,150	2,497,334,443
	अचल आस्तियाँ	Fixed Assets	10	29,006,393	28,000,249
	अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	110,866,634	115,345,671
	जोड़	TOTAL		4,564,068,028	3,875,892,451
	आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	2,217,888,499	1,912,606,483
	वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		242,533,903	192,985,006
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
	लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

श्रीमती वी.आर. अय्यर
Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
Chairperson & Managing Director

उमेश कुमार
Umesh Kumar

पी. आर. रवि मोहन
P. R. Ravi Mohan

नीरज भाटिया
Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह
Harvinder Singh

ए. एम. परेरा
A. M. Pereira

के. के. नायर
K. K. Nair

पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

प्रमोद भसीन
Pramod Bhasin

उमेश कुमार खेतान
Umesh Kumar Khaitan

एम. एस. राघवन
M. S. Raghavan

बी. पी. शर्मा
B. P. Sharma

कार्यपालक निदेशक
Executive Directors

ए. के. वर्मा
A K Verma
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है। In terms of our report of even date attached

चतुर्वेदी एंड शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 101720W)
(वितेश डी. गांधी)
(Vitesh D. Gandhi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 110248
Membership No. 110248

कर्णावट एंड कं.
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 104863W)
(समीर बी. दोशी)
(Sameer B. Doshi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 117987
Membership No. 117987

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg No. 003582S)
(एम. के. कुमार)
(M.K. Kumar)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 202092
Membership No. 202092

एल.बी. झा एण्ड कं
L B Jha & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg No. 301088E)
(के.के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स
SRB & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 310009ई)
(Firm Reg No.310009E)
(संजीत पात्रा)
(Sanjeet Patra)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 056121
Membership No. 056121

ईसाक एण्ड सुरेश
Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 001150एस)
(Firm Reg No.001150S)
(के. सुरेश)
(K Suresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 023554
Membership No. 023554

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2013

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			अनुसूची संख्या Schedule No.	Year ended 31-03-2013 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	Year ended 31-03-2012 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित ब्याज	Interest earned	13	320,958,265	286,109,532
	अन्य आय	Other income	14	37,845,996	33,192,381
	जोड़	TOTAL		358,804,261	319,301,913
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	229,604,055	202,163,002
	प्रचालनगत व्यय	Operating expenses	16	54,558,821	50,103,612
	प्रावधान और आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies	18[8(b)]	47,229,508	40,289,118
	जोड़	TOTAL		331,392,384	292,555,732
	सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16 A	769,167	582,657
	अल्पसंख्यक के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		28,181,044	27,328,838
	घटाए: अल्पसंख्यक का हित	Less: Minorities' Interest		(17,935)	80,278
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित शुद्ध लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		28,198,979	27,248,560
	जोड़ें: समूह के अग्रेनीत समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		0	0
	जोड़	TOTAL		28,198,979	27,248,560
III.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	कानूनी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		6,873,367	6,693,789
	राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		11,039,322	13,324,074
	पूंजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		317,318	101,223
	विशेष आरक्षिति से / को अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		(3,654)	(31,941)
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		6,970,893	4,659,760
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Dividend Tax - for Subsidiary		1,733	1,655
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		3,000,000	2,500,000
	समेकित तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		–	–
	जोड़	TOTAL		28,198,979	27,248,560
	प्रति शेयर उपार्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)	18[9(E)]	49.01	49.85
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
	लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि का अभिन्न अंग हैं। / The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार लाभ हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

श्रीमती वी.आर. अय्यर
Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
Chairperson & Managing Director

उमेश कुमार
Umesh Kumar
हरविंदर सिंह
Harvinder Singh
पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

पी. आर. रवि मोहन
P. R. Ravi Mohan
ए. एम. परेरा
A. M. Pereira
प्रमोद भसीन
Pramod Bhasin

नीरज भाटिया
Neeraj Bhatia
के. के. नायर
K. K. Nair
उमेश कुमार खेतान
Umesh Kumar Khaitan

एम. एस. राघवन
M. S. Raghavan

बी. पी. शर्मा
B. P. Sharma

कार्यपालक निदेशक
Executive Directors

ए. के. वर्मा
A K Verma
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है। In terms of our report of even date attached

चतुर्वेदी एंड शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 101720W)
(वितेश डी. गांधी)
(Vitesh D. Gandhi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 110248
Membership No. 110248

कर्णावट एंड कं.
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 104863W)
(समीर बी. दोशी)
(Sameer B. Doshi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 117987
Membership No. 117987

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg No. 003582S)
(एम. के. कुमार)
(M.K. Kumar)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 202092
Membership No. 202092

एल.बी. झा एण्ड कं
L B Jha & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg No. 301088E)
(के.के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स
SRB & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 310009ई)
(Firm Reg No.310009E)
(संजीत पात्रा)
(Sanjeet Patra)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 056121
Membership No. 056121

ईसाक एण्ड सुरेश
Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 001150एस)
(Firm Reg No.001150S)
(के. सुरेश)
(K Suresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 023554
Membership No. 023554

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

12. 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण		Particulars	वर्षान्त / Year ended 31.03.2013	वर्षान्त / Year ended 31.03.2012
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**	**A.**	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	कर के पहले शुद्ध लाभ		**Net Profit before taxes**	**30,956,877**	**36,359,907**
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		**Adjustments for:**		
	निवेश पर मूल्यह्रास / परिशोधन		Amortisation / Depreciation on Investments	2,375,900	5,898,098
	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	1,890,682	1,750,531
	अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for Other Items	43,704,677	26,809,136
	गौण बांड, आईपीडीआई, अपर टियर II बांड पर ब्याज का भुगतान / प्रावधान		Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	7,867,476	7,702,166
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(311,114)	(316,369)
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		**Adjustments for:**		
	जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase / (Decrease) in Deposits	637,184,668	198,531,261
	उधार में वृद्धि / (कमी)		Increase / (Decrease) in Borrowings	31,377,051	98,917,966
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	(10,551,054)	2,856,939
	निवेश में वृद्धि / (कमी)		(Increase) / Decrease in Investments	(84,822,723)	(18,693,558)
	अग्रिम में वृद्धि / (कमी)		(Increase) / Decrease in Advances	(446,432,316)	(380,513,660)
	अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)		(Increase) / Decrease in Other Assets	10,661,063	17,561,732
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान) / वापसी		Direct Taxes (Paid) / Refund	(17,581,896)	(13,304,952)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**206,319,292**	**(16,440,803)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**	**B.**	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(3,884,385)	(6,397,056)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	449,996	804,784
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	311,114	316,369
	अनुषंगियों के समेकन का प्रभाव		Impact of consolidation of subsidiaries	(862,039)	(1,007,360)
	अल्प-संख्यक हित		Minority Interest	105,293	116,636
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(3,880,021)	(6,166,627)
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**	**C.**	**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Share Capital	221,219	273,000
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	7,868,779	10,101,546
	आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	1,127,523	2,057,728
	लाभांश भुगतान		Dividend paid	(4,661,415)	(4,442,954)
	आईपीडीआई/गौण बांड अप्पर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(7,867,476)	(7,702,166)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(3,311,370)	287,154
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A) + (B) + (C)**	**199,127,901**	**(22,320,276)**
	1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष		**Opening Cash and Cash Equivalents as at April 1**	**354,643,356**	**376,963,632**
	31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at March 31**	**553,771,257**	**354,643,356**

निदेशक DIRECTORS

श्रीमती वी.आर. अय्यर
Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका
Chairperson and Managing Director

उमेश कुमार
Umesh Kumar
हरविंदर सिंह
Harvinder Singh
पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

पी. आर. रवि मोहन
P.R. Ravi Mohan
ए. एम. परेरा
A. M. Pereira
प्रमोद भसीन
Pramod Bhasin

नीरज भाटिया
Neeraj Bhatia
के. के. नायर
K. K. Nair
उमेश कुमार खेतान
Umesh Kumar Khaitan

एम. एस. राघवन
M.S. Raghavan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बी. पी. शर्मा
B.P. Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए. के. वर्मा
A.K. Verma
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
In terms of our report of even date attached

चतुर्वेदी एंड शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 101720W)
(वितेश डी. गांधी)
(Vitesh D. Gandhi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 110248
Membership No. 110248

कर्णावट एंड कं.
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg. No. 104863W)
(समीर बी. दोशी)
(Sameer B. Doshi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 117987
Membership No. 117987

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg. No. 003582S)
(एम. के. कुमार)
(M.K. Kumar)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 202092
Membership No. 202092

एल.बी. झा एण्ड कं
L B Jha & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg. No. 301088E)
(के.के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स
SRB & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 310009ई)
(Firm Reg. No. 310009E)
(संजीत पात्रा)
(Sanjeet Patra)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 056121
Membership No. 056121

आईसैक एण्ड सुरेश
Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 001150एस)
(Firm Reg. No. 001150S)
(के. सुरेश)
(K Suresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 023554
Membership No. 023554

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 1 : पूंजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (विगत वर्ष 300,00,00,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	30,000,000
जारी और अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
59,70,79,427 (विगत वर्ष 57,49,57,470) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर 38,20,06,827 इक्विटी शेयर शामिल (विगत वर्ष 35,98,84,870) प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण प्रदत्त कुल ₹ 382.01 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 359.88 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा धारित;	59,70,79,427 Equity Shares (Previous year 57,49,57,470) of ₹ 10 each including 38,20,06,827 Equity shares (Previous year 35,98,84,870) of ₹ 10 each, fully paid up amounting to ₹ 382.01 crore (Previous year ₹ 359.88 crores) held by Central Government.	**5,970,794**	5,749,575
जोड़	**TOTAL**	**5,970,794**	5,749,575
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 59,59,02,327 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 57,37,80,370)	59,59,02,327 Equity Shares (Previous year 57,37,80,370) of ₹10 each fully paid up	**5,959,023**	5,737,804
जोड़ेः जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of Shares forfeited	**7,391**	7,391
जोड़	**TOTAL (I)**	**5,966,414**	5,745,195
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. कानूनी आरक्षितियाँ :	**I. Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**52,695,475**	46,001,686
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**6,873,367**	6,693,789
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**59,568,842**	52,695,475
II. पूंजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पूनर्मूल्यांकन आरक्षिति:	A) Revaluation Reserve :		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**12,358,898**	13,194,673
जोड़ें : संपत्ति का पुर्नमूल्यांकन	Add : Revaluation of Property	**0**	0
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास / समायोजन	Less : Depreciation / adjustments on account of revaluation	**537,562**	835,775
जोड़ (ए)	**Total of (A)**	**11,821,336**	12,358,898
बी) अन्य	B) Others		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ - ''परिपक्वता तक धारित''	i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**8,433,282**	8,332,059
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add : Additions during the year	**317,318**	101223
(i) का उप जोड़	**Sub-total of (i)**	**8,750,600**	8,433,282
ii) समेकन पर पूँजी	ii) Capital Reserve on Consolidation		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**0**	0
जोड़ेः वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	**199,330**	0
(ii) का उप जोड़	**Sub-total of (ii)**	**199,330**	0
ii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iii) Foreign Currency Translation Reserve		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**10,445,629**	4,654,250
जोड़े/घटाएंः वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/(Less) : Adjustments during the year (Net)	**1,520,112**	5,791,381
(iii) का उप जोड़	**Sub-total of (iii)**	**11,965,741**	10,445,631

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष *(जारी)*	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS *(Contd.)***		
iv) विशेष आरक्षिति - मुद्रा स्वैप	iv) Special Reserve - Currency Swaps		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**3,654**	35,595
जोड़े / (घटाएं) : वर्ष के दौरान कटौती	Add/(Less):Deductions during the year	**(3,654)**	(31,941)
(iv) का उप जोड़	**Sub-total of (iv)**	**0**	3,654
जोड़ (बी)	**Total of (B)**	**20,915,671**	18,882,567
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**32,737,007**	31,241,465
III. शेयर प्रीमियम:	**III. Share Premium :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**39,260,294**	29,158,748
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year (Preferential Issue of Equity)	**7,868,779**	10,101,546
जोड़े : विलोपित जब्त शेयर	Add : On forfeited shares annulled	**0**	0
जोड़ (III)	**TOTAL (III)**	**47,129,073**	39,260,294
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ:	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षितियाँ:	i) Revenue Reserve :		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**75,497,582**	62,311,588
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add : Additions during the year	**11,039,322**	13,324,074
जोड़ें / (घटाएं) : समायोजन	Add / (Less) : Adjustments	**71,901**	(138,080)
(i) जोड़	**Total of (i)**	**86,608,805**	75,497,582
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) (के अंतर्गत विशेष आरक्षिति)	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**9,700,000**	7,200,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add : Additions during the year	**3,000,000**	2,500,000
(ii) का जोड़	**Total of (ii)**	**12,700,000**	9,700,000
जोड़ (IV)	**TOTAL (IV)**	**99,308,805**	85,197,582
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account	**0**	0
जोड़ (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**238,743,727**	208,394,816
अनुसूची - 2A : अल्पसंख्यक हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	**330,886**	137,220
परवर्ती वृद्धि / (कमी)	Subsequent increase / (decrease)	**403,406**	491,778
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance Sheet	**734,292**	628,998
अनुसूची - 3 : जमाराशियाँ	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. माँग जमा राशियां	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंक से	i) From Banks	**10,613,328**	9,998,762
ii) अन्य से	ii) From Others	**193,863,916**	170,545,401
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**204,477,244**	180,544,163
II. बचत बैंक जमा राशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**777,113,780**	669,147,377
III. मियादी जमा राशियां:	**III. Term Deposits :**		
i) बैंक से	i) From Banks	**389,670,875**	365,491,511
ii) अन्य से	ii) From Others	**2,460,048,041**	1,978,942,220
जोड़ (III)	**TOTAL (III)**	**2,849,718,916**	2,344,433,731
जोड़ ए (I से III)	**TOTAL A (I to III)**	**3,831,309,940**	3,194,125,271
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	B. i) Deposits of branches in India	**2,940,660,235**	2,484,364,286
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	**890,649,705**	709,760,985
जोड़ (बी)	**TOTAL (B)**	**3,831,309,940**	3,194,125,271

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

हिंदी	English	यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India :**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**4,110**	37,260
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**5,712,000**	5,712,000
ख. अपर टियर-II पूंजी	b. Upper Tier II Capital	**695,000**	695,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**1,113,000**	1,083,000
घ. अन्य	d. Others	**14,900,193**	3,250,659
जोड़ (ii)	**Total (ii)**	**22,420,193**	10,740,659
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	iii) Other Institutions and Agencies		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**11,088,000**	11,088,000
ख. अपर टियर-II पूंजी I	b. Upper Tier II Capital	**41,625,000**	41,625,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**16,887,000**	16,917,000
घ. अन्य	d. Others	**62,534,647**	99,625,893
जोड़ (iii)	**Total (iii)**	**132,134,647**	169,255,893
जोड़ (I)	**Total (I)**	**154,558,950**	180,033,812
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**4,610,989**	4,324,457
ख. अपर टियर-II पूंजी	b. Upper Tier II Capital	**13,051,984**	12,210,993
ग. अन्य	c. Others	**181,472,101**	124,620,188
जोड़ (II)	**Total (II)**	**199,135,074**	141,155,638
जोड़ (I और II)	**Total (I & II)**	**353,694,024**	321,189,450
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in above	**0**	0

हिंदी	English	यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	**12,920,584**	11,615,063
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	**0**	0
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	**15,038,416**	11,388,576
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	**3,128,214**	10,825,497
V. अन्य	V. Others	**102,532,417**	**111,979,585**
जोड़	**TOTAL**	**133,619,631**	**145,808,721**

हिंदी	English	यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट और स्वर्ण सम्मिलित हैं)	**I. Cash in hand** (including foreign currency notes & Gold)	**17,704,680**	11,674,898
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. Balances with Reserve Bank of India :		
i) चालू खाते में	i) In Current Account	**203,452,946**	139,617,711
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	**93,600**	104,100
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**203,546,546**	139,721,811
जोड़ (I और II)	**TOTAL (I & II)**	**221,251,226**	151,396,709

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि / SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

		यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
I. भारत में:	I. In India :		
i) बैंक में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**5,974,136**	4,258,164
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**86,223,965**	34,390,229
ii) मांग पर और अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	**0**	0
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	**0**	36,214
जोड़ (I)	TOTAL (I)	**92,198,101**	38,684,607
II. भारत के बाहर:	II. Outside India :		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	**6,510,130**	11,880,921
ii) अन्य जमा खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	**230,212,307**	111,669,797
iii) मांग पर और अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	**3,599,493**	41,011,322
जोड़ (II)	TOTAL (II)	**240,321,930**	164,562,040
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	**332,520,031**	203,246,647

अनुसूची - 8 : निवेश / SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

		यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
I. भारत में निवेश:	I. Investments in India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	i) Government Securities	**798,318,924**	717,708,012
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	ii) Other approved Securities	**986,884**	1,498,170
iii) शेयरों में	iii) Shares	**15,905,439**	14,496,527
iv) डिबेंचरो और बंधपत्रों में	iv) Debentures and Bonds	**57,861,138**	53,861,215
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	**6,907,599**	6,096,191
vi) अन्य	vi) Others	**46,643,049**	46,509,275
जोड़ (I)	TOTAL (I)	**926,623,033**	840,169,390
II. भारत के बाहर निवेश:	II. Investments outside India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	**24,377,635**	22,382,736
ii) डिबेंचर और बॉंड	ii) Debentures & Bonds	**0**	0
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	**468,514**	417,883
iv) अन्य	iv) Others	**12,408,412**	17,598,723
जोड़ (II)	TOTAL (II)	**37,254,561**	40,399,342
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	**963,877,594**	880,568,732
III. भारत में निवेश	III. Investments in India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	**931,968,355**	846,125,589
ii) अवमूल्यन हेतु कुल प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	**5,345,322**	5,956,199
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**926,623,033**	840,169,390
IV. भारत के बाहर निवेश	IV. Investments outside India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	**41,734,300**	43,860,362
ii) अवमूल्यन हेतु कुल प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	**4,479,739**	3,461,020
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**37,254,561**	40,399,342
जोड़ (III और IV)	TOTAL (III & IV)	**963,877,594**	880,568,732

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	**512,121,504**	392,888,722
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**1,238,210,757**	1,106,124,422
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	**1,156,213,889**	998,321,299
जोड़ (क)	**TOTAL (A)**	**2,906,546,150**	2,497,334,443
बी. अग्रिमों का विवरणः	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**1,892,640,920**	1,535,096,073
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**606,559,629**	438,197,057
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	**407,345,601**	524,041,313
जोड़ (बी)	**TOTAL (B)**	**2,906,546,150**	2,497,334,443
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरणः	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	**649,660,787**	561,399,201
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	**298,815,767**	167,610,143
iii) बैंक	iii) Banks	**1,805,600**	2,106,532
iv) अन्य	iv) Others	**1,063,405,212**	1,026,619,771
जोड़ (सी-I)	**TOTAL (I)**	**2,013,687,366**	1,757,735,647
II. भारत के बाहर अग्रिमः	**II. Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	**306,819,176**	291,554,722
ii) अन्यों से देय	ii) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	**184,660,244**	105,148,454
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	**152,816,449**	133,164,303
ग) अन्य	c) Others	**248,562,915**	209,731,317
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**892,858,784**	739,598,796
जोड़ (I और II)	**TOTAL (I & II)**	**2,906,546,150**	2,497,334,443
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसरः	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	**11,657,995**	8,000,338
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions / Adjustments during the year	**193,873**	3,668,879
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन	Less : Deductions / Adjustments during the year	**0**	11,222
उप-जोड़	**Sub-total**	**11,851,868**	11,657,995
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड़	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	**19,613,350**	19,613,350
घटाएंः इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 7792016 सहित-विगत वर्ष में ₹ 7254454)	Less : Depreciation to date (including ₹ 7792016 on account of revaluation - Previous year ₹ 7254454)	**10,669,761**	9,736,439
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**20,795,457**	21,534,906

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

				यथा As at 31-03-2013 ₹	यथा As at 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां *(जारी)*		**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS *(Contd.)***			
II.	**अन्य अचल आस्तियां:** (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित है)	II.	**OTHER FIXED ASSETS :** (including Furniture and Fixtures)		
	लागत पर आरंभिक शेष		Opening Balance at cost	**15,542,978**	13,013,196
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन		Additions/Adjustments during the year	**3,357,071**	3,281,825
	घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन		Less: Deductions/Adjustments during the year	**422,138**	752,043
	उप-जोड़		**Sub-total**	**18,477,911**	15,542,978
	घटाएंः इस तारीख को मूल्यह्रास		Less: Depreciation to date	**11,203,570**	9,680,790
	जोड़ (II)		**TOTAL (II)**	**7,274,341**	5,862,188
III.	**निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य**	III.	**CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**936,595**	603,155
	जोड़ (I से III)		**TOTAL (I to III)**	**29,006,393**	28,000,249
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियाँ		**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**			
I.	आंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I.	Inter Office Adjustment (Net)	**1,114,569**	8,886,491
II.	उपचित ब्याज	II.	Interest Accrued	**19,424,708**	21,160,951
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III.	Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	**44,061,478**	38,610,358
IV.	लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV.	Stationery and Stamps	**61,101**	47,415
V.	आस्थगित कर आस्तियाँ	V.	Deferred Tax Assets	**839,129**	108,223
VI.	अन्य	VI	Others	**45,365,649**	46,532,233
	जोड़		**TOTAL**	**110,866,634**	115,345,671
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएँ		**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**			
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I.	Claims against the Bank not acknowledged as debts	**8,113,001**	6,005,347
II.	अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II.	Liability for partly paid Investments	**1,170,424**	3,200
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**1,426,316,514**	1,042,687,402
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	IV.	Guarantees given on behalf of Constituents :		
	क) भारत में		a) In India	**167,395,925**	165,681,720
	ख) भारत के बाहर		b) Outside India	**128,494,207**	112,488,552
V.	सकार, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	V.	Acceptances, endorsements and other obligations	**271,628,949**	259,728,591
VI.	ब्याज दर स्वैप	VI.	Interest Rate Swaps	**202,187,374**	238,047,553
VII.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII.	Other items for which the Bank is contingently liable	**12,582,105**	87,964,118
	जोड़		**TOTAL**	**2,217,888,499**	1,912,606,483

समेकित लाभ व हानि खाते की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		वर्षांत For the Year ended 31-03-2013 ₹	वर्षांत For the Year ended 31-03-2012 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	**232,773,245**	203,340,784
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	**72,870,373**	71,635,986
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अन्तर-बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**12,780,011**	8,474,661
IV. अन्य	IV. Others	**2,534,636**	2,658,101
जोड़	**TOTAL**	**320,958,265**	286,109,532
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	**12,751,216**	12,774,885
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ-निवल	II. Profit on sale of Investments - net	**4,489,740**	4,092,548
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	III. Profit on sale of land, buildings and other assets - net	**2,236**	7,512
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ-निवल	IV. Profit on exchange transactions - net	**6,498,743**	5,941,617
V. सहायक कंपनियों / कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/companies and /or/ joint ventures	**311,114**	316,369
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	**13,792,947**	10,059,450
जोड़	**TOTAL**	**37,845,996**	33,192,381
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	**203,132,692**	180,060,468
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**14,890,771**	11,453,427
III. गौण ऋणों, आईआरएस आदि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	**11,580,592**	10,649,107
जोड़	**TOTAL**	**229,604,055**	202,163,002
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	**31,791,721**	30,895,127
II. किराया, कर और बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	**4,455,954**	3,476,871
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	**620,730**	550,160
IV. विज्ञापन और प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	**639,211**	644,707
V. बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	**1,890,682**	1,750,531
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	**31,370**	22,739
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों के लिए व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	**380,445**	381,357
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	**206,379**	199,123
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**519,831**	459,681
X. मरम्मत और रख-रखाव	X. Repairs and Maintenance	**625,580**	471,418
XI. बीमा	XI. Insurance	**2,062,429**	2,307,630
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure	**11,334,489**	8,944,268
जोड़	**TOTAL**	**54,558,821**	50,103,612
अनुसूची - 16ए : सहयोगी कंपनियों में उपार्जन / हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	**477,491**	471,444
II. अन्य	II. Others	**291,676**	111,213
जोड़	**TOTAL**	**769,167**	582,657

अनुसूची 17:

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखांकन पद्धति संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं, जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरुप भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकारी (आईआरडीए), कंपनी अधिनिम 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय के अनुरुप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धितियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

   वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणाओं को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

2. **समेकन का आधार**

   समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं:

   1. बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक (एएस) 21 ''समेकित वित्तीय विवरण '' के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय जोड़ दी जाती हैं और अन्तर ग्रुप संव्यवहारों, शेष राशि बिना वसूले गये लाभ/हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं, जो लेखागत नीति के अनुरुप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों। किन्तु ऐसा ओवरसीज अनुषंगियों/सहयोगियों के मामले को छोड़कर है, जहां वित्तीय विवरण पत्र स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के आधार पर तैयार किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसे समायोजनों के परिणामों को शामिल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनका उस पर बहुत असर पड़ने की संभावना नहीं है। अनुषंगियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जो मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख है अर्थात 31 मार्च, 2012 ।
   2. अनुषंगियों में निवेश की मूल लागत और अनुषंगियों में इक्विटी के मूल हिस्से के बीच के अंतर को साख/आरक्षित पूंजी के रुप में मान्यता दी जाती है यदि कोई साख है तो इसकी मान्यता प्राप्त होने पर तुरंत बट्टे खाते डाल दी जाती है।
   3. समेकित वित्तीय विवरण पत्र में अल्पसंख्यक हित अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रुप में है।
   4. सहयोगी कम्पनियों में निवेश का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23, ''समेकित वित्तीय विवरणपत्रों में सहयोगी कम्पनियों में निवेश का लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी तरीके के तहत किया गया है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) **ACCOUNTING CONVENTION:**

   The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority(IRDA), Companies Act 1956, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

   The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2) **BASIS OF CONSOLIDATION:**

   Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

   1. The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/ associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of such adjustments not being material is not given in Consolidated Financial Statements. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of Parent bank i.e. 31st March 2013.
   2. The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/ capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.
   3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
   4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

5. संयुक्त उद्यम में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27, ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' में विहित किए गए अनुसार समानुपात आधार पर समेकित है।

3. राजस्व पहचान :

3.1 बैंकिंग कंपनी :

क) सामान्यतः आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) की वसूली पर आय के रूप में पहचान की जाती है। अनुत्पादक खातों की वसूली को सर्वप्रथम अवसूलीकृत ब्याज/आय, देय मूलधन और उसके बाद अप्रभारित ब्याज में समयोजित किया जाता है।

ग) विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज, लाभांश आय, सरकारी कारोबार पर कमीशन और अन्य पक्ष के उत्पादों के कमीशन का लेखांकन वसूली आधार पर किया जाता है।

घ) आयकर धन-वापसी पर ब्याज का लेखांकन, मूल्यांकन आदेश की प्राप्ति पर किया जाता है

3.2 गैर-बैंकिंग कंपनी :

बीमा :

क) प्रीमियम आय :

प्रीमियम (सेवा कर का निवल) जब देय हो तब आय के रूप में पहचानी जाती हैं। संबद्ध कारोबार के लिए सहायक इकाइयां निर्मित की जाती हैं तब प्रीमियम की पहचान की जाती है। टॉय-अप प्रीमियमों को एकल प्रीमियम के रूप में जाना जाता है।

व्यपगत पालिसियों को प्रीमियम आय के रूप में पहचाना जाता है, जब इस प्रकार की पालिसियाँ पुनः प्रारंभ हो जाती हैं।

ख) संबद्ध निधियों से आय :

संबद्ध निधियों से आय वह हैं जिसमें पॉलिसि प्रशासनिक प्रभार, नीति प्रशासकीय प्रभार, मृत्यु दर प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि सम्मिलित हों जिसे जारी नीतियों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और वसूली होने पर उनकी पहचान की जाती है।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम :

पुनः बीमाकर्ता के साथ संगत संधिपत्रों के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय सत्तान्तरित पुनर्बीमा प्रीमियम का लेखाकरण होता है।

घ) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा समझौता लागत, यदि कोई हो, जुड़ा है।

पॉलिसीधारक से सूचना की प्राप्ति पर मृत्यु, संशोधन तथा अभ्यर्पण दावे लेखाकृत किए जाते हैं। जब सहयोगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं तब संबंधित योजनाओं में पॉलिसी संबद्ध आहरण तथा सुपुर्दगी का लेखाकरण किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता लाभ दावे लेखाकृत किए जाते हैं।

जिस अवधि में दावों का निपटान किया जाता है, उसी में दावों पर पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

ङ) अधिग्रहण लागत :

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रुप से बीमा करार के अधिग्रहण से संबंधित होती है और उनके अनुरुप अलग-अलग होती हैं तथा जिस अवधि में उपचित होती है खर्च की जाती है।

5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on “Proportionate basis” as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” issued by ICAI.

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(b) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines. The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income, principal dues and thereafter towards uncharged interest.

(c) Exchange Commission, Brokerage, Dividend Income, Commission on Government Business, Commission on Third Party Products, fee from syndication and other charges are accounted for on realisation.

(d) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of the assessment order.

3.2 Non Banking entities:

Insurance:

a) Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

b) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised when recovered.

c) Reinsurance Premium:

Reinsurance Premium ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers.

d) Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation from the policy holder. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the period in which claims are settled.

e) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

प्रथम वर्ष प्रदत्त कमीशन हेतु भविष्य में यदि कोई कर लगाकर वसूली होती है, तो जिस वर्ष में वह वसूल किया जाता है उसी वर्ष में उसका लेखांकन किया जाता है।

च) जीवन बीमा हेतु देयताएं :

प्रभावी जीवन बीमा पॉलिसियों तथा वह पॉलिसी जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है किंतु देयताए हैं, हेतु बीमांकिक देयताओं का निर्धारण, भारतीय सनदी बीमांकिकी संस्थान के नियमों तथा आईआरडीए विनियम बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, स्वीकृत बीमांकिकी व्यवहार्य के अनुसरण में अप्राप्त बीमा आरक्षित प्रणाली समूह कारोबार के मामले में सकल प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हुए नियुक्त बीमांकिकी द्वारा, किया जाता है।

संबद्ध देयताओं में पॉलिसी का निधि मूल्य इकाई देयता और बीमा दावा इत्यादि के लिए गैर इकाई देयता शामिल है। यह नियुक्त बीमांकिकी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

4. अग्रिम :

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा अग्रिम की मूल/ब्याज की वसूली के आधार पर उत्पादक अथवा अनुत्पादक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अव-मानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप मानक आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

ग. अनुत्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है :

प्रवर्ग	प्रावधान
अवमानक आस्ति	
क) सामान्य प्रावधान	20% (प्रतिभूति के मूल्य के सापेक्ष)
ख) प्रतिभूति रहित एक्सपोजर (आधारभूत संरचना ऋण के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोजर शामिल)	25%
संदिग्ध आस्तियां	
क) प्रतिभूति युक्त अंश	
- एक वर्ष तक	50%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	60%
- तीन वर्षों से अधिक	100%
ख) प्रतिभूति रहित अंश	100%
हानि आस्तियां	100%

घ. विदेशी कार्यालयें / शाखाओं के संबंध में सांविधिक आवश्यकतानुसार संबंधित विदेशी देश अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, जो भी अधिक हो, प्रावधान किए जाते हैं।

ड. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनुत्पादक आस्तियां, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।

च. पुनर्निर्धारित/पुनः संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

छ. यदि वित्तीय आस्तियॉं आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेच दी जाती है, यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है तो, स्थिति में अंतर को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रावधान को रखा जाता है जिससे एससी/एआरसी को अन्य

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

f) Liability for life policies:

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims etc. This is based on an actuarial valuation carried out by the Appointed Actuary.

4) ADVANCES :

(a) In terms of guidelines issued by the RBI, advances to borrowers are classified into “Performing” and “Non-Performing” assets based on recovery of principal / interest. NPAs are further classified as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets.

(b) Provision for Standard assets is made as per RBI guidelines.

(c) Provision in respect of NPAs is made as under:

Category	Provision
Sub Standard Assets	
a) General provision	20% (irrespective of the value of security)
b) Unsecured exposure (including unsecured exposure in respect of Infrastructure loan)	25%
Doubtful Assets	
a) Secured portion	
– Upto one year	50%
– One year to three years	60%
– More than three years	100%
b) Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

(d) In respect of advances at foreign offices/branches, provision is made as per the statutory requirements prevailing at the respective foreign countries, or as per RBI guidelines, whichever is higher.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled / Restructured accounts, provision is made for the sacrifice of interest / diminution in the value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the Profit and Loss account. If the sale value

वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है।

5. निवेश

निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणियों में किया जाता है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए की अपेक्षाओं के अनुरूप इनका वर्गीकरण छः समूहों - सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बन्धपत्र, सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश और अन्य निवेश में किया जाता है।

ए. वर्गीकरण का आधार

निवेशों का वर्गीकरण सामान्यतः उसके अर्जन के समय किया जाता है :

i. परिपक्वता तक धारित

ऐसे निवेशों का समूह जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है।

ii. कारोबार के लिए धारित

ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए रखा जाता है, उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

iii बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा ''कारोबार के लिए धारित'' रूप में नहीं किया है, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

बी. मूल्यांकन का तरीका

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार निवेश (सरकारी प्रतिभूति में) संव्यवहार के लेखांकन के लिए बैंक ''समझौता तिथि'' का पालन करता है।

i) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत पर लिया गया है, इनके अर्जन पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो तो, उसे सतत अर्जन प्रणाली उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत एवं विदेश में) में अस्थायी से भिन्न प्रकृति के निवेशों का मूल्यांकन, ह्रास (diminution) घटाकर अर्जन पर किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित / बिक्री के लिए उपलब्ध :

क) इस श्रेणी में प्रतिभूतियों का स्क्रिपवार मूल्यांकन किया जाता है, प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि / मूल्य-ह्रास को उनके वर्गानुसार जोड़ा/घटाया जाता है और निवल मूल्य-ह्रास को लाभ व हानि खातों की मान्य पद्धतियों के अनुरूप लगाया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है।

ख) 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग' में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव / भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ / निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर / भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है -

is higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

5) INVESTMENTS:

Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. In conformity with the requirements in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these are classified under six groups – Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investments in Subsidiaries/Joint Ventures and Other Investments.

A) Basis of classification

Classification of an investment is normally done at the time of its acquisition:

i) Held to Maturity

These comprise investments the Bank intends to hold till maturity.

ii) Held for Trading

Investments acquired with the intention to trade within 90 days from the date of purchase are classified under this head.

iii) Available for Sale

Investments which are not classified either as "Held to Maturity" or as "Held for Trading" are classified under this head.

B) Method of valuation

Investments are valued in accordance with the RBI guidelines. Accordingly, the Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment (in Government securities) transactions.

i) Held to Maturity

Investments included in this category are carried at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortised using constant yield method over the remaining period of maturity.

Investment in subsidiaries, Joint ventures and Associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

ii) Held for Trading / Available for Sale

a) Investments under these categories are valued scrip-wise. Appreciation / depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognised in the Profit and Loss account, whereas net appreciation is ignored.

b) For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/ quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (12 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बॉंड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर समुचित क्रेडिट स्प्रेड
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी / लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

iii) विदेशी शाखाओं में धारित :

विदेशी शाखाओं के निवेशों को संबंधित विदेशी केन्द्रों पर प्रचलित सांविधिक प्रावधानों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य से कम मूल्य पर नियत किया जाता है।

सी) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

उपर्युक्त पैरा 5 ए (i) से (iii) तक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। ऐसे अंतरण पर मूल्य-ह्रास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

डी) निवेश के अभिग्रहण लागत

i) लागत में ईक्विटी निवेश के अभिग्रहण के लिए प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि शामिल है।

ii) ऋण लिखतों में प्रदत्त/प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन, खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय माना जाता है और लागत/बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है।

iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ तथा हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv) निवेश में लागत का निर्धारण वेटिड एवरेज कॉस्ट पद्धति द्वारा किया जाता है।

v) ट्रेज़री बिल तथा कमर्शियल पेपर का रखाव लागत पर मूल्य आंका जाता है।

ई) निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि :

किसी भी प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, ''परिपक्वता तक धारित'' शीर्ष के अंतर्गत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में समान राशि आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित की जाती है।

एफ) प्रावधानीकरण तथा आय पहचान - गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) :

गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

जी) रेपो/रिवर्स रेपो

मूल बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो तथा रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise ₹ 1 per company
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

iii) Held at Foreign Branches

Investments held at foreign branches are carried at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

C) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories specified at para 5 A (i) to (iii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

D) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of Equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt instruments is treated as income/expense and is excluded from cost/sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account

iv) Cost of Investments is determined at weighted average cost method.

v) Treasury bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

E) Profit or loss on sale of investment

Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

F) Provisioning and income recognition – Non performing Investments (NPIs)

In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

G) Repo / Reverse Repo

The Parent Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse

संव्यवहारों के अतिरिक्त) निर्धारित की गई लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो संव्यवहार अर्थात प्रतिभूति की बिक्री (खरीदी) द्वारा निधियों को उधार (उधार देना) रेपो सहभागी की बहीयों में रिफ्लेक्ट होता है, संपार्श्विकृत उधार और उधार लेना संव्यवहार के रूप में, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद अनुबंध सहित लेखांकन किया जाता है। लागत व राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय के लिए, जैसा भी मामला हो, किया जाए। रेपो / रिवर्स रेपो खाते की शेष निवेश खाते की शेष के विरूद्ध समायोजित की जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियाँ निवेश खाते में नामे / जमा की जाती हैं और संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स की जाती है। उस पर अर्जित / खर्च किए गए ब्याज का लेखांकन खर्च / राजस्व के रूप में किया जाए।

एच) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता हैः

हैज / नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

हैज़िंग व्युत्पन्न उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो,पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आय और व्यय से संबधित ब्याज दर स्वैप को निपटान तिथि से संबद्ध किया जाता है। ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय / व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ / हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ / देयताओं की बकाया कम अवधि से संबद्ध किया जाता है।

6. अचल आस्तियां :

क. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के मामलों के अतिरिक्त, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता गया है।

ख. परिसर की लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

ए. मूल्य ह्रास

i. आस्तियों पर मूल्यह्रास बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ii. इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद / निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।

iii. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व के निमित्त समायोजित किया जाता है।

Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. The economic essence of repo transactions, viz., borrowing (lending) of funds by selling (purchasing) securities is reflected in the books of repo participants, by accounting the same as collateralized lending and borrowing transaction, with an agreement to repurchase, on the agreed terms. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

H) Derivative

The Parent Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Parent Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

Hedging derivatives are accounted on accrual basis.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognised on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

6) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

7) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation

i) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Parent Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.

ii) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/disposal of an asset.

iii) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

बी. जहॉं भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

सी. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु संक्रामित है।

डी. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

विवरण	मूल्यह्रास की दर
परिसर	5%
अन्य अचल आस्तियां	
फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	10%
एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	15%
मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	20%
कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हॉंर्डवेयर का अंगभूत भाग है।	33.33%
कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	100%

ई. भारत के बाहर अचल आस्तियों और अनुषंगियों सहायक कंपनियों के अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/ अथवा संबंधित देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

8. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक (एएस)11 ''विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन'' के अनुरुप किया गया है।

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण :

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है।

i) संव्यवहारों को आरंभ में फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) की सूचना के अनुसार साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर आधार पर आंका गया है।

ii) मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर आंकी जाती हैं।

iii) विदेशी मुद्रा में सकार, पृष्ठांकन तथा दायित्व एवं गारंटियां वर्ष समाप्ति में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों पर अंकित की जाती है।

iv) विदेशी मुद्रा में आस्ति एवं देयताओं को प्रत्येक सप्ताह के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर किया/आंका जाता है।

v) परिणामी विनिमय अंतरों को आय अथवा व्यय के रुप में माना जाता है एवं इनकी लाभ अथवा हानि खाते के माध्यम से गणना की जाती है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर आंका / स्पष्ट किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

b) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

c) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

d) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

Particulars	Rate of Depreciation
Premises	5%
Other Fixed Assets	
Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10%
Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15%
Motor cars, Vans & Motor cycles	20%
Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
Computer Software, not forming integral part of hardware	100%

e) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of Subsidiaries / Associates is provided as per the regulatory requirements / prevailing practices of the respective country.

8) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 11, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”.

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations.

i) The transactions are initially recorded on weekly average closing rate as advised by Foreign exchange dealers association of India (FEDAI)

ii) Monetary Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

iii) Acceptances, endorsements, other obligations and guarantees in foreign currencies are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end

iv) Foreign Currency Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each week.

v) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - ''विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व'' में संचित किया जाता है।

ग) **वायदा विनिमय संविदाएं :**

फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं एएस-ll के अनुसार प्रत्येक मुद्रा में बकाया वादा विनिमय संविदाओं को संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तुलनपत्र की तारीख पर तदनुरूपी वादा दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि एवं संविदा राशि के बीच भिन्नता को जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

9. **कर्मचारी लाभः**

क) **भविष्य निधि :**

भविष्य निधि परिभाषित योगदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर स्थिर योगदान देता है। बैंक का दायित्व ऐसे योगदान तक सीमित है। भविष्य निधि योगदान को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

ख) **ग्रेच्यूटी**

ग्रेच्यूटी देयता परिनिश्चित लाभ दायित्व है एवं एएस15- ''कर्मचारी लाभ'' के अनुरुप वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। योजना मूल बैंक द्वारा निधि प्रदत्त है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

ग) **पेंशन**

दिनांक 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों हेतु पेंशन देयता एक परिनिश्चित लाभ दायित्व है जिसका प्रावधान एएस15 के अनुरुप वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। योजना बैंक द्वारा निधि प्रदत्त है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

दिनांक 01.04.2010 को या उसके पश्चात मूल बैंक में भर्ती हुए कर्मचारियों हेतु पेन्शन देयता एक परिनिश्चित अंशदायी योजना है। मूल बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योजना बैंक द्वारा निधि प्रदत्त है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

घ) **छुट्टी नकदीकरण :**

छुट्टी नकदीकरण एक परिनिश्चित लाभ दायित्व है एवं एएस-15 के अनुरुप वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है।

ड.) **अन्य कर्मचारी लाभ**

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवं पुनर्वास लाभ, जो परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं, एएस-15 के अनुरुप इनका प्रावधान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

च) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायिकियों की स्थिति में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments in the respective foreign branches.

c) **Forward Exchange Contracts:**

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11 i.e. the effects of changes in Foreign Exchange Rates, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

9) **EMPLOYEE BENEFITS:**

a) **Provident Fund**

Provident fund is a defined contribution scheme as the Parent bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the Parent bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.

b) **Gratuity**

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15 "Employee benefits". The scheme is funded by the Parent bank and is managed by a separate trust.

c) **Pension**

Pension liability for employees who have joined the Parent bank upto 31.03.2010 and opted for pension is a defined benefit obligation, which is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15. The scheme is funded by the Parent bank and is managed by a separate trust.

Pension liability for employees who joined Parent bank on or after 01.04.2010 is under a defined contribution scheme. Parent Bank pays fixed contribution at the pre determined rate and the obligation of the Parent bank is limited to such fixed contribution. The scheme is funded by the Parent bank and is managed by a separate trust.

d) **Leave encashment**

Leave encashment benefits which are a defined benefit obligation is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15.

e) **Other employee benefits**

For other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone, resettlement benefits, etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with AS 15.

f) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

10. पट्टाकृत आस्तियाँ :

पट्टे की आय की पहचान पट्टे की प्राथमिक अवधि पर आंतरिक प्रतिफल दर पद्धति के अनुसार की जाती है और लेखांकन मानक 19 ''पट्टों का लेखांकन'' के अनुसार उसका लेखांकन किया गया है।

11. प्रति शेयर अर्जन :

एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

12. आय पर कर :

एएस-22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। आय व व्यय की मदें जो एक समय आती हैं और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयता का मापन कर दरों तथा कर विधियों से किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए जाते हैं।

13. आस्तियों की हानि :

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को शामिल करते हुए) पर हानियों (यदि कोई हो) को एएस 28 ''आस्तियों की हानि'' के अनुसार मान्य किया गया है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार मूल बैंक प्रावधानों को भी मान्यता देता है। जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

10) LEASED ASSETS:

Lease Income is recognised based on the Internal Rate of Return method over the primary period of the lease and is accounted for in accordance with the AS 19 “Accounting for Leases”.

11) EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the AS 20 “Earnings per share”. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

12) TAXES ON INCOME:

Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with the AS 22 , “Accounting for Taxes on Income”. Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

13) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with the AS 28 “Impairment of Assets” .

14) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Parent Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची 18

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों के नाम		शामिल (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2013 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :			
बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.		भारत	51%
बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेन्ट मैनंजर्स प्राइवेट.लि.		भारत	51%
बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट.लि.		भारत	51%
विदेशी अनुषंगियां:			
क)	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	76%
ख)	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड	तंजानियां	100%
ग)	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%
घ)	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) सहयोगी:

सहयोगियों के नाम		शामिल देश	स्वामित्व का अनुपान
क)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-		
	i) झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35%
	ii) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (पूर्व में नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक)	भारत	35%
	iii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (पूर्व में वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था।)	भारत	35%
	iv) आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्व में आर्यवत ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था।)		
ख)	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%
ग)	एसटीसीआई वित्त लिमिटेड	भारत	29.96%
घ)	एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यमः

संयुक्त उद्यमों के नाम	शामिल देश	स्वामित्व का अनुपान
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	48%

3 इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के वित्तीय विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2013 तक बनाए गए हैं। सिवाय एक सहयोगी इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड (आईजेडबीएल) के । आईजेडबीएल का वित्तीय विवरण पत्र 31 दिसंबर, 2012 तक तैयार किया गया था और 31 मार्च 2013 में समाप्त तिमाही तक उसमें कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं की गई है।

4 स्वदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under :

Names of Subsidiaries		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2013
Domestic Subsidiaries:			
BOI Shareholding Ltd.		India	51%
BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.		India	51%
BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.		India	51%
Overseas Subsidiaries:			
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Names of Associates		Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a)	Regional Rural Banks-		
	i) Jharkhand Gramin Bank	India	35%
	ii) Narmada Jhabua Gramin Bank (Formerly Narmada Malwa Gramin Bank)	India	35%
	iii) Vidharba Konkan Gramin Bank (Formerly Known as Wainganga Krishna Gramin Bank)	India	35%
	iv) Aryavart Kshetriya Gramin Bank (Formerly known as Aryavart Gramin Bank)	India	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	48%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2013 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2012 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2013.

4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

(i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2013 के वित्तीय विवरणपत्र उनके कमिशनरों के बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षित हैं। पीटी बैंक स्वदेशी (अब पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके) के यथा 31.12.2012 के वित्तीय विवरणपत्र शामिल देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षित किए गए हैं।

(ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2013 के विवरणपत्र उनके निदेशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. के यथा 31.12.2012 के विवरण पत्र शामिल देश की स्थानीय अपेक्षाओं के मुताबिक लेखा परीक्षित हैं।

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2013 के वित्तीय विवरणपत्र उनके निदेशकों के बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।

(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2013 के विवरणपत्र उनके निदेशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।

(v) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि., बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेण्ट मैनंजर्स प्रा.लि, बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज प्रा.लि., एएसआरईसी (इंडिया) लि., एसटीआई फाइनेंस लि., झारखण्ड ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के 31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तथा इंडो बैंक जाम्बिया बैंक लि. का 31.12.2012 को समाप्त नौ महीने के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणपत्र।

(vi) 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक एवं आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बिना लेखा परीक्षित विवरणपत्र उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं।

6 वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) 2009 के विनियमन 76 (1) के अनुसार एक असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार को 365.70 के मूल्य पर ₹ 10 प्रत्येक के 2,21,21,957 इक्विटी शेयर आंबटित किए गए हैं। इस खाते में मूल बैंक द्वारा प्राप्त की गई पूंजी की कुल राशि ₹ 809.00 करोड़ है। परिणामत : भारत सरकार की होल्डिंग 62.72% से बढ़कर 64.11% हो गई है।

7 अनुषंगी बही खातों के मूल बैंक के संतुलन के बारे में एवं विदेशी शाखाओं एवं नोस्ट्रों खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्टों, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेषराशियों की पुष्टि / समाधान का कार्य सतत् आधार पर प्रगति पर है। उपरोक्त का लम्बित अंतिम निर्बाधन / समायोजन, वित्तीय विवरण पत्रों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

मूल बैंक के आंतर कार्यालय समायोजनों के बारे में नामे एवं जमा बकाया प्रविष्टियों का प्रारम्भिक मिलान 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया गया है। अवशिष्ट प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है। प्रविष्टियों का लम्बित अंतिम निर्बाधन / समायोजन, प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरण पत्रों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2013 certified by their Board of Commissioners and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2012 of Bank Swadesi (now PT Bank of India Indonesia Tbk) has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2013 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2012 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2013 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2013 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer.

(v) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., ASREC (India) Ltd., STCI Finance Ltd., Jharkhand Gramin Bank, Vidharbha Konkan Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2013 and Indo Zambia Bank Ltd. for the nine months ended 31.12.2012.

(vi) Unaudited financial statements of Narmada Jhabua Gramin Bank & Aryavart Kshetriya Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2013 certified by their management.

6. During the year the Parent bank allotted 2,21,21,957 Equity Shares of ₹ 10 each to Government of India at a price of ₹ 365.70 per share, on preferential basis, as approved by the shareholders in an Extra ordinary General Meeting held in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and disclosure requirements) Regulations, 2009. The amount received by the Parent bank on this account is ₹ 809.00 crores. Consequently, the Government of India shareholding has increased from 62.72% to 64.11%

7. In respect of the Parent Bank Balancing of Subsidiary Ledger Accounts confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the financial statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

As regards Inter office adjustments of the Parent Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries has been completed up to 31st March 2013. Reconciliation of residual entries is in progress. Pending final clearance / adjustment of the entries, the overall impact, if any, on the financial statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

8. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

क) पूँजीः

(₹ करोड़ में)

मदे	31.03.2013	31.03.2012
सीआरएआर (%)		
बासल-I	11.45%	11.66%
बासल-II	11.11%	12.03%
सीआरएआर - टियर I पूँजी (%)		
बासल-I	8.54%	8.40%
बासल-II	8.31%	8.69%
सीआरएआर - टियर II पूँजी (%)		
बासल-I	2.91%	3.26%
बासल-II	2.80%	3.34%
मूल बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	64.11%	62.72%
वर्ष के दौरान टियर II के अनुसार उठाये गए गौण ऋणों की राशि	0.00	0.00
मूल बैंक द्वारा वर्ष के दौरान टियर I कैपिटल के अनुसार उठायी गयी न्वोन्मेषकारी सतत् ऋण लिखत (आईपीडीआई) की राशि	0.00	0.00
मूल बैंक द्वारा वर्ष के दौरान उठायी गयी अपर टियर II लिखतों की राशि	0.00	0.00

ख) प्रावधान एवं आकस्मिकताएंः

(₹ करोड़ में)

मदे	2012-13	2011-12
एनपीए के लिए प्रावधान	3722.06	2026.28
निवेशों के मूल्य में ह्रास	76.69	436.86
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	275.79	911.13
मानक आस्तियों पर प्रावधान	292.18	278.53
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	356.23	376.11
कुल	**4722.95**	**4028.91**

ग) फ्लोटिंग प्रावधान (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर) (मूल बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
प्रारम्भिक शेष	543.92	543.92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कमी आहरण द्वारा कमी के प्रयोजन, यदि कोई हो, दिए जाने है)	0.00	0.00
इति शेष	543.92	543.92

घ) आय कर

(i) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में ₹ 621.25 करोड़ (₹ 420.67 करोड़) की विवादित आय कर / ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान / समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

(ii) वर्ष के लिए आय कर हेतु प्रावधान, कतिपय विवादित मसलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर समुचित विचार करने के पश्चात किए गए है।

a) Capital:

(₹ in crore)

Items	31.03.2013	31.03.2012
CRAR (%)		
Basel-I	11.45%	11.66%
Basel-II	11.11%	12.03%
CRAR – Tier I Capital (%)		
Basel-I	8.54%	8.40%
Basel-II	8.31%	8.69%
CRAR – Tier II Capital (%)		
Basel-I	2.91%	3.26%
Basel-II	2.80%	3.34%
Percentage of the shareholding of the Government of India in the Parent Bank	64.11%	62.72%
Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital during the year	0.00	0.00
Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier I capital during the year by the Parent Bank	0.00	0.00
Amount of Upper Tier-II instruments raised during the year by the Parent Bank	0.00	0.00

b) Provisions and Contingencies:

(₹ in crore)

Items	2012-13	2011-12
Provision for NPA	3722.06	2026.28
Depreciation in Value of Investments	76.69	436.86
Provision for Taxation (including deferred tax)	275.79	911.13
Provision on Standard Assets	292.18	278.53
Other Provisions (including floating provisions)	356.23	376.11
Total	**4722.95**	**4028.91**

c) Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer) (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Opening Balance	543.92	543.92
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year (purpose of draw down to be given, if any)	0.00	0.00
Closing Balance	543.92	543.92

d) Income-Tax

(i) In respect of Parent Bank, the Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax / interest tax liabilities of ₹ 621.25 crore (₹ 420.67 crore) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

(iii) विभिन्न अपील प्राधिकारियों द्वारा दिए गए, अनुकूल निर्णय के आधार पर वर्ष के दौरान एमएटी क्रेडिट के निवल स्वरूप ₹ 603.89 करोड़ (पिछले वर्ष 2011-12 में ₹ 75.37 करोड़) आयकर के प्रावधान को राइट बैंक किया गया है।

ई) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष 2011-12 के दौरान मूल बैंक ने अपनी पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ़ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. (अभी खोली जानी है) के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई होती हैं, को पूरा करने के लिए गर्वनर, बैंक ऑफ़ बोस्टवाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते है, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

अलबत्ता यथा 31.03.2013 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

(iii) Provision for Income Tax of ₹ 603.89 crores (previous year 2011-12 ₹ 75.37 crores) net of MAT Credit has been written back during the year on the basis of favourable decisions of various appellate authorities.

e) Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries

During the year 2011-2012, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (BTW) Ltd. (yet to be opened) to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

However, as on 31.03.2013 no financial obligations have arisen on the above commitments.

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप सूचना प्रकट की गई हैः
Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

(क) लेखांकन मानक (एएस) 15 "कर्मचारी लाभ" (मूल बैंक)

(A) AS 15 "Employee Benefits" (Parent Bank)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			2012-2013		2011-2012	
			उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणा :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate Current	8.00%	8.00%	8.50%	9.00%
	वर्तमान योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	5.00%	5.00%	4.00%	4.00%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	2.00%	2.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1477.64	7139.38	1449.67	6892.06
	ब्याज लागत	Interest Cost	110.03	552.17	119.85	583.29
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	64.39	943.80	53.37	169.02
	सेवा उपरांत लागत (संक्रामित)	Past Service cost (Amortised)	–	–	–	–
	सेवा उपरांत लागत (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit)	–	–	–	–
	अन्य ट्रस्ट से अन्तरित देयताएं	Liability transferred in from other trust	–	–	0.04	–
	बाहर आन्तरित देयता	Liability transferred out	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(204.45)	(474.38)	(186.18)	(397.70)
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ) / हानि	Actuarial (gain) / loss on Obligation	57.77	(756.32)	40.89	(107.29)
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1505.38	7404.65	1477.64	7139.38
(iii)	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	अवधि के प्रारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1017.12	5070.13	837.85	3571.61
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	81.37	405.61	80.99	386.30
	अंशदान	Contributions	405.93	1385.43	267.65	1456.03
	अन्य कम्पनी से अन्तरण	Transfer from other trust	–	–	0.04	1.59
	अन्य कम्पनी को अन्तरण	Transfer to other company	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(204.45)	(474.38)	(186.18)	(397.70)
	दायित्वों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	33.82	118.04	16.77	52.30
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1333.79	6504.83	1017.12	5070.13
	मानने योग्य कुल बीमांकित लाभ / (हानि)	**Total Actuarial Gain / (Loss) to be recognised**	**(23.95)**	**874.36**	**(24.13)**	**159.59**
(iv)	**परिवर्तन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability :**				
	प्रारंभ में परिवर्तन देयता	Transitional Liability at start	257.38	1327.29	344.17	1864.11
	वर्ष के दौरान पहचानी गई परिवर्तन देयता	Transition Liability recognised during the year	85.79	442.43	86.79	536.82
	अंत में परिवर्तन देयता	**Transition Liability at end**	171.59	884.86	257.38	1327.29

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			2012-2013		2011-2012	
			उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
(v)	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	81.37	405.61	80.99	386.30
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	33.82	118.04	16.77	52.30
	योजनागत पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	115.19	523.65	97.76	438.60
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1505.38	7404.65	1477.64	7139.38
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1333.79	6504.83	1017.12	5070.13
	अंतर	Difference	(171.59)	(899.82)	(460.52)	(2069.25)
	अमान्य विगत सेवा लागत (संक्रामित)	Unrecognised Past Service Cost (Amortised)	–	–	–	–
	अमान्य परिवर्तन देयता	Unrecognised Transition Liability	171.59	884.86	257.38	1327.29
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	0.00	(14.96)	(203.14)	(741.96)
(vii)	**आय विवरण में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	64.39	943.80	53.37	169.02
	ब्याज लागत	Interest Cost	110.03	552.17	119.85	583.29
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(81.37)	(405.61)	(80.99)	(386.30)
	मान्य विगत सेवा लागत (संक्रामित)	Past Service Cost (Amortised) recognised	–	–	–	–
	मान्य विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit) recognised	–	–	–	–
	विगत वर्षों से संबंधित मान्य लागत	Expenses recognized relating to prior years	–	1.96	–	–
	मान्य परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability	85.79	442.43	86.79	536.82
	बीमांकित (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	23.95	(874.36)	24.13	(159.59)
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	202.79	660.39	203.14	743.24
(viii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	203.14	740.00	267.65	1453.94
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	202.79	660.39	203.14	743.84
	अन्य कंपनी से अंतरण निवल	Transfer from other Company Net	–	–	–	(1.59)
	अन्य कंपनी को अंतरण निवल	Transfer to other Company Net	–	–	–	–
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(405.93)	(1385.43)	(267.65)	(1456.03)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	0.00	14.96	203.14	740.16
(ix)	**अन्य विवरण :**	**Other Details :**				
	अधिकतम 50% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए सैलरी के 1/66 की दर पर पेंशन देय है	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%				
	प्रत्येक सेवा वर्ष हेतु 15 दिनों के वेतन की दर पर ग्रेच्युटी देय है जो अधिकतम ₹ 10,00,000/- अथवा रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक दी गई कंपनी की योजना के अधीन है	Gratuity is payable at the rate of 15 day's salary for each year of service subject to a maximum of ₹10,00,000/ or as per company scheme as detailed in report.				
	घटना वर्ष में लेखाकृत बीमांकिक लाभ / हानि	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence				
	सदस्यों की संख्या	No. of members	42346	31932	41455	34498
	वेतन प्रतिमाह	Salary P.M.	153.44	130.21	126.99	116.83
	अगली अवधि के लिए अंशदान	Contribution for next period	153.44	421.88	126.99	378.53
(x)	**आस्तियों के प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Assets	177.04	619.75	193.05	630.92
	कार्पोरेट बॉन्ड्स	Corporate Bonds	295.45	4253.32	542.43	3178.78
	विशेष जमा योजना	Special Deposits Scheme	–	–	–	–
	राज्य सरकार	State Government	831.83	1588.37	229.80	1158.38
	सम्पत्ति	Property	–	–	–	–
	अन्य	Other	29.47	43.39	51.84	102.05
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	Insurer managed funds	–	–	–	–
	कुल	**Total**	1333.79	6504.83	1017.12	5070.13
(xi)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**				
	योजनागत देयता पर (लाभ) / हानि	**On Plan Liability (Gain) / Loss**	57.77	(756.32)	40.89	993.74
	योजनागत आस्ति पर (हानि) / लाभ	**On Plan Asset (Loss) / Gain**	33.82	118.04	16.77	52.30

i) वर्ष के दौरान लाभ तथा हानि खाते में शून्य परिवर्तन देयता चार्ज किया गया (विगत वर्ष ₹ 125.27 करोड़), चूँकि यह 31.03.2012 में चार्ज किया जा चुका था।

ii) विगत प्रथा के अनुसार, मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी है। वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने ऐसी निधि के लिए, जोकि एक परिनिश्चित अंशदान प्लान है, ₹ 24.97 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 28.67 करोड़) का अंशदान दिया है।

iii) 31.03.2011 वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने पेंशन विकल्प को पुनः खोला। यह विकल्प ऐसे कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया था। परिणामतः 22,228 कर्मचारियों ने इस विकल्प को इस्तेमाल किया और मूल बैंक ने ₹ 2,212.15 करोड़ की देयता खर्च की है। आगे, 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में संशोधन के अनुपालन में बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप मूल बैंक की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर ₹ 428.96 करोड़ हो गई है।

iv) लेखागत मानक (एएस) 15 ''कर्मचारी फायदे'' की अपेक्षाओं के अनुसार ₹ 2641.11 करोड़ की समूची राशि (अर्थात ₹ 2,212.15 करोड़ + ₹ 428.96 करोड़) 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में डाली जानी थी। किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प देने और ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धिः विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 9 फरवरी, 2011 जारी किया। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार मूल बैंक को ₹ 2641.11 करोड़ की राशि 5 वर्षों की अवधि में संक्रामित करनी है। तदनुसार ₹ 528.22 करोड़ की राशि (₹ 2641.11 करोड़ का एक बटा पाँच भाग) चालू वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में डाली गयी है और ₹ 1056.45 करोड़ की शेष राशि को आगामी वर्षों में मूल बैंक के लाभ-हानि खाते में खपाने के लिए आगे ले जाया जा रहा है।

i) Transitional Liability charged to Profit and Loss Account during the year is NIL (Previous year ₹ 125.27 crores), since the same had already been charged by 31.03.2012.

ii) As per the past practice, the Parent Bank has recognised contribution to employee provident fund as an expense. During the year, the Parent Bank has contributed ₹ 24.97 crore (previous year ₹ 28.67 crore) towards such fund which is a defined contribution plan.

iii) During the year ended 31.03.2011, the Parent Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of the same by 22,338 employees, the Parent Bank has incurred a liability of ₹ 2,212.15 crore. Further, during the year ended 31.03.2011, the limit of Gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Parent Bank has increased by ₹ 428.96 crore.

iv) In terms of the requirements of the Accounting Standard 15 “Employee Benefits”, the entire amount of ₹ 2,641.11 crore (i.e. ₹ 2,212.15 crore + ₹ 428.96 crore) was required to be charged to the Profit and Loss Account during the year ended 31.03.2011. However, the Reserve Bank of India issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on re-opening of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Parent Bank would amortise the amount of ₹ 2,641.11 crore over a period of five years. Accordingly a further amount of ₹ 528.22 crore (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 crore) has been charged to the profit and loss account for the current year and the balance of ₹ 1,056.45 crore is being carried forward to be charged to profit and loss account of the Parent Bank in the coming years.

(बी) एएस 17 ''खंड रिपोर्ट करना''
(B) AS 17 “Segment Reporting”

भाग क : कारोबार खण्ड
Part A : Business Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		होलसेल बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
खण्ड परिणाम	Segment Results	1,184.37	1,665.69	897.31	1,465.53	1,258.04	682.59	3,339.73	3,813.81
अनाबंटित आय, व्ययों का निवल	Unallocated income net of Expenses							(244.04)	(177.82)
परिचालन लाभ	Operating profit							3,095.69	3,635.99
आयकर	Income Tax							275.79	911.13
निवल लाभ	Net Profit							2,819.90	2,724.86
अन्य सूचना :	**OTHER INFORMATION:**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	142,598.39	117,296.60	223,015.31	191,886.13	79,829.03	69,236.85	445,442.73	378,419.58
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets							10,964.07	9,169.66
कुल आस्तियां	Total Assets							456,406.80	387,589.24
खण्ड देयताएं	Segment Liabilities	136,254.81	111,226.25	213,080.56	181,978.81	76,305.94	65,682.38	425,641.31	358,887.44
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities							6,294.48	7,287.80
कुल देयताएं	Total Liabilities							431,935.79	366,175.24
नियोजित पूंजी	Capital Employed	6,343.58	6,070.35	9,934.75	9,907.32	3,523.09	3,554.47	19,801.42	19,532.14
अनाबंटित पूंजी	Unallocated Capital							4,669.59	1,881.86
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed							24,471.01	21,414.00

टिप्पणी : अनाबंटित खंड के अन्तर्गत गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के संबंध में सूचना शामिल की गई है।

NOTE : Information in respect of Non Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B : Geographical Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

भौगोलिक खंड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
राजस्व	Revenue	31,885.64	28,815.84	3,994.78	3,114.36	35,880.42	31,930.20
आस्तियां	Assets	340,511.97	297,177.12	115,894.83	90,412.12	456,406.80	387,589.24

बीओआई ग्रूप ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

i) प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालनः** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु 'कोषागार' में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियॉं, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंगः** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंगः** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम समग्र एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

घ) **अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक संसाधन संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति, जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ई) **लागत का विनियोजन**

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/ संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

ii) गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(ग) लेखांकन मानक 18 - संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार :

I) संबंधित पक्षकारों की सूचीः

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकः

अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका : श्रीमती वी.आर. अय्यर (05.11.2012 से)

भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : श्री आलोक कुमार मिश्रा (30.09.2012 तक)

कार्यपालक निदेशक गण : श्री एन. शेषाद्रि
श्री एम.एस. राघवन
श्री बी. पी. शर्मा (18.06.2012 से)

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS 17.

i) Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking:** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore

ii) The total annual turnover is less then ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) **Pricing of Inter-Segmental transfers**

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) **Allocation of Costs**

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

ii) Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(C) AS 18 "Related Party Transactions":

I) List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel :

Chairperson & Managing Director : Smt. V.R. Iyer (with effect from 05.11.2012)

Ex-Chairman & Managing Director : Shri Alok K Misra (Till 30.09.2012)

Executive Directors : Shri N. Seshadri
Shri M. S. Raghavan
Shri B.P. Sharma (w.e.f. 18.06.2012)

(ख) अनुषंगियां :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.

(ii) बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेन्ट मैनेंजर्स प्रा.लि.

(iii) बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट.लि.

(iv) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

(v) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.

(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.

(vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

(ग) सहयोगी : कंपनियां

(i) मूल बैंक द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

- झारखण्ड ग्रामीण बैंक
- नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (पूर्व में नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)
- विर्दभ कोंकण ग्रामीण बैंक (पूर्व वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)
- आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(पूर्व आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)

(i) इंडो जाम्बिया बैंक लि.

(ii) एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड

(iii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(घ) संयुक्त उद्यमः

(i) स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

(b) Subsidiaries :

(i) BOI Shareholding Limited.

(ii) BOI AXA Investment Managers Private Limited.

(iii) BOI AXA Trustee Services Private Limited.

(iv) PT Bank of India Indonesia Tbk

(v) Bank of India (Tanzania) Ltd.

(vi) Bank of India (New Zealand) Limited.

(vii) Bank of India (Uganda) Ltd.

(c) Associates :

(i) Four Regional Rural Banks sponsored by the Parent Bank:

- Jharkhand Gramin Bank
- Narmada Jhabua Gramin Bank (Formerly known as Narmada Malwa Gramin Bank)
- Vidharbha Konkan Gramin Bank (Formerly known as Wainganga Krishna Gramin Bnak)
- Aryavart Kshetriya Gramin Bank (Formerly known as Aryavart Gramin Bank)

(ii) Indo-Zambia Bank Ltd.

(iii) STCI Finance Limited.

(iv) ASREC (India) Ltd.

(d) Joint Venture:

(i) Star Union Dai –Ichi Life Insurance Company Ltd.

II) (क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहारः

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पक्षकार	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	
	2012-13	2011-12
जमा	21.15	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	21.15	-
जमाराशियों का संस्थापन	44.06	73.78
वर्ष के दौरान अधिकतम	44.06	173.40
निवेश	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	10.52
मांग सूचना / मियादी मुद्रा में उधार देना	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-
अन्य उधार	-	112.50
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	112.50
मांग सूचना / मियादी मुद्रा में उधार लेना	29.58	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	142.08	150.00
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेजरी बिलों / बांडों की बिक्री	10.84	140.27
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेजरी बिलों / बांडों की खरीदी	-	101.24
गैर निधिक वायदे	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-
प्रदत्त ब्याज	2.62	2.82
प्राप्त ब्याज	4.07	3.68
प्राप्त गैर - वित्तीय व्यय	-	0.18
प्रदत्त लाभांश	9.11	-
प्राप्त लाभांश	-	10.94
दी गई सेवाएं	-	27.06
प्राप्त सेवाएं	-	17.29
प्रबंधन संविदा	-	-
प्राप्त अन्य प्रभार	-	-
कोइ अन्य	167.48	2.44

II) (a) Transactions with Related Parties:

(₹ in Crores)

Items / Related Party	Associates/Joint ventures	
	2012-13	2011-12
Deposit	21.15	–
Maximum during the year	21.15	–
Placement of deposits	44.06	73.78
Maximum during the year	44.06	173.40
Investments	–	–
Maximum during the year	–	10.52
Lending in Call Notice / Term Money	–	–
Maximum during the year	–	–
Other Lending	–	112.50
Maximum during the year	–	112.50
Borrowings in Call Notice / Term Money	29.58	–
Maximum during the year	142.08	150.00
Sale of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	10.84	140.27
Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	–	101.24
Non-funded commitments	–	–
Maximum during the year	–	–
Interest paid	2.62	2.82
Interest received	4.07	3.68
Non financial expense recd.	–	0.18
Dividend Paid	9.11	–
Dividend Received	–	10.94
Services rendered	–	27.06
Services received	–	17.29
Management contracts	–	–
Other Charges receivable	–	–
Any Others	167.48	2.44

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

b) Key Management Personnel:

नाम / Name	पदनाम / Designation	पारिश्रमिक / Remuneration	
		चालू वर्ष Current Year (₹)	विगत वर्ष Previous Year (₹)
श्रीमती वी.आर. अय्यर Smt. V.R. Iyer	अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका Chairperson & Managing Director	6,48,485	–
श्री आलोक कुमार मिश्रा Shri. Alok K. Misra	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex- Chairman & Managing Director	15,11,800	22,54,643
श्री एन. शेषाद्रि Shri N. Seshadri	कार्यपालक निदेशक Executive Director	19,95,690	15,50,895
श्री एम.एस. राघवन Shri M. S. Raghavan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	15,16,172	3,29,850
श्री बी.पी. शर्मा Shri. B.P. Sharma	कार्यपालक निदेशक Executive Director	10,77,105	–
श्री बी.ए. प्रभाकर (15.12.2011 तक) Shri. B.A. Prabhakar (upto 15.12.2011)	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex-Executive Director	–	15,48,157

राज्य नियंत्रित होने के कारण अनुषंगियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार, एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए है जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए है जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

(डी) लेखांकन मानक 19- ''पट्टा वित्तपोषण'' (मूल बैंक)

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं, जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
सकल निवेश	0.22	0.22
प्राप्य पट्टा भुगतान		
(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	0.22	0.22
(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
(iii) 5 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.22**	**0.22**
अनर्जित वित्त आय	0.00	0.00
निवल निवेश [क - ग]	0.22	0.22

(ई) लेखांकन मानक 20 - ''प्रति शेयर उपार्जन''

क्र. सं.	विवरण	2012-2013	2011-2012
1.	आधारभूत और तनुकृत * (₹)	49.01	49.85

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन :

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़) (ए)	2819.90	2724.86
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़) (बी)	57.54	54.66
मूलभूत एवं तनुकृत प्रति शेयर आय (ए / बी) (₹)	49.01	49.85
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

The transactions with the subsidiaries and Regional Rural Banks, being state controlled, have not been disclosed in view of paragraph 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

(D) AS 19 "Lease Financing" (Parent Bank)

(i) The contractual maturities of the Parent Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Gross Investments	0.22	0.22
Lease payment receivables		
(i) not later than 1 year	0.22	0.22
(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
(iii) later than 5 years	0.00	0.00
TOTAL	**0.22**	**0.22**
Unearned finance income	0.00	0.00
Net investments [a – c]	0.22	0.22

(E) AS 20 "Earnings Per Share":

Sr. No.	Particulars	2012-2013	2011-2012
1.	Basic and Diluted * (₹)	49.01	49.85

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

Particulars	2012-2013	2011-2012
Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore) (A)	2819.90	2724.86
Weighted Average Number of Equity shares (₹ in crore) (B)	57.54	54.66
Basic & Diluted Earnings per Share (A / B) (₹)	49.01	49.85
Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

* Basic and Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

(एफ) लेखांकन मानक 22 - ''आय पर कर के लिए लेखांकन'':

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
आस्थगित कर आस्तियां		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	813.88	531.13
अन्य	79.73	64.26
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**893.61**	**595.39**
आस्थगित कर देयता		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	41.66	28.39
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	495.54	1025.05
प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं के कारण	580.61	605.50
अन्य	4.75	8.34
कुल आस्थगित कर देयताएं	**1122.56**	**1667.28**
निवल आस्थगित कर आस्तियां / (देयताएं)	**(228.95)**	**(1071.88)**

जी) लेखांकन मानक 27 - ''संयुक्त उद्यम में निवेश पर वित्तीय रिपोर्टिंग''

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में समूहों के हित से संबंधित आस्ति, देयता, आय,व्यय की कुल राशि का प्रकटन नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
देयताएं		
पूंजी और आरक्षितियां	9.93	20.32
जमाराशियां	0.00	0.00
उधार	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1783.43	1319.57
जोड़	**1793.37**	**1339.89**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	0.56	0.00
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	51.79	67.09
निवेश	1647.79	1215.48
अग्रिम	0.45	0.00
अचल आस्तियां	10.89	11.32
अन्य आस्तियां	81.89	46.00
कुल	**1793.37**	**1339.89**
पूंजी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	0.00	0.00
आय		
उपार्जित ब्याज	9.50	11.83
अन्य आय	0.86	0.00
जोड़	**10.36**	**11.83**
व्यय		
ब्याज व्यय	0.00	0.00
परिचालन व्यय	20.75	39.30
प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	0.00	0.00
जोड़	**20.75**	**39.30**
लाभ / (हानि)	**(10.38)**	**(27.47)**

(F) AS 22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Deferred Tax Assets		
On account of timing difference towards provisions	813.88	531.13
Others	79.73	64.26
Total Deferred Tax Assets	**893.61**	**595.39**
Deferred Tax Liabilities		
On account of depreciation on fixed assets	41.66	28.39
On account of depreciation on investment	495.54	1025.05
On account of interest accrued but not due	580.61	605.50
Others	4.75	8.34
Total Deferred Tax Liabilities	**1122.56**	**1667.28**
Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	**(228.95)**	**(1071.88)**

(G) AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Liabilities		
Capital & Reserves	9.93	20.32
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	0.00	0.00
Other Liabilities & Provisions	1783.43	1319.57
Total	**1793.37**	**1339.89**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	0.56	0.00
Balances with Banks and Money at call and short notice	51.79	67.09
Investments	1647.79	1215.48
Advances	0.45	0.00
Fixed Assets	10.89	11.32
Other Assets	81.89	46.00
Total	**1793.37**	**1339.89**
Capital Commitments	0.00	0.00
Other Contingent Liabilities	0.00	0.00
Income		
Interest Earned	9.50	11.83
Other Income	0.86	0.00
Total	**10.36**	**11.83**
Expenditure		
Interest Expended	0.00	0.00
Operating Expenses	20.75	39.30
Provisions & Contingencies	0.00	0.00
Total	**20.75**	**39.30**
Profit / (Loss)	**(10.38)**	**(27.47)**

लेखा मानक 29 के 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां' (मूल बैंक):

क. देयताओं हेतु प्रावधानों का मूवमेंट (अन्य हेतु प्रावधान छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले / आकस्मिकताएं	
	2012-13	2011-12
आरंभिक शेष	22.05	6.61
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	4.89	15.44
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	--	--
इति शेष	26.94	22.05
बहिर्गमन/अनिश्चितताओं का समय	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के आदेश / मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग तथा न्यागमन् जैसा भी मामला हो, पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

10. मूल तथा अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरण पत्र में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना जिनका समेकित वित्तीय विवरणों के सत्य तथा निष्पक्ष छवि पर कोई असर नहीं है और अभौतिक मदों से संबंधित सूचना का समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटन नहीं किया गया है।

11. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, वहां विगत वर्ष के आंकड़ो को, फिर से समूहित / व्यवस्थित किया गया है।

(H) AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Legal cases/ contingencies	
	2012-13	2011-12
Opening Balance	22.05	6.61
Provided during the year	4.89	15.44
Amounts used during the year	–	–
Closing Balance	26.94	22.05
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

10. Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

11. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक बोर्ड को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (मूल बैंक) और अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम, इसके बाद जिसे संयुक्त रूप से "बीओआईग्रुप" कहा गया है और समेकित विवरण के साथ 31 मार्च, 2013 के समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाता और समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित पर आधारित है।

   ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक के वित्तीय विवरण;

   बी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित, तीन स्वदेशी अनुषंगियॉं एक स्वदेशी संयुक उद्यम, चार स्वदेशी सहायक कंपनियॉं एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण;

   सी) चार विदेशी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण, जिनकी अन्य लेखा-परीक्षकों ने समीक्षा की है और;

   डी) दो स्वदेशी सहायक कंपनियों के अन-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

समेकित विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व मूल बैंक के प्रबंधन का हैं, ये समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बीओआई ग्रुप के समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें डिजाइन, कार्यान्वयन और वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति के लिए संबंधित रख-रखाव शामिल है, जो सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हुआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और वित्तीय विवरण पत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, इसके बारे में समुचित एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और उसका निष्पादन करें।

4. लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण के तात्विक अशुद्ध कथनों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षक ने बीओआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण के तैयार करने और प्रस्तुति में आंतरिक नियंत्रण संबद्धता का ध्यान रखा है, जो लेखा परीक्षा के डिजाइन के लिए सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करता है और जो इन परिस्थितियों में उचित है। लेखा परीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखा अनुमानों का मूल्यांकन और साथ ही समेकित वित्तीय विवरण की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS

To the Board of Directors of Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India (“the Parent Bank”) and its subsidiaries, associates and joint ventures collectively hereinafter referred to as “BoI Group” and the consolidated financial statements comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2013, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then endedtogether with a summary of significant accounting policies and other explanatory information.The consolidated financial statements are based on –

   (a) Financial statements of the Parent Bank audited by us;

   (b) Financial statements of three domestic subsidiaries, one domestic joint venture, four domestic associates and one overseas associates audited by other auditors; and

   (c) Financial statements of fouroverseas subsidiaries reviewed by other auditors; and

   (d) Unaudited financial statements of two domestic associates.

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of BoI Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the BOI Group’s preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अभिमत

6. हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरण और अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के विचार के आधार पर, यथा नीचे दिए गये, समेकित वित्तीय विवरण आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

ए) समेकित तुलन-पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बीओआई ग्रुप के कार्यों की स्थिति

बी) उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का समेकित लाभ और हानि खाते की स्थिति और

सी) उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति

अन्य मामले

7. हमने निम्न के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी।

ए) वे अनुषंगियॉं जिनके वित्तीय विवरण यथा मार्च 2013 को कुल आस्तियॉं (निवल) ₹ 2021.66 करोड़, उसी वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 180.65 करोड़ और निवल नकदी बाह्य प्रवाह की राशि ₹ 197.09 करोड़ दर्शाती हैं।

बी) वे संयुक्त उद्यम जिनका वित्तीय विवरण यथा मार्च, 2013 को कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 3995.09 करोड़, उसी वर्ष को समाप्त कुल राजस्व ₹ 1427.51 करोड़ तथा निवल नकदी बाह्य प्रवाह ₹ 30.69 करोड़ दर्शाती हैं।

सी) उसी समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियॉं मूल बैंक के निवल लाभ का हिस्सा ₹ 60.16 करोड़ दर्शाती हैं।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

8. हम दो सहायक कंपनियॉं के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर निर्भर हैं। जैसा कि हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर ₹ 16.76 करोड़ के लाभ के हिस्से का समेकन में विचार किया गया है।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 7 और 8 में बताये गये मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BOI Group as at 31st March 2013;

(b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profitfor the year ended on that date; and

(c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements of –

(a) subsidiaries, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 2021.66 crores as at 31st March 2013, total revenues of ₹ 180.65 crores and net cash outflows amounting to ₹ 197.09 crores for the year then ended;

(b) joint ventureswhose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 3995.09 crores as at 31st March 2013, total revenues of ₹ 1427.51 crores and net cash outflows amounting to ₹ 30.69 crores for the year then ended; and

(c) associate sreflecting share of net profitof the Parent Bank of ₹ 60.16 crores for the year then ended.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

8. We have also relied on the un-audited financial statements of two associates as made available to us by the management of the Parent Bank based on which share of profit of ₹ 16.76 crores have been considered in the consolidation.

9. Our opinion is not qualified in respect of the matters stated in paragraphs 7 and 8 above.

कृते चतुर्वेदी एंड शाह **For Chaturvedi & Shah** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 101720W) (Firm Reg. No. 101720W)	**कृते कर्नावट एंड कंपनी** **For Karnavat & Co.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 104863W) (Firm Reg. No. 104863W)	**कृते शंकरन एंड कृष्णन** **For Sankaran & Krishnan** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 003582S) (Firm Reg. No. 003582S)
(वितेश डी. गांधी) **(Vitesh D. Gandhi)** भागीदार Partner एम.नं. 110248 M. No. 110248	**(समीर बी. दोशी)** **(Sameer B. Doshi)** भागीदार Partner एम.नं. 117987 M. No. 117987	**(एम.के.कुमार)** **(M. K. Kumar)** भागीदार Partner एम.नं. 202092 M. No. 202092
कृते एल.बी.झा एंड कं. **For L.B. Jha & Co.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 301088E) (Firm Reg. No. 301088E)	**कृते एसआरबी एंड एसोशिएट** **For SRB & Associates** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 310009E) (Firm Reg. No. 310009E)	**कृते ईसाक एण्ड सुरेश** **For Isaac & Suresh** सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 001150S) (Firm Reg. No. 001150S)
(के.के. भांजा) **(K.K. Bhanja)** भागीदार Partner एम.नं. 14722 M. No. 14722	**(संजीत पात्रा)** **(Sanjeet Patra)** भागीदार Partner एम.नं. 056121 M. No. 056121	**(के. सुरेश)** **(K. Suresh)** भागीदार Partner एम.नं. 023554 M. No. 023554

मुंबई, 13 मई, 2013
Mumbai, 13th May, 2013

बासेल II (स्तंभ 3)- प्रकटन (समेकित) मार्च 2013

तालिका डीएफ -1

अनुप्रयोग का कार्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटन

(अ) समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है।

बैंक ऑफ़ इंडिया

(ब) समूह के भीतर लेखांकन और नियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की एक रुपरेखा जिसके साथ संस्था का संक्षिप्त विवरण दिया गया हो।

(i) जो पूरी तरह से समेकित है (ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित है (iii) जिन्हें कटौती बरताव दिया गया है और (iv) जो न तो समेकित है, न ही घटाई गई है (उदाहरणार्थ जहाँ निवेश जोखिम के आधार पर मापा जाता है)।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों को सामान्यतया एक ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रचलित प्रयोजन अवधारणा का अनुसरण कर तैयार किया गया है और भारतीय कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरुप है सिवाय उस स्थिति के जहाँ अन्यथा सूचित किया गया हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणपत्र भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखागत मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार किए जाते है; ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय जोड़ दी जाती है और अन्तर ग्रुप संव्यवहारों, शेष राशि, अप्राप्त लाभ/हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते है जो एक लेखागत नीति के अनुरुप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों किंतु ऐसा ओवरसीज अनुषंगियों/सहयोगियों के मामले को छोड़कर है जहां वित्तीय विवरण पत्र स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के आधार पर तैयार किए जाते है। समेकित वित्तीय विवरणपत्रों में उनके परिणाम को शामिल भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका उस पर बहुत असर पड़ने की सम्भावना नहीं है। अनुषंगियों के विवरणपत्र उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए है जो मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख है और वह तारीख 31 मार्च, 2013 है।

सहयोगी कम्पनियों में निवेश हेतु लेखांकन इक्विटी पद्धति के अन्तर्गत किया जाता है, जो लेखांकन मानक 23 जो भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''समेकित विवरण पत्रों में एसोसिएट में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार हैं।

संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 27 ''संयुक्त उद्यमों में निवेशों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार लेखांकन का समेकन ''आनुपातिक आधार'' पर किया जाता हैं।

i) कंपनियां जो पूर्णतः समेकित हैं

उन अनुषंगियों का विवरण निम्नानुसार है जिनके वित्तीय विवरण पत्रों का समेकन बैंक (मूल कम्पनी) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ किया जाता हैः-

Basel II (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March 2013

Table DF-1

Scope of application

Qualitative Disclosures

(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.

BANK OF INDIA

(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and Regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group

(i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).

The Consolidated financial statements have been prepared by following going concern concept, generally on a historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian Offices/Branches and in respective foreign Countries in respect of Foreign Offices/ Branches, except as otherwise stated.

The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 “Consolidated Financial Statements” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries / associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements / International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of such adjustments not being material is not given in Consolidated Financial Statements. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of Parent bank i.e. 31st March 2013.

Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on “Proportionate basis” as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

i) Entities that are fully consolidated

The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the bank (the parent) are as under:

	अनुषंगी का नाम	शामिल देश	यथा 31.03.2013 स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :			
ए)	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.(गैर बैंकिंग)	भारत	51%
बी)	बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा.लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	51%
सी)	बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज प्रा.लि-(गैर बैंकिंग)	भारत	51%
विदेशी अनुषंगियां			
ए)	पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (बैंकिंग)	इंडोनेशिया	76%
बी)	बीओआई तंजानिया लि. (बैंकिंग)	तंजानिया	100%
सी)	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (बैंकिंग)	न्यूज़ीलैंड	100%
डी)	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (बैंकिंग)	युगांडा	100%

निम्न कंपनियों में बैंक का 20% या अधिक हिस्सा (स्टेक) है :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	शामिल देश	स्वामित्व का अनुपात प्रतिशत
i)	स्टार दाई-ची लाईफ इंश्योरेंस क. लि. (इंश्योरेंस)	भारत	48.00
ii)	सिक्योरिटी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.	भारत	29.96
iii)	एएसआरईसी (भारत) लि.	भारत	26.02
iv)	इण्डो जांबिया बैंक लि.	जांबिया	20
v)	आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35
vi)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35
vii)	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	भारत	35
viii)	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक भारत	भारत	35

ii) यथानुपात समेकित :

सिक्योरिटी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
इण्डो जांबिया बैंक लि.
एएसआरईसी (भारत) लि.
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.
बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

iii) कंपनियों को कटौती ट्रीटमैंट दिया गया : शून्य

iv) न समेकित न पृथक की गई कंपनियां : शून्य

मात्रात्मक प्रकटन	
(बी) सभी अनुषंगियों में पूँजीगत भिन्नताओं की कुल राशि जिसे समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् जिनकी कटौती की जाती है और ऐसी अनुषंगियों के नाम	शून्य
(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है एवं उनका नाम, शामिल या निवास का उनका देश, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो इन संस्थाओं में वोटिंग पावर का अनुपात। इसके अतिरिक्त इस पद्धति बनाम कटौती पद्धति प्रयोग करने पर नियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव दर्शाएं	शून्य

तालिका डीएफ-2

पूँजीगत संरचना

गुणात्मक प्रकटन

(क) सभी पूँजीगत लिखतों, विशेष रूप से वे पूँजीगत लिखत जो टियर I या अपर

	Names of Subsidiaries	Country of Incorpora-tion	Proportion of Ownership as on 31.03.2013
Domestic Subsidiaries:			
a)	BOI Shareholding Ltd. (Non-Banking)	India	51%
b)	BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. (Non-Banking)	India	51%
c)	BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd. (Non-Banking)	India	51%
Overseas Subsidiaries:			
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk (Banking)	Indonesia	76%
b)	BOI Tanzania Ltd. (Banking)	Tanzania	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Limited (Banking)	New Zealand	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd. (Banking)	Uganda	100%

Bank is having 20% or more stakes in following entities.

Sr. No.	Name of the Entity	Country of incorpora-tion	Proportion of ownership percentage
i)	Star Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd. (Insurance)	India	48.00
ii)	Securities Trading Corporation of India Ltd.	India	29.96
iii)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02
iv)	Indo-Zambia Bank Ltd.	Zambia	20
v)	Aryavat Kshetriya Gramin Bank	India	35
vi)	Jharkhand Gramin Bank	India	35
vii)	Narmada Jhabua Gramin Bank	India	35
viii)	Vidharbha Konkan Gramin Bank	India	35

ii) Pro-rata consolidated:

Security Trading Corporation of India Ltd.
Indo-Zambia Bank Ltd.
ASREC (India) Ltd.
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

iii) Entities given a deduction treatment : NIL

iv) Entities neither consolidated nor deducted : NIL

Quantitative Disclosures	
(b) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	NIL
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	NIL

Table DF-2:

Capital structure

Qualitative Disclosures

(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of

टियर 2 में शामिल होने के पात्र हैं, की मुख्य विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों के बारे में संक्षिप्त सूचना।

एः बैंक ऑफ़ इंडिया

1. बैंक की टियर 1 पूँजी में इक्विटी शेयर्स, आरक्षितियां और नवोन्मेषी बेमियादी बॉंड्स शामिल हैं।

बैंक ने नवोन्मेषी बॉंड्स (टियर I) और अन्य बॉंड्स भी जारी किए हैं जो टियर 2 पूँजी में शामिल होने के लिए पात्र हैं। बॉंड्स का विवरण निम्नानुसार हैः

क. नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

	विवरण		निर्गम की तारीख	परपीचुअल एवं काल विकल्प	कूपन दर	₹ करोड में
क)	जर्सी शाखा - एमटीएन	यूएसडी 85 मिलियन	30.03.2007	30.03.2017	6.994%	461.10
ख)	शृंखला I	भारत में	27.07.2007	27.07.2017	10.55%	400.00
ग)	शृंखला II	भारत में	27.09.2007	27.09.2017	10.45%	100.00
घ)	शृंखला III	भारत में	11.10.2007	11.10.2017	10.40%	155.00
ङ)	शृंखला IV	भारत में	10.02.2009	10.02.2019	8.90%	400.00
च)	शृंखला V	भारत में	09.12.2009	09.12.2019	9.00%	325.00
छ)	शृंखला VI	भारत में	09.09.2010	09.09.2020	9.05%	300.00
	कुल					2141.10

ख. अपर टियर II बांड्स

	विवरण		निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	कूपन दर	₹ करोड में
क)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला I	भारत में	31.07.2006	31.07.2021	9.35%	732.00
ख)	लंदन शाखा- एमटीएन	यूएसडी 240 मिलियन	22.09.2006	22.09.2021	6.625%	1305.20
ग)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला II	भारत में	16.10.2008	16.10.2023	11.15%	500.00
घ)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला III	भारत में	28.07.2009	28.07.2024	8.45%	500.00
ङ)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला IV	भारत में	28.08.2009	28.08.2024	8.50%	500.00
च)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला V	भारत में	20.01.2010	20.01.2025	8.54%	1000.00
छ)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला VI	भारत में	11.06.2010	11.06.2025	8.48%	1000.00
	कुल					5537.20

ग) लोअर टियर II बांड्स अर्थात गौण बांड्स

	विवरण		निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	कूपन दर	₹ करोड में
क)	शृंखला V	भारत में	23.01.2004	30.04.2014	5.88%	350.00
ख)	शृंखला VI	भारत में	31.03.2004	30.04.2014	5.90%	200.00
ग)	शृंखला VII	भारत में	23.02.2005	23.05.2014	7.10%	300.00
घ)	शृंखला VIII	भारत में	16.09.2005	16.04.2015	7.50%	750.00
ङ)	शृंखला IX	भारत में	20.03.2006	20.06.2016	8.00%	200.00
	कुल					1800.00

capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

A BANK OF INDIA

1. Bank's Tier 1 capital comprises of Equity Shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds.

Bank has issued Innovative Bonds (Tier I) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Details of the bonds are as under:

a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)

	Particulars		Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Jersey Branch – MTN	USD 85 Mn	30.03.2007	30.03.2017	6.994%	461.10
b)	Series I	In India	27.07.2007	27.07.2017	10.55%	400.00
c)	Series II	In India	27.09.2007	27.09.2017	10.45%	100.00
d)	Series III	In India	11.10.2007	11.10.2017	10.40%	155.00
e)	Series IV	In India	10.02.2009	10.02.2019	8.90%	400.00
f)	Series V	In India	09.12.2009	09.12.2019	9.00%	325.00
g)	Series VI	In India	09.09.2010	09.09.2020	9.05%	300.00
	TOTAL					2141.10

b) Upper Tier II Bonds

	Particulars		Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Upper Tier II Bonds - Series I	In India	31.07.2006	31.07.2021	9.35%	732.00
b)	London Branch - MTN	USD 240 Mn	22.09.2006	22.09.2021	6.625%	1305.20
c)	Upper Tier II Bonds – Series II	In India	16.10.2008	16.10.2023	11.15%	500.00
d)	Upper Tier II Bonds – Series III	In India	28.07.2009	28.07.2024	8.45%	500.00
e)	Upper Tier II Bonds – Series IV	In India	28.08.2009	28.08.2024	8.50%	500.00
f)	Upper Tier II Bonds – Series V	In India	20.01.2010	20.01.2025	8.54%	1000.00
g)	Upper Tier II Bonds – Series VI	In India	11.06.2010	11.06.2025	8.48%	1000.00
	TOTAL					5537.20

c) Lower Tier II Bonds i.e. Subordinated bonds

	Particulars		Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Series V	In India	23.01.2004	30.04.2014	5.88%	350.00
b)	Series VI	In India	31.03.2004	30.04.2014	5.90%	200.00
c)	Series VII	In India	23.02.2005	23.05.2014	7.10%	300.00
d)	Series VIII	In India	16.09.2005	16.04.2015	7.50%	750.00
e)	Series IX	In India	20.03.2006	20.06.2016	8.00%	200.00
	TOTAL					1800.00

2. आईपीडीआई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है -

i) इन लिखतों का इक्विटी (परपीचुअल तथा गैर-संचयी) तथा ऋण (कर कटौती होने पर देय ब्याज) का स्वरूप है।

ii) जारी किए गए आईपीडीआई गुडविल और अमूर्त अस्तियाँ घटाने के बाद किन्तु निवेश की कटौती से पहले, पिछले वर्ष की कुल टियर I पूँजी की 15% सीमा के भीतर हैं।

iii) यह लिखतें नियत दर पर जारी की गई हैं।

iv) यह लिखतें मांग विकल्प तथा 100 बेसिस पॉइंट के साथ 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ाने के विकल्प के साथ ज़ारी की गई हैं।

3. अपर टियर II बॉण्ड की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

i) इन लिखतों मे नवोन्मेष टियर लिखतों के जैसी बहुत सी समानताएं हैं, तथापि यह लिखतें 15 वर्षों की परिपक्वता अवधि पर जारी की गई हैं।

ii) यह लिखते नियत दर पर जारी की गई हैं।

iii) यह लिखतें मांग विकल्प तथा 100 बेसिस पॉइंट के साथ 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ाने के विकल्प के साथ जारी की गई हैं।

बी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

टियर I पूंजी, चुकता शेयर पूँजी, प्रीमियम, नियामक आरक्षित नीतियाँ तथा सुरक्षित रखी गई आमदनी से बनी हैं।

सी. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी)

टियर I पूँजी में चुकता शेयर पूँजी तथा आरक्षितियां शामिल हैं। कोई अन्य पूंजी लिखत जो बैंक की बहियों में हैं, टियर I या अपर टियर II पूंजी में समावेशन हेतु पात्र नहीं है।

डी. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी)

टियर I पूँजी में चुकता शेयर पूँजी तथा आरक्षितियां शामिल हैं। कोई अन्य पूंजी लिखत जो बैंक की बहियों में हैं, टियर I या अपर टियर II पूंजी में समावेशन हेतु पात्र नहीं है।

ई. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (बैंकिंग) (अनुषंगी)

टियर I पूँजी में चुकता शेयर पूँजी तथा आरक्षितियां शामिल हैं। कोई अन्य पूंजी लिखत जो बैंक की बहियों में हैं, टियर I या अपर टियर II पूंजी में समावेशन हेतु पात्र नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटन

1. बैंक की समेकित टियर 1 पूँजी में निम्न का समावेश है।

(₹ करोड़ में)

i)	प्रदत्त शेयर पूंजी	596.64
ii)	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	21067.28
iii)	नवोन्मेष परपेचुअल बॉन्ड	2141.10
iv)	अन्य पूँजी लिखतें	---
घटाएं		
V)	टियर I पूंजी से निवेश एवं गुडविल सहित कटौती राशि	331 .04
	टियर I पूंजी (i+ii+iii+iv-V)	23473.98

2. टियर 2 की राशि (कटौतियों का निवल) रु. 7915.72 करोड़ है।

3. अपर टियर 2 पूँजी मे समावेश के लिए पात्र ऋण पूँजी लिखते इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया राशि	5537.20
जिसमें से वर्ष के दौरान वर्धित राशि	--
पूँजी निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	5537.20

2. The main features of IPDI are as follows:

i) These instruments have characteristics of equity (perpetual and non-cumulative) and that of a debt (interest payable being tax deducted)

ii) IPDI issued are included up to 15% of total Tier I capital of previous year after deduction of goodwill and intangible assets but before deduction of investments.

iii) These instruments have been issued at a fixed rate.

iv) The instruments have been issued with a call option and a step up option after 10 years with a step up of 100 basis points.

3. The main features of Upper Tier II bonds are as follows:

i) These instruments have many similarities to innovative Tier I instruments. However these instruments have been issued at a minimum maturity of 15 years.

ii) These instruments are issued at a fixed rate.

iii) The instruments have been issued with a call option and a step up option after 10 years with a step up of 100 basis points.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Tier I capital consists of Paid-up Share Capital, Premium, Regulatory Reserves and Retained Earnings

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary)

Tier 1 capital comprises of paid up share capital and reserves. No other capital instruments are in the books of Banks eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

D: Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)

Tier 1 capital comprises of Paid up share capital &Reserves. No other capital instruments are in the books of Banks eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

E: Bank of India (Uganda) Ltd. (subsidiary)

Tier 1 capital comprises of Paid up share capital and Reserves. No other capital instruments are in the books of Bank eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

Quantitative Disclosures

1. The Tier 1 capital of the consolidated bank comprises:

(₹ in Crores)

i)	Paid-up share capital	596.64
ii)	Reserves (excluding revaluation reserves)	21067.28
iii)	Innovative Perpetual Bonds	2141.10
iv)	Other capital instruments	---
Deductions		
v)	Amounts deducted from Tier I capital including goodwill and Investments	331.04
	Tier I Capital (i + ii + iii + iv - v)	23473.98

2. The amount of Tier 2 capital (net of deductions) is ₹ 7915.72 crores

3. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(₹ in Crores)

Total amount outstanding	5537.20
Of which amount raised during the year	–
Amount eligible to be reckoned as capital funds	5537.20

4. लोअर टियर 2 पूँजी में समावेश के लिए पात्र गौण ऋण इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया राशि	1800.00
जिसमें से वर्ष के दौरान वर्धित राशि	0.00
पूँजी निधियों के रूप में मान्य की जाने वाली पात्र राशि	590.00

5. पूँजी में से अन्य कोई कटौतियाँ नहीं हैं।

6. कुल पात्र पूँजी में समावेश हैं।

(₹ करोड़ में)

टियर I पूँजी	23473.98
टियर II पूँजी	7915.72
कुल पूँजी	31389.70

तालिका डीएफ-3

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क) वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना

अ. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक द्वारा जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को सुलभ पूँजी बनाने हेतु समय समय पर अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूँजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूँजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों को व्यापक रूप से देखने हेतु बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

ब. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

बैंक की रु. 219.21 करोड़ की पूँजी, वर्तमान आस्ति आधार को सहजता से समर्थन दे सकती है। ऋण की भावी विस्तार की निर्भरता पर अतिरिक्त पूँजी प्रदान की जा सकती है।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) द्वारा कार्यान्वत बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आहरित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना को तिमाही आधार पर बैंक ऑफ तंजानिया द्वारा पूर्ण की जाती है।

बैंक के नियामक पूंजी जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है वह दो टियर में विभाजित है :

टियर I पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां। टियर I पूंजी के परिकलन में पूर्वप्रदत्त व्यय एवं आस्थगित प्रभार काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : अर्हता गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत पाँच जोखिम भार के तारतम्य के जरिए जोखिम भारित आस्तियों को सुनिश्चित किया जाता है तथा पात्र संपार्श्विक तथा गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए ऋण, बाजार तथा प्रत्येक आस्ति तथा प्रतिपक्ष सहित अन्य संबंधित जोखिमों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ऑफ बैलेन्स शीट

4. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(₹ in Crores)

Total amount outstanding	1800.00
Of which amount raised during the year	0.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	590

5. There are no other deductions from capital

6. The total eligible capital comprises:

(₹ in Crores)

Tier I Capital	23473.98
Tier II Capital	7915.72
Total Capital	31389.70

Table DF-3

Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

A BANK OF INDIA

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR). The capital plan is reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The capital of the bank at ₹ 219.21 crores comfortably supports the current asset base. Depending on the future expansion of credit, additional capital may be infused.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary) and Bank of India (Uganda) Ltd. (subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored daily by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT on a quarterly basis.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure, with

ऋण जोखिम हेतु कार्यप्रणाली अपनाई जाती है जिसमें संभावित हानि के अधिक आकस्मिक प्रकृति का कुछ समायोजन किया जाता हैं।

घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (आरबीएनज़ेड) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर I पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां।

प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत पाँच जोखिम भार के तारतम्य के जरिए जोखिम भारित आस्तियों को सुनिश्चित किया जाता है तथा पात्र संपार्श्विक तथा गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए ऋण, बाजार तथा प्रत्येक आस्ति तथा प्रतिपक्ष सहित अन्य संबंधित जोखिमों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ऑफ बैलेन्स शीट ऋण जोखिम हेतु कार्यप्रणाली अपनाई जाती है जिसमें संभावित हानि के अधिक आकस्मिक प्रकृति का कुछ समायोजन किया जाता हैं।

मात्रात्मक प्रकटन

(बी)	आर डब्ल्यू ए के 9% ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो:	₹ 22,774 करोड़
	• प्रतिभूतिकरण निवेश	शून्य
(सी)	बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:	
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
	– ब्याज दर जोखिम:	₹ 794.71 करोड़
	– विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण को शामिल कर):	₹ 6.75 करोड़
	– इक्विटी जोखिम :	₹ 160.88 करोड़
(डी)	परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:	
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण:	₹ 1684 करोड़
(ई)	कुल और टियर I पूँजी अनुपात:	
	• शीर्ष समेकित समूह के लिए तथा	11.11% और 8.31%
	• महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगी के लिए (किस प्रकार रुपरेखा प्रयुक्त की गई है, उसकी निर्भरता पर स्टैण्डअलोन या उप-समेकित) अकेले बीओआई के लिए	11.02% और 8.20%

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम-सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

• पिछले देय की परिभाषा तथा अपसामान्य (लेखांकन उद्देश्य हेतु)

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमावली का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

अनर्जक आस्तियाँ

एक पट्टा आस्ति सहित एक आस्ति जब बैंक के लिए आय जनित नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

i) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।

some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

D: Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored daily by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital.

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure.

Quantitative disclosures

(b)	Capital requirements for credit risk at 9% of RWA:	
	• Portfolios subject to standardised approach:	₹ 22,774 Crores
	• Securitisation exposures:	NIL
(c)	Capital requirements for market risk:	
	• Standardised duration approach;	
	– Interest rate risk:	₹ 794.71 Crores
	– Foreign exchange risk (including gold):	₹ 6.75 Crores
	– Equity risk:	₹ 160.88 Crores
(d)	Capital requirements for operational risk:	
	• Basic indicator approach:	₹ 1,684 Crores
(e)	Total and Tier 1 capital ratio:	
	• For the top consolidated group; and	11.11% and 8.31%
	• For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied). For BOI Solo	11.02% and 8.20%

TableDF-4

Credit risk: general disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

• Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

A BANK OF INDIA

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

Non-performing Assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

i) interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

ii) the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft / Cash Credit (OD/CC),

ii) एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार "अनियमित" हुआ खाता।

iii) क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।

iv) अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।

v) दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।

vi) दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।

vii) बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

viii) किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ix) किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छः माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

"अनियमित" स्थिति

एक खाता तब "अनियमित" माना जाता है जब स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को "अनियमित" खाता माना जाता है।

"अतिदेय"

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब "अतिदेय" होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय नहीं पाता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) की तरह है जहाँ :

(i) ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।

(ii) अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।

(iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरुप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।

iii) the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

(iv) the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

(v) the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

(vi) the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(vi) Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

(vii) A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

(viii) A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

(ix) A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within six months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non-performing Investments

In respect of securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

(i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

(ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

(iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in

(iv) निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमतः।

(v) डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता हैं।

"आस्तियाँ" अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। "अनर्जक आस्तियाँ " बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को नहीं किया जाता है।

1 जनवरी, 2010 को पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके ने नई लेखांकन नीति अर्थात् पीएसएके 50 एवं 55 का कार्यान्वयन शुरु किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 एवं 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी) बैंक ऑफ इंडिया युगांडा

अगर कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपनी संविदागत बाध्यताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऋण जोखिम होता है जो बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम होता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण के जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैः-

- ➢ संपार्श्विक अपेक्षाओं ऋण अभिनिर्धारण, रिस्क-ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग, दस्तावेजी और विधिक क्रियाविधि एवं विनियामक और सांविधिक अपेक्षाओं को सम्मिलित करते हुए ऋण नीतियाँ बनाना।
- ➢ ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढ़ाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।
- ➢ ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- ➢ ऋण जोखिम के केन्द्रीयकरण को प्रतिपार्टियों, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से सीमित करना (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए)

गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए);

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.

(iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.

(v) The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

On 1st January 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd., Bank of India (New Zealand) Ltd., (Subsidiaries) and Bank of India Uganda

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- ➢ Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- ➢ Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- ➢ Reviewing and assessing credit risks.
- ➢ Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if

ए. ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।

बी. ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।

सी. गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना

डी. बिल अनादृत कर दिए गए हों।

ई. बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।

ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रुप से गत देय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

मात्रात्मक दृष्टिकोण में समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा।

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

1 एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।

2 इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।

3 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक कणिकामय पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिमरहित किया जाता है।

4 ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।

4.1 नीति और कार्यनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रहा। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा आवधिक तौर पर अनुदेश पुस्तिका रूप में विधिबद्ध किया गया है। लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय

a. Exceeds the customer's borrowing limit.

b. Customers borrowing limit is expired.

c. Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period

d. Bill has been dishonored

e. Bill or account is not paid on due date

Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

Bank of India Uganda

Outstanding loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

A BANK OF INDIA

1. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.

2. Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.

3. The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product / process level. Various risks are looked into before introducing new products/ processes, which are cleared from the risk angle

4. The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely **Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations / Systems.**

4.1 Policy and Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings

लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएवं वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता वृद्धि का मेल करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन होता है तथा आवधिक तौर पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। ऋण नीति अपने में विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण महत्व, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, ऋण निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), मूल्य, ऋण मूल्यांकन, ऋण निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन की योजना, सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी तैयार है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

4. संस्थागत ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक दृष्टिकोण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और इसके सदस्य के रुप में ऋण, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निर्धारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारत सीमाओं के अंदर बृहद आधार पर ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान करता है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्य द्वारा ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा की जाती है।

4.3 परिचालन/प्रणाली/प्रक्रिया

बैंक सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन पहल करता है, जैसे ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानकता, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा

and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

4.2 Organizational Set up

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At is the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manger rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R Com/M Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

4.3 Operations / Systems / Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding

सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली आनेवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

5. ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

क) ऋण अनुमोदित करनेवाला अधिकारी-अधिकारों का प्रत्यायोजन

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है। अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेटवाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों में मंजूरी प्राधिकार के साथ गाइडलाइन्स क्रेडिट कमिटि बनाई गई है। वर्तमान में, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकार के परे आने वाले सभी ऋण प्रस्तावों को महाप्रबंधकों की 'जोखिम मूल्यांकन समिति' के जरिए रूट किया जाता है जिससे इसमें स्वतंत्रता का तत्व आए और ऋण प्रस्तावों में गोचर जोखिमों का ऑफ साइट मूल्यांकन किया जाए। महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग, समिति का सदस्य है जिनके पास मात्रा या लाभ का लक्ष्य नहीं है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकारों तक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक और समिति बनाई गई है। जेडएलसीसी और एनबीजीएलसीसी में प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आंचलिक कार्यालय में भी ऐसी समिति बनाई गई है।

ख) विवेकपूर्ण सीमाएँ

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjectedto credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on - and off-balance sheet activities.

5. The following tools are used for credit risk management/ mitigation -

a. Credit Approving Authority – Delegation of Powers

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment. The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. As per Ministry of Finance Guidelines Credit Committees with sanctioning authority have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At present, all credit proposals falling beyond the delegated authority of the General Manager are being routed through "The Risk Evaluation Committee" of General Managers, to bring in an element of independence and off site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is a member of the Committee. Based on the experience gained, one more committee has been set up at Head office level to deal with proposal up to the delegated authority of General Manager. Such Committees have also been set-up at Zonal Office, for proposal to be approved at ZLCC and NBGLCC.

b. Prudential Limits

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

ग) जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

घ) ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

ङ) विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छःमाही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

6. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिशः स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

7. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

8. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई (''आंतरिक लेखा परीक्षा") से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यो के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है जो हैं ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम और कार्यनीतिक जोखिम। जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियॉं जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है पर विस्तार हेतु बैंक जोखिम प्रोफाइल तैयार करती है। जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में,

c. Risk Rating / Pricing

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

d. Credit Audit / Loan review mechanism (LRM)

Credit Audit / LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

e. Portfolio Management through analysis.

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective,to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with ₹ 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

6. Risk Measurement

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

7. Risk Reporting System:-

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting’s submitted to CRMC to enable proper monitoring.

8. Risk Review:

Audit – Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of

संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक का जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। ज़ोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी)

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

क) उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या न्यूनतम अनिवार्य राशि वसूल करना।

ख) अस्थायी रोकड़ प्रवाह के मिसमैच के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।

ग) अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।

घ) यदि कोई, पुनर्गठित नीति में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित नकदी प्रवाह एवं नकदी प्रवाह में अंतराल को ध्यान में रखते हुए बकाया पुनर्गठन।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीएज़् की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यतः बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

क) एनपीए होने से पहले खाता (विशेष रूप से उल्लिखित खाता)

i) आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ii) जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

iii) एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

iv) वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई एवं प्रभारित आस्ति का आवधिक निरीक्षण ।

v) खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

ख) एनपीए होने के बाद खाता बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। एनपीएज़् के समाधान हेतु निम्नलिखित उपायों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए :-

i) बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन

ii) उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान

iii) समझौतावार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान

iv) अग्रिम को रीकॉल करना

v) अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन

vi) अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, हम शेष प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं।

एनपीएज़् के समाधान हेतु इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises / has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd., Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiaries) and Bank of India (Uganda) Ltd.

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:-

a) Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

b) Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

c) Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

d) Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

Measures for follow up of Especially Mentioned Accounts / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs generally available to the Banks are listed below:-

A) Before the account becoming NPA (Especially Mentioned A/c)

i) Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

ii) Reminders to be sent promptly whenever irregularities are observed.

iii) To recover overdues quickly to ensure account does not slip to NPA category

iv) Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

v) To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

B) After the account becoming NPA – following measure to be initiated for recovering Bank's dues. The following means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

i) Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding

ii) Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

iii) Compromise settlement of dues through negotiation

iv) Re-calling the advance

v) Filing suit in Court – Execution of decree

vi) Lastly, after all the chances of recovery of dues are exhausted, we may resort to writing off of the balance dues

All these means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

मात्रात्मक प्रकटन

1. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	राशि
निधि आधारित	294375.70
गैर-निधि आधारित	59858.56

2. जोखिम का भौगोलिक वितरण

(₹ करोड़ में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	204035.70	90339.80
गैर-निधि आधारित	51836	8022.56

3. उद्योगवार जोखिम का वितरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित बकाया राशि	गैर निधि आधारित बकाया राशि
कोयला	117.52	234.01
खदान	1035.47	0.00
लौह एवं इस्पात	13651.09	236..88
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	3541.05	348.07
सभी इंजीनियरिंग	2144.85	1080.90
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	856.70	259.48
विद्युत	13060.73	2901.80
सूती वस्त्र उद्योग	4267.93	104.59
जूट वस्त्र उद्योग	165..84	0.33
अन्य वस्त्र उद्योग	4464.67	348.30
चीनी	2815.06	24.82
चाय	47.59	1.21
खाद्य प्रसंस्करण	4473.23	140.42
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	723.58	170.52
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	608.55	15.47
पेपर एवं पेपर उत्पाद	1185.60	67.18
रबर एवं रबर उत्पाद	2430.33	224.24
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	4620.77	412.25
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	515.18	5.73
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	1149.24	129.83
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	1697.87	92.81
सीमेंट	1167.46	10.97
चर्म एवं चर्म उत्पाद	454.94	15.25
रत्न एवं आभूषण	5680.95	1461.31
निर्माण	2320.69	1538.08
पेट्रोलियम	2224.20	152.34
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	2018.15	1179.11
आधारभूत संरचना	33225.94	6599.77
जिसमें से पॉवर	13060.73	2912.21
जिसमें से दूरसंचार	1356.69	20.66
जिसमें से रास्ते और पत्तन	7068.44	1867.86
अन्य उद्योग	15498.73	11005.82
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	185379.03	34486.73
कुल	**294263.71**	**59858.56**

Quantitative Disclosures:

1. The total gross credit exposures are:

₹ in Crores

Category	Amount
Fund Based	294263.21
Non Fund Based	59858.56

2. The geographic distribution of exposure is:

₹ in Crores

	Domestic	Overseas
Fund Based	204035.70	90227.51
Non Fund Based	51836	8022.56

3. Industry type distribution of exposure is as under:

₹ in Crores

Industry Name	Fund Based Amt Out-staning	Non Fund Based Amt. Outstanding
Coal	117.52	234.01
Mining	1035.47	0.00
Iron & Steel	13651.09	236.88
Other Metal & Metal Products	3541.05	348.07
All Engineering	2144.85	1080.90
Of which Electronics	856.70	259.48
Electricity	13060.73	2901.80
Cotton Textiles	4267.93	104.59
Jute Textiles	165.84	0.33
Other Textiles	4464.67	348.30
Sugar	2815.06	24.82
Tea	47.59	1.21
Food Processing	4473.23	140.42
Vegetable Oil & Vanaspati	723.58	170.52
Tobacco & Tobacco Products	608.55	15.47
Paper & Paper Products	1185.60	67.18
Rubber & Rubber Products	2430.33	224.24
Chemical, Dyes, Paints etc.	4620.77	412.25
Of which Fertilizers	515.18	5.73
Of which Petro-chemicals	1149.24	129.83
Of which Drugs & pharmaceuticals	1697.87	92.81
Cement	1167.46	10.97
Leather & Leather Products	454.94	15.25
Gems & Jewellery	5680.95	1461.31
Construction	2320.69	1538.08
Petroleum	2224.20	152.34
Automobiles including trucks	2018.15	1179.11
Infrastructure *	33225.94	6599.77
Of which Power	13060.73	2912.21
Of which Telecommunications	1356.69	20.66
Of which Roads & Ports	7068.44	1867.86
Other Industries	15498.73	11005.82
Residuary Other Adv. (to balance with Gross Adv.)	185379.03	34486.73
Total	**294263.71**	**59858.56**

* संरचनात्मक क्षेत्र का ऋण-जोखिम 11.29% है जो कुल निधि आधारित अग्रिमो का 5% से ज्यादा है।
* संरचनात्मक का ऋण-जोखिम 11.03% है जो कुल गैर निधि आधारित बकाया का 5% से ज्यादा है।

4. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम*	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ *
अगले दिन	27467.18	233.09	3129.67
2 - 7 दिन	6049.12	2530.02	6639.60
8 -14 दिन	4309.22	1065.56	2658.89
15 - 28 दिन	9691.81	2563.81	7411.40
29 दिन - 3 माह	76358.16	4760.38	35606.29
>3 माह - 6 माह	34932.32	2558.26	17816.82
> 6 माह - 1 वर्ष	18746.46	752.51	8166.91
>1 वर्ष - 3 वर्ष	30173.43	9336.55	8090.92
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	30921.18	18631.87	5575.54
> 5 वर्ष	51967.93	52523.38	10383.34

* आँकड़े निवल आधार पर दर्शाए गए हैं।

5. सकल एनपीए इस प्रकार हैं :

प्रवर्ग	(₹ करोड़ में)
अवमानक	5606.64
संदिग्ध-1	1455.52
संदिग्ध - 2	1109.34
संदिग्ध - 3	61.22
हानि	545.47
कुल	**8778.19**

6. निवल एनपीए की राशि ₹ 5954.92 करोड़ है।
7. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :
   क. सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 2.98%
   ख. निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 2.05%
8. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	5912.55
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	7388.74
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	4523.10
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	8778.19

9. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	1482.14
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	2878.46
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	2396.52
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	1964.08

10. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि ₹ 544.28 करोड़ है।
11. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि ₹ 458.95 करोड़ है।

* Exposure toInfrastructure Sector at 11.29 % exceeds 5% of total fund based advances
* Exposure to Infrastructure at 11.03% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.

4. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Crores)

Maturity Pattern	Advances*	Invest-ments (gross)	Foreign Currency Assets*
Next day	27467.18	233.09	3129.67
2 – 7 days	6049.12	2530.02	6639.60
8 – 14 days	4309.22	1065.56	2658.89
15 – 28 days	9691.81	2563.81	7411.40
29 days – 3 months	76358.16	4760.38	35606.29
> 3 months – 6 months	34932.32	2558.26	17816.82
> 6months – 1 year	18746.46	752.51	8166.91
> 1 year – 3 years	30173.43	9336.55	8090.92
> 3 years – 5 years	30921.18	18631.87	5575.54
> 5 years	51967.93	52523.38	10383.34

* Figures are shown on net basis

5. The gross NPAs are:

Category	(₹ in Crores)
Sub Standard	5606.64
Doubtful – 1	1455.52
Doubtful – 2	1109.34
Doubtful – 3	61.22
Loss	545.47
TOTAL	**8778.19**

6. The amount of net NPAs is ₹ 5954.92 crores.
7. The NPA ratios are as under:
   a. Gross NPAs to Gross Advances : 2.98%
   b. Net NPAs to Net Advances : 2.05%
8. The movement of gross NPA is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	5912.55
ii) Additions during the year	7388.74
iii) Reductions during the year	4523.10
iv) Closing balance at the end of the year (i + ii - iii)	8778.19

9. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year (excluding floating provision)	1482.14
ii) Provisions made during the year	2878.46
iii) Write-off/write-back of excess provisions	2396.52
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	1964.08

10. The amount of non-performing investment is ₹ 544.28 crores.
11. The amount of provision held for non-performing investment is ₹ 458.95 crores

12. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	939.19
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	542.57
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	501.67
iv) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii)	980.09

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

- किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम
- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन

ए: बैंक ऑफ इंडिया

1. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए **सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआरई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता** पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
2. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

   बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

   विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिंमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।
3. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।
4. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत **परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, लघु अवधि श्रेणी निर्धारण** का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए **दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण** प्रयुक्त की जाती है। नकद उधार ऋण जोखिम के लिए दीर्घ अवधि ऋण जोखिम ली जाती है।

12. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	939.19
ii) Provisions made during the year	542.57
iii) Write-off/write-back of excess provisions	501.67
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	980.09

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Qualitative Disclosure

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of credit rating agencies used, plus reasons for any changes;
- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book;

A BANK OF INDIA

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations **CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.** SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

   The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

   For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
3. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
4. For assets that have contractual **maturity less than or equal to one year, short term ratings** are used while for other assets, **long term ratings** are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

5. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि ऋण जोखिम है जो 150% का ऋण जोखिम समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, वह 150% ऋण जोखिम वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण में मामले में भी एकसमान होगा।

6. दीर्घावधि जोखिमों हेतु मानक अभिगम के अंतर्गत ऋण जोखिमों का सीधा आकलन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू **ऋण जोखिम से कम से कम एक स्तर ज्यादा** ऋण जोखिम वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु ऋण जोखिम निर्गम विशेष अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम ऋण का समर्थन नहीं करता है।

7. यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते है जो विभिन्न ऋण जोखिम दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च ऋण जोखिम लागू होगा। यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण ऋण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न ऋण जोखिम दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम ऋण जोखिम का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों ऋण जोखिमों में से उच्च ऋण जोखिम लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम ऋण.

8. निवेश दावे का आर डब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

   i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो गैर दर आधारित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

   ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के या बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर दर आधारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित ऋण जोखिम में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक संविभाग के ऋण जोखिम आरडब्लूए के परिकलन हेतु क्रेडिट निर्धारण एजेन्सी का उपयोग केवल सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों और बैंक के प्राप्य पर लागू होती है।

- क्रेडिट रेंटिंग एजेन्सी का नाम "पेफिन्डो" है
- प्रत्येक संविभाग के लिए जोखिम का प्रकार निम्नलिखित है:

कुल एक्सपोजर (रु. करोड़ में)

	(31 मार्च 2013)
• अन्य बैंकों में मांग जमा राशि	0.49
• जास मार्ग जेओआरआर बॉन्ड्स (सार्वजनिक क्षेत्र बान्ड्स)	114.27
• अन्य बैंक के बान्ड्स	15.95

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ इंडिया(युगांडा) लि. (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन कार्यरत नहीं है।

5. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

6. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a **risk weight of at least one level higher** than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

7. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

8. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

   i. the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

   ii. if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The use of credit rating agencies in the calculation of credit risk RWA for each portfolio under the standardized approach is only applied to receivable to Public Sector Entities and the Bank.

– Name of Credit rating agency is "PEFINDO"

– Types of exposure for each portfolio are:

Total Exposures (₹ in Crores)

	(31 March 2013)
• Demand Deposit with other Banks	0.49
• Jasa Marga JORR Bonds (Public Sector Bonds)	114.27
• Other Bank Bonds	15.95

C: Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary) and Bank of India (Uganda) Ltd. (subsidiary)

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating / working in the Country.

डीः बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी)

आवश्यकतानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरणः

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात ऋण जोखिम की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बैंक का (मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई सोलो का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार हैः-	
• 100% जोखिम भार से कम	₹ 307003 करोड़
• 100% जोखिम भार	₹ 164332 करोड़
• 100% से अधिक जोखिम भार	₹ 25061 करोड़
• कटौती	शून्य

तालिका डीएफ-6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल हैः

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- गारंटी कर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

कः बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार हैः

   (1) संपार्श्विकृत संव्यवहार

   (2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

   (3) गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक अभिगम के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया हैः

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

D: Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

Quantitative Disclosures:

b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI Solo (excluding market related off balance sheet items) of the bank (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under:	
• Below 100 % risk weight:	₹ 307,003 Crores
• 100 % risk weight:	₹ 164,332 Crores
• More than 100 % risk weight:	₹ 25,061 Crores
• Deducted	NIL

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardised approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- policies and processes for collateral valuation and management;
- a description of the main types of collateral taken by the bank;
- the main types of guarantor counterparty and their creditworthiness; and
- information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A: BANK OF INDIA

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

   (1) Collateralized transactions

   (2) On-balance-sheet-netting

   (3) Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन

vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन

संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. तुलन पत्र नेटिंग पर

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है. पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैः

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं - बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए

गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैः-

i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं -

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तेः संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में

v. Life insurance policies

vi. Debt securities - Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors includes:

(i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

(ii) Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/ Life Insurance Policies. The intangible securities are – Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are - Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/ permissible

The main types of guarantors are: -

i) Central / State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii) Promoters / Major owners of corporates.

iii) Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are -

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets

स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

ख) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता;

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं के विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति का स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व

दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ग) मूल्य अनुपात से ऋण;

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए मूल्य अनुपात (मार्जिन) से अधिकतम ऋण निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति की संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

घ) मूल्यांकन;

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्ति मूल्यांकन के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

ड) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

च) **संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक;**

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

छ) बीमा;

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

ज) संपार्श्विक की बिक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

खः पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्य विधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक

acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

(a) Validity of collateral;

i) Enforceability

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

(b) Loan-to-value ratios

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral

(c) Valuation

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

(d) Safe keeping of collateral and control to their access

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals

(e) Additional / Replacement of collateral;

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

(f) Insurance;

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place

(g) Sale of collateral;

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above ₹ 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal

स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

गः बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगियां)

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूंजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25%
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10%
ग) अप्रतिभूत	5%

घ बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी)

गुणात्मक प्रकटन

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूंजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत) ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत) ग) अप्रतिभूत	25%

मात्रात्मक प्रकटन :

(ख) मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। पात्र वित्तीय संपार्श्विक; मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद। बीओआई सोलो	₹ 21,319 करोड़
(ग) मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है।) बीओआई सोलो	₹ 16,529 करोड़

तालिका डीएफ-7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

कः बैंक ऑफ़ इंडिया

यथा दिनांक 31.03.2013 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं था।

or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd. and Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiaries)

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower / group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D: Bank of India (Uganda) Ltd.

Qualitative disclosures

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower / group as per detailed under.

Collateral position	Limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% of the credit accommodation secured by it (partly secured)	25
c) Unsecured	25

Quantitative Disclosures:

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts. BOI Solo.	₹ 21,319 Crores
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI). BOI Solo.	₹ 16,529 Crores

Table DF-7

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures

A: BANK OF INDIA

The Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2013.

बीः पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

क. प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता, जिसमें निम्नानुसार चर्चा शामिल है :

i. प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संपर्क में बैंक का उद्देश्य, इसमें उस हद तक गतिविधियां शामिल है जिसके द्वारा बैंक से दूर अन्य इकाई में अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर का क्रेडिट जोखिम अंतरित होता है;

ii. प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की भूमिका और प्रत्येक में बैंक की भागीदारी के हद के संकेत शामिल है; और

iii. प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक द्वारा पालन किया जा रहा विनियामक पूंजी दृष्टिकोण

ख. प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों का सार, जिसमें शामिल है :

i. बिक्री पर मुनाफे की पहचान; और

ii. प्रतिधारण ब्याज के मूल्यांकन के लिए मुख्य अनुमान, जिसमें अंतिम रिपोर्टिंग अवधि से मुख्य परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल;

ग. प्रतिभूतिकरणों के लिए उपयोग किए गए ईसीएआई के नाम और उपयोग किए गए प्रत्येक एजेन्सी के लिए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार।

घ. बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर और एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन

ड. बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन के लिए :

i. प्रतिभूतिकृत अनर्जक/गत देय आस्ति की राशि; और

ii. एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा चिह्नित हानि।

च. एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित रखे गए अथवा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम

छ. रखे गए अथवा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम जो अर्थपूर्ण संख्यक जोखिम भारिता बैंड में खंडित किए गए है। एक्सपोजर जिसे टियर-I से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से क्रेडिट बढ़ाने का आई/ओ घटाया गया है और कुल पूंजी से घटाये गए अन्य एक्सपोजर का अंतर्निहित एक्सपोजर प्रकार द्वारा पृथक रूप से प्रकटन किया जाए।

ज. तुलन पत्र के लेखा टिप्पणी के हिस्से के रूप में प्रतिभूतिकरण गतिविधि की दो वर्षों की तुलनात्मक स्थिति का सार दिया जाए :

i. प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या और बही मूल्य- अंतर्निहित आस्तियों के प्रकार द्वारा;

ii. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री राशि और प्रतिभूतिकरण के खाते की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि; और

iii. क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के पश्चात आस्ति सर्विसिंग इत्यादि द्वारा दिए गए सेवा का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य)

सी : बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

लागू नहीं

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:

(i) The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities;

(ii) The roles played by the bank in the securitisation process 31 and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; and

(iii) The regulatory capital approach that the bank follows for its securitisation activities.

(b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:

(i) Recognition of gain on sale; and

(ii) Key assumptions for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes;

(c) Names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

(d) The total outstanding exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework by exposure type.

(e) For exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework:

(i) Amount of impaired / past due assets securitised; and

(ii) Losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type.

(f) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type.

(g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit -enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.

(h) Summary of securitisation activity presenting a comparative position for two years, as a part of the notes on Accounts to the balance sheet:

(i) Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets;

(ii) Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and

(iii) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd., Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiaries) & Bank of India (Uganda) Ltd.

Not Applicable

मात्रात्मक प्रकटन

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

लागू नहीं

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

शून्य

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगियां)

लागू नहीं

तालिका डीएफ-8

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

(क) मानक दृष्टिकोण में शामिल पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर अनुपालन किया जाता है। संयमी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए प्रूडेंसियल सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रूडेंसियल सीमाएं बाजार उधार दैनिक एवं औसत कॉल उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए काम करती है।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक तरलता विवरणी तरलता स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। बैंक को संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है। यह ऐसी स्थिति में जब कोई तरलता संबंधी तकलीफ हो और यदि निधियां आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से उठाई जानी हों।

ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गेप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक अवधि गेप विश्लेषण को भी उपयोग में लेता है। देयताओं की अवधि के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (देशीय) प्रूडेंसियल सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूति के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है। वीएआर के लिए प्रूडेंसियल सीमा यह नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं

Quantitative Disclosures

A: BANK OF INDIA

Not Applicable

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Nil

C: Bank of India (Tanzania) Ltd. & Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiaries)

Not Applicable

Table DF-8

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.

A: BANK OF INDIA

In Trading book the Bank holds "Held for Trading" (HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets – i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances – are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

(i) Strategies and Processes:

Under Market Risk Management, Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit - for percentage of cumulative gap to cumulative outflow - based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non SLR (domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are

उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय में भी वीएआर सीमा नीयत की गई है।

स्ट्रेस टेस्टिंग में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन 200 बेसेस पाईंट द्वारा बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविज़ुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है ।इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु प्रूडेंसियल सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की स्वदेशी निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार, अधिकतम निवेश सीमा ईक्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि की दैनिक सीमा । उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर संव्यवहारों एवं लाभ की रिपोर्टिंग की जाती है।

(ii) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढ़ाँचा एवं संगठनः

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता हैः देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं।

(iii) जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।एएलसीओं द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न प्रूडेंसिएल उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन /एएलसीओं को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति अवधि एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01 on the outstanding derivatives.

Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

(ii) Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels. Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary/ approving Risk Management Policies etc., Asset Liability Management Committee (ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

(iii) Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

In respect of domestic business the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as – Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis – Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis – VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio – conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. – Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position – Duration and VaR is reported daily to Top Management.

(iv) हैजिंग/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियों का कार्यान्वयन हो रहा है जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

बीः पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके अनुषंगी)

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन संख्या 14/18/पीबीआई/2012 दिनांक 28 नवंबर 2012 के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिविटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 2,058,142.52) से कम की रकम है।

सीः बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी)

क) बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविभाग भी शामिल है।

i. बाजार जोखिमः ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिमः ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम पर बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

डी : बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगी)

मुद्रा जोखिम :

बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

(iv) Policies for hedging and / or mitigating risk.

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 2,058,142.53).

C: Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary)

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

D: Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)

Currency risk:

The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ई : बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम पर बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

मात्रात्मक प्रकटन

बी. निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
• ब्याजदर जोखिम	₹ 794.71 करोड़
• ईक्विटी स्थिति जोखिम एवं	₹ 160.88 करोड़
• विदेशी विनिमय जोखिम	₹ 6.75 करोड़

तालिका डीएफ-9

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी निर्धारण हेतु बैंक का (के) प्रस्ताव।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है।बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधक विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नज़दीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत ज़ोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण , हानि की रिपोर्टिंग तथा की रिस्क इंडिकेटर्स (केआरआरइ) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई को आंचलिक कार्यालय के जरिए और बैंक स्तर के के.आर.आई. को निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक आधार पर ट्रैक किया जाता है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु सर्वोत्कृष्ट पद्धति अपनाता है, जैसे कि ड्यूटी का पृथक्करण, प्रशिक्षण, निश्चित रूप से अधिकथित कार्यप्रणाली आदि.

परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए, दैनिक परिचालन में जोखिम के लिए नितियों और कार्यविधियों, नियंत्रण और रूटिन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक यूनिट जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने के लिए परिचालन जोखिम के

E: Bank of India (Uganda) Ltd.

Interest rate risk: The Bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The Bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the Bank's exposure to interest rate risk.

Quantitative disclosures

(b) The capital requirements for:	
• interest rate risk:	₹ 794.71 Crores
• equity position risk: and	₹ 160.88 Crores
• foreign exchange risk:	₹ 6.75 Crores

Table DF-9

Operational risk

Qualitative disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach (es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A: BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group and then through Committee on Operational Risk Management (CORM). All policies are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Assessments, reporting Losses and Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs are tracked through Zonal office and Bank Level KRIs are tracked through Inspection and Audit Department, H. O. on half yearly basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Advanced Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing

प्रबंधन में उत्पाद के विकास से संबंधित क्षेत्र, प्रणाली, मानव संसाधन और "अपने ग्राहक को जानिए" सिद्धांत शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार को समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुसार लेखांकन पद्धति का समायोजन, ठीक ढ़ंग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार में मूल्य जोड़ रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

सीः बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी)

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को प्रतिवंचित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारित किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- ➢ संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- ➢ संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- ➢ नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- ➢ नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- ➢ महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- ➢ परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- ➢ आकस्मिकता योजना का विकास;
- ➢ प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- ➢ नैतिक एवं कारोबार मानक;
- ➢ जोखिम कमी सहित बीमा, जहां यह प्रभावी है।

मात्रात्मक प्रकटनः अपेक्षित नहीं

तालिका डीएफ-10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन

(क) साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के

operational risks also include areas related to product development, system, human resources and “know your customer” principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processings which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd., Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiaries) and Bank of India (Uganda) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank’s processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank’s activities.

The bank’s objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank’s reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:-

- ➢ Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- ➢ Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- ➢ Compliance with regulatory and other legal requirements;
- ➢ Documentation of controls and procedures;
- ➢ Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- ➢ Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- ➢ Development of contingency plans;
- ➢ Training and professional development;
- ➢ Ethical and business standards;
- ➢ Risk mitigation, including insurance where this is effective

Quantitative Disclosure: Not Required

Table DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions

ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापांकन की फ्रिक्वेंसी शामिल है।

एः बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी व्याप्ति और स्वरूप/नीतियों आदि वही है जो टेबल डीएफ-8 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।

प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आई आर आर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा

धारणाएँ :

समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

मांग जमा राशियों-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु, को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

बीपीएलआर अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

बीः पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगिया) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा लि.

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीवी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A: BANK OF INDIA

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes / structure & organization / scope and nature of risk reporting / policies etc are the same as reported under Table DF-8.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.

The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.

Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per the RBI guidelines on stress testing.

Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate/ discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary), Bank of India (Tanzania) Ltd. Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiaries) and Bank of India Uganda Ltd.

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

		कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1.	जोखिम पर अर्जन (एनएनआई)		
	1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	161.72	80.42
2.	जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
	200 बेसिक पॉईंट शॉक	649.10	779.03
	% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	3%	3.60%

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK (BOI SOLO)

		Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1.	Earnings At Risk (NII)		
	At 0.50% change for 1 year	161.72	80.42
2.	Economic Value of Equity at Risk		
	200 basis point shock	649.10	779.03
	Drop in equity value in %age terms	3%	3.60%

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 29 जून, 2013 को सुबह 11.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया, सभागार, स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में आयोजित की जाएगी जिसमें कारोबार की निम्नलिखित मदों पर चर्चा की जाएगी.

सामान्य कारोबार

मद सं.1 : ''बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र यथा दिनांक 31 मार्च, 2013 एवं दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता, लेखा एवं लेखा परीक्षकों की तुलन-पत्र और खातों पर रिपोर्ट की अवधि में बैंक की कार्यप्रणाली और कार्यकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना और स्वीकार करना।''

मद स. 2 : "वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।"

ह.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13.05.2013

(श्रीमती वी.आर. अय्यर)
अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on Saturday, June 29, 2013 at 11.00 A.m. at Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 to transact the following business.

Ordinary Business

Item No. 1 : "To discuss, approve and adopt the audited balance sheet as at 31st March, 2013, profit and loss account for the year ended 31st March, 2013. Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No. 2 : "To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2012-13."

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 13.05.2013

(Mrs. V.R. IYER)
Chairperson & Managing Director

टिप्पणियां :

1. **परोक्षी की नियुक्ति**

   बैठक में भाग लेने तथा मतदान के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी का बैंक का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है । परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात सोमवार, दिनांक 24 जून, 2013 को या उससे पहले कारोबार समय समाप्त होने के पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक का शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के दिनांक से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात सोमवार दिनांक 24 जून, 2013 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

3. **लेखाबंदी**

   शेयरधारकों का रजिस्टर, एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से **शनिवार दिनांक 22 जून, 2013 से शनिवार दिनांक 29 जून, 2013** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

NOTES:

1. **APPOINTMENT OF PROXY**

   A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend vote on his/her behalf. The proxy need not be member of the Bank. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Monday, the 24th June, 2013.

2. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Monday, the 24th June, 2013.

3. **BOOK CLOSURE**

   The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from **Saturday, June 22, 2013 to Saturday, June 29, 2013** (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and ascertainment of entitlement for payment of dividend.

4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरुप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रुप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिएः

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.
यूनिट बैंक ऑफ़ इंडिया,
13, ए बी, समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स,
साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
अंधेरी कुर्ला रोड़, साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 072.
फोन : 022-67720300 / 67720400
फैक्स : 022-28591568
ई मेल : boi@shareproservices.com

5. लाभांश भुगतान

बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश की घोषणा यदि वार्षिक आम सभा में की जाती है तो लाभांश का भुगतान दिनांक 09 जुलाई, 2013 से उन शेयर धारकों को किया जाएगा जिनका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैः

(क) लाभार्थी मालिक के रुप में दिनांक 21 जून, 2013 को कारोबार घंटे की समाप्ति पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) तथा केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत सूची के संबंध में शेयर समूर्त रुप में रखे गए हैं।

(ख) दिनांक 21 जून, 2013 को या उससे पहले बैंक को जमा किए गए वैध शेयर अंतरण को प्रभाव देने के बाद एक शेयरधारक के रुप में बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / परोक्षियों / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी / प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में परोक्षी अथवा प्रतिनिधि में से वह जिस रुप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

7. अदावाकृत लाभांश

वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं या उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205-सी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंतरित करनी होती है और इसलिए इसके भुगतान का कोई दावा बैंक पर या आईईपीएफ पर नहीं रहेगा।

8. पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट

शेयरधारक यदि सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हों तो वह इसे बैंक को वेबसाइट www.bankofindia.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं; या boi@Shareproservices.com पर ईमेल भेज सकते हैं. या कम्पनी सचिव, निवेशक सम्पर्क विभाग, बैंक ऑफ इंड़िया सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 पर पत्र लिखकर इस हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialized from should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Shareholders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India
13AB Samhita Warehousing Complex,
Off. Andheri Kurla Road,
Sakinaka Telephone Exchange Lane,
Sakinaka, Andheri East, Mumbai - 400 072
Tel.: 22-67720300 / 67720400
Fax : 22-28591568
E mail: boi@shareproservices.com

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid from 9th July, 2013 to those shareholders whose names stand registered on the bank's Register of Members:

(a) As Beneficial Owners as at the end of business hours on 21st June, 2013 as per the list to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form.

(b) As shareholder in the Register of Members of the Bank after giving effect to valid share transfer lodged with the Bank, on or before 21st June, 2013.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-entry pass is annexed to this Report. Shareholders / Proxy holders / Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip-cum-Entry pass at the venue. Proxy / Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

7. UNCLAIMED DIVIDEND

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants received for previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate Dividend Warrants. As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of or Undertaking) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by The Central Government under Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either on the Bank or on IEPF.

8. FULL ANNUAL REPORT

Shareholders desires to having a full Annual Report can download from our website www.bankofindia.co.in or send email to boi@Shareproservices.com or letter to 'The Company Secretary, Bank of India, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

डीपी आईडी नं. ______________________

फोलियो क्र. ______________ ग्राहक आई डी नं. ______________________

(यदि डीमेट न किया गया हो) (यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम ______________________________ निवासी ______________________

जिला ______________ राज्य ______________ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा

श्री/श्रीमती ______________ निवासी ______________ जिला ______________ राज्य ______________

को या व न होने पर श्री/श्रीमती ______________________ निवासी ______________________

जिला ______________ राज्य ______________ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से दिनांक 29 जून, 2013 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

माह ______________ की ______________ 2013 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर ______________________

नामः ______________________

पताः ______________________

____

रसीदी टिकट

____

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
   क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
   ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
   ग निगमित निकाय के मामले में - लिखित रुप में विधिवत रुप से प्राधिकृत, उसके अधिकारी अथवा ॲटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
2. परोक्षी की लिखत को किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा, जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, उस स्थिति में, पर्याप्त रुप से हस्ताक्षरित माना जाएगा यदि उसका चिह्न (मार्क) उस पर लगा है और उसे न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी, बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) किया गया हो।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत स्टाम्पित न हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ ॲटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ ॲटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार से या नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो। बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
5. विकल्प के रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म को निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

DP ID________________________

Folio No._________________ Client ID______________________

(if not dematerialised) (if dematerialised)

I/We, resident of ________________________________ in the district of ________________________________ in the state of ____ being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt. ____ resident of ______________________ in the district of ___________________ in the state of ___________________ or failing him/her, Shri/Smt. ______________________ resident of ___________________ in the district of ___________________ in the state of ___________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the Shareholders of Bank of India to be held on the 29th June, 2013 and at any adjournment thereof.

Signed this ______________________________ day of ___________ 2013.

Signature of Proxy __________________________________

Name : __________________________________

Address : ________________________________

____

Revenue Stamp

____

Signature of first named/Sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   - (a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing.
   - (b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   - (c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at Bank of India, Investor Relations Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र
वार्षिक आम बैठक

दिनांकः शनिवार, 29 जून, 2013 समय : सुबह : 11.00 बजे
बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS
ANNUAL GENERAL MEETING

Date : Saturday, 29th June, 2013, 11.00 a.m.
At the Bank's Auditorium, Bank of India, C-5, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

उपस्थिति पर्ची
(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP
(To be surrendered at the time of Entry)

नाम-स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / परोक्षी / एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member / Proxy / AR)	फोलियो क्र. / डीपीआईडी नं. / ग्राहक आईडी नं. FOLIO No. / DPID No. / CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares
....	....	....

....

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present (perforation)

प्रवेश पत्र
(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखें)

ENTRY PASS
(To be retained throughout the meeting)

वार्षिक आम बैठक दिनांकः शनिवार, 29 जून, 2013 सुबह : 11.00 बजे
ANNUAL GENERAL MEETING, Saturday, 29th June, 2013, 11.00 a.m.

नाम-स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / परोक्षी / एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member / Proxy / AR)	फोलियो क्र. / डीपीआईडी नं. / ग्राहक आईडी नं. FOLIO No. / DPID No. / CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares
....	....	....

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक दायित्व - तस्वीरों में
Bank of India'a Social Responsibility in pictures

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा दिनांक 16.01.2013 को लालपुर करैता, बाराबंकी में वित्तीय समावेशन व साक्षरता अभियान के अंतर्गत आयोजित 'आउटरीच कार्यक्रम' के दौरान एक छात्रा को 'स्टार अभिलाषा कार्ड' प्रदान करते हुई बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका श्रीमती वी. आर. अय्यर। साथ में गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, डॉ. डी. सुब्बाराव, सांसद एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग श्री पी. एल. पुनिया।

CMD Bank of India Mrs. V.R.Iyer, presenting 'STAR ABHILASHA CARD' to a student under 'OUT REACH PROGRAMME' organized under financial inclusion & literacy campaign by RBI, Lucknow in Lalpur Kairta, Barabanki on 16.01.2013. Governor RBI Dr.D.Subbarao and MP & Chairman SC/ST Commission Shri. P.L.Punia were also present on this occasion.

बैंक ऑफ इंडिया - वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

Bank of India Financial Inclusion Programme

अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका श्रीमती वी.आर.अय्यर, एक्सा आईएम के प्रतिनिधि श्री ब्रूनो गिलोटोन एवं कार्यपालक निदेशक श्री एन.शेषाद्रि द्वारा म्यूचुअल फण्ड के एक नवोन्मेषी उत्पाद - 'म्यूचुअल फण्ड इन्श्योरेन्स कवर के साथ' नामक 'बीओआई एक्सा एसआईपी शील्ड' का शुभारंभ किया।

An innovative product of Mutual fund 'Mutual Fund with Insurance Cover' namely 'BOI AXA SIP Shield' was launched by the Chairperson and Managing Director Smt. V R Iyer, Representative of AXA IM Shri Bruno Guilloton and Executive Director Shri N. Seshadri

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

बुक-पोस्ट
Book Post

यदि वितरित नहीं किया गया तो कृपया वापस करें:

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.,
युनिट: बैंक ऑफ़ इंडिया,
बिल्डिंग नं 13, एबी समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,
ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका टेलिफोन एक्स्चेंज लेन,
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400072 (भारत).

If undelivered please return to:

Registrar and Share Transfer Agents:
M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India,
Bldg No. 13, AB Samhita warehouse Complex,
Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka Telephone
Exchange Lane, Sakinaka,
Andheri (East), Mumbai-400072 (India).